Friday, 21 August, 1970

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र / Eleventh Session]

Preservation Unit
12-4-92
Fumigated
On 9.84
Parliament Library

PARLIAMENT LIBRARY
No. 61642
Date 11.12.70

सत्यमेव जयते

[खण्ड 43 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. XLIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया   Price : One Rupee

विषय-सूची CONTENTS

अंक 19, शुक्रवार, 21 अगस्त, 1970/30 श्रावण, 1892 (शक)

No. 19, Friday, August 21, 1970/Sravana 30, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
541	शैक्षणिक संस्थाओं में पुलिस के प्रवेश के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के अनुदेश	West Bengal Government instructions re. Police entry into Educational institutions	1-7
542	पटना विश्वविद्यालय अध्यापक संघ द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना	Memorandum submitted by Patna University Teachers' Association	7-8
543	दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में पुलिस का तैनात किया जाना	Deplopment of police in Delhi University Campus	8-13
544	संसद् में विरोधी दलों के सचेतकों को को अनुसचिवीय सुविधायें	Secretariat facilities to whips of opposition parties in Parliament	13-18

प्रश्नों के लिखित उत्तर — Written Answers to Questions

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.			
545	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय का गिराया जाना	Demolition of R. S. S. Office building in Banaras Hindu University Campus	18-19
546	पश्चिम बंगाल सेवाओं में नक्सलवादियों और साम्यवादियों की घुसपैठ	Infiltration of Naxalites and communists in West Bengal Services	19
547	पश्चिम बंगाल में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कर्मचारियों की गिरफ्तारी	Arrest of C. P. I. (M) Workers in West Bengal	19-20

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
548 चौथी पंचवर्षीय योजना में इन्जीनियरों, वैज्ञानिकों आदि की आवश्यकता के बारे में अनुमान	Assessment of requirement of Engineers, Scientists etc., during Fourth Five Year Plan	20-21
549 चंडीगढ़ संग्रहालय में चोरी	Theft in Chandigarh Museum	21-22
550 नक्सलवादियों के खतरे का मुकाबला करने के लिये राजनीतिक दलों द्वारा हथियारों का एकत्र किया जाना	Collection of Arms by Political Parties to meet Naxalites menace	22
551 मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना	Establishment of Mithila University	22-23
552 गैर सरकारी विमान कम्पनियों द्वारा चलाये जाने वाले विमानों के मार्ग	Routes operated by Private Airlines companies	23-24
553 जनसेवक के विरुद्ध आरोपों की जांच	Investigation into the Charges against Janasevak	24-25
554 विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं का पढ़ाया जाना	Teaching of Indian Languages in Universities	25-26
555 साम्प्रदायिक सद्भाव हेतु हैदरी मैंशन का अर्जन तथा उसका राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षण	Acquisition and preservation of Haydari Mansion as a National Monument for communal Harmony	26
556 दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राङ्गण में हाइडपार्क	Hyde park in Delhi University Campus.	26-27
557 नक्सलपंथियों द्वारा श्री राम गरीब दास की हत्या	Murder of Shri Ram Garib Das by Naxalities	27
558 उत्तर भारत स्थित उद्योगों से काण्डला पत्तन का उपयोग करने का अनुरोध	Industries located in North India approached for use of Kandla Port	27-28
559 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों में त्रिभाषीय फार्मूला	Three languages formula in schools affiliated to Central Board of Secondary Education	28-29
560 बोइंग 707 वायुयान द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कम्प्रेसर डिस्को के दोषपूर्ण होने की एयर इन्डिया को चेतावनी	Air India warned of defective nature of compressor discs used by Boeing 707 Aircraft	29-30
561 पश्चिम बंगाल सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Non-Gazetted Employees of West Bengal Government	30
562 शिक्षा के लिये धनराशि का नियतन	Allocation of funds for education	30-31

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
563 दिल्ली पोलीटेकनिक में छात्रों को दी जाने वाली योग्यता और निर्वाह छात्रवृत्ति	Merit cum means scholarships to students in Delhi Polytechnics	31-32
564 तटीय नौवहन विकास	Development of coastal shipping	32
565 अशोका होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली में ठहरने वालों की कमी	Decline in occupancy of Ashoka Hotels Ltd., New Delhi	32-33
566 ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा देने का कार्यक्रम	Programme to impart education to women in Rural Areas	33
567 भारतीय प्राद्योगिक संस्थानों (आई० आई०टी०) की कार्यप्रणाली का पुनर्विलोकन	Review of working of I. I. Ts.	33
568 चौथी योजना के दौरान सड़क विकास कार्यक्रम	Road Development Programme during Fourth Plan	33-34
569 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिये अंग्रेजी का अनिवार्य न होना	English no more compulsory for students appearing in Exams. of Central Board of Secondary Education	34-36
570 केन्द्रीय जांच ब्यूरो में विचाराधीन मामले	Case Pending before C. B. I.	36-37
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3549 शेख अब्दुल्ला द्वारा उत्तेजना पैदा करने वाले भाषण	Provocative speeches by Sheikh Abdullah	37-38
3550 वर्ष 1969-70 में इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों की उड़ानों में विलम्ब	Delay in IAC flights during 1969-70	38-39
3551 बेरोजगार कमर्शियल विमान चालक	Unemployed Commercial Pilots	39-40
3552 दिल्ली प्रशासन द्वारा शिक्षा शास्त्री डिग्री को मान्यता दिया जाना	Recognition to Shiksha Shastri Degree by Delhi Administration	40
3553 इम्फाल में विश्वविद्यालय केन्द्र	University Centre at Imphal	40
3554 भारत से पाकिस्तान में चले जा रहे मुसलमान लोग और पाकिस्तान से भारत आ रहे हिन्दू	Muslims crossing into Pakistan and non-Muslims coming to India from Pakistan	41
3555 मणिपुर राज्य परिवहन	Manipur State Transport	41
3556 एयर इन्डिया द्वारा भारतीय तथा विदेशी यात्रा एजेंटों को दिया गया कमीशन	Commission paid by Air India to Indian and Foreign Travel agents	41-42

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3557 महानगरों में इन्डियन एयरलाइन्स का कारोबार	Indian Airlines business in Metropolitan cities	42-43
3558 भारत में युवक होस्टलों की स्थापना	Setting up of Youth Hostels in India	43
3559 तेलंगाना के सम्बन्ध में बातचीत	Talks on Telangana	44
3560 भूतपूर्व भारतीय रियासतों के नरेशों का देहान्त	Death of Rulers of former Indian States	44
3561 भोपाल की नवाब बेगम पर मुकदमा करने की अनुमति के लिये प्रार्थना पत्र	Application for permission to sue the Nawab Begum of Bhopal	44-45
3562 भोपाल की नवाब बेगम पर मुकदमा करने की अनुमति के लिये प्रार्थना पत्र	Application for permission to sue the Nawab Begum of Bhopal	45
3563 परिवर्तित राजनैतिक परिस्थिति में संविधान में परिवर्तन करना	Changes of the Constitution under chagned political situation	45
3564 विश्वभारती विश्वविद्यालय में कार्यकारिणी और विद्या परिषद् में मतभेद	Differences of view between Executive and Councils of Viswa Bharti University	45-46
3565 गैर कानूनी तौर पर भूमि पर कब्जे को रोकने के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for checking illegal occupation of land	46
3566 मुस्लिम लीग के साम्प्रदायिक संगठन न होने के बारे में एक राज्य मंत्री का कथित वक्तव्य	Reported statement by a Minister of State that Muslim league is not a communal organisation	46-47
3567 भारतीय सांख्यिकीय सेवा में पदोन्नतियां	Promotions in Indian Statistical Service	47
3568 भारतीय सांख्यिकीय सेवा में पदोन्नतियां	Promotion in Indian Statistical Service	47-48
3569 राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से सम्बद्ध स्कूलों और संस्थाओं को सहायता तथा अनुदान	Aids and Grants to institutions and schools connected with with R. S. S.	48-49
3570 "संसदीय लोकतन्त्र में न्यायपालिका का योगदान" पर विचार गोष्ठी	Symposium on "Role of Judiciary in Parliamentary Democracy"	49
3571 बृहदेश्वर के मन्दिर तंजाबूर में राजराज चोला की प्रतिमा स्थापित करना	Installation of statute of Raja Raja Chola in Brihadeswara Temple at Thanjaour	49
3572 हिमाचल प्रदेश में आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को पेन्शन	Pension to I. N. A. Personnel in Himachal Pradesh	49-50
3573 स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन और डा० राजेन्द्र प्रसाद के स्मारक	Memotial to late Presidents Dr. Zakir Hussain and Dr. Rajendra Prasad	50

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
3574	आदिम जातियों के लोगों को बड़ी संख्या में ईसाई बनाया जाना Large scale conversion of Tribals to Christianity	50-51
3575	कलकत्ता में नक्सलवादियों के आक्रमणों से विदेशी दूतावासों की सुरक्षा Protection of Foreign Embassies in Calcutta against Naxalite Attacks	51
3576	एक ब्रिटिश पत्रकार की पत्नी श्रीमती आरडेन के पारपत्र का पृष्ठांकन Endorsement of passport of Mrs. Arden wife of a British Journalist	51-52
3577	अनधिकृत आकाशवाणी केन्द्रों का संचालन Operation of Private Radio Stations	52
3578	निकोबार की वाणिज्यिक कम्पनियों की व्यापारिक गतिविधियों को विनियमित करने वाली शक्तियां Powers to regulate trading activities of Nicobarese commercial Co.	52-53
3579	पंजाब कीं परिसम्पत्ति वितरण के सम्बन्ध में दावे और प्रति दावे Claims and counter claims re. divisions of Punjab Assets	53-54
3580	दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष का त्यागपत्र Resignation by Head of Hindi Department, Delhi University	54
3581	विधान मंडलों में दल बदल के बारे में विधान Legislation re. Defections in Legislatures	54-55
3582	भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में बिहार सरकार को महान्यायवादी की सलाह Advice of Attorney General to Bihar Government re. Charges againts Former Ministers	55
3583	महिलाओं को प्रशासनिक दायित्व सौंपने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का सुझाव Recommendation of Chief Minister of U. P. re. entrusting women with Administrative responsibility	55-56
3584	नेशनल लेबोरेटरियों के कार्य के बारे में प्रशासन सुधार आयोग का प्रतिवेदन ARC Report on working of National Labouratories	56
3585	कूँच बिहार में मनशाई नदी पर पुल का बनाया जाना Bridge over river Manshai in Cooch Behar	56-57
3586	राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमिपतियों द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा करना Forcible re-occupation of land by Landlords in Rajasthan Canal Area	57
3587	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने वाली परिस्थितियों के विषय में जांच करने के लिये आयोग की स्थापना के कारण Reasons for setting up of a Commission to inquire into the circumstances that led to disappearance of Netaji Subhash Chandra Bose	57-58
3588	प्रधान मंत्री पर घातक प्रहार करने का षडयंत्र Conspiracy for making fatal attack on Prime Minister	58

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3589 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन मान	Pay-scales of High Court Judges	58
3590 भूमि हथियाओ के आन्दोलन के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों द्वारा गैर कानूनी तौर पर धन एकत्र करना	Illegal collection of money by Political Parties in West Bengal under Land Grab Movement	59
3591 जम्मू तथा कश्मीर में सीमा सुरक्षा दल की चौकियां	Border Security Force Posts in J. and K.	59
3592 सड़क विंग में प्रथम श्रेणी के तकनीकी अधिकारियों की वरिष्ठता सूची	Seniority list of class I Technical Officers in Roads Wing	59-60
3593 दरभंगा होते हुए कलकत्ता से काठमाण्डू तक विमान मार्ग	Air link from Calcutta to Kathmandoo via Darbhanga	60
3594 अखिल भारतीय स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा स्थापित करने का विरोध	Opposition to the constitution of All India Health and Medical Services	60-61
3595 भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्स) के नेतृत्व में पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले में किये गये प्रदर्शन पर आक्रमण	Attack on CPI (M) led Demonstration in Hooghly District, West Bengal	61
3597 राष्ट्रीय स्वस्थता दल में प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्तियों को उनके मूल कार्यालय में वापिस भेजना	Repartriation of Deputationists in N. F. C. to their parent offices	61
3598 एशियाई राजपथ के भारतीय भाग पर कार्य प्रगति	Progress of work on Indian portion of Asian Highway	62
3599 दिल्ली में होटल उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का कार्यान्वयन	Implementation of Wage Board Recommendations for Hotel Industry in Delhi	62-63
3601 कलकत्ता तथा जाधवपुर विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं का लिया जाना	Holding of Examinations in Calcutta and Jadavpur Universities	63
3602 चंडीगढ़ में डाका तथा चोरी	Robbery and Theft in Chandigarh	63-64
3603 देश में छोटे बन्दरगाहों का विकास	Development of Minor Ports	64-65
3604 मुस्लिम लीग पर प्रतिबन्ध	Ban on Muslim League	65
3605 केरल मुस्लिम लीग के सम्मेलन में दिये गये भाषण	Speeches delivered at Kerala Musim League conference	65
3606 भारत में पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी	Arrest of Pak. spies in India	65-66

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3607 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित संघ भवन का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा उपयोग किये जाने की अनुमति का वापस लेना	Withdrawal of permission to RSS to use Sangh Bhavan in Benaras Hindu University Campus.	66
3608 शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी अनुवादकों और अधिकारियों की पदोन्नति	Promotion of Hindi Translators and Officers in Education Ministry	66-67
3609 वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का पुनर्गठन	Re-organisation of Commission for Scientific and Technical Terminology	67
3610 कलकत्ता संग्रहालय में चित्र गैलरी की स्थापना	Setting up of Painting Gallery in Calcutta Museum	68
3611 प्रेसीडेन्सी डिविजन, पश्चिम बंगाल के आयुक्त द्वारा सरकारी धन का कथित दुर्विनियोग	Alleged misappropriation of Govt. money by Commissioner of Presidency Division, West Bengal	68-69
3612 पुलिस को हिरासत में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के सदस्यों और उनके समर्थकों को यंत्रणा पहुँचाना	Torture of C. P. I. (M) Members and supporters in Police Lock-ups	69
3613 टीटागढ़ में भारतीय साम्यवाद दल (मार्क्सवादी) के श्रमिक की मृत्यु	C. P. I. (M) worker killed in Titagarh, West Bengal	69-70
3614 सीमा सुरक्षा बल के व्यक्तियों को राईफलें देना	Rifles for Border Security Force Personnel	70
3615 अमरीका की खोज के सम्बन्ध में नया अनुसंधान	Fresh Reserarch on Discovery of America	70-71
3616 छोटा नागपुर में पकड़े गये नक्सलवादी दस्तावेज	Seizure of Naxalite documents in Chhota Nagpur	71
3617 दिल्ली पोलिटेक्नीक में अप्रयुक्त पड़े हुए उपकरण	Equipment lying idle in Delhi Polytechnics	71-72
3618 केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का तैनात किया जाना	Deployment of Central Industrial Security Force	72
3620 राज्यों के अन्तर्गत उप-राज्य बनाने के बारे में जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति	Appointment of a Committee to enquire about setting up of sub-states within the states	72
3621 विदेशों में हिन्दी का प्रचार	Propagation of Hindi in foreign Countries	72-73

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3622	द्वारकाधीश मन्दिर में मरम्मत / Repairs carried out in Dwarkadheesh Temple	73-7
3623	स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को पेंशन तथा अन्य सुविधाएं / Pension and other benefits to freedom fighters	74
3624	आजाद हिन्द फौज के असैनिक कर्मचारी / Civilian INA personnel	74-75
3625	छात्रों में अनुशासनहीनता के कारण बन्द हुए विश्वविद्यालय / Closure of Universities due to Student Indiscipline	75
3626	राज्यों में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति का खराब होना / Law and order situation deteriorating in States	76
3627	केन्द्रीय मंत्रियों के दौरे / Tours by Union Ministers	76
3628	बमों की बिक्री / Sale of Bombs	77
3629	विद्यार्थी असन्तोष सम्बन्धी समिति / Committee on Students' Unrest	77
3630	नक्सलवादियों का चीनी साम्यवादी दल से सम्बन्ध / Naxalites affiliation with Chinese Communist Party	78-79
3631	दिल्ली के सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों द्वारा प्रतिदिन उपस्थिति लगाना / Marking of Daily Attendance by Principals of Government Higher Secondayr Schools Delhi.	79
3632	गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल (लड़कों का) मालवीय नगर, नई दिल्ली के भूतपूर्व प्रधानाचार्य द्वारा की गई अनियमितताएं / Irregularities committed by Ex-principals. Government Boys Higher Secondary Schools, Malaviya Nagar, New Delhi	79-80
3633	दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में उपप्रधानाचार्य के पदों के लिए अनुसूचित जातियों के तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये कोटा आरक्षित करना / Reservation of quota for S. C. and S. T. for posts of Vice-Principal in Education Deptt. of Delhi Administration	80-81
3635	आसाम में खुदाई के लिये ओहियो विश्व विद्यालय के प्रोफेसर के अनुरोध को अस्वीकार करना / Rejection of Request of Ohio University Professor for Excavation in Assam	81
3636	चम्बल घाटी में नक्सलवादियों का डाकुओं से सम्पर्क / Naxalites Contacts with Dacoits in Chambal Ravines	81
3637	मध्य प्रदेश में डाकुओं द्वारा स्कूल के विद्यार्थियों का अपहरण / Kidnapping of School Students by Dacoits in Madhya Pradesh	81-82

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं०		
U. S. Q. Nos.		
3638 डेविस कप के मैच में भारत में बने टैनिस बालों का प्रयोग	Use of Indian made Tennis Balls in Davis Dup Tie	82
3639 बोइंग विमान में प्रयुक्त रोल्ज रायस इंजन की मरम्मत के सुझाव	Repairs suggested for Rolls Royce Engines used for Boeing Aircraft	83
3640 दिल्ली में होटल उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड की सिफारिशें	Wage Board Recommendations for Hotel Industry in Delhi	83-84
3641 बड़े पत्तनों के सम्बन्ध में आयोग	Commission of Major Ports	84
3642 दैनिक हिन्दुस्तान में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय से सम्बन्धित लेख	Article on Central Hindi Directorate published in Hindustan	84-85
3643 "शिक्षा", "शिक्षक" और "शिक्षार्थी"	"Shiksha," "Shikshak" and "Shiksharthi"	85
3644 परीक्षाओं में अनुचित तरीके अपनाना	Use of unfair means in Examination	85-86
3645 राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों को काम पर लगाना	Absorption of Instructors of National Discipline Scheme	86-87
3646 दिल्ली के स्कूलों, कालेजों और पालिटैक्नोकों में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था	Arrangements for adequate drinking water in schools, colleges and polytechnics of Delhi	88-89
3647 श्रीलंका को जाने वाला एक भारतीय मालवाही जहाज का लापता होना	Missing Indian Cargo ship bound for Colombo	89-90
3648 पुरुषों को निजी रूप में स्नातकोत्तर परीक्षाओं में बैठने की सुविधाएं	Facility for men to appear privately for Post Graduate Examinations	90
3649 ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के लिये अनिवार्य अध्यापन कार्य	Compulsory teaching assignement for teachers in rural areas	90-91
3650 जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तानी जासूस	Pak spies in Jammu and Kashmir	91
3551 अशोक और जनपथ तथा रणजीत होटल, नई दिल्ली के कर्मचारियों और अधिकारियों से वसूल किया गया किराया	Rent charged from workers and officers of Ashoka, Janpath, Ranjit and Lodi Hotels, in New Delhi	91-92
3652 अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली के कर्मचारियों की संख्या	Strength of Staff of Ashoka Hotels Ltd., New Delhi	92-93
3653 अशोक होटल लिमिटेड के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Staff quarters for employees of Ashoka Hotels Ltd.	93-94
3654 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् क्रान्तिकारियों का बसाया जाना	Rehabilitation of Revolutionaries Independence	94-95

तारा० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
3655	राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा प्रतिबन्ध लगने के बाद छिपे आन्दोलन का चलाया जाना / Launching of Underground Movement by R. S S. consequent on imposition of Ban	95
3656	मालवीय नगर और हौज खास, नई दिल्ली के बीच की सड़क पर प्रकाश को व्यवस्था करना / Provision of light on the road between Malyiya Nagar and Hauz Khas, New Delhi	95
3657	दिल्ली तथा नई दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देना / Recognition to Private Schools in Delhi and New Delhi	96
3658	शहीद मीनार, मैदान, कलकत्ता में सभा करने के लिये अनुमति / Permission to hold a Meeting in Shaheed Minar Maidan, Calcutta	96
3659	पंजाब के फाजिल्का और अबोहर क्षेत्रों में स्कूलों में शिक्षा का माध्यम / Medium of Instruction in schools in Fazilka and Abohar areas of Punjab	96-97
3660	स्वर्गीय डा० जाकिर हुसैन का स्मारक / Memorial to Late Dr. Zakir Hussain	97-98
3661	नक्शे प्रकाशित करने के लिए लाइसेंस / Licence to Publish Maps	98-99
3662	शिक्षा पर व्यय तथा अध्यापकों की दशा सुधारना / Expenditure on Education and bettering the lot of Teachers	99-104
3663	राष्ट्रपति शासन के दौरान पश्चिम बंगाल में मारे गये असैनिक अधिकारी / Civil Officers killed in West Bengal during President's Rule	104-105
3664	भारतीयों को बिट्रेन में चोरी छिपे ले जाने की यात्रा एजेंसियां / Travel Agencies indulging in smuggling of Indians to Britain	105
3665	पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा सातवीं कक्षा से हिन्दी की पढ़ाई बन्द किया जाना / Withdrawal of Hindi teaching from class VII by West Bengal Government	105-106
3666	पश्चिम बंगाल में हिन्दी के अध्यापन पर व्यय / Expenditure on Hindi Teaching in West Bengal	106
3667	पश्चिम बंगाल में हिन्दी अध्यापकों के वेतनमान तथा ग्रेड / Grades and pay scales of Hindi teachers in West Bengal	106
3668	दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम / Correspondence Course in Delhi University	106-107
3669	मध्य प्रदेश में सेन्ट्रल स्कूल / Central Schools in Madhya Pradesh	107
3670	मध्य प्रदेश राष्ट्रीय राजपथ / National Highways in Madhya Pradesh	107-108

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3671 होशंगाबाद और पूर्व निमाड जिलों में पर्यटक केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres in Hoshangabad and East Nimar Districts	109
3672 मध्य प्रदेश मे अधिक हवाई सेवाओं की आवश्यकता	Need for more Air Services in Madhya Pradesh	109
3673 पश्चिमी बंगाल में डकैतियों तथा लूट-पाट	Dacoties and Robberies in West Bengal	109-110
3674 बोस विज्ञान संस्थान	Bose Institute of Science	110-111
3675 अण्डमान में बसे पूर्व पाकिस्तान के विस्थापितों द्वारा भूख हड़ताल	Hunger strike by Displaced Persons from East Pakistan settled in Andamans	111
3676 आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार के लिये भारतीय जहाज	Indian ships for Internal and Foreign trade	111-112
3677 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय छात्र संघ के बारे में अध्यादेश जारी किया जाना	Promulgation of an Ordinance by U. P. Government regarding University students Union	112
3678 दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को जारी किये गये निलंबन आदेशों का वापिस लिया जाना	Withdrawal of suspension orders served on students of Delhi University	112-113
3679 एयर इंडिया और इंग्लैंड की रोल्स रायस कम्पनी में मतभेद	Differences between Air India and Rolls Royce Company of England	113
3680 आठवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों का उपलब्ध न होना	Non-availability of Text Books of Middle Classes	113-114
3681 स्टेट्समैन के प्रधान सम्पादक को नक्सलवादियों की धमकी	Naxalites Threat to Chief Editor of Statesman	114
3682 नक्सलपंथियों द्वारा की गई हत्याएं	Murders committed by Naxalites	114-115
3683 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति	Separate Consultative Committee of Members of Parliament for Union Territories	115
3684 दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Students of Delhi University	115
3685 दिल्ली में फिर से मुस्लिम लीग का बनाया जाना	Revival of Muslim league in Delhi	116
3686 15-16 जून, 1970 को बेलगांव के लिये निर्धारित विमान सेवा के टिकटों पर गलत पृष्ठांकन	Wrong Endorsement on Tickets flight Scheduled for Belgaon on 15th-16th June, 1970	116-117

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3687 दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान	Pay-scale of Delhi school Teachers	117
3688 केन्द्रीय जांच ब्यूरो में टाईपिस्टों की भर्ती को रीति	Mode of Recruitment of Typists in C.B.I.	117-118
3689 भारत में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि	Increase in Tourist Traffic to India	118-119
3690 दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों के किराये में वृद्धि	Increase in U. T. U. Bus Fares	119-120
3691 दिल्ली विश्वविद्यालय के डिग्री पाठ्यक्रमों के प्राइवेट विद्यार्थियों के बैठ सकने के लिए कानून	Legistation to enable Private Students to appear for Degree Courses of Delhi University	120
3692 सिमूली पहाड़ राष्ट्रीय पार्क	Simulipahad National Park	120
3693 बालासोर (उड़ीसा) में चन्डीपुर-ग्रान-सी का विकास	Development of Chandipore-on.sea in Balasore (Orissa)	120-121
3694 उड़ीसा में छोटे पत्तनों का विकास	Development of Minor Ports in Orissa	121
3695 अईहोले, पत्ताडकल तथा बदामी में स्मारकों का संरक्षण	Protection of monuments at Aihole Pattadakal and Badam	121-122
3696 दिल्ली में राजकीय सहायता प्राप्त परिवहन सेवा	Subsidised Transport Service in Delhi	122-123
3697 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास करने वाले छात्रों का पाकिस्तान जाना	Students migrating to Pakistan after graduating from Aligarh Muslim University	123
3698 संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने के मापदण्ड	Criteria for Grant of Statehood to Union Territories	123
3699 संघ लोक सेवा आयोग की भारतीय प्रशासन सेवा तथा राज्य की असैनिक सेवाओं की परीक्षा में बैठने के लिये आयु सीमा में वृद्धि	Raising of Age limit for appearing in UPSC Examination for IAS/ States Civil Services	123-124
3700 राज्य व्यापार निगम के माध्यम से प्राचीन कलाकृत्तियों का निर्यात	Export of Antiques through S.T.C.	124
3701 दरियागंज दिल्ली में आग लगाने के कारणों की जांच	Enquiry into causes of Fire in Darya Ganj, Delhi	124-125
3702 सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों पर लाल झंडे लहराए जाना	Red flags over Government and Private Educational Institutions	125-126

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3703 केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C. B. I. Inquires	126-127
3704 बेरोजगार वाणिज्यिक चालक	Unemployed Commercial Pilots	127
3705 महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा का गिरता हुआ स्तर	Deteriorating standard of Education in Universites and Colleges	127-128
3706 नई दिल्ली के एक धनी व्यापारी के विरुद्ध जांच	Enquiry against a Rich New Delhi Businessman	128-129
3707 "तमिल भाषा में अनुसंधान" विषय पर पेरिस में हुए सम्मेलन की सिफारिशें	Recommendations of Paris "Conference re: Research in 'Tamil"	129
3708 दिल्ली में नये विधि कालेज की मांग	Demand-for a New Law College in Delhi	129
3709 राज्यों में आयोजित किये गये बन्द	Bandhs observed in States	129-130
3710 दिल्ली में स्कूटर चोरों की गिरफ्तारी	Arrest of Scooter Thieves in Delhi	130
3711 शिव सेना	Shiv Sena	130
3712 आसाम में मौलाना भाशानी के दल के लिये कार्य कर रहे राष्ट्र विरोधी तत्व	Anti-National Elements in Assam working for Maulana Bhashanis Party	130-131
3713 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होटलों में स्थान (बैड)	Hotel Beds of International Standard	131
3714 राष्ट्रीय स्वस्थता दल के कर्मचारियों को राज्यों में स्थानान्तरण करने की शर्तें	Terms and Conditions of Transfer of Staff of N. F. C. to States	131-132
3715 पश्चिम बंगाल के पश्चिम दीनाजपुर जिले में पाकिस्तानियों द्वारा पशु भगा कर ले जाने, डकैतियों और हत्याओं की घटनाएं	Cattle lifting, Dacoits and Murders by Pakistanis in District West Dinajpur (West Bengal)	132
3716 बेरोजगार स्नातक इन्जीनियरो की डिग्रीयों तथा डिप्लोमा होल्डरों को एम० एस० सी०/बी० एस० सी० । बी० ए०, इन्टरमीडिएट के समकक्ष मानना	Treatment degrees of Unemployed Engineering Graduate and Diploma holders as equivalent to Msc., Bsc., B. A , Intermediate	133
3718 भारत में पाकिस्तानी मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिये कार्यवाही	Steps to check entry of Pakistani Muslims into India	133-134
3720 जिला चम्पारन (बिहार) में डुमरिया पुल का निर्माण-कार्य	Construction work for Dumaria Bridge in District Champraran (Bihar)	134

विषय अता० प्र० सं० U.S.Q.Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
3721 राजनैतिक दलों का विदेशों से सम्बन्ध	Connections of Political Parties with Foreign Countries	134
3722 क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालिज, भुवनेश्वर के प्रधानाचार्य द्वारा अध्यापकों से किया गया व्यवहार	Treatment meted out to Teachers by Principal, Regional Engineering college, Bhubaneswar	134-135
3723 केन्द्रीय विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषदों में विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	Representation of Students and Employees on Executive Councils of Central Universities	135
3724 राष्ट्रीय स्वस्थता दल के प्रशिक्षण संस्थान द्वारा एकत्र की गई कर्मचारी कल्याण निधि का उपयोग	Utilization of Employees Welfare Fund collected by Training Institute of N. F. C.	136
3725 राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शिक्षकों के स्थानान्तरण सम्बन्धी शर्तों की प्रतियों की अनुपलब्धता	Non-availability of copies of Terms and Conditions of transfer of N. D. S. Instructors to state	136-137
3726 राष्ट्रीय स्वस्थता दल के कर्मचारियों को विलम्ब से वेतन का दिया जाना	Delay in Payment of salaries to Employees of N. F. C.	137
3727 त्रिपुरा में विश्वविद्यालय की स्थापना	Setting up of University in Tripura	137-138
3728 त्रिपुरा को राज्य स्तर प्रदान करना	Statehood for Tripura	138-139
3729 केन्द्रीय सड़क निधि में धन राशि का वितरण	Allocations from Central Road Fund	139
3730 केरल में पकड़े गये नक्सलवादी	Naxalites rounded up in Kerala	139-140
3731 केरल में सड़कें तथा पुल बनाने के लिये केन्द्रीय सहायता	Central assistance for construction of roads and bridges in Kerala	140
3732 केरल में सड़कों को राष्ट्रीय राजपथ में बदलने के लिये प्रस्ताव	Proposal for converting roads in to National Highways in Kerala	140-141
3733 इन्डियन एयर लाइन्स के लिये बोइङ्ग 737-200 विमान	Boeing 737-200 Aircraft for India Airlines	142
3734 निजी मकानों की दीवारों से राष्ट्र विरोधी नारे मिटाना	Effacing Anti-National slogans from the walls of Private houses	142-143
3735 विभिन्न शारीरिक शिक्षा कालेजों में भिन्न पाठ्यक्रम	Different Syllabus in Various Physical Education Colleges	143
3736 भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये नामांकन	Nominations to I. A. S.	143-144

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3738 हरिजनों/आदिवासियों की हत्या करने, उन्हें जीवित जलाने तथा नर बलि के मामले	Cases of Murder, Burning alive and Human sacrifice of Harijans/ Adivasis	144-145
3740 दिल्ली में अपहरण के मामले	Kidnapping cases in Delhi	145-146
3741 चण्डीगढ़ और फाजिल्का के बारे में निर्णय	Decision on Chandigarh and Fazilka	146
3742 दरभंगा जिला (बिहार) शिक्षा के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार की योजना	Central scheme for development of Education in District Darbhanga (Bihar)	146-147
3743 अशोक होटल कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस	Strike Notice by Ashoka Hotels Employees' Union	147
3744 दिल्ली नगर निगम के शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतन मान	Revised Pay Scale of Teachers of Delhi Municipal Corporation	147-148
3745 दिल्ली विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश	Admission to Different Courses of Delhi University	148-149
3746 डी० एम० कालिज, मणिपुर में स्नातकोत्तर कक्षायें आरम्भ करना	Post Graduate classes in D. M. Colleges in Manipur	149
3747 द्वितीय महायुद्ध की बमबारी में शिकार हुये व्यक्तियों को मुआवजा देना	Compensation to victims of Bombing during the Second World War	149-150
3748 गोहाटी विश्वविद्यालय में असमियां और बंगाल भाषाओं का अध्ययन प्रारम्भ करना	Introduction of Assamese and Bengali languages in Gauhati University.	150
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	150-154
अशोक होटल के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by workers of Ashoka Hotel	
श्री म० ला० सोंधी	Shri M. L. Sondhi	
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karn Singh	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	154
वित्तीय समितियां, 1969-70-एक समीक्षा	Financial Committees, 1969-70 —a Review	154
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	155
सभा का कार्य	Business of the House	155-160
वैयक्तिक स्पष्टीकरण (श्री बलराज मधोक)	Personal Explanation (Shri Bal Raj Madhok)	160

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
पश्चिम बङ्गाल बजट, 1970, अनुदानों की मांगों और पश्चिम बङ्गाल के बारे में उद्घोषणा सम्बन्धी सांविधिक संकल्प	West Bengal Budget, 1970-71 demands demands for grants and statutory Resolution re. proclamation in relation to West Bengal	161-170
श्री पें० वेंटकासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी 66वां प्रतिवेदन	Committee on Private Nembers Bills and Resolutions Sixty-sixth Report	170
पश्चिम बङ्गाल में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति के बारे में संकल्प	Resolution re. law and order situation in West Bengal	171-186
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	171
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	174
श्री मृत्युंजय प्रसाद	Shri Mrityunjay Prasad	
श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	177
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia	177
श्री वीरभद्र सिंह	Shri Virbhadra Singh	180
श्री बि० प्र० मंडल	Shri B. P. Mandal	181
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	182

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 21 अगस्त, 1970/ 30 श्रावण, 1892 (शक)
Friday, August 21, 1970/ Sravana 30, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER IN THE CHAIR]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

शैक्षणिक संस्थाओं में पुलिस के प्रवेश के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के अनुदेश

*541. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री प० गोपालन :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने एक परिपत्र जारी किया था जिसमें पुलिस को कालेजों के अधिकारियों की अनुमति लेकर अथवा उसके बिना शैक्षणिक संस्थाओं के अहातों में प्रवेश करने के अनुदेश दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) शैक्षणिक संस्थाओं में पुलिस के प्रवेश को रोकने के लिए क्या सरकार राज्य प्रशासन को बाध्य करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल सरकार ने शिक्षा संस्थाओं मे प्रवेश करने के लिए पुलिस को अधिकार दे दिया है, ताकि (1) उन संस्थाओं की परिसर के भीतर, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत व्याख्या किए गए प्रज्ञेय अपराधों के किए जाने को रोका जा सके, तथा, (2) शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर के भीतर किए गए प्रज्ञेय अपराधों की जांच की जा सके।

(ग) और (घ) : जी नहीं।

राज्य सरकार इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुँची है कि हिंसा के दाण्डिक मामलों को, चूंकि वे भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत गंम्भीर अपराध हैं, शैक्षणिक क्षेत्रों की पवित्रता के बहाने कानून की सामान्य प्रक्रिया की सीमा से मुक्त होने का दावा नहीं किया जा सकता।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मन्त्री महोदय ने कहा है कि शैक्षणिक क्षेत्र की पवित्रता के नाम पर शैक्षणिक संस्थाएं कानून की सामान्य प्रक्रिया के अधिकार क्षेत्र से छूट का दावा नहीं कर सकती परन्तु पुलिस को इस बहाने शिक्षा संस्थाओं में दाखिल होने और विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के जनतांत्रिक आन्दोलन को दबाने दिया जाता है जादवपुर विश्वविद्यालय की घटनाओं से, जिसके विरुद्ध इतना अधिक जनमत तैयार किया गया था, **यही बात सिद्ध होती है**। अधिकारियों की अनुमति के बिना पुलिस शैक्षणिक क्षेत्र में दाखिल हुई और अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को पीटा तथा इस परिपत्र के परिणाम स्वरूप जादवपुर की वह घटना हुई।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूँगी कि क्या जादवपुर की घटना के पश्चात् सरकार इस परिपत्र को वापिस लेने के संबंध में विचार करेगी ? मैं इस बात को नहीं समझ सकती कि सम्बन्ध अधिकारियों की अनुमति से ही शैक्षणिक क्षेत्र में पुलिस को दाखिल होने देने के लिए सरकार क्यों असमर्थ है। अगर उन व्यक्तियों को ढूंढना है जो प्रज्ञेय अपराधों के दोषी हैं, तो सम्बन्ध अधिकारियों की पूर्वानुमति ली जा सकती है और तब उन स्थानों में प्रवेश किया जा सकता है। अन्यथा जादवपुर जैसी घटनाएं होती रहेंगी। क्या सरकार इस पर पुनः विचार करेगी ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य ने जादवपुर की घटना की ओर संकेत किया है। शायद सदन यह जानता हो कि जो सूचना हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार जादवपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र के बाहर पुलिस का दस्ता था और इस दस्ते पर बमों द्वारा हमला किया गया था। एक कांसटेबिल को गम्भीर चोटें आईं। प्राप्त सूचना के अनुसार एक अन्य व्यक्ति बेहोश होकर गिर गया और उसे एक गड्ढे में धकेलने का प्रयास किया गया। अतः पुलिस को गोली चलानी पड़ी तथा लोगों के दो समूहों का पीछा करना पड़ा, एक विद्यालय क्षेत्र के बाहर तथा दूसरा जो विद्यालय क्षेत्र के भीतर एकत्रित था।

इस बात में कोई संदेह नहीं कि विद्यालय क्षेत्र के भीतर कुछ लोगों को, जिनमें अध्यापक तथा विद्यार्थी और विश्वविद्यालय के कुछ अन्य कर्मचारी सम्मिलित थे, पीटा गया था।

एक माननीय सदस्य : शर्म, शर्म।

डा० वी० के० आर० वी० राव : यह बहुत दुःख का विषय है। इस सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं है। इस संबंध में बहुत उत्तेजना थी और यदि मैं गल्ती पर नहीं तो उपकुलपति ने प्रार्थना की

थी कि विद्यालय क्षेत्र के भीतर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस नहीं होनी चाहिये और मेरा ख्याल है कि गलत होने पर यह ठीक किया जा सकता है—विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अब नहीं है और विश्वविद्यालय की स्थिति सामान्य है।

माननीय सदस्यता के एक अन्य प्रश्न के संबंध में कि क्या हम राज्य सरकार को निर्णय में संशोधन करने के लिए कह सकते हैं, मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य स्वयं इससे सहमत होंगी कि विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर हिंसा की घटनायें होती हैं और ऐसी कई घटनायें हुई हैं जहाँ ग्रन्थागार जला दिए गए हैं, प्रयोगशालाएं जला दी गई हैं और प्रधानाचार्य के कार्यालय लूटे गए हैं, कुछ हत्याएं भी हुई हैं और बम फेंके गये हैं तथा इस प्रकार के अन्य कार्य हुए हैं। इन परिस्थितियों में कोई क्या कर सकता है ? यह कहना बहुत ही आसान है कि सम्बद्ध अधिकारियों की अनुमति प्राप्त की जाय इस प्रकार की बातें कहना बहुत ही आसान है। महोदय कई बार अनुमति प्राप्त करने का समय भी नहीं होता। क्योंकि, जैसा कि माननीय सदस्य पहिले ही से जानते हैं, कुछ घटनाएं इतनी शीघ्रता एवं तीव्रता से होती घटती है कि सूचित करने का भी समय नहीं होता।

मैं समझता हूं कि सारा सदन इस बात से सहमत होगा कि इस प्रकार के अपराधों को, जो हिंसात्मक प्रकृति के हों सहन नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के प्रति पूर्ण न्याय करने के लिए सभी उपाय किये जाते हैं। माननीय सदस्य का यह सुझाव मानने में मैं असमर्थ हूं कि इस संबंध में नीति को बदलने के लिए राज्य सरकार को कहा जाना चाहिए।

श्रीमती सुशीला गोपालन : समाचारपत्रों में छपा है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति के राज्यपाल ने शिकायत की है कि जब वस्तुतः पुलिस के संरक्षण की आवश्यकता थी उस समय पुलिस उन्हें नहीं मिल सकी। जब उन्होंने पुलिस की मांग की तब नहीं मिली। परन्तु जब उसकी आवश्यकता नहीं है तो वहां पुलिस का दस्ता भेजा गया है विद्यार्थियों और अध्यापकों के जनतांत्रिक आन्दोलन को कुचलने के लिए ही इसे वहाँ भेजा गया है। जब वस्तुतः इसकी आवश्यकता होती है तब उन्हें यह सहायता नहीं दी जाती। अतः क्या सरकार इस संबन्ध में न्यायिक जांच का आदेश देगी ? जब पुलिस अपराध करती है, जब वह अनावश्यक रूप से विश्वविद्यालय क्षेत्र में घुसती है और सब प्रकार की असुविधाएं उत्पन्न करती है तो इस प्रकार की बातों का क्या इलाज है ?

डा० वी० के० आर वी० राव : माननीय सदस्य ने यह कहा कि उपकुलपति ने शिकायत की है। मैं नहीं जानता कि क्या वास्तव में उन्होंने शिकायत की है परन्तु मैं माननीय सदस्य के शब्दों को सही मान कर चलता हूं कि उन्होंने शिकायत की कि उन्हें पुलिस का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, महोदय, मैं समझता हूँ कि वह तारीखों में गलती कर रही हैं। मेरा विचार है कि जिस बात की ओर वह निर्देश कर रही हैं वह पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के शासन के लागू होने के पहले की बात है, मैंने भी ऐसा सुना है कि पिछली सरकार के शासनकाल में इस प्रकार के कुछ मामले थे जब शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानों.....

श्रीमती सुशीला गोपालन : ऐसा अभी हाल ही में हुआ था।

श्री उमानाथ : ऐसा राष्ट्रपति के शासन से पूर्व नहीं हुआ था। उन्होंने उल्लेख किया है कि यह शिकायत राष्ट्रपति के शासन के पश्चात् की है।

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हैं। माननीय सदस्य द्वारा लगाए गए आरोप को पुष्टि करने वाली कोई सूचना मेरे पास नहीं है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति से मैं इस बात की पूछताछ करके अत्यन्त प्रसन्न हूँगा कि राष्ट्रपति के शासन के प्रारंभ होने के पश्चात् क्या उन्होंने पुलिस संरक्षण की मांग की और वह उन्हें नहीं प्राप्त हुआ ? यदि उपकुलपति मेरी बात की पुष्टि करते हैं तो मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्या ने जो आरोप सभा में लगाया है वह उसे वापिस ले लेंगी ?

श्रीमती सुशीला गोपालन : जब पुलिस लड़कियों के होस्टलों में घुस जाएं और सब प्रकार के विघ्न उत्पन्न करें तो ऐसी बातों के लिए क्या इलाज हैं ? इस संबंध में हम सब जानते हैं। ये बातें समाचार पत्रों में भी आई हैं।

Shri Mohammad Ismail : They have no courage to catch Naxalites but they talk of catching them. **(Interruption).** There is an undeclared war against Bengali People through C. R. P. after the promulgation of Presidential Rule. C. R. P. is present in Durgapur and Titagarh Factories. So far as education is concerned, it has been stated by the Hon. Minister that Bombs were thrown in Jadaupur University and the police chased them. Inside the premises while the students were having a peaceful meeting the C. R. P. entered there and gave a beating to the students. The students have made a complaint against this inhuman behaviour of C. R. P. to the Prime Minister. I would like to know whether the Minister is prepared to advise the State Government not to allow the police to enter the educational institutions ? They should not allow interference by the police into the affairs of educational institutions.

डा० वी० के० आर० वी० राव : शिक्षा संस्थाओं में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि शिक्षा संस्थाओं में पुलिस के प्रवेश से ये कठिनाइयां उत्पन्न नहीं हुई हैं। वास्तव में बात यह है कि दुर्गापुर इन्जिनियरिंग कालेज के कुछ विद्यार्थियों के लिए वहां पर अध्ययन जारी रखना असम्भव हो गया था और वे देश के अन्य भागों में स्थित कालेजों में दाखिले की मांग कर रहे थे। मेरे मन्त्रालय ने दुर्गापुर इन्जिनियरिंग कालेज के बहुत से बंगाली और गैर बंगाली छात्रों को अन्यत्र प्रवेश दिलाने में सहायता भी की है।

Shri Mohammad Ismail : May I know the reaction of Government to the representation of the Secretary of the Student's Union received by him ?

अध्यक्ष महोदय : आपको यह सब कहने की आवश्यकता नहीं है।

Shri Kanwarlal Gupta : I agree with the Hon. Member that police should not enter a University Campus in the normal circumstances, but in Calcutta the conditions are not normal. There, the Naxalites are active in educational institutions too. In these circumstances will the Government give full freedom to the police to enter the hostels to take action againts those Naxalite elements who have stored banks and other weapons in hostels ? I would also like to know whether Government will take steps to organise a resistance movement in Students Community in Calcutta againts the Naxalite elements ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य नक्सलवादी आन्दोलन को रोकने में अधिक समर्थ हैं इसलिए वह इस मामले में मेरे जैसे आदमी को सहायतार्थ अपने साथ न लें।

श्री कंवरलाल गुप्त : जो व्यक्ति इस प्रकार के प्रतिरोधी आन्दोलन शुरू करना चाहता है सरकार उसे क्या सहायता देगी ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहां तक माननीय सदस्य के इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि विश्वविद्यालय क्षेत्र में घुसने की पुलिस को पूरी छूट दे दी जाए, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसा आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूँ।

Shri Kanwarlal Gupta : Sir, I asked about the help that the Government propose to give to those who want to organise resistance movements against the naxalites.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न गृह मन्त्री से पूछा जाना चाहिए, शिक्षा-मन्त्री से नहीं।

Shri Chandrika Prasad : May I know whether Government will consider the question of posting of C.R. P. in West Bengal as the West Bengal police will not be able to conrol the situation since Naxalite workers were re-united in police under the regime of Shri Jyoti Basu.

Mr. Speaker : What reply the Education Minister can give to this question?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मन्त्री ने जादवपुर विश्वविद्यालय में हुई दुर्घटना पर खेद प्रकट किया है किन्तु उन्होंने एक बात नहीं बतायी। यदि विश्वविद्यालय के प्रांगण में पुलिस को प्रवेश करने की अनुमति बिना विश्वविद्यालय के अधिकारियों की आज्ञा की प्रतीक्षा किए जाने लगी, तो ऐसी स्थिति में जब कि कुछ लोग विश्वविद्यालय के द्वार पर हुई किसी घटना के सिलसिले में सैकड़ों लोगों को विश्वविद्यालय के प्रांगण में ले जाकर बुरी तरह पीटें ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार क्या करने जा रही है? क्या यह मान लिया जाए कि भविष्य में अध्यापकों और छात्र समुदाय के लिए खतरा बराबर बना रहेगा?

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य की यह आशंका कि भविष्य में शिक्षा संस्थाओं में ऐसी घटनाएँ प्रायः होने लगेंगी, ठीक नहीं हैं। जहाँ तक जादवपुर घटना का सम्बन्ध है, मेरे विचार से पश्चिमी बंगाल की सरकार ने इस मामले में विभागीय जांच के आदेश दे दिये हैं।

मैं इस बात पर खेद प्रकट करता हूँ कि पुलिस ने विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रवेश किया। पुलिस का प्रवेश आवश्यक होने पर भी पुलिस को दिशा निर्देश ठीक मिलना चाहिए। यह तो ठीक है कि छात्र प्रायः हिंसक कार्य कर बैठते हैं और इनके द्वारा की गई हिंसा को कानून से बाहर नहीं माना जा सकता, परन्तु साथ ही यह भी सच है कि छात्रों से हम उस तरीके से पेश नहीं आ सकते जो कानून का उल्लंघन करने वाले अन्य लोगों के साथ अपनाया जाता है क्योंकि उनकी आयु, उनके विचार और उनके भावों को भी ध्यान में रखना होता है। मेरे विचार से यह मामला पूर्णतया राज्य-सरकार के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत है।

श्री समर गुह : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 95% छात्र शिक्षा संस्थाओं में ऐसी सामान्य स्थिति बनाये रखना चाहते हैं जिसमें उनका अध्ययन शान्तिपूर्ण ढंग से चलता रहे। हाल ही में नक्सलवादी नेता श्री चारु मजूमदार ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने नक्सलवादियों द्वारा शिक्षा संस्थाओं पर किये गये आक्रमण की भर्त्सना की है और उनसे यह अनुरोध किया है कि भविष्य में वे ऐसा कार्य न करें। इस पत्र से लाभ उठाते हुये क्या सरकार पश्चिमी बंगाल के सभी राजनीतिक दलों तथा वहां के छात्र संगठनों को अलग-अलग बैठक बुलायेगी जिसमें वे यह घोषणा करें कि वे शिक्षा संस्थाओं में हिंसक घटनाओं का विरोध करेंगे इसी आधार पर क्या शिक्षा मंत्री विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को यह परामर्श देंगे कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्रों के

गरिमा दलों का गठन करें जिससे विश्वविद्यालय तथा कालेजों में शान्ति एवम् अनुशासन बना रहे।

डा० वी० के० आर० वी० राव : यह एक सुझाव है जिस पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री समर गुह : इस सुझाव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री हेम बरुआ : श्री समर गुह ने एक बहुत ही रचनात्मक सुझाव दिया है। मन्त्री महोदय बतायें कि उसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य के लिए एक सुझाव है। इसका उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री समर गुह : मैंने माननीय मंत्री का ध्यान श्री चारु मजूमदार के वक्तव्य की ओर दिलाया है, इसलिए मुझे पूरा हक है कि मैं इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में पूछूँ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे अनुपूरक प्रश्नों के, जिनमें जानकारी दी जाती है या कोई सुझाव दिया जाता है, उत्तरों की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिये।

श्री समर गुह : मामले को निपटाने का यह तरीका नहीं है, मैंने पूछा है कि क्या सरकार का ध्यान श्री चारु मजूमदार द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अटल विहारी बाजपेयी : यह संगत प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर गृह-कार्य महोदय को देना है न कि शिक्षा मंत्री को।

श्री समर गुह : यह शिक्षा तथा विद्यार्थियों से सम्बन्धित है क्योंकि वहाँ नक्सलवादी विद्यार्थी हैं। नक्सलवादी नेता ने यह वक्तव्य दिया है और मुख्य समस्या यह है कि हिंसात्मक कार्यवाहियाँ नक्सलवादी विद्यार्थियों से सम्बन्धित थे.....

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री तेन्नोटि विश्वनाथम : एक प्रश्न में यह कहा गया है कि छात्रावासों का प्रयोग गुप्त स्थानों के रूप में हो रहा है। क्या सरकार ने इस स्थिति की सत्यता जानने के लिये जाँच पड़ताल की है ? यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश विश्वविद्यालय इससे प्रभावित हो सकते हैं।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरा अनुमान है कि पश्चिमी बङ्गाल सरकार इस मामले की जाँच-पड़ताल कर रही है क्योंकि यदि वे पुलिस वहाँ भेजना चाहते हैं.....

श्री तेन्नोटि विश्वनाथम : मैं काल्पनिक उत्तर नहीं चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इन आरोपों की सत्यता के बारे में कोई जानकारी है। वे आरोप केवल यहाँ ही नहीं लगाये गये हैं अपितु समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुये हैं ?

श्री वी० के० आर० वी० राव : क्या आरोप है ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री रामावतार शास्त्री : 542।

Shri Janeshwar Misra : Mr. Speaker, Patna University is a state subject. How did you allow it ?Yesterday I was asking about Allahabad University and you said that that was a state subject. The Hon. Minister may not mention any University in his reply. He may confine himself only to the memorandum.

Mr. Speaker : You may please look at th e question first.

Memorandum submitted by Patna University Teachers' Association

*542. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Patna University Teachers' Association, Patna Town Students' Federation and the Patna University Students' Union had handed over a memorandum to him during his visit to Patna on the 21st July last ;

(b) whether it is also a fact that their representatives had held some talks with him ;

(c) if so, the details thereof ;

(d) whether any assurance had also been given to the representatives ; and

(e) if so, the details thereof and the time by which Government propose to fulfil the same ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : जी, नहीं ।

(ग), (घ) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Ramavatar Shastri : I thank the Hon. Minister for his short reply. But the point is not the small. I have with me the "secarchlight" newspaper of the Birlas. The Hon. Minister has said that he has not received any memorandum from Teachers' Associations, Patna Students Federation and Patna Students Union. I want to put a question in connection with his reply. May I know whether it is a fact that these institutions and organisations have given any memorandum to the President ?If so, whether it is also a fact that the President has sent the memorandum to the Hon. Minister after giving his comments on it ? If so, what are his reaction thereto ?

Dr. V. K. R. V. Rao : The members of Patna Teachers Association and Patna Students Union called on the President. They did not call on me. They had talks. with the President. They handed over a memorandum to him. The President has not given any assurance to them. He has sent that memorandum to me. We are looking into it.

Shri Ramavatar Shastri : The Hon. Minister has just stated that no one called on him. This paper says, "Alleged Bungling in Medical Examinations: Memo submitted to Dr. Rao." May I know wehther it is true that in the Patna Medical College .....

Mr. Speaker: It any question is put in the question hour, it is meant to elicit information and not for cross-examination. When he is replying in the regative why are you arguing ?

Shri Ramavatar Shastri : If he has not received any memorandum from Teachers Association, then I would like to know whether the group of students of Medical College, Patna has given any memorandum regarding Medical examinations or bungling in the Medical College ?If so, what are its details and what is the opinion of the Government regarding this ? I have read out about this.

Mr. Speaker : This is not a question about the Medical College.

Shri Ramavatar Shastri : I have asked whether that memorandum has been received or not. If not, whether some other memorandum has been received ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जी हां, मुझे प्रोग्रेसिव मेडिको फेडरेशन आफ पटना से 24 जुलाई को हिन्दी में मुद्रित एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था । इस ज्ञापन में पटना विश्वविद्यालय को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का रूप देने के लिये कहा गया है क्योंकि एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम की परीक्षा पद्धति में अनियमितायें होने का आरोप लगाया गया था । हमने इस हस्ताक्षर रहित और मुद्रित पत्र को पटना विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के पास भेज दिया है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में पुलिस का तैनात किया जाना

***543. श्री जी० बेंकटस्वामी :** **श्री वि० नरसिम्हाराव :**

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ की कार्यकारी समिति ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात किये जाने पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है;

(ख) विश्वविद्यालय के प्रांगण में पुलिस तैनात करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) विश्वविद्यालय को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ विद्यार्थी विद्या परिषद् की 23 जुलाई, 1970 की निर्धारित बैठक के समय प्रदर्शन करने के लिये व्यवस्था कर रहे हैं। चूंकि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका थी, जिस पर नियंत्रण न किया जा सके, अतः विश्वविद्यालय ने यह निर्णय किया कि सादा कपड़ों में पुलिस के सिपाहियों के एक दल को तैनात किया जाये जो आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर सकें ।

(ग) इस बात का निर्णय विश्वविद्यालय ही ठीक से कर सकता है कि पुलिस की सहायता कब मांगी जाये ।

श्री वि० नरसिम्हाराव : विश्वविद्यालय अधिकारियों ने पुलिस से कितनी बार विश्वविद्यालय के अहाते में आने का अनुरोध किया तथा उसके क्या कारण थे ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : इसके कारण निम्नलिखित हैं । सम्भवतः सदन को पता है कि बी० ए० के प्रथम वर्ष में अधिक संख्या में विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गये थे तथा उन विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में चढ़ाने का प्रश्न था । विद्यार्थी यह चाहते थे कि सभी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में ले लिया जाये किन्तु विश्वविद्यालय ने यह निर्णय किया था कि जिन विद्यार्थियों ने 25 प्रतिशत और इससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं उन्हीं को द्वितीय वर्ष में लिया जाये तथा अन्य विद्यार्थियों को न लिया जाये । इस सम्बन्ध में आन्दोलन हो गया था । बहुत से विद्यार्थी उप-कुलपति से मिले तथा उन्होंने यह मांग की कि अनुत्तीर्ण हुये सभी विद्यार्थियों को बिना किसी भेद-भाव के अगली कक्षा में चढ़ा दिया जाये । उप-कुलपति ने विद्यार्थियों को बताया कि मैं इस मामले को

विद्या-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करूँगा जिसको बैठक 23 जुलाई को होनी है। उप-कुलपति ने एक दिन पहले यह वक्तव्य भी दिया था कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिए विद्या-परिषद् को बैठक होगी तथा उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि कानून तथा व्यवस्था सम्बन्धी कोई समस्या उत्पन्न न की जाये तथा विद्या परिषद् के लिये निर्णय करने में बाधा न उत्पन्न की जाये। 23 जुलाई को विद्या-परिषद् की बैठक हो रही थी और तभी लगभग 200 विद्यार्थी उस स्थान के बाहर इकट्ठे हो गये जहाँ बैठक हो रही थी। थोड़े समय बाद उनमें से कुछ विद्यार्थियों ने बैठक के कमरे की ओर चलना आरम्भ कर दिया तथा दरवाजों को खटखटाना आरम्भ कर दिया। इस बात का पता नहीं कि उन्हें किसने ऐसा करने के लिये उत्तेजित किया। ऐसी स्थिति में बिना वर्दी वाले व्यक्तियों ने, जो विद्या-परिषद् की सुरक्षा के लिये मौजूद थे जिनसे कि बैठक में कोई व्यवधान न हो, उन विद्यार्थियों को वहां जाने से रोक दिया। विश्वविद्यलय से मिली जानकारी के अनुसार मैं समझता हूं कि बिना वर्दी वाले कवित्तयों ने उनके साथ बड़े संयम से व्यवहार किया था।

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether it is a fact tht one of the reasons for the resentment of the students is that the students of M. A. (History) were not allowed to use Hindi as a medium for answering the question.The answer-books of those students, who used Hindi medium, werenot given any consideration and such students were declared unsuccessful. Does the hon. Minister think it proper that the students who passed B. A. (Honours) in Hindi are compelled to use English medium in the examination of M.A. classes? Can the examination not be conducted through the medium of Hindi in a subject like history? What are the difficulties in this regard ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं है।

श्री अटल विहारी बाजपेयी : विद्या-परिषद् को इस सम्बन्ध में विचार विमर्श कराना था।

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहां तक मैं समझता हूँ विद्या-परिषद् के समक्ष यह प्रश्न भी था कि सभी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को बिना किसी शर्त के अगली कक्षा में चढ़ा दिया जाये। यह प्रश्न उन विद्यार्थियों को चिंतित कर रहा था जो वहाँ इकट्ठे हुये थे। माननीय सदस्य ने जिस घटना का उल्लेख किया है उस रर काफी रोष व्यक्त किया गया है किन्तु यदि मुझे ठीक याद है तो उस बारे में एक प्रश्न भी पूछा गया था। सम्भवत: यह तारांकित प्रश्न था तथा मैंने ही सम्भवत: उसका उत्तर भी दिया था। यदि ऐसा नहीं था तो मैं सभी सम्बन्धित जानकारी माननीय सदस्यों को देने को तैयार हूँ। यदि माननीय सदस्य चाहें तो वह सामान्यत: एक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा मैं उन्हें जानकारी से अवगत करा दूंगा।

जहाँ तक इस विशिष्ट आन्दोलन का प्रश्न है यह उन विद्यार्थियों से सम्बन्धित घटना के साथ सम्बद्ध नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त : विद्या-परिषद् में उसी दिन इस विषय पर भी विचार विमर्श किया गया था (व्यवधान)

डा० वी० के० आर० वी० राव : जी नहीं, विद्या परिषद् ने शोर कोलाहल के कारण ऐसे किसी विषय पर विचार विमर्श नहीं किया था विद्या परिषद् ने यह निश्चय किया था कि विद्यार्थियों ने आचरण संहिता का उल्लंघन किया है तथा वह इस बात पर सहमति हुई थी कि

कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की गई है । अतः उसने उपकुलपति को आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार दे दिया और उसके पश्चात् परिषद् तुरंत स्थगित हो गई ।

श्री हेम बरूआ : क्या यह सच नहीं है कि विश्वविद्यालय के आहते में सादे कपड़ों में पुलिस कर्मचारी उपकुलपति के अनुरोध पर तैनात किये गये थे और क्या यह भी सच नहीं है कि उपकुलपति ने उन विद्यार्थियों से अधिक परिश्रम करने का अनुरोध किया था जिन्हें 25 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त हुए थे और जो फेल हो गये थे, जिससे वे अगामी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें ? क्या उनके अविभावकों से भी ऐसा हो अनुरोध किया गया था अथवा नहीं ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : सादी वर्दी में पुलिस कर्मचारियों को विश्व विद्यालय अहाते में उपकुलपति के अनुरोध पर तैनात किया गया था । जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि क्या उपकुलपति ने सब विद्यार्थियों से कठोर परिश्रम करने का अनुरोध किया था लेकिन उपकुलपति होने के नाते उन्होंने ऐसा किया होगा मुझे इस बात में शंका नहीं ।

श्री हेम बरूआ : कुछ विद्यार्थियों ने जिन्होंने 25 प्रतिशत से क्रम अंक प्राप्त किये हैं और जो फेल हो गये हैं और जो पास होना चाहते हैं उपकुलपति से भेंट थी और उन्हें बताया गया था कि किसी भी विद्यार्थी को, जिसे 25 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त हुए होंगे, पास नहीं किया जायेगा (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री उमानाथ : मुझे पता लगा है कि विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संघर्ष जार है क्योंकि सात विद्यार्थियों को उस दिन किसी समिति की सलाह पर प्रदर्शन के कारण निष्कासित कर दिया गया था । क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के डीन ने जो सी० आई० ए० से अपने सम्बन्ध बनाये रखने के लिये प्रसिद्ध हैं, अनियमित रूप से समिति.....(**अन्तर्बाधाएं**) मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया है । मै नियमों का पालन कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सम्बन्ध व्यक्ति सभा में उपस्थित न हों तो उसके विरूद्ध इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिये ।

श्री उमानाथ : मैं आपके पहले के विनिर्णय का उल्लेख करना चाहूंगा । (**अन्तर्बाधाएं**) मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि पहले यह नियम था कि सभा में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया जायेगा और जब उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया था लेकिन उसका पदानाम लिया गया था तो इस बात की अनुमति दे दी गई थी । मैं पूर्णतया आपके विनिर्णय का पालन कर रहा हूं । इसीलिये मैंने उस व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया । मैं उस व्यक्ति का नाम जानता हूं लेकिन मैंने उसका नाम न लेकर आपके विनिर्णय का पालन किया है मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि.....

श्री हेम बरूआ : प्रत्येक व्यक्ति के लिये संसद सदस्य होकर यहां उपस्थित होना सम्भव नहीं है । माननीय व्यक्ति संसद् सदस्य हैं (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री उमानाथ : यह ठीक है और मैं यह जानना चाहता कि मुझे आपके कौनसे विनिर्णय का पालन करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : संसद् सदस्य के मामले में, यदि यह कहा जाये "मैं नाम का उल्लेख नहीं करता" और फिर भी वह कुछ कहें, तो यह उचित नही होगा ।

श्री रणधीर सिंह : मै डा० त्रिपाठी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं । वह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं । उनका सी० आई० ए० से कोई सम्बन्ध नहीं हैं ।

श्री उमानाथ : मैं इस प्रश्न पर आपसे मार्ग दर्शन चाहता हूं । इससे पूर्व जब सभा में नामों का उल्लेख किया गया था तब आपने ही यह विनिर्णय दिया था कि पदनामों का उल्लेख किया जाना चाहिये ।

उसके बाद पदनामों का उल्लेख किया जाने लगा । इस कारण से सभा में पदनामों का उल्लेख किया गया था और मैंने नियमों का पालन किया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप जोश में न आयें । आप उस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं परन्तु आप उसका सी० आई० ए० से सम्बन्ध बता रहे हैं । यह बात उचित नहीं है ।

श्री उमानाथ : यह बात विश्वविद्यालय में सर्वविदित है कि उनका सी० आई० ए० से सम्बन्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नही ? (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री उमानाथ : मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जब मैं नियमों का पालन कर रहा हूँ तब आप मुझे बोलने से नहीं रोक सकते । आपने यह विनिर्णय दिया था कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिये क्योंकि पदनाम से भी उस व्यक्ति का पता लग सकता है ।

श्री उमानाथ : विनिर्णय मनमाना नहीं हो सकता । किसी एक अवसर पर एक नियम तथा किसी दूसरे अवसर पर अन्य नियम का पालन नहीं किया जा सकता । आपने यह विनिर्णय दिया था कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया जाना चाहिये लेकिन व्यक्ति के पदनाम का उल्लेख किया जा सकता है । उसी विनिर्णय के अनुसार मैंने पदनाम का उल्लेख किया है, नाम का नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : जब आप पदनाम का उल्लेख इस प्रकार कर रहे हैं कि उसका उल्लेख किया जाना नाम के उल्लेख किये जाने के समान है तब इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

मेरे विनिर्णय का यह अभिप्राय नहीं था आप उन्हें सी० आई० ए० एजेंट नहीं कह सकते । वे स्पष्टो करण देने के लिये यहां उपस्थित नहीं हैं ।

श्री उमानाथ : क्या यह सच है कि समिति के एक सदस्य ने, जिसका सी० आई० ए० से सम्बन्ध सर्वविदित है, सात विद्यार्थियों को निष्कासित करने का निर्णय करने के लिए समिति को

अनुचित रूप से तैयार किया, और इसी के कारण आन्दोलन जारी है और आन्दोलन के अन्य स्थानों पर भी फैलने का भय है ? क्या माननीय मन्त्री विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर अपना प्रभाव डाल कर उन सात विद्यार्थियों को निष्कासित करने सम्बन्धी मामले को हल करेंगे जिससे यह आन्दोलन और न फैल पाये ?

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न ठीक प्रकार पूछा गया है ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या माननीय सदस्य का वर्तमान उपकुलपति से कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध है । मैं उनको बीसियों वर्षों से जानता हूं और मैं माननीय सदस्य को इस बात का आश्वासन दे सकता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें किसी व्यक्ति द्वारा बहकाया जा सके ।

श्री उमानाथ : समिति ने जब निर्णय लिया तब उसमें उपकुलपति उपस्थित नहीं थे ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : उक्त समिति की नियुक्ति उपकुलपति द्वारा की गई थी और समिति के प्रतिवेदन पर विश्वद्यिालय की कार्यपालिका परिषद् द्वारा विचार किया गया था, जिसकी अध्यक्षता उपकुलपति ने की थी । कार्यपालिका परिषद् ने ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की है ।

श्री उमानाथ : विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर अपना प्रभाव डाल कर विद्यार्थियों को निष्कासित करने सम्बन्धी मामले को हल करने के बारे में आप क्या कार्यवाही करेंगे जिससे यह आन्दोलन और न फैले ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : यह ऐसा मामला है जहाँ प्रभाव डालने के भिन्न-भिन्न अर्थ लगाये जा सकते हैं । मैं स्वयं जानता हूँ कि यदि पूर्ण जांच करने के बाद की गई अनुशासनिक कार्यवाही के बारे में यदि मुझे शिक्षा मंत्री कुछ बताने का प्रयास करते तो उपकुलपति के रूप में मेरी क्या प्रतिक्रिया होता । लेकिन फिर भी माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है तो मैं यह सुझाव अवश्य उपकुलपति तक पहुँचा दूंगा ।

Shri Janeshwar Mishra : The Hon. Minister just now stated that perhaps an unstarred Question had earlier been asked regarding the examination of the students of Delhi University. I may say for his information that he was requested to give a statement but be has not done so. I want to know whether it is a fact that Shri Raj Kumar appeared in M.A. History examination..and he gave his answers in Hindi.....

Mr. Speaker : This is not relevant.

Shri Janeshwar Mishra : Please see part (b) of the question. He wrote his paper in Hindi . He was declared unsuccessful without the copries. having been examined. This agitates the Students....

Shri Janeshwar Misra : Will the hon'ble Minister let us know whether it is offence to reply questions in the examination in the mother tongue ?

अध्यक्ष महोदय : यह असंगत है । इस प्रश्न पर हमने बहुत समय ले लिया है ।

श्री बलराज मधोक : यह प्रश्न दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है परन्तु मुझे खेद है कि दिल्ली के एक भी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी गई है । यह उचित बात नहीं है ।

Mr.Speaker : There is no contract that Shri Balraj Madhok has to be given an oppor tunity in case of every question relating to Delhi.

श्री बलराज मधोक : यह केवल मेरी बात नहीं है । बात यह है कि दिल्ली के सदस्यों को एक भी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई है । इस बात को सहन नहीं किया जा सकता ।

Shri Janeshwar Misra : Please let me have an answer to my question.

Mr. Speaker : It does not arise from this question.

Shri Randh'r Singh : The studens securing less than 48 per cent marks are finding a great difficulty in getting admissions to the Law Faculty. They are roaming about. The police is being deployed on the campus to control the situation. May Iknow whether hon' ble Minister will make arrangements for evening classes or open a Law college to meet their demand to stop them from becoming Naxalites. Atleast the police should not be deployed there.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पुलिस को तैनात किये जाने के बारे में है ।

Shri Randhir Singh : I want answer to my question something should be done for their admission.

अध्यक्ष महोदय : यदि मन्त्री महोदय चाहें तो पुलिस तैनात किये जाने के बारे में उत्तर दे सकते हैं ।

संसद् में विरोधी दलों के सचेतकों को अनुसचिवीय सुविधायें

544. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या संसद्-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संसद् में विरोधी दलों के सचेतकों को अनुसचिवीय सुविधाएं देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) सरकार के विचाराधीन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार मान्ययता प्राप्त विरोधी दलों के नेताओं को मंत्रियों के बराबर वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधायें देने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है ।

संसद् कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) : विषय विचाराधीन है ।

श्री श्रीचन्द्र गोयल : ऐसा प्रतीत होता है कि मन्त्री महोदय अपना सारा समय इस सभा के कार्यों में लगा देते हैं और इसलिये उन्हें इन बातों की ओर ध्यान देने के लिये समय नहीं मिलता। मैं उन्हें स्मरण कराना चाहता हूँ कि अप्रैल 1967 में शिमला में हुए छठें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था । इस सम्मेलन ने निम्नलिखित सिफारिशें की थी :—

"राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी मुख्य सचेतकों को संसद कार्य मन्त्री बनाया जाना चाहिये जैसा कि केन्द्रीय सरकार ने किया है । सरकारी उप-मुख्य सचेतकों को उप-मन्त्री का दर्जा दिया जाना चाहिये । संसद में तथा राज्य विधान मंडलों में मान्यता प्राप्त विरोधी दलों के मुख्य सचेतकों को वही सुविधाएं दी जानी चाहिये जो उप-मंत्रियों को उपलब्ध है और प्रादेशिक सरकारी सचेतकों को और संसद तथा विधान मंडलों में मान्यता प्राप्त विरोधी दलों के मुख्य

सचेतकों को वही सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिये जो संसद्-कार्य सचिवों को दी जाती हैं। अप्रैल 1967 में शिमला में यह निर्णय किया गया था और गत वर्ष मद्रास में सचेतकों के सम्मेलन में इस निर्णय को दोहराया गया था मद्रास सम्मेलन में कहा गया था कि :-

"यह सम्मेलन अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों को दोहराता है।"

मैं जानना चाहता हूं कि इन सिफारिशों को स्वीकार करने में सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं ? जब उन्होंने आंशिक रूप से उपर्युक्त सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और सरकारी सचेतकों को उप-मन्त्रियों का दर्जा दे दिया है, उन्होंने विरोधी पक्ष के सचेतकों की उपेक्षा को है करने के क्या कारण हैं ?

श्री रघुरामैया : मै सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि जब मैंने सदस्यों का दैनिक भत्ता बढ़ाकर 51 रुपये करने का प्रस्ताव रखा था तब इन्हीं सदस्यों ने उसका इस आधार पर विरोध किया था कि इसको देश स्वीकार नहीं करेगा। अतः हमें सभी पहलुओं पर विचार करना है हमें जनता की राय को भी देखना है। फिर दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि हमने उन सिफारिशों को आंशिक रूप में स्वीकार क्यों किया है। श्री मसानी ने जो यहां पर इस समय उपस्थित नहीं हैं हमें ऐसा करने पर विवश किया था। इससे पहले नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक ने बिना कानून पास किये सरकारी उप-मुख्य सचेतक के पद बनाये जाने पर आपत्ति की है। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने इस पद को समाप्त कर दिया है।

श्री श्रीचन्द गोयल : एक अन्य निर्णय यह किया गया था कि शासक दल विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों पर विचार करने के लिये विरोधी पक्ष के सभी नेताओं का सहयोग प्राप्त करेगा। हमें मद्रास सचेतक सम्मेलम में बताया गया था इस निर्णय को क्रियान्वित किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों पर विचार करने के लिये विरोधी पक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई गई है ? मैं यह यह भी पूछना चाहता हूँ कि विरोधी पक्ष के नेता को मन्त्रिमन्डल स्तर के मन्त्री का दर्जा देने में क्या कठिनाई है जैसा कि पंजाब तथा अन्य कई राज्यों में किया गया है ?

श्री रघुरामैया : मेरे बिचार में यहां पर उपस्थित विरोधी पक्ष के सभी नेता जानते हैं कि मैंने राष्ट्रीय महत्व के कई मामलों पर चर्चा करने के लिये प्रधान मंत्री तथा अन्य मन्त्रियों के साथ उनकी बैठक की व्यवस्था की है। मैं यह तो नहीं बता सकता कि कितने बार ऐसी बैठकें बुलाई गई। हम इस प्रकार के सहयोग को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। जहां तक विरोधी पक्ष के नेता को मंत्रीमन्डल के मन्त्री का दर्जा देने का सम्बन्ध है हमें इस सम्बन्ध में कई पहलुओं पर ब्यौरेवार विचार करना होगा और इस सभा के विभिन्न दलों की राय भी जाननी होगी कि उनके नेताओं का क्या मत है। यह इतना सरल मामला नहीं है।

श्री सु० कु० तापड़िया : मन्त्री महोदय ने अभी कहा है कि कुछ दलों ने सदस्यों के वेतन तथा भत्ते बढ़ाने सम्बन्धी विधेयक का विरोध किया था, इसलिये वह इस मामले की जांच करना चाहते हैं और इसीलिये यह मामला विचाराधीन रखा गया है। मुझे आशा है कि वह अपने विचार पर दृढ़ रहेंगे और सभा में कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं करेंगे क्योंकि विरोधी दल सदा उसका विरोध करेंगे।

क्या मैं पूछ सकता हूं कि ऐसे राज्य कौन से हैं जिनमें श्रीमती इन्दिरा गांधी के दल की सरकारें हैं जहां वह विरोधी पक्ष के नेताओं को ..... अनुमति दे रहे हैं.....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। कृपया आप इस प्रश्न तक ही सीमित रहें।

श्री सु० कु० तापड़िया : इसका इससे सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

श्री सु० कु० तापड़िया : कृपया क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? क्या आप यह स्पष्ट बतायेंगे कि भाग (ग) में क्या कहा गया है और अनुपूरकों में क्या बात कही गई है ?

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक तो सर्वथा असंगत है। क्या आप बैठने की कृपा करेंगे ? मैं यहां स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं हूं। आप तो राज्यों के विषय में कुछ सांख्यकीय सूचना पूछ रहे हैं। उनसे प्रत्येक राज्य के बारे में जानकारी रखने की अपेक्षा नहीं की जाती।

श्री सु० कु० तापड़िया : उनको इसे शाखाओं में विभाजित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस बात का इस प्रश्न से सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सु० कु० तापड़िया : यदि आप इसकी अनुमति नहीं देते हैं तो आपकी इच्छा।

अध्यक्ष महोदय : आप अलग से इसकी सूचना दे सकते हैं।

श्री सु० कु० तापड़िया : जिन राज्यों में इनका दल सत्ता में है वहां ये विपक्षी दलों को सुविधा दे रहे हैं।

श्री पें० बेंकटासुब्बैया : हमे हर्ष है कि मन्त्री महोदय ने बहुत विस्तृत स्पष्टीकरण दिया। यह अत्यन्त गम्भीर संवैधानिक मामला है। क्या मन्त्री महोदय इस मामले पर गम्भीरता से विचार करेंगे और यदि आवश्यकता हुई तो विपक्षी दलों और उनके मुख्य सचेतकों को मान्यता देने के उद्देश्य से इस सदन में आवश्यक विधान लायेगे ? इससे एक अत्यंत सुदृढ़ संसदीय परम्परा प्रतिष्ठित हो जायेगी क्योंकि हम ब्रितानी संसदन की परम्पराओं का पालन कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री रघुरामैया : मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि जो भी हम विचार करते हैं गम्भीरता से विचारते हैं। उसमें कभी उथलापन नहीं होता।

श्री रंगा : क्या सरकार इसी उत्साह, जो अभी व्यक्त किया गया है, से इस मामले पर और अधिक गम्भीरता से विचार करेगी जिससे कि सरकार के प्रति ऐसी धारणा न बने कि वह अपने ही सचेतकों के सम्मेलनों की, जिनकी अध्यक्षता मेरे माननीय मित्र तथा उनके पूर्ववर्ती ने की थी, सिफारिशों को कार्यान्वित न करने के उद्देश्य से एक विचारधारा के लोगों को दूसरे से लड़ाना चाहती है।

श्री रघुरामैया : इस मामले का अन्तिम रूप से निर्णय करते समय आचार्य रंगा जैसे महान नेता के विचार को अवश्य ही ध्यान दिया जायेगा।

श्री नम्बियार : वह बात को टाल रहे हैं।

श्री क० लकप्पा : मैं विपक्षी दल के नेता को सुविधाएं तथा मान्यता देने के बारे में कठिनाइयों को भली प्रकार समझता हूं वह मार्गदर्शक सिद्धान्त क्या है जिसके द्वारा देश में संसदीय लोकतन्त्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए विपक्षी नेता को सुविधाएं तथा मान्यता देने के बारे में सरकार का मार्गदर्शन हो सके। कभी तो वह दल जो बाहर कार्यक्रम के अनुसार कार्य नहीं करता, और कभी दल बदलू अपना एक अलग दल बना लेते हैं और विपक्षी दल के नेता को मान्यता देने की मांग करते हैं क्या सरकार उन दल बदलुओं को इस मांग पर विचार करेगी जो यहां आकर विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए अनुरोध करते हैं अथवा विपक्ष के नेता को सुविधाएं देने और मान्यता प्रदान करने के बारे में सरकार इस बात पर विचार करेगी कि दल ने कार्यक्रम के अनुसार चुनाव लड़ा हो और संसद में कार्य किया हो?

श्री रघुरामैया : इस बात पर भी ध्यान दिया जायेगा।

श्री क० लकप्पा : मैं जानना चाहता हूं कि मार्गदर्शक सिद्धान्त क्या हैं? उन्होंने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री नाथपाई : सरकार मान्यता नहीं दे सकती। आप विपक्ष को मान्यता दे सकते हैं। यह सरकार का अहसान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने किसी बात का उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक बात को ध्यान में रखा जायेगा।

श्री पें० वेंकटसुब्बैया : आपने विपक्ष के नेता को मान्यता दी है।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है कि मैंने मान्यता दी है परन्तु जब संकल्प आया था तो आपका दल स्वयं मैदान में आया था और इस पर बहुत अधिक वाद विवाद हुआ और कठिनाइयां भी आईं थी। यदि आप चाहें तो हम इस बारे में पुनः चर्चा कर सकते हैं।

श्री चेंगल रांया नायडू : हमें मान्यता देने में आपने कोई दान नहीं किया है। जब 65 व्यक्ति हमारे हैं तो आपको मान्यता देनी पड़ेगी। **(व्यवधान)**।

श्री रंगा : आपने पहले ही इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। 'प्रसोपा' तथा 'संसोपा' सहित समस्त दलों ने इस बात की सहमति दी थी कि इन्हें विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता दी जाये।

श्री पे० वेंकटसुब्बैया : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपसे सहयोग की आशा है। आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको अपने मित्रों को शान्त करना चाहिए मैंने अपने निर्णय के बारे में सदन में पहले ही उल्लेख कर दिया है। इस पर विचार विमर्श हुआ था और कुछ निर्णय भी लिया गया था। कुछ कठिनाइयां भी सामने आईं थी। **(व्यवधान)**

श्री चेंगलराया नायडू : कठिनाई क्या थी ? परेशानी आपने पैदा की और इस परेशानी के लिए आप ही जिम्मेदार हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि परेशानी मैंने पैदा की है तो मैं मान्यता समाप्त करने के लिए तैयार हूँ। (**व्यवधान**)। यदि आप यह समझते हैं कि मेरी इस मान्यता से परेशानी होगी तो मैं मान्यता समाप्त कर दूंगा (**व्यवधान**)। यदि आप चाहें तो मैं यह कर दूंगा।

श्री चेंगलराया नायडू : यदि आप ऐसा करेंगे तो आप यहां नहीं बैठ सकते। मैं एक बात जानना चाहता हूं। यदि आप विपक्ष की मान्यता को समाप्त करेंगे तो क्या हम आपको मान्यता समाप्त कर सकते हैं ?

श्री रंगा : पांचों दलों ने उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए आपसे निवेदन किया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी क्या इन महोदय के सामने स्थिति स्पष्ट करेंगे ?

श्री नम्बियार : मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी माननीय सदस्य को पीठासीन अध्यक्ष को धमकी देने का अधिकार है। श्री नायडू ने धमकी दी है कि यदि "आप यह करेंगे तो मैं यह करूंगा।" क्या यह उचित है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि मान्यता प्राप्त दल का कोई सदस्य ऐसा व्यवहार करेगा तो मेरे पास इस पर पुनर्विचार करने के सिवा और कोई चारा नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम विपक्ष के नेता की मान्यता के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं हम तो विभिन्न विपक्षी दलों के मुख्य सचेतकों को दी जाने वाली सुविधाओं की चर्चा कर रहे हैं। और इस मामले में माननीय मंत्री ने जनमत की बात कही। मैं जानना चाहता हूँ कि जब उप मुख्य सचेतकों के दर्जे को बढ़ा कर उप मंत्रियों का दर्जा दिया गया था तो क्या उस समय जनमत पर विचार किया था। वह तो कार्यांग के आदेश द्वारा किया था ना कि इस सदन में विधान पास करके ऐसा किया था।

श्री रघुरामैया : मैंने यह कभी नहीं कहा कि विचार करने योग्य मामलों में यह भी एक मामला है और यह भी नहीं कहा कि यह केवल एक मात्र विचार है।

श्री नाथपाई : केवल जनमत की स्थिति को जाने बिना ही नहीं बल्कि अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस बारे में भारत के महा लेखा परीक्षक ने जो ये आपत्तियों को कि इन व्यक्तियों को इस प्रकार की नियुक्तियां देने और भारत की संचित निधि से भुगतान करने की कोई व्यवस्था नहीं है, ब्यौरेवार ध्यान रखना होगा क्योंकि वह इस प्रश्न को हंसी में उड़ाकर सुगमता से बच कर निकल रहे हैं। श्री चेंगलराया नायडू के प्रश्न के उत्तर में आपकी टिप्पणी के बारे में जानना चाहता हूं। आप उनसे बहुत खिन्न हो गये थे। मेरा यह अनुरोध है कि आपका आदेश अल्पकालिक खिन्नता पर आधारित नहीं होना चाहिए। संसद कार्य मंत्री द्वारा विपक्ष को जो मान्यता दी गई है वह कोई दान में नहीं दी गई है। दलों को मान्यता देना पूर्णरूप से आपकी इच्छा पर निर्भर है, आपने इसे जब एक बार प्रदान किया है तो इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि आप कुछ माननीय सदस्यों की टिप्पणियों से खिन्न हो गये हैं, क्योंकि मैंने आपको यह बात कहते सुना है कि आप

मान्यता समाप्त करेंगे । मेरा तो यही निवेदन है कि ऐसे मूल भूत मामलों में तो अन्ततोगत्वा आपको निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर ही निर्णय करना होगा । और आपके क्षणिक रोष से इनको समाप्त नहीं करना चाहिए चाहे कोई सदस्य आपको कितना ही उत्तेजित क्यों न करे ।

श्री बलराज मधोक : मेरा एक निवेदन है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें । विपक्ष के नेता को मान्यता देने सम्बन्धी मामला जब मेरे पास आया था तो मैंने प्रथम दिन ही उस पर कार्यवाही की थी । मुझे आश्चर्य इन महोदय के चिल्लाने पर हो रहा है जबकि मैंने अपने कर्त्तव्य का पहले पालन कर दिया है । और यदि वह यह समझते हैं कि उन्होंने कोई अन्य कार्यवाही की है तो यह प्रश्न पहले ही सदन में प्रस्तुत है । अनुपूरक प्रश्न पूछे जा रहे हैं । परन्तु मेरे इतना कुछ करने के बावजूद भी यदि मान्यता प्राप्त दलों के नेतागण अपने ही सदस्यों को मुझ पर बिगड़ने को उकसायें तो मैं यह सब सहन नहीं करूंगा ।

श्री नाथपाई : विपक्ष का योगदान उनके लिए नया है ।

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह एक जिम्मेदार विपक्षी दल की हैसियत से व्यवहार करे ।

श्री नाथपाई : आप थोड़े और दयालु होने की कृपा करें क्यों विपक्ष की भूमिका उनके लिए नयी है जिसे वह अभी आरम्भ ही कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष का कार्य पीठासीन अधिकारी से लड़ना ही नहीं है । उनको सरकार से लड़ना चाहिये । वह समझते हैं कि पीठासीन अधिकारी से लड़ने मात्र से उनके उद्देश्य की प्राप्ति हो जायेगी । वह इस मामले में गलती पर हैं ।

Shri Prakash Vir Shastri : The difficulty is you indulge yourself as reference in the fighting.

Mr. Speaker : First you kill me then you shall be able to kill them.

बलराज मधोक : अध्यक्ष महोदय को भी अपने कर्त्तव्य का पालन करना होता है और जब वह अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता तो कठिनाई होती है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आज आपकी कठिनाई और मनःस्थिति को जानता हूं । इस प्रकार अपना प्रदर्शन न करें ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय का गिराया जाना

*545. **श्री इसहाक सम्भली** :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री झारखण्डे राय :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय को गिराने के सम्बन्ध में गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, भवन को खाली कराने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से विभिन्न स्तरों पर सौहार्द-पूर्ण तरीके से बातचीत करते रहे थे, किन्तु कोई समझौता नहीं हो सका। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने अपनी 25 जुलाई 1970 को हुई बैठक में उस अनुमति को जिसके अधीन रा० स्व० संघ भवन का प्रयोग कर रहा है समाप्त करते हुए सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था। कार्यकारी संकल्प को कारगर बनाने के लिए, विश्वविद्यालय द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

पश्चिम बंगाल सेवाओं में नक्सलवादियों और साम्यवादियों की घुसपैठ

***546. श्री शारदानन्द :** **श्री रामावतार शर्मा :**

श्री जि० ब० सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सेवाओं में नक्सलवादी तथा साम्यवादी घुसपैठ कर गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें निकालने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) अब तक कितने व्यक्तियों को हटाया गया अथवा स्थानांतरित किया गया है ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई जांच की है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ङ) ऐसा विश्वास करने के कारण है कि पश्चिम बंगाल सेवाओं में व्यक्तियों की कुछ संख्या ऐसी है जिनकी राजनैतिक संबद्धता है। वे नियम जिनसे सरकारी कर्मचारियों का आचरण नियमित होता है उन्हें राजनैतिक गतिविधियों में संलग्न होने से रोकते हैं। पश्चिम बंगाल के प्राधिकारी सावधान हैं और इस नियंत्रण के किसी उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही समेत उचित कार्यवाही करते हैं।

पश्चिम बंगाल में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कर्मचारियों की गिरफ्तारी

***547. श्री भगवान दास :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री० वि० कु० मोडक :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के पश्चात् पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों, विशेषकर भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के सदस्यों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में अभी भी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा ; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रपति का शासन लागू होने के पश्चात् पश्चिम बंगाल में अब तक प्रत्येक राजनीतिक दल के कितने सदस्य और समर्थक गिरफ्तार किये गये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : **(क) से (ग)** : कोई व्यक्ति किसी राजनैतिक दल की केवल सदस्यता के कारण गिरफ्तार नहीं किया जाता । केवल अपराध करने वाले व्यक्तियों की कानून के अनुसार गिरफ्तारियाँ की जाती हैं । इस प्रकार गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों की राजनैतिक संबद्धता के बारे में सूचना सहज उपलब्ध नहीं है ।

Assessment of requirement of Engineers, Scientists etc, during Fourth Five Year Plan

*548. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have made any assessments of the requirements of Engineers, Scientists, Professors etc. in the country during the Fourth Five Year Plan on the basis of the demand of various departments ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State in the Department of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : **(a) and (b)** : An assessment of the requirements of certain important categories of professional manpower such as Engineers, Doctors and Agricultural Scientifsts, for the economy as a whole was made during the formulation of the Fourth Five Year Plan. This assessment took into consideration the requirements of various departments to the extent they could then be identified and was also based on the anticipated rate of growth in various sectors.

The matter is kept under continuous review in the light of developments and further data that may become available from time to time, by the Central and State Governments and organisations such as the Institute of Manpower Research. The current estimates of requirements during the Fourth Plan period of certain professional categories are indicated in the statement attached.

Statement

Current estimates of the additional requirements of certain professional categories of manpower during the Fourth Plan Period

Engineers :

Graduates	30,000 (1) (1)

Diploma holders	78,000 (2)
Medical Doctors	25,000 (2)
Nurses	27,000 (3)
Agricultural Scientists	11,000 (3)
Veterinary Scientists ..	2,000

(1) Tentative estimates worked out by the Institute of Applied Manpower Research.

(2) Estimates prepared by the Departments of Health and Family Planning and the Directorate of Manpower (Ministry of Home Affairs). They relate to the public sector only.

(3) Estimates prepared by the Department of Agriculture.

NOTES—

1. The term 'additional requirements' indicates the number of additional positions anticipated and does not include the number required in replacement of those who retire.

2. Requirements of additional teaching staff are included in the estimates of requirements of the respective categories.

3. No overall estimate of the requirements of 'scientists' is available as the term covers a large number of disciplines and might include research scientists, science teachers and persons with science degrees working in industry.

चंडीगढ़ संग्रहालय में चोरी

* 549. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
डा० सुशीला नैयर :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री यमुना प्रसाद मंडल
श्री न० रा० देवघरे :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई 1970 में चंडीगढ़ संग्रहालय से 100 दुर्लभ चित्र चुरा लिये गये थे ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) चुराये गये चित्रों का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानत: कुल कितना मूल्य है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में तथा इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) : 22 | 23 जुलाई, 1970 की रात को चण्डीगढ़ संग्रहालय से 102 छोटे चित्र चुराये गये थे | केन्द्रीय जांच ब्यूरो की देख रेख में चण्डीगढ़ पुलिस द्वारा मामले का जांच पड़ताल की जा रही है | 68 चित्रों का किताब में लिखा मूल्य लगभग

20,199 रुपये बताया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चुराये गये चित्रों के मूल्य का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

नक्सलवादियों के खतरे का मुकाबला करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा हथियारों का एकत्र किया जाना

* 550. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री रामचरण :
श्री शिवचरण लाल :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे समाचार मिले हैं कि देश के राजनीतिक दल नक्सलवादियों के खतरे से कानून तथा व्यवस्था भंग होने और परिणामतः विप्लव की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका से हथियार एकत्र कर रहे हैं ताकि वे उनका भविष्य में प्रयोग कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राजनीतिक दलों के भय को दूर करने और उनमें विश्वास की भावना पैदा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

गृह-कार्य मन्त्रालय में तथा इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : ऐसी कोई बिशिष्ट सूचना नहीं है। फिर भी जांच की जा रही है।

(ग) राज्य सरकारें नक्सलवादियों तथा अन्य समान उग्रवादी दलों की गतिविधियों से सख्ती से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ऐसी सहायता प्रदान करती है जो उनके द्वारा मांगी जाती है।

मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना

* 551. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार बिहार सरकार से इस बात पर सहमत हो गई है कि कामेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय का विस्तार करके उसे ही मिथिला विश्वविद्यालय बना दिया जाये और बिहार में दरभंगा में अलग मिथिला विश्वविद्यालय में बनाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) : राज्य सरकार के प्रस्ताव पर रिपोर्ट देने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति ने सिफारिश की थी कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के विकास की वर्तमान स्थिति और साधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए, दरभंगा में केवल एक ही विश्वविद्यालय का होना अच्छा होगा।

विकल्प यह हो सकता है कि एक मिथिला / दरभंगा विश्वविद्यालय रहे, और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय और नया बहु-संकाय विश्वविद्यालय उसके स्वायत्त स्कन्ध बन जाएं।

राज्य सरकार ने, प्रस्तावित विश्वविद्यालय के प्रशासकीय और शैक्षिक ढांचे की जांच करने के लिए, एक समिति की स्थापना की है। इस समिति की सिफारिशों की, फिलहाल, राज्य सरकार जांच कर रही है।

गैर-सरकारी विमान कम्पनियों द्वारा चलाये जाने वाले विमानों के मार्ग

552. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कार्य करने वाली गैर-सरकारी विमान कम्पनियों के नाम क्या हैं ;

(ख) वे किन किन मार्गों पर बिमान चला रही हैं ; और

(ग) इन सभी विमान मार्गों पर इंडियन एयर लाइन्स द्वारा विमान न चलाये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

(ग) : उपयुक्त विमानों की कमी के कारण, इंडियन एयर लाइन्स कोई अतिरिक्त उत्तर-दायित्व अपने उपर लेने मे असमर्थ है। इसके अतिरिक्त, डकोटा विमान परिचालन की दृष्टि से नितान्त अलाभप्रद हो गये हैं तथा इंडियन एयर लाइन्स ऐसे मार्गों पर परिचालन करने में असमर्थ है जिन पर कि निजी परिचालक डकोटा विमानों से ऐसे विमान क्षेत्रों पर परिचालन कर रहे हैं जहां कि सिवाय डकोटों के अन्य किसी प्रकार के विमान नहीं उतर सकते।

निम्नलिखित अनुसूचित परिचालकों के पास 31 मार्च, 1971 तक वैध अननुसूचित परमिट हैं :—

1. एयर सर्वे कं० (प्रा०) लि०, कलकत्ता।
2. एयरवेज (इंडिया) (प्रा०) लि०, कलकत्ता।
3. भारत कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, गोहाटी।
4. कैम्बाटा एवियेशन, बम्बई।
5. जामेयर कम्पनी, कलकत्ता।
6. कलिंगा एयर लाइन्स, कलकत्ता।
7. कस्तूरी एंड संज, मद्रास।
8. जे० के० कैमिकल्ज (प्रा०) लि०, बम्बई।

इनमें से, केवल मैसर्स जामेयर कम्पनी तथा एयरवेज (इंडिया) वाणिज्यिक हवाई परिवहन

में लगी हुई हैं। ये दोनों एयर लाइनें सामान्यतया निम्नलिखित मार्गों पर दिन-प्रति-दिन के आधार पर अननुसूचित सेवायें परिचालित कर रही हैं :–

(i) **जामेयर कं० (प्रा०) लि० :**

1. सफ्दरजंग/जयपुर/कोटा/बनार तथा वापिस।
2. सफ्दरजंग/पटियाला/लुधियाना तथन वापिस।
3. डमडम/हासीमारा/भाटपाड़ा/जलपाइगुड़ी/ग्रासमोर/तेलीपाड़ा।
4. डमडम/जलपाइगुड़ी/सौगांव/भाटपाड़ा।
5. डमडम/जलपाइगुड़ी रूपसी तथा वापिस।
6. डमडम/अगरतला तथा वापिस।
7. डमडम/पूर्णिया/जलपाइगुड़ी।

(ii) **एयरवेज (इंडिया) लि० :**

1. कलकत्ता/अम्बारी/कलकत्ता।
2. कलकत्ता/अगरतला/कलकत्ता।
3. कलकत्ता/बोकारो धनबाद तथा वापिस।
4. कलकत्ता/भागलपुर/पूर्णिया/दरभंगा/पटना/मुजफ्फरपुर/रक्सौल तथा वापिस।

(कलकत्ता तथा पटना के बीच यातायात अधिकारों के बिना)।

"जनसेवक" के विरुद्ध आरोपों की जांच

*553. **श्री गणेश घोष :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कलकत्ता से प्रकाशित एक बंगला दैनिक समाचार पत्र "जनसेवक" के विरुद्ध कर-अपवंचन, हिसाब-किताब में हेरफेर करने और अखबारी कागज को चोर-बाजारी करने के आरोपों की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बंगला दैनिक समाचार पत्र के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है; और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निष्कर्षों के आधार पर उस पत्र के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है तो वह क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो जनसेवक कार्यालय लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्धक मण्डल के विरुद्ध धन के आपराधिक दुर्विनियोग तथा दुरुपयोग करने, हिसाब-किताब में हेर-फेर करने, अखबारी कागज को चोर-बाजार में बेचने, प्रेस व उसके उपकरण के साथ प्रकाशन अधिकारों का अवैध

हस्तान्तरण करने, आयातित लाइन-टाइप मशीनों की अनधिकृत बिक्री, इत्यादि के बारे में कतिपय आरोपों की जांच-पड़ताल कर रहा है। मामले की अभी छान-बीन हो रही है।

केन्द्रीय जाँच-ब्यूरो द्वारा इस संस्था की ओर से तथाकथित कर-अपवंचन की कोई जांच-पड़ताल नहीं की जा रही है।

Teaching of Indian Languages in Universities

*554. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the symposium of the Indian Institute of Advanced Studies held at Simla in the month of May last has suggested that a survey should be conducted in regard to the teaching of Indian languages in Universities and that work of translation of standard books in Indian languages including English should be undertaken on a large scale ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action taken in this regard ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : **(a) and (b):** A statement is laid on the Table of the Sabha.

statement

A Seminar on Indian Literature organised by the Indian Institute of Advanced Study, Simla, from May 10 to 23 had, inter-alia, made the following recommendations :

1. "A large scale programme of reliable and readable translations of selected works of literature from each of the Indian languages into others, and also into English, should be launched to bring about a general, even a world-wide, diffusion of knowledge of the significant achievements in Indian literature.

The Seminar recommends to the U. G. C. and the Union Ministry of Education and Youth Services that a National Survey of the teaching of Indian languages and literatures in our universities should be made so that appropriate steps could be taken soon, not only to inaugurate a new era in the teaching of the Indian literature, but also to promote unob-trusively yet effectively the cause of national integration".

2. The recommendations of the Seminar will be placed before the Review Committee on Modern Indian languages which has recently been appointed by the University Grants Commission. The Committee will examine the present faoilities for teaching and research in Modern Indian Languages and make suggestions for their improvement.

3. The Government have initiated a number of steps for translation of books. The important among them are :

(1) A Rs. 12 crore scheme for production of University level books in regional languages, which includes translation of English text books/reference books at University level in various regional languages.

(2) The National Book Trust has been implementing a Sheme "Aadan Pradan", under which selected books, which are representative of ways and life, feelings and peculiar qualities of a particular linguistic region, are being translated into all other regional languages, so that the literary activities and

achievements in one language ar made known to readers and writers of other languages.

(3) Sahitya Academy is also engaged in getting translations published of selected classics in one Indian language to other Indian languages recognised by it.

साम्प्रदायिक सद्भाव हेतु हैदरी मेंशन का अर्जन तथा उसका राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षण

*555. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में 150, बेलियाघाट रोड पर हैदरी मैंशन में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित 'साम्प्रदायिक शांति शिविर' ने साम्प्रदायिक सद्भाव हेतु एक तीर्थ-स्थल के रूप में ऐतिहासिक महत्व को प्राप्त कर लिया है ;

(ख) क्या एक सार्वजनिक समिति इस मैंशन का अर्जन कर एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में इसका संरक्षण करने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार साम्प्रदायिक सद्भाव हेतु इसका अर्जन करने तथा इसका एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षण करने के लिये कार्यवाही करेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ग) : पश्चिम बंगाल की गांधी शताब्दी समिति का विचार कलकत्ता में बैलिया घाट के उस मकान को अर्जित करने का है जिसमें गांधी जी ने अगस्त 1947 में निवास किया था जब वे साम्प्रदायिक सद्भाव स्थापित करने के उद्देश्य में व्यस्त थे, और उस स्थान को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में कायम रखने तथा गांधी जी के सिद्धान्तों को बढ़ावा देने वाले कार्यों का एक स्थान बनाने का है। राज्य समिति ने इस उद्देश्य हेतु धन के लिये गांधी शताब्दी की राष्ट्रीय समिति से सम्पर्क किया है। मामला विचाराधीन है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में 'हाइडपार्क'

*556. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने विद्यार्थियों को एक 'हाइड पार्क' प्रदान करने का फैसला किया है, ताकि वे अपने विचारों को व्यक्त कर सकें।

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसे 'हाइड पार्क' होने से विद्यार्थियों में और अधिक अव्यवस्था और अनुशासनहीनता फैलेगी ; और

(घ) क्या कोई और विश्वविद्यालय भी अपने विश्वविद्यालयों के प्रांगणों में ऐसे पार्कों की व्यवस्था करने पर विचार कर रहे हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस संबंध में, सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

नक्सलपंथियों द्वारा श्री राम गरीब दास की हत्या

*557. **श्री जय सिंह :** **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 जुलाई, 1970 को मुजफ्फरपुर जिले के जनसंघ नेता श्री राम गरीब दास की उनके अपने ग्राम तरौरा में नक्सलपंथियों द्वारा हत्या कर दी गई थी ;

(ख) क्या उनकी मृत्यु के बारे में कोई जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) देश के राजनीतिक नेताओं के जीवन की सुरक्षा के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में तथा इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) : बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मण्डल जनसंघ मुसाहानी (मुजफ्फरपुर) के प्रधान श्री राम गरीब दास को 24 जुलाई, 1970 को रात के लगभग 11 बजे जब कि वह अपने मकान के बरामदे पर लेटे थे गोली मार दी गई। उनको एक जोखिम हालत में मुजफ्फरपुर के अस्पताल को ले जाया गया वहां उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पहले अपने वक्तव्य में उन्होंने 4 व्यक्तियों का नाम लिया जिनमें से 3 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। चौथा व्यक्ति फरार है। राज्य सरकार के अनुसार फरार व्यक्ति पर कुछ नक्सलवादियों के साथ कतिपय अन्य गम्भीर अपराधों में अन्तर्ग्रस्त होने का सन्देह है। अग्रेतर जांच पड़ताल की जा रही है। स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से राजनैतिक नेताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही करने की आशा की जाती है।

उत्तर भारत स्थित उद्योगों से कांडला पत्तन का उपयोग करने का अनुरोध

*558. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर भारत स्थित उद्योगों से कांडला पत्तन का और अधिक उपयोग करने का अनुरोध किया है,

(ख) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान पत्तन से माल की ढुलाई में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) सभी केन्द्रीय मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के (उत्तरी क्षेत्र में स्थित) परियोजनाओं / उपक्रमों और अन्य खरीददारी करने वाले अधिकारियों को ये अनुदेश जारी कर दें कि वे आयात और निर्यात, जहां कहीं मितव्ययी हो, कांडला पत्तन से करें।

(ख) और (ग) : 1968-69 में इस पत्तन पर माल यातायात में गत वर्ष की तुलना में कमी हुई। परन्तु 1968-69 का 2035700 टन का यातायात 1969-70 में बढ़कर 2109444 टन हो गया। परिवहन सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न संबद्ध हितों के प्रतिनिधियों सहित, कांडला पत्तन की समस्याओं जिनमें यातायात का विकास भी शामिल था, पर विचार करने के लिए सरकार ने मई 1969 में एक समिति स्थापित की थी। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशें लागू होने जा रही हैं। कांडला पत्तन न्यास भी इस पत्तन पर और अधिक यातायात आकृष्ट करने के उपाय कर रहा है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों में त्रिभाषीय फार्मूला

*559. **श्री मयावन :**
श्री नारायणन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दण्डपाणि :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध 400 स्कूलों में उच्च स्तर पर तीन भाषाएं तथा निम्न स्तर पर दो भाषाएं पढ़ाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस नए फार्मूले को अपनाने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस नये फार्मूले से छात्रों को क्या लाभ होगा ; और

(घ) क्या नये फार्मूले में संविधान में उल्लिखित सभी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अखिल भारतीय उच्च माध्यमिक योजना को अपनाने वाले स्कूलों के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, हाल ही में संशोधित पाठ्यचर्या के अनुसार, उच्च स्तर पर एक और निम्न स्तर पर दो भाषाओं, इस प्रकार तीन भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन की व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(घ) जी, हाँ।

विवरण

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार स्थिति नीचे दी गई है :—

(1) बोर्ड की अखिल भारतीय उच्च माध्यमिक योजना के अंतर्गत छात्रों पर वे भाषा का बोझ कम करने के लिए त्रिभाषा के अनिवार्य अध्ययन के लिए क्या सूत्र लागू कर दिया गया है। अब तक उच्च स्तर पर तीन भाषाओं में से दो का अध्ययन अनिवार्य था। नए सूत्र से भाषा का बोझ इस सीमा तक कम हो जाएगा कि छात्रों को उच्च स्तर पर दो भाषाओं की बजाय एक का अध्ययन करना होगा, तथा दूसरी और तीसरी भाषा के अध्ययन को क्रमशः आठवीं और दसवीं कक्षा की समाप्ति पर पूरा किया जा सकता है।

(2) ऐसी संभावना है कि नए सूत्र से असफलताओं में और फलस्वरूप अन्तिम परीक्षा में बरबादी की कमी होने में सहायता मिलेगी। जो अंग्रेजी में कमजोर हैं, वे निचले स्तर पर अंग्रेजी ले सकते हैं, जिसका पाठ्य विवरण अंग्रेजी पर जोर देने के कारण उस भाषा में उन्हें कार्योपयोगी ज्ञान देगा। इसी प्रकार से जो हिन्दी में कमजोर हैं, वे निचली स्तर पर हिन्दी ले सकते हैं, जिसका पाठ्यविवरण साहित्य की अपेक्षा भाषा के पहलू पर जोर देता है, ताकि छात्र उक्त भाषा में काम करने का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके।

(3) नया सूत्री हाल ही में घोषित की गई देश की शिक्षा नीति के साथ भी बहुत मेल खाता है, जिसमें कि इस बात पर जोर दिया गया है कि उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाएँ शिक्षा का माध्यम यथाशीघ्र बननी चाहिए।

(4) नए सूत्र के परिणाम स्वरूप, प्रत्येक विद्यार्थी को ऐच्छिक विषयों के चयन की अधिक गुंजायश है। प्रत्येक विद्यार्थी पहले के तीन की बजाय अब चार ऐच्छिक विषय ले सकता है और विषयों की कुल संख्या पूर्ववत अर्थात् पांच ही रहेगी।

(5) कोई भी छात्र विज्ञान वर्ग के अंतर्गत गणित तथा जीव-विज्ञान दोनों ले सकता है पहले सूत्र में यह मेल संभव नहीं था।

(6) भाषायी वाले छात्र, नए सूत्र की ऐच्छिक विषय व्यवस्था से विभिन्न बहुत सी भाषाएँ पढ़ सकते हैं।

बोइंग 707 वायुयान द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कम्प्रेसर डिस्कों के दोषपूर्ण होने की एयर इंडिया को चेतावनी

* 560. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रौल्स रायस एयरो इन्जन बनाने वालों ने बोइन्ग 707 वायुयान द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कम्प्रेसर डिस्क के दोषपूर्ण होने की एयर इंडिया को चेतावनी दी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस खराबी के कारण अन्य विमान कम्पनियों के बोइन्ग विमानों की कुछ गम्भीर दुर्घटनाएं हुई हैं ;

(ग) इस इंजन को सुरक्षित बनाने के लिए किन सुधारों का सुझाव दिया गया है ; और

(घ) इस मामले में एयर इंडिया ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : 27 जुलाई, 1970 को रोल्स रायस लिमिटेड, यू० के० द्वारा एक 'सर्विस बुलेटिन' जारी किया गया था जिसमें सब कानवे इंजन प्रयोक्ताओं को कम्प्रैसर पहियों की संभावित खराबी को रोकने के लिये कार्यवाही करने की राय की गयी।

(ख) : इस कारण से होने वाली कुछ त्रुटियां एयर रजिस्ट्रेशन बोर्ड यू० के० के पास उल्लिखित हैं।

(ग) रोल्स रायस ने सलाह दी है कि कानवे प्रयोक्ताओं को कुछ उच्च-दाब तथा न्यून-दाब वाले कम्प्रैसर पहियों को, जितना जल्दी व्यवहार्य हो सके, बदल देना चाहिये ।

(घ) : एयर इंडिया इंजनों की मरम्मतों के दौरान उनमें समुन्नत प्रकार के कम्प्रैसर पहिये लगा रहे हैं आधे इंजनों में पहले ही सुधार-कार्य किये जा चुके हैं तथा बाकी इंजनों में इन पुर्जों को बदलने का कार्यक्रम हाथ में है ।

पश्चिमी बंगाल सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल

* 561. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 जुलाई, 1970 को पश्चिमी बंगाल सरकार के लगभग 2 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों ने एक दिन कार्य नहीं किया जिससे वस्तुतः सारा कार्य ठप्प हो गया ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार का कितना नुकसान हुआ ; और

(घ) सरकार ने इस मामलें में क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मन्त्री, गृह कार्य मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) कर्मचारियों ने अपनी अनेक माँगों के समर्थन में काम बन्द कर दिया ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

(घ) राज्य सरकार ने उन कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं जो 24 जुलाई, 1970 को अपने कार्य पर उपस्थित नहीं हुए थे ।

Allocation of Funds for Education

*562. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that immediate allocation of 6 per cent of the to talnational income, 10 per cent of theUnion budget and 30 per cent of the budgets of the State Government s for education would be appropriate ;

(b) whether the Government of India propose to take any decision on the suggestions made by edudational institutions in this regard in consultation with the State Governments ; and

(c) if so, the time by which a decision is likely to be taken ?

The Minister for Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : **(a)** The allocations suggested would undoubtedly make it easier to reconstructed education, quantitative and qualitatively. Its implementation, however, is dependent on availability of resources and policies regarding priorities in expenditure.

(b) and (c) : It is presumed that what is referred to here are the suggestions of the Education Commission. The decisiontaken on these, in consultation with the State Governments, is given in paras 5 and 6 of the Government Resolution on the National Policy on Education which is quoted below :

5. The reconstruction of education on the lines indicated above will need additional outlay. The aim should be gradually to increase the investment in education so as to reach a level of expenditure of 6 per cent of the national income as early as possible.

6. The Government of India recognizes that reconstruction of education is not easy task. Not only are the resources scarce but the problems are exceedingly complex. Considering the key role which education, science and research play in developing the material and human resources of the country, the Government of India will, in addition to undertaking programmes in the Central sector, assist the State Governments for the development of programmes of national importance where co-ordinated action on the part of the States and the Centre is called for.

दिल्ली पोलीटेक्निक में छात्रों को दी जाने वाली योग्यता और निर्वाह छात्रवृत्ति

* 563. **श्री अदिचन :** **श्री बाल्मीकी चौधरी :**

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के तीन पालोटेक्निकों में छात्रों को दी जाने वालो योग्यता एवं निर्वाह छात्रवृत्ति को बन्द कर दिया जाता है यदि बाद को परोक्षाओं में ये छात्र अपनी योग्यता को बनाये रखने में असफल रहते हैं ;

(ख) क्या ऐसी छात्रवृत्तियां अन्य योग्य छात्रों को पुन: प्रदान की जाती हैं, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में अब तक कितने छात्रों को उपर्युक्त छात्र-वृत्तियां देना बन्द किया गया है ; और

(घ) यह छात्रवृत्तियां किस आधार पर दी जाती हैं और इसके लिये कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना अपेक्षित है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) उपयोग में न लाई गई छात्रवृत्तियों को अन्य योग्य उम्मीदवारों को देने की व्यवस्था, योजना में है । कदाचित, योजना की व्यवस्थाओं को भली प्रकार न समझने के कारण जी० बी० पन्त पोलिटेक्निक ने 1967-68 और 1968-69 के वर्षों के दौरान कार्याविधि का अनुसरण नहीं किया ।

(ग) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध में दी गई है ।

(घ) छात्रवृत्तियों का मानदन्ड इस प्रकार है :—

साधन

1969-70 तक : प्रति व्यक्ति पारिवारिक आय 125 रु० प्रति मास से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा परिवार के सदस्यों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित होनी चाहिए ।

यह नियम, परिवार के सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखे बिना, परिवार की आय को 500 रु० मासिक तक सीमित करने के लिए संशोधित किया जा रहा है ।

योग्यता

1968-69 सत्र तक :

(i) दाखिले के समय अर्हक परीक्षा में प्राप्त औसत अंकों के आधार पर 50% और
(ii) प्रथम वर्ष में मध्य सत्र परीक्षा में प्राप्त किए गए औसत अंकों के आधार पर 50%.
1969-70 से : दाखिले के समय अर्हक परीक्षा में प्राप्त किए नए अंकों की प्रतिशतता।

विवरण

पोलिटेक्निक	1968-69	1969-70	1970-71
1. के० जी० पोलिटेक्निक	9	15	अभी तक
2. जी० बी० पन्त पोलिटेक्निक	22	33	आबन्टित
3. पूसा संस्थान	15	29	नहीं।

तटीय नौपरिवहन विकास

* 564. **श्री के० हाल्दार :** क्या **नौवहन तथा परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी पांच वर्षों में तटीय नौपरिवहन विकास करने हेतु कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) : जी, नहीं। दीर्घ-कालीन आधार पर कोयले के उपलब्धता के बारे में अनिश्चितता और तेल के अलावा अन्य तटवर्ती माल के गिरती हुई संभावनाओं के कारण तटवर्ती पोतपरिवहन के विकास जैसी कोई योजना नहीं बनाई गई है।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता है।

अशोका होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली में ठहरने वालों की कमी

* 565. **श्री रा० बरुआ :** **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोका होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली में सेवा स्तर गिर जाने के कारण हाल के महीनों में वहां ठहरने वालों की संख्या में काफी कमी हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सेवा स्तर और वर्तमान कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए अशोका होटल्स में कुछ विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा होटल को आधुनिकतम रूप प्रदान करने के लिए अब तक कौन से कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। इसके विपरीत गत वर्ष की अपेक्षा पिछले कुछ महीनों में अशोका होटल में ठहरने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) : जी, हां। अशोक होटल की सेवा-व्यवस्था के आधुनिकीकरण एवं सुधार के लिये पश्चिम जर्मन सरकार के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत जून 1970 से पांच विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की गयी हैं।

Programme to Impart Education to women in Rural Areas

*566. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government have chalked out some special programme to impart education to women in rural areas and, if so, the details thereof ; and

(b) whether Government propose to open colleges in rural areas to impart higher education to women there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shri A. K. Kisku) : (a) : The Government of India have no special programme for imparting education to women in rural areas. However, it is proposed to study the problem of inadequate enrolment of girls in primary schools by launching pilot projects in selected areas.

(b) No, Sir.

भारतीय प्राद्योगिकी संस्थानों (आई० आई० टी०) की कार्य प्रणाली का पुनर्विलोकन

*567. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक भारतीय प्राद्योगिक संस्थानों की कार्य प्रणाली का पुनर्विलोकन करने के लिए एक समिति को स्थापना की गई थी ;

(ख) क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) खड़कपुर, बम्बई, मद्रास, कानपुर तथा दिल्ली में स्थित प्रत्येक प्राद्योगिकी संस्थान के लिए एक पुनरीक्षण-समिति स्थापित की गयी है।

(ख) और (ग) : इन समितियों ने कार्य शुरू कर दिया है और दिसम्बर के अन्त तक इनकी रिपोर्टों की आशा की जाती है।

चौथी योजना के दौरान सड़क विकास कार्यक्रम

568. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के दौरान आरम्भ किये जाने वाले सड़क विकास कार्यक्रम के ब्यौरे को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) कार्यक्रम पर होने वाला अनुमानित व्यय क्या है ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) : चौथी योजना के आवंटनों को हाल ही में अंतिम रूप दिया गया है और उन आवंटनों के ब्यौरेवार कार्यक्रमों को भी अन्तिम रूप देने के लिए कदम उठाये गये हैं। चौथी योजना में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में सड़क विकास के लिए की गई व्यवस्था कुल मिलाकर 866 करोड़ रुपये होती है जिसमें से 418 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में और 448 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र में। केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय राजमार्ग, केन्द्र की सहायता प्राप्त अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कें, पार्श्ववर्ती सड़कें और विशिष्ट सड़कें आती हैं। इन योजनाओं से संबद्ध आगे लाये गये निर्माण कार्यों को पूरा करने के अलावा जिन पर मिलकर लगभग 60 करोड़ रुपये आता है, शेष 358 करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रीय राजमार्गों, केन्द्र से सहायता प्राप्त अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों और विशिष्ट सड़कों को नई योजनाओं के लिए है।

2– राष्ट्रीय राजमार्गों में चौथी योजना में निम्न निर्माण करने का विचार है :

(1) सभी गायब कड़ियों का निर्माण।

(2) चौथी योजना काल में जिन 17 नये मुख्य नदी घाटों पर पुल बनाना जरूरी है उन पर पुल निर्माण करना।

(3) सब शेष निम्नतर टुकड़ों का सुधार करना, तथा

(4) लगभग 4500 मील सड़क को चौड़ा करके दो गली वाला मार्ग बनाना और 2000 मील पर पटरी की व्यवस्था करना।

इसके अतिरिक्त, अशक्त पटरियों को सशक्त बनाना, अशक्त और तंग पुलों और पुलियों को बदलना, उपमार्गों का निर्माण, इत्यादि, जैसी कुछ अन्य कमियों को दूर करने का विचार है। विशिष्ट सड़कों और अन्तर्राज्यीय सड़कों, इत्यादि पर की कुछ चुनी हुई योजनाओं को शुरू करने के लिए भी व्यवस्था की गई है।

3– राज्य योजनाओं के अन्तर्गत महानगरीय शहरों, औद्योगिक और खान क्षेत्रों और पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़क तंत्र को कुछ हद तक सशक्त बनाया जाएगा। अनुमान है कि 1968-69 के अन्त तक पक्की सड़कों की 325000 कि० मी० की लम्बाई बढ़कर चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 385000 कि० मी० हो जाएगी।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए अंग्रेजी का अनिवार्य न होना

*569. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ऐसी नयी योजना तैयार की गई है जिसके अनुसार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिये अंग्रेजी अनिवार्य नहीं होगी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) नयी योजना से किन परिणामों की आशा की जाती है?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग): एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बोर्ड से यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि जुलाई, 1970 से प्रारम्भ होने वाले शैक्षिक सूत्र में एक संशोधित त्रिभाषा सूत्र लागू किया है, जो निम्न प्रकार है :-

नया त्रिभाषा सूत्र

(i) एक विद्यार्थी निम्नलिखित में से तीन भाषाओं का अध्ययन करेगा :- असमी, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड, कशमीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिन्धी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मणिपुरी, इंगलिश, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, पुर्तगाली, तिब्बती, नेपाली और अरबी।

(ii) एक भाषा उच्च स्तर पर तथा दूसरी दो भाषायें निम्न स्तर पर स्वीकार की जायेंगी।

(iii) निचले स्तर पर ली जाने वाली तीन भाषाओं में हिन्दी एक होगी बशर्ते, विद्यार्थी उच्च स्तर पर हिन्दी पढ़ना चाहे।

(iv) प्रत्येक भाषा का अध्ययन कम से कम तीन वर्ष किया जायेगा।

(v) उच्च स्तर पर भाषा का अध्ययन ग्यारहवीं कक्षा के अन्त तक; दूसरी भाषा का अध्ययन दसवीं कक्षा के अन्त तक तथा तीसरी भाषा का अध्ययन आठवीं कक्षा के अन्त तक किया जायेगा।

(iv) यदि निचले स्तर वाली भाषाओं में, विद्यार्थी किसी भाषा में उपयुक्त वर्ग में उत्तीर्ण नहीं होता तो ऐसा करने के लिए उसको अगले वर्ष अनुमति दे दी जायेगी। परन्तु जब तक वह निचले स्तर वाली दो भाषाओं में सफलता प्राप्त नहीं करेगा उसे बोर्ड की अन्तिम परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(vii) निचले स्तर की भाषा का परीक्षण नवीं कक्षा के अन्त में (अर्थात् उनके लिए जो आठवीं कक्षा में तीसरी भाषा में सफलता प्राप्त नहीं कर सके) और दसवीं कक्षा में बोर्ड द्वारा लिया जायेगा। इन भाषाओं में केवल अर्हता प्राप्त करना ही विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित होगा। उच्च स्तर पर पढ़ी जाने वाली भाषा में अन्तिम परीक्षा ग्यारहवीं कक्षा की समाप्ति पर दूसरे ऐच्छिक विषयों सहित बोर्ड द्वारा ली जायेगी।

बोर्ड द्वारा नये सत्र से प्राप्त प्रत्याशित परीक्षाफलों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(1) बोर्ड की अखिल भारतीय उच्च माध्यमिक योजना के अन्तर्गत छात्रों पर से भाषा का

बोझ कम करने के लिए त्रिभाषा के अनिवार्य अध्ययन के लिये नया सूत्र लागू कर दिया गया है। अब तक उच्च स्तर पर तीन भाषाओं में से दो का अध्ययन अनिवार्य था। नए सूत्र से भाषा का बोझ इस सीमा तक कम हो जाएगा कि छात्रों को उच्च स्तर पर दो भाषाओं की बजाय एक का अध्ययन करना होगा, तथा दूसरी और तीसरी भाषा के अध्ययन को क्रमशः आठवीं और दसवीं कक्षा की समाप्ति पर पूरा किया जा सकता है।

(2) ऐसी सम्भावना है कि नए सूत्र से असफलताओं में और फलस्वरूप अन्तिम परीक्षा में बरबादी की कमी होने में सहायता मिलेगी। जो अंग्रेजी में कमजोर हैं, वे निचले स्तर पर अंग्रेजी ले सकते हैं, जिसका पाठ्य-विवरण अंग्रेजी पर जोर देने के कारण उस भाषा में उन्हें कार्योपयोगी ज्ञान देगा। इसी प्रकार से जो हिन्दी में कमजोर हैं, वे निचली स्तर पर हिन्दी ले सकते हैं, जिसका पाठ्य-विवरण साहित्य की अपेक्षा भाषा के पहलू पर जोर देता है, ताकि छात्र उक्त भाषा में काम करने का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें।

(3) नया सूत्र हाल में घोषित की गई देश की शिक्षा नीति के साथ भी बहुत मेल खाता है। जिसमें कि इस बात पर जोर दिया गया है कि उच्च शिक्षा के लिये भारतीय भाषाएँ शिक्षा का माध्यम यथाशीघ्र बनानी चाहिए।

(4) नए सूत्र के परिणाम स्वरूप, प्रत्येक विद्यार्थी के ऐच्छिक विषयों के चयन को अधिक गुंजायश है। प्रत्येक विद्यार्थी पहले के तीन की बजाय अब चार ऐच्छिक विषय ले सकता है और विषयों की कुल संख्या पूर्ववत अर्थात् पांच ही रहेगी।

(5) कोई भी छात्र विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत गणित तथा जीव विज्ञान दोनों ले सकता है। पहले सूत्र में यह मेल संभव नहीं था।

(6) भाषायी अभिक्षमता वाले छात्र, नए सूत्र को ऐच्छिक विषय व्यवस्था से, बहुत सी भाषाएँ पढ़ सकते हैं।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो में विचाराधीन मामले

*570. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो में गत एक, दो, तीन अथवा अधिक वर्षों से पृथक-पृथक, कितने मामले विचाराधीन हैं;

(ख) उन व्यक्तियों के क्या नाम हैं जिनके विरुद्ध गत दो वर्षों से मामले विचाराधीन हैं;

(ग) उनके विरुद्ध क्या-क्या आरोप हैं तथा अभी तक इस बारे में जांच को अन्तिम रूप न दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) केन्द्रीय सरकार के उन मंत्रियों के क्या नाम हैं जिनके विरुद्ध दो वर्षों से अधिक समय से जाँच नहीं की गई है ?

प्रधान मंत्री, गृह-कार्य मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) : 31 जुलाई; 1970 को केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के पास एक वर्ष से अधिक समय से जाँच-पड़ताल के 76 मामले विचाराधीन थे। इस संख्या का अवधि-वार ब्यौरा इस प्रकार है :

अवधि	संख्या
(i) 1 से 2 वर्ष के बीच	71
(ii) 2 से 3 वर्ष के बीच	4
(iii) 3 वर्ष से अधिक	1

चूंकि इन मामलों में जाँच-पड़ताल अभी हो रही है, अतः तथाकथित अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के नाम प्रकट करना वांछनीय नहीं है ? इन मामलों में निम्नलिखित एक या एक से अधिक दोषारोपण हैं :

(i) आयातों का अधो-बीजक और आयात लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन।

(ii) विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का उल्लंघन करके भारतीय मुद्रा में प्रतिकर भुगतान करना।

(iii) कम्पनी धन का गबन।

(iv) लेखा-जोखा में गोलमाल।

(v) आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन कर स्फीत परिचालन आंकड़े देकर वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक अखबारी कागज लेना।

इन मामलों में जाँच-पड़ताल के पूरे होने में विलम्ब का मुख्य कारण उनका जटिल होना है। कुछ मामलों में लिखित साक्ष्य जिसमें काफी बड़े रिकार्ड और लेखा-जोखा शामिल हैं, को तसदीक करनी है और इसमें समय लगता है। कुछ मामलों में मुकदमें से भी विलम्ब हुआ है।

(घ) ऐसा कोई मामला नहीं है।

शेख अब्दुल्ला द्वारा उत्तेजना पैदा करने वाले भाषण

3549. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जून, 1970 को श्रीनगर में आयोजित एक सम्मेलन में शेख अब्दुल्ला द्वारा दिये गये उत्तेजनात्मक भाषण की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने पंडित नेहरू द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से संविधान सभा के जरिये भारत में काश्मीर के विघटन की अभिपुष्टि और 12 वर्ष उन्हें जेल में बन्द रखने की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो शेख अब्दुल्ला को इस प्रकार उत्तेजनापूर्ण भाषण करने की अनुमति क्यों दी जाती है ; और

(ग) क्या इस भाषण के बाद सरकार ने शेख अब्दुल्ला को चेतावनी दी है कि लोगों को हिंसात्मक कार्यों के लिये उत्तेजित न करें, यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, गृह-कार्य मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार ने अखबारों में छपे भाषण के समाचारों को देखा है ।

(ख) और (ग) : सरकार शेख के उक्त वक्तव्य को बिल्कुल गलत तथा तथ्यों के विपरीत समझती है । हाल में श्रीनगर में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गये वक्तव्य पर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है । उन्होंने स्पष्ट किया था कि राज्य का विलयन अंतिम रूप से भारत के साथ हो गया है । यदि कोई व्यक्ति विलय के खंडन की बात सोचता है तो यह एक बिल्कुल निरर्थक चेष्टा होगी ।

वर्ष 1969-70 में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों की उड़ानों में विलम्ब

3550. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में इंडियन एयरलाइन्स के विमानों की उड़ानों में कितनी बार विलम्ब हुआ है तथा इस विलम्ब के क्या कारण हैं तथा कितना विलम्ब हुआ था;

(ख) काउण्टर पर स्वागत अधिकारियों द्वारा गलत तथा भ्रामक सूचना देने के क्या कारण हैं जिससे यात्रियों को व्यर्थ ही परेशानी का सामना करना पड़ता है; और

(ग) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों की उड़ानों में समय पाबन्दी लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) : ऐसे अवसर आये हैं जबकि इंडियन एयरलाइन्स के स्वागत अधिकारी पर्याप्त सूचना देने में समर्थ नहीं हुये हैं । आवश्यक उपचारी कार्यवाही के लिये इन भूलों की जांच की गई ।

(ग) और (घ) : इस प्रकार के विलम्बों को कम करने के लिये इंडियन एयरलाइन्स निरन्तर प्रयत्न करती रहती है, तथा 30 मिनट से अधिक विलम्बित प्रत्येक उड़ान (टेक आफ) की कारपोरेशन एवं नागर विमानन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जांच की जाती है, उसका कारण निरूपित किया जाता है और यथासंभव उपचारी कार्यवाही की जाती है । मौसम विषयक कारणों के अतिरिक्त बहुत सीमा तक इस प्रकार की स्थितियों का कारण वर्तमान वहन क्षमता की कमी एवं सीटों के लिये बढ़ती हुई मांग है । कारपोरेशन को आशा है कि उसकी वहन क्षमता में वृद्धि होने पर, जो कि अगले वर्ष से उपलब्ध हो जायेगी, स्थिति में काफी सुधार होगा ।

1. इंडियन एयरलाइन्स की 30 मिनट से अधिक अवधि के लिये विलम्बित उडानों की कुल संख्या (रद्द की गई उड़ानों सहित) 16581.

2. उपरोक्त 1 का विषलेषण

		विलम्बित	रद्द की गयी	कुल
1.	इंजीनियरी	1501	78	157୨
2.	यातायात व खानपान	450	41	491
3.	परिचालन	237	29	266
4.	परिवहन	77	1	78
5.	मौसम	1247	618	1865
6.	परिणामी	10490	779	11269
7.	विविध	416	489	905
8.	विमान यातायात नियंत्रण (महानिदेशक नागर विमानन)	83	45	128
	कुल :-	14501	2080	16581

बेरोजगार कमर्शियल-विमान-चालक

3551. **श्री बाबूराव पटेल : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1970 को कितने बेरोजगार कमर्शियल विमान-चालक थे ;

(ख) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा गत डेढ़ वर्षों से कमर्शियल विमान-चालक के पदों के लिये विज्ञापन न देने के क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार द्वारा गैर-सरकारी विमान कम्पनियों को बेरोजगार कमर्शियल विमान-चालकों को खपाने के लिये उड़ान संबन्धी सुविधायें न देने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या भारतीय वायु सेना में किसी कमर्शियल विमान-चालक को काम पर रखा गया है ; और

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यद्यपि इस सम्बन्ध में बिलकुल सही सूचना उपलब्ध नहीं है, 30-6-70 को 963 विमानचालकों के पास निम्न वर्गों के चालू व्यावसायिक विमान-चालन लाइसेंस थे :

वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस –	381
प्रवर वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस–	81
एयरलाइन परिवहन विमानचालक लाइसेंस–	501

उपरोक्त में से लगभग 720 के नौकरी में लगे होने का पता है ।

(ख) सितम्बर, 1968 में जारी किये गये एक विज्ञापन के आधार पर 70 विमानचालकों की

एक नामिका (पेनल) तैयार की गई थी इसमें से अब तक 51 को नियुक्तियाँ दे दी गई हैं। चालू वर्ष के दौरान और भर्ती किये जाने की कोई आशा नहीं है।

(ग) निजी चालकों को अनुसूचित परमिट जारी करने के संबन्ध में नीति सविदित है और जहां कहीं परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए आवश्यक समझा जाता है ऐसे परमिट जारी किये जाते हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) 15 को (1961 में 9 तथा 1963 में 6)

दिल्ली प्रशासन द्वारा शिक्षा शास्त्री डिग्री को मान्यता दिया जाना

3552. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री दिल्ली प्रशासन द्वारा शिक्षा शास्त्री डिग्री को मान्यता दिये जाने के संबन्ध में 1 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8162 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरुनानक उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय सब्जी मन्डी, दिल्ली, की एक महिला अध्यापक को जिन्हें कमलेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा दी गई शिक्षा शास्त्री की उपाधि प्राप्त है, दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशक ने प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक की श्रेणी में नियुक्त की मान्यता दी है क्योंकि वे 20 जनवरी, 1969 के पहले से ही सेवा में थी ;

(ख) यदि हां, तो अन्य लोगों की, जिन्हें यही उपाधि प्राप्त है और जो 20 जनवरी, 1970 के पहले से ही सेवा में हैं, नियुक्ति को दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशक ने अब तक मान्यता नहीं दी है ; और

(ग) क्या गुरुनानक गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल की अध्यापिकाओं की भांति उक्त अध्यापिकाओं की सेवाओं को भी नियमित किया जाएगा और उन्हें भी संस्कृत अध्यापिकाओं के निर्धारित संवर्गों में लिया जाएगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) : दिल्ली प्रशासन से अपेक्षिक सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इम्फाल में विश्वविद्यालय केन्द्र

3553. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल में प्रस्तावित विश्वविद्यालय केन्द्र के खोले जाने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) कथित केन्द्र कार्य करना कब प्रारम्भ करेगा ; और

(ग) कथित केन्द्र के चालू होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) : यह मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।

भारत से पाकिस्तान में चले जा रहे मुसलमान लोग और पाकिस्तान से भारत आ रहे हिन्दू

3554. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में भारत की सीमा पार करके पाकिस्तान में कितने मुसलमान गये हैं और इस अवधि में भारत में प्रवेश करने वाले गैर मुस्लिम लोगों की संख्या राज्यवार कितनी है ?

प्रधान मन्त्री, अण शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

मणिपुर राज्य परिवहन

3555. **श्री० एम० मेघचंद्र** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68,1968–69 और 1969–70 में मणिपुर राज्य परिवहन को कितनी आय हुई थी;

(ख) उक्त तीन वर्षों में पृथक-पृथक कुल कितनी हानि हुई है;

(ग) उक्त तीन वर्षों में मोटर के पुर्जों की खरीद में कितनी राशि खर्च हुई; और

(घ) उन्हें पुर्जे सप्लाई करने वाली फर्मों के नाम क्या हैं और प्रत्येक फर्म ने कुल कितनी राशि के पुर्जे सप्लाई किये थे ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 1967–68, 1968–69 और 1969–70 के वर्षों की उपक्रम की कमाई जैसे प्रशासन ने सूचित किया है क्रम से लगभग 40 लाख रुपये, 26 लाख रुपये और 39 लाख रुपये हैं ।

(ख) यद्यपि 1968-69 और 1969-70 के वर्षों का लाभ और हानि लेखा अभी तैयार नहीं है तथापि 1967-68 के दौरान निवल हानि 11.54 लाख रुपये हैं ।

(ग) 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के दौरान क्रम से 6.17 लाख रुपये, 8.10 लाख रुपये और 4.19 लाख रुपये ।

(घ) गत तीन वित्तीय वर्षों में जिन फर्मों ने उपक्रम को मोटर के पुर्जों को सप्लाई की और उनमें से प्रत्येक को दी गई वर्षवार कुछ राशि अनुबन्ध में दी गई है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी 4036/70**]

एयर इन्डिया द्वारा भारतीय तथा विदेशी यात्रा एजेंटों को दिया गया कमीशन

3556. **श्री मो० रु० मसानी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया द्वारा विदेशी यात्रा एजेंटों तथा भारतीय यात्रा एजेंटों को, अलग-अलग कितना कमीशन दिया जाता है;

(ख) क्या कमीशन देने के बारे में एयर इंडिया की नीति अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों की नीति के अनुकूल है ;

(ग) एयर इंडिया को भारत में यात्रा एजेंटों, सरकारी विभागों तथा सीधे ग्राहकों से, अलग-अलग कितना प्रतिशत कार्य मिलता है;

(घ) एयर इंडिया को यात्रा एजेंटों, सरकारी विभागों तथा निगमों और सीधे ग्राहकों से, दिन से अधिक के लिये कितना बकाया धन वसूल करना है; और

(ङ) क्या गत तीन वर्षों में भारत के यात्रा एजेंट संघ के किसी सदस्य ने एयर इंडिया को धन का भुगतान नहीं किया है और क्या एयर इंडिया के सीधे ग्राहकों में से किसी के नाम कोई अप्राप्य रकम है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्रित को जा रही है तथा लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जी, हां ।

महानगरों में इन्डियन एयरलाइन्स का कारोबार

3557. **श्री मो० रु० मसानी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास जैसे महानगरों में इंडियन एयरलाइन्स को कितना प्रतिशत कारोबार यात्रा एजेंटों, सरकारी स्रोतों तथा प्रत्यक्ष स्रोतों द्वारा, अलग-अलग मिलता है ;

(ख) इन्डियन एयरलाइन्स का पद्धतिवार टिकट देने तथा अध्यक्ष पर अनुमानित व्यय का अनुपात कितना है ;

(ग) इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा टिकटों के रद्द करने पर कितना शुल्क संग्रह किया जाता है तथा इस तथ्य को देखते हुये कि टिकटों के रद्द करने से इन्डियन एयरलाइन्स के एजेंटों का कार्य दुगना हो जाता है तो क्या इन्डियन एयरलाइन्स अपने एजेंटों को टिकट रद्द करने के शुल्क का कुछ भाग देने पर विचार कर रही है ;

(घ) इन्डियन एयरलाइन्स को सीधे ग्राहकों, सरकारी विभागों और यात्रा एजेंटों से, अलग-अलग 60 दिन से अधिक की कितनी बकाया राशि वसूल करनी है; और

(ङ) क्या गत तीन वर्षों में भारत के यात्रा एजेन्ट संघ के किसी सदस्य द्वारा एयर इन्डिया को धन का भुगतान नहीं करने का कोई मामला आया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क)

	*सीधी बुकिंग (प्रतिशत)	अभिकर्त्ताओं द्वारा की गई बुकिंग (प्रतिशत)
(i) दिल्ली	43·31	56·69
(ii) बम्बई	37·87	62·13
(iii) कलकत्ता	52·36	47·64
(iv) मद्रास	58·15	41·85
कुल	45·01	55·99

*इसमें सरकारी बुकिंग भी शामिल हैं जिसके कि अलग ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) इन्डियन एयरलाइन्स के पद्धतिवार टिकट देने तथा आरक्षण पर व्यय की लागत के अनुपात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये कार्य वाणिज्यिक विभाग के कार्यकलापों के एक भाग के रूप में ही किये जाते हैं।

(ग) वर्ष 1969-70 के दौरान टिकट रद्द करने के शुल्क के रूप में 34·72 लाख रुपये लिये गये। इस शुल्क को बुकिंग अभिकर्त्ताओं के साथ बाँटने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

भारत में युवक होस्टलों की स्थापना

3558. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में 9 युवक होस्टलों की स्थापना करने के लिये योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो ये होस्टल कहां खोले जायेंगे ;

(ग) इन होस्टलों को स्थापित करने पर कुल कितना व्यय आयेगा; और

(घ) यह कार्य कब आरम्भ होगा तथा कब तक पूरा हो जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जयपुर, औरङ्गाबाद, मद्रास, त्रिवेन्द्रम, हाम्पी, पटनी टाप (जम्मू व काश्मीर), और दार्जिलिंग जिले, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में चुने जाने वाले स्थानों में।

(ग) लगभग 22 लाख रुपये।

(घ) निर्माण कार्य इस वर्ष प्रारम्भ कर दिया जायेगा तथा 1972 के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

तेलंगाना के सम्बन्ध में बातचीत

3559. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 17 जुलाई, 1970 या उसके आस-पास हैदराबाद में तेलंगाना के नेताओं से बातचीत करने के सम्बन्ध में प्रधान-मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य और आश्वासन के संदर्भ में क्या सरकार तेलंगाना की समस्या के हल के लिए वहाँ के नेताओं के साथ दिल्ली में आगे बात-चीत करने के लिए कोई बैठक बुलाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी बैठक कब और कहाँ बुलाई जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) : 17 जुलाई को हैदराबाद में प्रधान मन्त्री ने कहा था कि वे तेलंगाना समस्याओं पर तेलंगाना नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के लिये हमेशा तैयार हैं। प्रायः वे तेलंगाना को जनता के प्रतिनिधियों से मिलती रही हैं। इन नेताओं के किसी औपचारिक सम्मेलन के लिये विचार नहीं किया जा रहा है।

भूतपूर्व भारतीय रियासतों के नरेशों का देहान्त

3560. **श्री जुल्फिकार अली खाँ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1970 के बाद भारत के कितने भूतपूर्व नरेशों का देहान्त हुआ है ;

(ख) क्या उनके सभी उत्तराधिकारियों को सरकार ने औपचारिक तौर पर मान्यता दी है; और

(ग) यह नहीं, तो उनमें से कितने उत्तराधिकारियों को अब तक मान्यता नहीं दी गई है ; और उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क), (ख) तथा (ग) : पहली अप्रैल, 1970 के बाद भूतपूर्व भारतीय रियासतों के सात नरेशों का देहान्त हुआ। चार मामलों में संविधान के अनुच्छेद 356 (22) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उत्तराधिकारियों को मान्यता दे दी गई है। शेष तीन मामले विचाराधीन हैं।

भोपाल की नवाब बेगम पर मुकदमा करने की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र

3561. **श्री जुल्फिकार अली खाँ** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल की वरिष्ठ दोआपुर बेगम ने निजी संपत्ति के मामले में भोपाल को नवाब बेगम पर मुकदमा करने के लिये अनुमति के लिये सरकार को प्रार्थना पत्र भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने अनुमति के लिये कब प्रार्थना पत्र दिया था ;

(ग) क्या अनुमति दो गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

गृह कार्य मन्त्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री(श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) : भोपाल की वरिष्ठ दौवागर बेगम और नवाब-

जादी रबिया सुल्तान बेगम का आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार को दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 87 ख के अन्तर्गत भोपाल के नवाब पर मुकदमा चलाने की अनुमति के लिये 5 मार्च, 1970 को प्राप्त हुआ था। मामला सरकार के विचाराधीन है।

भोपाल को नवाब बेगम पर मुकदमा करने की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र

3562. **श्री लताफत अली खां** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल की नवाबजादी रवोहा सुल्तान बेगम ने निजी संपत्ति के मामले में भोपाल की नवाब बेगम पर मुकदमा करने की अनुमति के लिए सरकार को प्रार्थना पत्र भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कब अनुमति माँगी थी ;

(ग) क्या अनुमति दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) : भोपाल की नवाबजादी रजिया सुल्तान बेगम और वरिष्ठ दोवागर बेगम का आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार को दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा ख 87 के अन्तर्गत भोपाल के नवाब पर मुकदमा चलाने की अनुमति के लिये 5 मार्च, 1970 को प्राप्त हुआ था। मामला सरकार के विचाराधीन है।

Changes in the Constitution under changed Political Situation

3563. **Shri Om Prakash Tyagi** : **Shri Onkar Lal Berwa** :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government feel thaet in the present changed political situation in the country, it has become essential to make alterations and additions in and to amplify several Articles of the Constitution of India with a view to maintaining the democratic character, law and order and security of the country ;

(b) if so, the steps taken by Government in this direction ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri R. N. Mirdha) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The provisions of the Constitution are adequate for these purposes.

विश्वभारतीय विश्वविद्यालय में कार्यकारिणी और विद्या परिषद में मतभेद

3564. **श्री धीरेश्वर कलिता** : **श्री रामावतार शास्त्री** :
श्री वासुदेवन नायर : **श्री सरजू पाण्डेय** :
श्री क० मि० मधुकर :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वभारतीय विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद और विद्या परिषद के बीच कार्यकारी परिषद के गठन के संबंध में मतभेद हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं, विद्या परिषद का कार्यकारी परिषद के गठन के मामले में, कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-कानूनी तौर पर भूमि पर कब्जे को रोकने के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता

3565. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साम्यवादियों द्वारा भूमि पर जबर्दस्ती कब्जे के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार क्या सहायता देगी ताकि इस आन्दोलन को रोका जा सके;

(ख) क्या सरकार इस आन्दोलन के विरुद्ध कोई कहे पैमाने पर अभियान चलायेगी और जनसाधारण को इस बारे में जानकारी देगी; और यदि हां, तो कब और कैसे और यदि नहीं तो क्या पुलिस और सेना इसका मुकाबला करेगी; और

(ग) क्या सरकार संसद में राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करने के लिए कार्यवाही करेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क), (ख) और (ग) : राज्य सरकार उचित सतर्कता बनाये हुए हैं और स्थिति से निपटने के लिए उपयुक्त कदम उठा रही है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ऐसी सहायता प्रदान करती है जिसकी मांग की जाती है। सरकार पहले ही भूमि सुधार के कारगर और शीघ्र कार्यान्वयन के कार्यक्रम के लिए वचनबद्ध है जिसमें समुदाय के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देते हुए भूमि हीनों को फालतू जमीन की सीमा, आबंटन से संबंधित कानूनों को लागू करना तथा पट्टेदारी की रक्षा, उचित किराया इत्यादि के सम्बन्ध में वर्तमान कानूनी उपबन्धों को सशक्त करना शामिल है। सरकार प्राथमिकता के आधार पर भूमि सुधार को कार्यान्वित करने में सर्वथा सभी राजनैतिक दलों का सहयोग चाहती है।

Reported Statement by a Minister of State that Muslim League is not a Communal Organisation

3566. **Shri Om Prakash Tyagi** :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Ram Avatar Sharma :
Shri Yashwant Singh Kushwah :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a senior Union Minister of State has issued a statement that the Muslim League is not a Communal organisation ;

(b) the name of the Minister concerned and whether Government also consider the Muslim League a nationalist organisation ; and

(c) if so, the reaction of the Government of India in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri R. N. Mirdha) : **(a) and (b)** : Government have seen a newsitem in the Hindustan Times of July 9, 1970, under the caption "Nothing communal in League : Khadilkar". Subsequently, Shri R. K. Khadilkar, issued a clarification which appeared in 'Lok Sabha' (a Marathi paper) of July 20, 1970, stating that he had never advocated that Muslim League was not a communal organisation. He had only stated that the features of the Muslim League in South India are some what different.

(c) Does not arise.

भारतीय सांख्यिकीय सेवा में पदोन्नतियां

3567. **श्री बाल्मीकी चौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकीय सेवा के चतुर्थ वर्ग में पदोन्नति के लिये मान्य पदों की वरीयता सूची गृह-कार्य मंत्रालय के सिद्धान्तों पर बनाई जाती है और यह सिद्धान्त भारतीय सांख्यिकीय सेवा के उन उन कुछ व्यक्तियों को, जिनके नाम चतुर्थ वर्ग की पोषक सूची में हैं, होने वाली हानि अथवा लाभ के कारण नहीं बदले जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो नेशनल सैम्पल सर्वे के अधीक्षकों की वरीयता के निर्धारित सिद्धान्तों को परिवर्तित करने हेतु कुछ सम्बद्ध व्यक्तियों के मामलों पर विचार करने के लिये सांख्यिकीय विभाग के सतत् प्रयासों पर गृह-कार्य मंत्रालय ने क्यों विचार किया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) भारतीय सांख्यिकीय सेवा के चतुर्थ वर्ग में पदोन्नति के लिए मान्य पदों में आसीन पात्र व्यक्तियों की सूची संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श में भारतीय सांख्यिकीय सेवा के संवर्ग प्राधिकारी (इस मामले में गृह मंत्रालय) द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर तैयार की जाती है, और ये सिद्धान्त सम्बन्धित व्यक्तियों को होने वाली हानि अथवा लाभ के आधार पर बदले नहीं जायेंगे । किन्तु, संवर्ग प्राधिकारी किसी विभाग में काम करने वाले गैर-संवर्ग अधिकारियों की परस्पर वरीयता के सिद्धान्तों के लिए उत्तरदायी नहीं है, चूंकि यह उस विभाग का विषय है ।

(ख) नेशनल सैम्पल सर्वे के अधीक्षकों की परस्पर वरीयता के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय सांख्यिकी विभाग द्वारा किया जाना है न कि गृह-मंत्रालय द्वारा । किन्तु, नेशनल सैम्पल सर्वे के अधीक्षकों की परस्पर वरीयता के निर्धारण में अपनाये गये सिद्धान्तों के बारे में गृह मंत्रालय से सलाहकार की हैसियत से परामर्श किया गया है तथा सांख्यिकीय विभाग द्वारा भेजा गया पत्र इस समय गृह मंत्रालय के विचाराधीन है ।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा में पदोन्नतियां

3568. **श्री बाल्मीकी चौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांख्यिकीय सेवा का गठन नबम्बर, 1961 में हुआ था; और तभी से आज तक भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड 4 के लिये पदोन्नतियों के बारे में कोई राजपत्र अधिसूचना नहीं निकली है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय सांख्यिकीय सेवा के चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों पर जो निरन्तर कई वर्षों से बने हुए हैं; लोक सेवा आयोग की सलाह से विभागीय पदोन्नति सम्बन्धी समिति द्वारा चयन-सूची अथवा तालिका के आधार पर पदोन्नतियां की जाती हैं; और

(ग) भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड 4 के कर्मचारियों की संस्था कितनी है ग्रेड 4 के कितने व्यक्तियों को नियमित नहीं किया गया है और उनके कब तक नियमित किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) यह सच है कि भारतीय सांख्यिकीय सेवा का गठन नवम्बर, 1961 में किया गया था। तब से भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-4 में 17 व्यक्तियों की पदोन्नति की गई है और उनकी नियुक्तियां राजपत्र में अधिसूचित की जा रही हैं।

(ख) भारतीय सांख्यिकीय सेवा की नियमित ग्रेड-4 की रिक्तियों में पदोन्नति संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके बनाई गई चयन सूची के आधार पर की जाती है। इस सेवा के ग्रेड 4 की अस्थाई रिक्तियों में तदर्थ पदोन्नति भी उसी चयन सूची के आधार पर की जाती है। जब वह चयन सूची समाप्त हो जाती है तो पदोन्नति विभागीय नियंत्रण अधिकारी द्वारा बनाई गई सूचियों के आधार पर की जाती हैं।

(ग) भारतीय सांख्यिकीय सेवा-ग्रेड 4 के पदों की संख्या। 74 अवकाश, प्रतिनियुक्त और प्रशिक्षण रिजर्व पदों सहित 254 है। इनमें से 13 पद रिक्त हैं और 74 रिजर्व पदों को भरा नहीं गया है। शेष में से 105 व्यक्ति, जो तदर्थ आधार पर इन पदों को धारण किये हैं, नियमित नहीं किए गये हैं। यह इसलिये है कि उनमें से अधिकांश उन रिक्तियों में हैं जो सीधे भर्ती के कोटे में जाती है और उन्हें क्रमावस्था के आधार पर भरा जा रहा है। जब सीधी भर्ती की नियुक्तियां हो जायेंगी तो ऐसे पदों पर तदर्थ पदोन्नति से आए हुए व्यक्ति प्रत्यावर्तित हो जायेंगे। पदोन्नति कोटा में आने वाली रिक्तियों के धारण करने वाले तदर्थ पदोन्नति व्यक्ति सेवा के संवर्ग के ढांचे के पुनरीक्षण के पश्चात्, जो विचाराधीन हैं नियमित कर दिये जायेंगे।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से सम्बद्ध स्कूलों और संस्थाओं को सहायता तथा अनुदान

3569. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री गणेश घोष :
श्री ई० के० नायनार :
श्री क० अनिरुद्धन :
श्री के० रमानी :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन संस्थाओं और स्कूलों को सभी प्रकार की सहायता और अनुदान बन्द करने का है, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से सम्बद्ध है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : सरकार की आम नीति यह है कि ऐसे साम्प्रदायिक संगठनों को कई सहायक अनुदान नहीं दिया जाना चाहिये, जिनकी गतिविधियां साम्प्रदायिक सौहार्द को बनाये रखने के प्रतिकूल हों।

साम्प्रदायिक संगठनों की गतिविधियों से निपटने के लिये विधान के अधिनियमन का प्रश्न विचाराधीन है और इसलिये, ऐसे साम्प्रदायिक संगठनों से सम्बन्ध रखने वाली शैक्षिक संस्थाओं को सहायता देने के प्रश्न की भी, निकट भविष्य में भली भांति जांच की जानी है।

"संसदीय लोकतंत्र में न्यायपालिका का योगदान" पर विचार गोष्ठी

3570. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'संसदीय लोकतन्त्र में न्यायपालिक का योगदान' पर हाल ही में हुई विचार गोष्ठी में क्या यह सुझाव दिया गया था कि एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की कार्यपालिका तथा विधानपालिका की अधिक सत्ता ग्रहण करने की प्रवृति से रक्षा कर सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : सरकार ने 4-7-1970 को नई दिल्ली में हुई 'संसदीय लोकतंत्र में न्यायपालिका का योगदान' पर हुई विचार गोष्ठी के बारे में समाचार देखा है। बताया जाता है कि गोष्ठी में व्यक्ति विचारों में से एक यह था कि संसदीय लोकतंत्र में न्यायपालिका को सत्तारूढ़ सरकार की नीतियों का प्रतिपादन नहीं करना चाहिए।

सरकार का विचार है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए।

बृहदेश्वर के मन्दिर तंजाबूर में राजराज चोला की प्रतिमा स्थापित करना

3571. **श्री नंजा गांडर** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 शताब्दी पूर्व राज राज चोला द्वारा बनाये गये बृहदीश्वर मन्दिर के प्रांगण में उनकी प्रतिमा की प्रस्तावित स्थापना के विषय में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री से हस्तक्षेप करने का कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) मराठा तोरन के लगभग बाहर प्रवेश द्वार के बाईं ओर मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश में आजाद हिन्दी फौज के सैनिकों को पेन्शन

3572. **श्री हेमराज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने आजाद हिन्दी फौज के सैनिकों को पेंशन देना मंजूर कर लिया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनको यह सुविधा देने से इन्कार कर दिया है तथा आजाद हिन्दी फौज के सैनिकों ने अपनी मांगों के लिये आन्दोलन करने का निर्णय कर लिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) : हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसेन और डा० राजेन्द्र प्रसाद के स्मारक

3573. **श्री बाबूराम पटेल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने स्वर्गीय डा० जाकिर हुसैन की याद बनाये रखने के लिये एक स्मारक बनाने हेतु 55 लाख रुपए नियत किये है ;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होगा और इसका डिजाइन बनाने वाले वास्तुशिल्पी का नाम क्या है ;

(ग) क्या इसी प्रकार स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद की याद बनाये रखने के लिए एक स्मारक बनाने हेतु प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) **और (ख)** : पदावसोन होते हुए जिनका देहावसान हुआ है उनमें डा० जाकिर हुसेन भारतीय राज्य के पहले प्रमुख थे । स्वर्गीय राष्ट्रपति की स्मृति को अक्षुण्य बनाने के लिए एक उपयुक्त स्मारक की स्थापना के बनाने के काम के लिए उनकी मृत्यु के तत्काल बाद ही डा० जाकिर हुसेन समिति गठित की गई थी जिसके संरक्षक राष्ट्रपति और अध्यक्ष प्रधान मंत्री हैं ।

समिति की सिफारिशों को मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा गया था । यह निर्णय किया गया है कि कब्र के स्थान पर एक उपयुक्त स्मारक का निर्माण किया जाए । नक्शे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के श्री एच० रहमान और श्री जै० स्टैन द्वारा तैयार किये गए । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अन्तिम और विस्तृत नक्शों तथा प्राक्कलनों की प्रतीक्षा है । इनकी जांच और अनुमोदन हो जाने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा । छः लाख रुपए की लागत का अन्दाज है ।

(ग) और (घ) : ऐसे स्मारक के निर्माण के लिए कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

Large-Scale Conversion of Tribals to Christianity

3574. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a memorandum has been submitted to the Prime Minister by Members of Parliament to the effect that large-scale conversion of tribals to charistianity, which is taking place at present, should be stopped ; and

(b) if so, the details there of and the numberof Members of Parliament who have signed the memorandum and the reaction of the Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri R. N. Mirdha) : (a) No such memorandum seems to have been received.

(b) Does not arise.

कलकत्ता में नक्सलवादियों के आक्रमणों से विदेशी दूतावासों की सुरक्षा

3575. **श्री वे० प्रभात** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 जुलाई, 1970 को नक्सलवादियों ने कलकत्ता में फोर्ड फाउन्डेशन के कार्यालय पर आक्रमण किया था; यदि हां तो उन्होंने कितना नुकसान किया, इस सम्बन्ध में पकड़े गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है, इस आक्रमण का उद्देश्य क्या था ; और

(ख) देश में तथा विशेषकर कलकत्ता में स्थित विदेशी मिशनों और एजेंसियों को नक्सलवादियों के आक्रमणों से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 20 जुलाई, 1970 को कलकत्ता के पार्क स्ट्रीट पुलिस थाने के क्षेत्र में फोर्ड फाउण्डेशन के कार्यालय में लगभग 10112 नक्सलवादी घुस गये, उन्होंने पटाखे चलाये, टेलीफोन लाइन, फूलदानों और कार्यालय के कुछ कागजों को क्षति पहुँचाई । घटना की जांच के बारे में तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने इस दिशा में कुछ समुचित प्रबन्ध किये हैं । अन्य राज्य सरकारें भी पूरी तरह निगरानी रख रही हैं और नक्सलवादियों और अन्य समान उग्रवादियों के दलों को कुचलने के लिए निरोधात्मक तथा दण्डात्मक कार्यवाही कर रही है ।

एक ब्रिटिश पत्रकार की पत्नी श्रीमती आरडेन के पारपत्र का पृष्ठांकन

3576. **श्री जे० के० चौधरी** :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री स० कुन्दू :
श्री वी० नरसिम्हा राव
श्री वेंकटास्वामी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालय ने संघ सरकार के पारपत्र विभाग द्वारा श्रीमती आरडेन के पारपत्र पर उसकी अवधि समाप्त होने के बाद भी पृष्ठांकन करने पर उसकी आलोचना की है तथा उसके खिलाफ इस मामले का निर्णय शिलांग में हुआ और उसे नियमों का उल्लंघन करके आसाम की

प्रतिबंधित क्षेत्र में आने के लिये दोषी पाया गया, तथा परिणामस्वरूप उसे जेल की सजा दी गई ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : न्यायालय ने अपने फैसले में निम्नलिखित बात कही है :-"मैंने देखा है कि उसके पारपत्र पर उसकी अवधि समाप्त होने के बाद भी कई पृष्ठांकन किये गये हैं। एक दस्तावेज पर जो प्रथम दृष्टया अवैध हो ऐसे पृष्ठांकन करना अत्यधिक आपत्तिजनक है और सरकार अपने पारपत्र विभाग में भविष्य में ऐसी बातों को रोकने के लिए उचित कार्यवाही कर सकती है।"

श्रीमती आरडेन एक आइरिश नागरिक, 26 अप्रैल, 1970 को नैपाल, जाते हुए रक्सौल पड़ताल चौकी से गुजरीं। उनके पारपत्र की जांच की गई और पाया गया कि उसकी अवधि 19 फरवरी, 1970 को समाप्त हो गई थी। उनको काठमांडू में स्थित अपने दूतावास द्वारा उसकी नवीकरण कराने की सलाह दी गई। 4 मई, 1970 को वे भारत में प्रवेश करने के लिए पुन: रक्सौल पड़ताल चौकी पर आईं। चौकी के प्राधिकारियों ने पाया कि उनका पारपत्र नवीकृत नहीं हुआ है। यह पूछने पर कि उन्होंने उसका नवीकरण क्यों नहीं कराया तो उनके पति ने बताया कि नैपाल में कोई आइरिश दूतावास कार्य नहीं कर रहा है। उनकी प्रार्थना पर उन्हें प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई ताकि वे दिल्ली जा सके जहां श्रीमती आरडेन अपने पारपत्र का नवीकरण करा सकें। किन्तु वे सड़क से गौहाटी होते हुए सीधे शिलांग चले गए।

पारपत्र पर हुए पृष्ठांकनों का सम्बन्ध निर्गम और प्रवेश से था।

अनधिकृत आकाशवाणी केन्द्रों का संचालन

3577. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कुछ अनधिकृत आकाशवाणी केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार को ऐसे किसी गैर-सरकारी रेडियो स्टेशन की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

निकोबार की वाणिज्यिक कम्पनियों की व्यापारिक गतिविधियों को विनियमित करने वाली शक्तियां

3578. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी जातियों के संरक्षण विनिमय

के उपबन्धों के अन्तर्गत सरकार को निकोबार की वाणिज्य कम्पनी की व्यापारिक गतिविधियों को विनियमित करने का कोई अधिकार नहीं है ;

(ख) क्या पहले वाले गैर जनजातीय एकाधिकारवादी अब भी निकोबार के व्यक्तियों का शोषण कर रहे हैं क्योंकि वे ही अभी तक निकोबार की वाणिज्यिक कम्पनियों के एजेंटों के रूप में कलकत्ता में उनका खोपरा तथा सुपारियों का व्यापार संभाले हुए हैं; और

(ग) निकोबार द्वीप समूह में जन-जातीय व्यक्तियों के आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिये जो कि आदिवासी जाति संरक्षण विनियमन का, जिसके अन्तर्गत निकोबार द्वीप समूह में मुक्त व्यापार पर प्रतिबन्ध है; प्रमुख उद्देश्य था, सरकार का ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) निकोबार वाणिज्य कम्पनी एक नितान्त आदिवासी जाति से संबंधित है और इसलिये अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह (आदिम जाति संरक्षण) विनियम 1956 के अन्तर्गत अण्डमान और निकोबार प्रशासन को इनकी गतिविधियों को नियमित करने का अधिकार नहीं है ।

(ख) भूतपूर्व लाइसेंसधारी स्वयं कलकत्ता में निकोबार वाणिज्य कम्पनी के प्रतिनिधि नहीं हैं। फिर भी निकोबार वाणिज्य कम्पनी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में एक भूतपूर्व लाइसेंसधारी को कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी के सभी प्रतिनिधियों को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है ।

(ग) भूतपूर्व लाइसेंसधारियों ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह (आदिम जाति संस्थाण) विनियम 1956 के उपबन्धों को कलकत्ता उच्चान्यायालय में चुनौती दी है और मामला अभी निर्णयाधीन है । प्रतिवाद के लिए सरकार रिट-याचिका दे रही है ।

पंजाब की परिसम्पत्ति वितरण के सम्बन्ध में दावे और प्रति दावे

3579. **श्री हेमराज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब/हरियाणा तथा संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और चन्डीगढ़ के अधिकारियों की कोई बैठक चन्डीगढ़ में हुई जिसमें इन क्षेत्रों की परिसम्पत्ति जो कि मिश्रित है और जुलाई के अन्त तक गृह-कार्य मंत्रालय के उपक्रम द्वारा जिसका वितरण किया जाना आवश्यक है, से सम्बन्धित दावों और प्रतिदावों पर निर्णय किया गया; और

(ख) यदि हां, तो दावों का विवरण क्या है; बैठक में किन किन मामलों पर विचार किया गया और क्या निर्णय लिये गये और केन्द्र सरकार ने उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) उन विषयों का संबंध जिनपर विचार विमर्श हुआ अविभाजित पंजाब राज्य के कुछ विभागों की परिसम्पति, इत्यादि से था । विचार किए गये कुछ मामलों में वास्तविक स्थिति का

पता लगाना और कुछ अन्य मामलों में विभिन्न उत्तराधिकारी राज्यों के दृष्टिकोणों में तालमेल करने का प्रयत्न करना था। विचार किए गये 33 मामलों में 12 पर असहमति होने की सूचना है और सरकार, यह निश्चय करने के लिए कि क्या पहले किये गये आबंटनों में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है, इन मामलों की जांच कर रही है। शेष मामले या तो निपटा दिये गये हैं या वास्तविक ब्यौरों की जांच करने के बाद आगे विचार-विमर्श के लिए छोड़ दिये गये।

दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष का त्यागपत्र

3580. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के प्रोफेसर नगेन्द्र ने विभाग के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है :

(ख) क्या यह भी सच है कि वह परीक्षा की प्राप्तांक सूचियों में फेर बदल करते हुए पकड़े गये थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय उनके विरुद्ध आगे और कोई कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विचार कर रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ) : प्रो० नगेन्द्र एम० लिट० की हिन्दी की परीक्षा में शोध निबन्ध पर परिनिर्णयों को अनुकूल तथा अन्तिम रूप देने वाली समिति के अध्यक्ष थे और इस समिति ने कुछ अनियमितायें की थी। इस मामले की जांच करने के लिए कुलपति ने एक समिति नियुक्त की थीं। इस जांच समिति के निष्कर्ष तथा सिफारिशें प्रो० नगेन्द्र को बता दी गई थीं जिन्होंने हिन्दी विभाग के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना ही बेहतर समझा। उनका त्यागपत्र कार्यकारी परिषद द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तथापि वे विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर बने रहेंगे। जैसा कि ऐसे मामलों में प्रचलित है, जब भी निरीक्षक विश्वविद्यालय के नियमों व विनियमों के पालन करने में असफल रहे, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने यह निर्णय किया है कि संबंधित अनुकूलन समिति के सदस्यों को कुछ समय के लिये निरीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा।

विधान मंडलों में दल बदल के बारे में विधान

3581. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : **श्री मृत्युंजय प्रसाद** :
डा० सुशीला नैयर : **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** :
श्री एस० एम० कृष्ण : **श्री न० रा० देवघरे** :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दल बदल सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार लोक सभा के चालू सत्र में इस बारे में एक विधेयक प्रस्तुत करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) जी हाँ, श्रीमान् । विधेयकों के वास्तव में पुरःस्थापित किये जाने से पूर्व संसद में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ विधायी प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने का विचार है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भूतपूर्व मन्त्रियों के विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में बिहार सरकार को महान्यायवादी की सलाह

3582. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महा-न्यायवादी ने बिहार सरकार की अय्यर आयोग की प्रतिवेदन के आधार पर भूतपूर्व कांग्रेसी मन्त्रियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही न करने की सलाह दी है ;

(ख) राज्य सरकार को केन्द्र से सलाह लेने की क्या आवश्यकता थी ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने सलाह के अनुसार कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार महा-न्यायवादी द्वारा बिहार सरकार को दी गई सलाह की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ।

प्रधान मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) : राज्य सरकार ने मामले पर महान्यायवादी से कुछ कानूनी पहलुओं पर सलाह पूछी है । उन्होंने केन्द्रीय सरकार की सलाह नहीं मांगी थी । बिहार सरकार ने बताया है कि महान्यायवादी की सम्मति चूंकि एक गोपनीय दस्तावेज है अतः उन्होंने उसकी प्रतिलिपि राज्य विधान मन्डल के पटल पर रखना अस्वीकार कर दिया है । उन्हीं कारणों से और क्योंकि राज्य सरकार प्राथमिक रूप से मामले से संबन्धित होने के कारण केन्द्रीय सरकार का उस दस्तावेज की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखने या उसके तथ्य प्रकट करने का विचार नहीं है ।

(ग) राज्य सरकार ने केन्द्रीय जाँच ब्यूरो से अय्यर आयोग की रिपोर्ट में प्रकट किये गये कुछ तथा कथित अपराधों की जांच-पड़ताल करने के लिये कहा है ।

महिलाओं को प्रशासनिक दायित्व सौंपने के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री का सुझाव

3583. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने केन्द्र सरकार को दिये गये अपने सुझाव में कहा है कि महिला अधिकारियों को प्रशासनिक दायित्व नहीं सौंपा जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे सुझाव के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने इस विषय पर केन्द्रीय सरकार को कोई पत्र नहीं लिखा है किन्तु राज्य सरकार से उत्तर प्रदेश के संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारियों को नियुक्त न करने का अनुरोध किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नेशनल लेबोरेटरियों के कार्य के बारे में प्रशासन सुधार आयोग का प्रतिवेदन

3584. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री नारायणन :
श्री दण्डपाणि :
श्री मयावन :
श्री कोलाई बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासन सुधार आयोग ने सरकार के समक्ष नेशनल लेबोरेटरियों के कार्य के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) किन-किन लेबोरेटरियों की जांच कर ली गई है ; और

(घ) कितनी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वैज्ञानिक विभागों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में, जिसकी सिफारिशों का केवल सारांश प्राप्त हुआ है, अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का भी उल्लेख है ।

(ख) तथा (ग) : 31-7-70 को अतारांकित प्रश्न सं० 925 के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके साथ वैज्ञानिक विभागों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों का सारांश सदन के पटल पर रखा गया था ।

(घ) सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

कूच बिहार में मनशाई नदी पर पुल का बनाया जाना

3585. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने कूच बिहार जिले में मनशाई नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में कोई योजना भारत सरकार को भेजी है तथा वित्तीय सहायता की मांग की है ;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्र से इस क्षेत्र के आर्थिक तथा प्रतिरक्षात्मक महत्व को ध्यान में रखकर इस योजना पर विचार करने के लिये कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो पश्चिमी बङ्गाल सरकार के प्रस्तावों का विवरण क्या है और भारत सरकार शीघ्र से शीघ्र कब तक इस योजना को क्रियान्वित करेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) : कूच बिहार जिले में प्रस्तावित पुल राज्य सड़क पर पड़ता है। अतः पश्चिम बंगाल सरकार इससे संबन्धित है। अभी हाल में उन्होंने इसके लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता क लिए कोई प्रार्थना नहीं की है। परन्तु जून 1968 में पुल जिसकी अनुमानित लागत 90 लाख रुपये है उसकी 50 प्रतिशत लागत सहायता अनुदान के तौर पर वहन करने के लिए भारत सरकार से प्रार्थना की थी यह इस आधार पर कि प्रशासन के आदश्यकताओं के लिए तथा वस्तुओं के शीघ्र आवागमन के लिए पुल की उपयोगिता के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के सन्निकट होने की दृष्टि से रक्षा तथा सीमा सुरक्षा प्रयोजन के लिए इसकी बड़ी उपयोगिता है। प्रस्ताव पर विचार किया गया और राज्य सरकार को सूचित किया गया कि यह राज्य की चौथी योजना के भाग के रूप में लिया जाय।

राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमिपतियों द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा करना

3586. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री क० मि० मधुकर :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगानगर जिले के राजस्थान नहर क्षेत्र में बड़े बड़े भूमिपतियों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों ने 50,000 एकड़ भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन अवैध कब्जा करने वालों से भूमि खाली कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने वाली परिस्थितियों के विषय में जानकारी करने के लिये आयोग की स्थापना के कारण

3587. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन परिस्थितियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए, जिनमें नेताजी सुभाष चन्द्र बोस लापता हुए एक सदस्यीय आयोग की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो जब पहले नियुक्त किये गये आयोग ने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं तो फिर से एक आयोग की स्थापना करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या पहले आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी पर्याप्त नहीं थी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) : यद्यपि शाहनवाज समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एक वायुयान दुर्घटना में मारे गये, किन्तु जनता में एक व्यापक धारणा रही है कि नेताजी की मृत्यु के बारे में सच्चाई की जानकारी को समस्या अभी बनी हुई है । चूंकि इस मामले में आगे जाँच-पड़ताल के लिए निरंतर मांग होती रही है, अतः केन्द्रीय सरकार ने वर्तमान आयोग की नियुक्ति की है ।

प्रधान मन्त्री पर घातक प्रहार करने का षडयन्त्र

3588. **श्री मृत्युंजय प्रसाद :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बङ्गाल स्थित पुरुलिया तथा चान्दनी चौक, दिल्ली में प्रधान मन्त्री पर घातक प्रहार करने के प्रयत्न किये गये ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, जहां से ये व्यक्ति पकड़े गये उन स्थानों के नाम क्या थे, उनमें से कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) ऐसे कुकृत्यों में किसी राजनैतिक दल का हाथ होने के बारे में क्या कोई प्रमाण मिला है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) से (ग) : जी नहीं, श्रीमान् । फिर भी, प्रधान मन्त्री को मिलने के लिए प्रतीक्षा करने वाली भीड़ में से कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुरुलिया के सर्कट हाउस के बाहर पथराव किया जहाँ 19 जून, 1970 को प्रधान मन्त्री ठहरी हुई थीं ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन मान

3589. **श्री एस० के० सम्बन्धन :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वर्तमान वेतन मान क्या हैं ;

(ख) ये वेतन मान कब निर्धारित किये गये थे ;

(ग) क्या उनमें परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और कैसे ?

प्रधान मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) : उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति 4,000 रुपये प्रतिमाह वेतन और अन्य न्यायाधीश 3,500 रुपये प्रतिमाह वेतन के हकदार हैं । ये वेतन संविधान के लागू होने पर निर्धारित किये गए थे और संविधान की द्वितोय अनुसूचि के भाग घ में विहित है ।

(ग) तथा (घ) : इस समय वेतनों में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है ।

भूमि हथियाओ आन्दोलन के अन्तर्गत पश्चिम बङ्गाल में राजनीतिक दलों द्वारा गैर कानूनी तौर पर धन एकत्र करना

3590. **श्री समर गुह : क्या गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जुलाई, 1970 के "स्टेटमैन" के कलकत्ता संस्करण में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि मार्क्सिस्ट साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल तथा अन्य सम्बद्ध दलों ने पश्चिम बंगाल में अपने भूमि हथियाओ आन्दोलन के दौरान किसानों से लगभग दो करोड़ रुपया एकत्र किया है ;

(ख) क्या किसानों से इस प्रकार धन एकत्र करने से राज्य द्वारा भूराजस्व की वसूली पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(ग) क्या सरकार इस मामले में जांच करेगी और पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन काल में तथा उसके बाद राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न ग्रामीण तथा नगरीय बैंकों में जमा करायी जाने वाली राशियों का पता चलायेगी ; और

(घ) क्या सरकार कृषकों से कहेगी कि वे भूस्वामियों को साझीदारों से मिलने वाला हिस्सा राजनीतिक दलों को न दें ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) तक : राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

जम्मू तथा काश्मीर में सीमा सुरक्षा दल की चौकियां

3591. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युद्ध-विराम रेखा तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थापित सीमा सुरक्षा दल की चौकियां एक दूसरे से बहुत दूरी पर हैं जिससे पाकिस्तानियों को जम्मू तथा काश्मीर प्रदेश में घुसपैठ करने में सहायता मिलती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : युद्ध विराम रेखा पर अपनी ओर सीमा सुरक्षा दलों की तैनाती हमारी समूची सुरक्षा योजनाओं के अनुसार है और युद्ध के विचार से उपयोगी भूमी तथा घुसपैठ के सम्भव केन्द्रों आदि को ध्यान में रखा गया है ।

सड़क विंग में प्रथम श्रेणी के तकनीकी अधिकारियों की वरिष्ठता सूची

3592. **श्री पीलू मोदी : क्या नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सड़क विंग में कार्य कर रहे प्रथम श्रेणी के तकनीकी अधिकारियों में वरिष्ठता सूची तैयार करने तथा उनकी नियुक्तियों को नियमित करने में विलम्ब के कारण बहुत अधिक असंतोष है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन नियुक्तियों को नियमित करने के बारे में कोलट समिति

ने केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) प्रथम श्रेणी भर्ती नियमों में संशोधन करने की सिफारिश की है तथा विधि मंत्रालय ने इस सिफारिश पर अपनी सहमति प्रकट कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके मंत्रालय का विचार इस मामले में गृह-कार्य मंत्रालय का मत जानने के लिए कब तक प्रतीक्षा करने का है ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) : सड़क पक्ष के प्रथम श्रेणी तकनीकी अधिकारियों का पारस्परिक वरिष्ठता का प्रश्न कुछ अधिकारियों के लिए असन्तोष का विषय रहा है । कालेट समिति, जो इस प्रश्न की जांच करने के लिए नियुक्त की गयी थी, ने केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़कें) प्रथम श्रेणी भर्ती नियमों का संशोधन करने के बावत सर्वसम्मत सिफारिश नहीं की है । इस प्रश्न की जांच गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की जा रही है । यथा संभव शीघ्र इस मामले का निर्णय करने के लिए हर प्रयत्न किया जा रहा है ।

दरभंगा होते हुए कलकत्ता से काठमांडू तक विमान मार्ग

3593. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स की सेवा को कलकत्ता से दरभंगा होते हुए काठमांडू तक बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं । अपने विमान-बेड़े की तंग स्थिति के कारण, इंडियन एयरलाइन्स इस समय अपनी सेवाओं के इस प्रकार के विस्तार पर विचार करने में असमर्थ है ।

अखिल भारतीय स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा स्थापित करने का विरोध

3594. **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री जी० वेंकटस्वामी :
श्री इसहाक सम्भली :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
डा० रानेन सेन :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री झारखण्डे राय :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने अखिल भारतीय स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा बनाने के प्रस्ताव का विरोध किया है ; और

(ख) क्या राज्यों के विरोध को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को समाप्त करने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) चूंकि सात राज्यों ने या तो इस सेवा में भाग न लेने के अपने निर्णय सूचित कर दिये हैं या भारतीय और स्वास्थ्य सेवा के गठन की आवश्यकता के बारे में अपने पहले के निर्णय पर पुनः विचार कर रहे हैं अतः भारत सरकार मामले पर आगे विचार कर रही है। कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्स) के नेतृत्व में पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले में किये गये प्रदर्शन पर आक्रमण

3595. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री गणेश घोष :
श्री ई० के० नायनार :
श्री नम्बियार :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले की भहाड़गा कालोनी में 12 मार्च, 1970 को भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्स) के नेतृत्व में किये गये प्रदर्शन पर बमों से आक्रमण किया गया था :

(ख) यदि हां, तो कुल कितने व्यक्ति घायल हुए ;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) : तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वस्थता दल में प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्तियों को उनके मूल कार्यालय में वापिस भेजना

3597. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 फरवरी, 1968 को यह निर्णय किया गया था कि राष्ट्रीय स्वस्थता दल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे व्यक्तियों को उनके मूल कार्यालयों में वापिस भेज दिया जाय और उनके रिक्त स्थानों को खर्चे में कमी करने हेतु विभागीय अभ्यार्थियों द्वारा भरा जाय ;

(ख) क्या इस निर्णय को पूरी तरह कार्यान्वित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) : 6 फरवरी, 1968 को निर्णय किया गया था कि एन० डी० एस० अनुदेशकों के राज्यों को विकेन्द्रो करण के उपलक्ष राष्ट्रीय फिटनस कोर के दायित्वों को कम करना आवश्यक समझा गया था और इस कार्य के लिए राष्ट्रीय फिटनस कोर में प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों को उनके मूल कार्यालय को यथाशीघ्र लौटा दिया जाय और इस प्रकार प्रतिनियुक्तियों से रहित हुए पदों को संगठन में पूर्व कार्य करते हुए उचित व्यक्तियों से भर दिया जाय। विशेष रूप से एन० डी० एस० अनुदेशकों के अभी तक आसन्न विकेन्द्रीयकरण न होने से उपरोक्त निर्णय को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया है।

एशियाई राजपथ के भारतीय भाग पर कार्य प्रगति

3598. **श्री रामावतार शस्त्री :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भाग के एशियन हाइवे का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कार्य को पूरा करने में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) : इकाफे की एशियाई राजमार्ग समन्वय समिति द्वारा 1965 में की गयी सिफारिशों का अनुकरण करते हुए संबद्ध देशों द्वारा सबसे पहले कुछ प्राथमिकता-रास्तों के विकास पर ध्यान केन्द्रीभूत किया जा रहा है जिससे 1970 तक सब एशियाई राजमार्ग देशों को एक पूर्व-पश्चिम राजमार्ग स्थापित करके जोड़ा जा सकें चाहे यह यदि आवश्यक हो तो, अनेक रास्तों को मिला कर करना पड़े। इस उद्देश्य के अनुकूल भारत ने इस पूर्व-पश्चिम राजमार्ग की व्यवस्था के लिए, प्राथमिकता-रास्ता ए-1 (अमृतसर के निकट भारत-पाकिस्तान सीमान्त से तामू के निकट भारत वर्मा सीमान्त तक) तैयार कर लिया है।

प्राथमिकता रास्ता 2 के तैयार होने तक, जो नेपाल में विकासाधीन है। वास्तव में इस ए-2 रास्ते के समान्तर भारत में एक सड़क मौजूद है साजिस में नेपाल में भारत की और पूर्वी और पश्चिमी सीमान्त में छोटी छोटी गायब कड़ियां है और आशा की जाती है कि नेपाल में इस एशियाई राजमार्ग के तैयार होने तक ये गायब कड़ियां तैयार हो जाएंगी भारत और श्री लंका के बीच की इन दोनों देशों की जोड़ने वाली एक सड़क है जिसमें नौभरण का प्रबन्ध है। एशियाई राजमार्ग तंत्री में शामिल भारत में पड़ने वाली अन्य सड़कों का विकास करने के लिए भी धन की उपलब्धता के अनुसार कदम उठाए जा रहे हैं।

दिल्ली में होटल उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का कार्यान्वयन

3599. **श्री रामावतार शास्त्री :** **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी बोर्ड की होटल उद्योग संबंधी सिफारिशों को नई दिल्ली स्थित अशोक, जनपथ, रणजीत तथा लोदी होटलों में पूरी तरह कार्यान्वित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां; तो इन होटलों में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वित से पूर्व विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये जो वेतन-मान तथा सेवा की अन्य शर्तें थीं उनका ब्यौरा क्या है; इन होटलों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए वास्तव में कार्यान्वित किये गये वेतनमान तथा अन्य सेवा की शर्तें क्या हैं ; और ऐसे नये वेतनमान तथा अन्य सेवा की शर्तें किस तारीख से कार्यान्वित की गईं ; और

(ग) इन होटलों में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित किये जाने के कारण विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को कुल कितनी बकाया राशि का भुगतान किया जाना है और क्या इन होटलों में कर्मचारियों को बकाया राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा०कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) अशो होटल तथा जनपथ ग्रुप के होटलों के बारे में वेज बोर्ड से पहले के वेतन मानों तथा उन वेतन मानों को जिन्हें वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार क्रियान्वित कर दिया गया है, दिखाने वाले विवरण क्रमश: अनुबन्ध 1 और 2 में दिये गये हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 4037/70] वेज बोर्ड की सिफारिशें 11-7-1967 से स्वीकार कर ली गयीं थीं ।

(ग) : जनपथ ग्रुप के होटलों ने वेज बोर्ड की सिफारिशों के पूर्णतः क्रियान्वयन स्वरूप 9.10 लाख रुपये की राशि प्रदान की है । अशोक होटल ने कुल 9.55 लाख रुपये की दायिता के मुकाबले में 11-07 लाख रुपये की राशि दी है ।

कलकत्ता तथा जाधवपुर विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं का लिया जाना

3601. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता तथा जाधवपुर विश्वविद्यालयों में अभी तक 1969-70 का शैक्षिक वर्ष पूरा नहीं हुआ है क्योंकि वहां पर अभी फाइनल तथा प्री० फाइनल की कई परीक्षायें अभी नहीं हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन परीक्षाओं को शीघ्र कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : गम्भीर छात्र उपद्रवों की वजह से विश्वविद्यालय के बन्द हो जाने के फलस्वरूप यादवपुर विश्वविद्यालय, की वार्षिक परीक्षाओं (1970) को दो बार अस्थिगित करना पड़ा था । इन परीक्षाओं को अब 3 सितम्बर, 1970 से शुरू करने का निश्चय किया गया है ।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

चण्डीगढ़ में डाका तथा चोरी

3602. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्डीगढ़ में एक आदमी से 40,000 रुपये लूट लिये गये हैं ;

(ख) क्या चन्डीगढ़ संग्रहालय हाल से 103 से अधिक चित्र चुरा लिये गये हैं ;

(ग) क्या चन्डीगढ़ में एक डाक-घर तथा एक बैंक से पहले भी बहुत अधिक रुपयों की चोरी हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के क्या कारण हैं और इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) चन्डीगढ़ प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी ।

(ख) और (ग) : चन्डीगढ़ प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार 22/23 जुलाई, 1970 के बीच की रात को चन्डीगढ़ संग्रहालय से 102 छोटे चित्र चुरा लिए लिए गये थे । दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं । 22-10-69 को बैंक आफ इंडिया के सेफ से 2,84,827.37 रु० की चोरी की गई । दोषियों को पकड़ने के प्रयत्न किए जा रहे हैं और यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या कोई बैंक का कर्मचारी भी इसमें अन्तर्ग्रस्त था । इन दोनों मामलों की जांच-पड़ताल केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की निगरानी में की जा रही है ।

चन्डीगढ़ स्थानीय पुलिस ने 15-6-70 को एक मामला दर्ज किया जिसमें 1, 22492 रु० और 6 बीमाकृत पत्र डाकखाने से शायद अतिरिक्त चाबी लगा कर चुराये गये थे । विशेष कर्मचारी मामले की जांच कर रहे हैं ।

(घ) चन्डीगढ़ में कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य और नियंत्रण में है । फिर भी निम्नांकित कदम उठाये गये हैं :–

(i) शहर में रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है ।

(ii) बाहर से आने वाले और विषयम घड़ियों में बाहर जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है ।

(iii) घरेलू नौकरों के चाल चलन की जांच और उनका पंजीकरण भी किया जा रहा है ।

(vi) जेब कतरों पर नियंत्रण रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सादे कपड़ों में व्यक्तियों को तैनात किया गया है ।

(v) सामान्य अपराधों जैसे नशाबाजी और छेड़छाड़ को रोकने के लिए प्रतिदिन सायंकाल बाजार और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष गश्ती दल भेजे जाते हैं ।

(vi) पैट्रोल पम्प विशेषकर निर्जन स्थानों में, जैसा कि शिकायत की गई है कुछ युवक रात्रि में अपनी गाड़ियों में पैट्रोल भरवाते हैं और बिना दाम दिये चले जाते हैं, विशेष निगरानी रखी जा रही है ।

देश में छोटे बन्दरगाहों का विकास

3603. **श्री इसहाक सामभली** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चौथी योजना के दौरान छोटे बन्दरगाहों का विकास करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत विकास किए जाने वाले छोटे बन्दरगाहों की संख्या तथा नाम क्या है ; और

(ग) इन बन्दरगाहों का विकास करने पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) , (ख) और (ग) : बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के विकास का कार्यकारी दायित्व संबन्धित राज्य सरकारों की है । तदनुसार राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया था। उनसे प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4038/70]** मैसूर सरकार से सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । प्राप्त होने पर, यथा समय, उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

Ban on Muslim League

3604. **Shri Sharda Nand :** **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that after the Independence, a ban was imposed on the Muslim League whose main demand was the partition of the country; and

(b) if so, the date on which this ban was lifted ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri R. N. Mirdha) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Speeches delivered at Kerala Muslim League Conference

3605. **Shri Sharda Nand :** **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have made a study of the speeches delivered by the speakers at the Kerala State Muslim League Conference held on the 25th April, 1970 ;

(b) whether Government feel that some of the speeches were objectionable and anti-national ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto and the action Government propose to take in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri R. N. Mirdha) : (a) to (c) : The State Government have been requested to furnish the facts.

Arrest of Pakistani Spies in India

3606. **Shri Sharda Nand :** **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Onkar lal Berwa : **Shri Abdul Ghani Dar :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Pakistani spies in large number have been arrested in various parts of the country ;

(b) if so, the number of Pakistani spies arrested during the last three years; and

(c) the action taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State in the Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) to (c) : According to information so far received, no person suspected to be a Pakistani spy was arrested during the last three years in the States of Andhra Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mysore, Nagaland and Orissa, the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Goa, Daman and Diu, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands and Manipur and the North East Frontier Agency. 175 persons were arrested in Assam, Punjab, Chandigarh and Delhi, and appropriate action under the law was taken in respect of them. Information in respect of the remaining States and Union Territories is awaited.

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित संघ भवन का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा उपयोग किये जाने की अनुमति का वापस लेना

3607. **श्री शारदानन्द :** **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री जि० ब० सिंह : **श्री जनेश्वर मिश्र :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित संघ भवन का उपयोग करने की अनुमति को वापस ले लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को भवन का उपयोग करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस अनुमति को वापस लेने के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या सरकार का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को वैकल्पिक स्थान देने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ङ) : जी हाँ, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय प्रांगण में स्थित संघ भवन के उपयोग की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को दी गई अनुमति वापस ले ली है ।

विश्वविद्यालय, एक स्वायत्त संगठन होने के कारण, इस मामले में निर्णय लेने में स्वतन्त्र है और सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । वापसी के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं है ।

Promotion of Hindi Translators and Officers in Education Ministry

3608. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5125 on the 3rd

April, 1970 regarding appointments in the Commission for Scientific and Technical Terminology and the Central Hindi Directorate and state :

(a) the number of posts in the Commission for Scientific and Technical Terminology and the Central Hindi Directorate out of the 31 posts filled up on an ad hoc basis for which the selection of candidates has since been made through the U. P. S. C. ;

(b) whether it is proposed to promote the Hindi Translators and Officers working in the main Ministry on the basis of their seniority while making appointments in future on ad hoc basis ; and

(c) the time by which regular appointments are likely to be made on the remaining posts through the U. P. S. C. ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services(Shri Bharat Darshan) : (a) and (c) : Out of the 31 posts filled on *adhoc* basis, requisitions for recruitment against 24 posts were sent to the U. P. S. C. So far, the Commission have nominated candidates against 11 posts and nominations against 13 posts are awaited. The question of filling up of the remaining 7 poststhrough U.P. S.C. has been deferred pending the reorganisation of the Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology.

(b) The Hindi Translators and Officers working in the Ministry are not eligible for promotion against posts in the Commission for Scientific and Technical Terminology and the Central Hindi Directorate.

Re-Organisation of Commission for Scientific and Technical Terminology

3609. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5124 on the 3rd April, 1970 regarding Research Officer and Technical employees in the Commission for Scientific and Technical Terminology and state :

(a) Whether the said Senior Research Officer and two other Technical Assistants have since been relieved of their administrative work and assigned technical work ;

(b) if not, the reasons therefor and the time by which they would be relieved of their administrative work and would be shifted from the main Ministry ;

(c) whether any decision has been taken on the question of reorganisation of the Commission ;

(d) if so, the outlines thereof ; and

(e) if no decision has yet been taken, the reasons therefor and the time by which a decision is likely to be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan):(a) Only one Technical Assistant has been relieved of his administrative work so far.

(b) to (e): As stated in the reply of part (c) of Unstarred Question No. 5124 answered on the 3rd April, 1970. the question of relieving the Technical Staff of administrative work will be decided, after the reorganisation of Commission for Scientific and Technical Terminology has been finalised which is still under the consideration of the Government.

कलकत्ता संग्रहालय में चित्र गैलरी की स्थापना

3610. **श्री भगवान दास :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व कलकत्ता संग्रहालय में 40,00,000 रुपये से अधिक की लागत से एक नयी चित्र गैलरी स्थापित की गयी थी;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त गैलरी को स्थापित करने के लिये जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया था, उसका नाम तथा ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि (एक) खुले टैंडर मांगे बिना ठेका उक्त फर्म को दिया गया था और (दो) 1967-68 और 1968-69 के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों में इस प्रक्रिया पर आपत्ति की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो उस पर लेखा परीक्षा की टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है ; और

(च) इन टिप्पणियों पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) तथा (ख) : भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता में सन् 1969 में 39,476 रुपये की लागत की चित्र गैलरी स्थापित की गई थी । इस प्रयोजन के लिये संग्रहालय का एक बड़ा कक्ष तैयार किया गया था और उसे सजाया गया था ।

(ग) फर्म का नाम "मैसर्स न्यू बिल्ट फर्निशर्स एण्ड इन्टीरियर डेकोरेटर्ज है ।" यह फर्नीचर तथा अन्तरंग सजावट की एक प्रमुख फर्म है जो कि योग्य वास्तुकारों तथा अभिकल्पियों की सहायता से काम करती है ।

(घ) से (च) : आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

आयुक्त द्वारा सरकारी धन का कथित दुर्विनियोग

3611. **श्री भगवान दास :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री गणेश घोष : **श्री मोहम्मद इस्माइल :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री प्रेसिडेन्सी डिविजन, पश्चिमी बङ्गाल के आयुक्त द्वारा सरकारी धन का कथित दुर्विनियोग के बारे में 7 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1980 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) सतर्कता आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने की बजाय, सम्बन्धित अधिकारी को सेवानिवृत्ति से पूर्व की छुट्टी की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : सतर्कता आयुक्त की रिपोर्ट केवल प्रारम्भिक जाँच पर आधारित थी और इस बात के सिवाय उसमें कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं थी कि श्री आर० बनर्जी को कलकत्ता से बाहर किसी पद में स्थानान्तरित कर दिया जाय। जब विदेश मन्त्रालय के परामर्श में भारत-पाकिस्तान सीमांकन के कार्यालय से उसके स्थानान्तरण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था तो अधिकारी ने समयपूर्व सेवा निवृत्ति के लिये प्रार्थना-पत्र दे दिया। सतर्कता आयुक्त, पश्चिम बङ्गाल के परामर्श में इस पर विचार किया और उनकी राय से अधिकारी को समयपूर्व सेवानिवृत्त होने की अनुमति दे दी गई थी।

पुलिस की हिरासत में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के सदस्यों और उनके समर्थकों को यंत्रणा पहुँचाना

3612. **श्री भगवान दास :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री ब० कु० मोडक : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि गिरफ्तार किये गये भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के सदस्यों और उनके समर्थकों को पुलिस अपनी हिरासत में बहुत अधिक शारीरिक यंत्रणा देती है अथवा दे रही है;

(ख) क्या प्रधान मन्त्री को संसद सदस्यों से पुलिस हिरासत में दिये जाने वाले शारीरिक कष्टों के बारे में कुछ पत्र प्राप्त हुये हैं।

(ग) क्या प्रधान मन्त्री और पश्चिमी बङ्गाल के राज्यपाल को लिखे अपने पत्रों में संसद सदस्यों ने ऐसे मामलों को उद्धृत किया है जिनमें पुलिस की हिरासत में गिरफ्तार किये गए लोगों को बहुत अधिक शारीरिक कष्ट दिये गये थे; और

(घ) यदि हाँ, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) : ऐसे आरोपों की संसद सदस्यों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी शिकायतों के प्रत्येक आरोप की छानबीन की जाती है। कोई आरोप अब तक सिद्ध नहीं हुआ है।

टीटागढ़ में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के श्रमिक की मृत्यु

3613. **श्री भगवान दास :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री गणेश घोष : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के बैरेकपुर जिले के टीटागढ़ नामक स्थान में 18 जुलाई, 1970 को कुछ गुण्डों ने दीपक मजुमदार नामक भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के एक श्रमिक को मार डाला था और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और क्या अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क), (ख) और (ग) : तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

Rifles for Border Security Force Personnel

3614. **Shri Om Prakash Tyagi : Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Jawans of the Border Security Force have been provided with old. 303 rifles instead of the modern S. L. R. rifles ;

(b) whether Government propose to look into the question of providing S. L. R. rifles to them keeping in view the hazardous duties performed by them ;

(c) if so, by what time they would be provided with S. L. R. rifles ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a), (b) and (c): The present standard weapon for the B. S. F. personnel is the .303 rifles. It has, however, been decided to issue self loading rifles to them in a phased manner, and the process has already begun. It is hoped to complete the switch over as early as feasible.

(d) Does not arise.

अमरीका की खोज के सम्बन्ध में नया अनुसंधान

3615. **श्री ओम प्रकाश त्यागी : श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अहमदाबाद से प्रकाशित 8 जुलाई, 1970 के 'दी टाइम्स आफ इन्डिया' में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि रूसी वैज्ञानिकों द्वारा जो खोज की गई है, उसके अनुसार अमरीकी की खोज सबसे पहले एशिया के यात्रियों (मुख्यतः भारतीयों) द्वारा की गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि एक भारतीय शोध-कर्ता योगी चमन लाल ने भी इस विषय पर एक गवेषणापूर्ण पुस्तक लिखी है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार उपर्युक्त शोध का ब्यौरा मंगायेगी और भारतीय छात्रों को उससे अगवत करायेगी; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ। उन्होंने अपनी "हिन्दू अमेरिका" नामक पुस्तक में अपना मत व्यक्त किया है कि अमेरिका में हिन्दुओं ने कई शताब्दियों पूर्व प्रवेश किया और अमरीका से उनके व्यापार सम्बन्ध 3000 वर्ष पूर्व भी थे।

(ग) जी, हां। प्रस्तुत किये गये प्रमाण का इतिहासकारों आदि द्वारा अध्ययन किया जाएगा इसके पश्चात् ही भारतीय विद्यार्थियों को इससे अवगत कराने का प्रश्न उठेगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

छोटा नागपुर में पकड़े गये नक्सलवादी दस्तावेज

3616. श्री एम० एस० कृष्ण : श्री यमुना प्रसाद मंडल :
डा० सुशीला नैयर :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 28 जुलाई, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में बिहार अभियान में पकड़े गये नक्सलवादी कागजात और हथियार, शीर्षक के अन्तर्गत छपे इस आशय के समाचार को देखा है कि बिहार पुलिस ने राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र में हाल ही में सामरिक महत्व के नक्शे और अन्य दस्तावेज पकड़े हैं;

(ख) क्या छापों के दौरान पुलिस ने उनसे ऐसे कागजात पकड़े हैं जिनमें शस्त्रों के बल पर केन्द्र में सत्ता हथियाने की योजनाएं निहित हैं;

(ग) क्या पुलिस ने वहां पर विदेशों और भारत में बने आधुनिक किस्म के स्वचालित हथियारों के बहुत बड़े भण्डार के साथ बम बनाने में काम आने वाली सामग्री का विपुल भण्डार भी पकड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने किस प्रकार की कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख), (ग) तथा (घ) : रिपोर्ट का सम्बन्ध मई, 1970 में बिहार के सिंहभूम जिले के जादुगुडा वन क्षेत्र में 52 उग्रपंथियों की गिरफ्तारी से है जिनमें एक ब्रिटिश राष्ट्रिक भी था। उनसे कुछ हथियार व गोलाबारूद और कुछ दस्तावेज़ व प्रचार साहित्य बरामद किये गये। गिरफ़्तार किये गये कुछ व्यक्तियों के कलकत्ता की बैंक डकैती के मामलों में अन्तर्ग्रस्त होने का संदेह है। मामले दर्ज किये गये हैं और जांच पड़ताल हो रही है।

दिल्ली पोलिटेक्नीक के अप्रयुक्त पड़े हुए उपकरण

3617. श्री हिम्मतसिंहका : श्री निहाल सिंह :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के तीन पोलिटेक्नीकों के विभिन्न वर्कशापों में मशीनें

और उपकरण बिगड़े पड़े हैं और उनमें से कुछ को तो वर्कशापों में बहुत समय तक लगाया ही नहीं गया था ;

(ख) यदि हां तो, उन्हें चालू हालत में न रखने और वर्कशापों में न लगाने के क्या कारण थे ;

(ग) इन पोलिटेक्नीकों में कितने उपकरण बिगड़े पड़े हैं और कितने उपकरण अनधिष्ठापित हालत में पड़े हैं ; और

(च) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार केवल चार मशीनों को स्थापित नहीं किया गया है–दो को स्थानाभाव के कारण के० जी० पोलीटेक्नीक में तथा दो की पानी को पर्याप्त पूर्ति न होने के कारण जी० बी० पोलीटेक्नीक में । केवल एक मशीन पिछले तीन मास से जी० बी० पोलीटेक्नीक में खराब पड़ी है ।

(ग) और (घ) : हमें सूचित किया गया है कि मशीनों की मरम्मत करने तथा स्थापित करने के लिए पोलिटेक्नीक द्वारा तत्काल कर्रवाइयाँ की जा रही हैं ।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का तैनात किया जाना

3618. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा अब तक कितने लोग मारे गये हैं और कितने घायल किये गये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : कोई नहीं, श्रीमान् ।

Appointment of a Committee to enquire about setting up of Sub-States within the States

3620. **Shri Meetha Lal Meena** : **Shri N. Shivappa** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to appoint a special Committee to go into the question of setting up sub-States within the States; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Propagation of Hindi in Foreign Countries

3621. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had drawn up a comprehensive scheme for the propagation of Hindi in foreign countries ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) the details of the progress made so far in regard to the said scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b) : A programme for propagation of Hindi Abroad during the Fourth Five-Year Plan has been drawn up. The main objectives of the programme are :

(i) Promotion of Hindi writing locally ;

(ii) to train foreign nationals as far as possible locally for teaching Hindi ;

(iii) provision of library facilities ;

(iv) preparation of Hindi instructional material for teaching Hindi to foreigners in collaboration with foreign universities ;

(v) provision of fellowships for advanced study in Hindi and Hindi teaching methods in India with a view to promote greater cultural contacts.

The programme is for the present mainly confined to the Caribbean countries, countries of South-East and West Asia and the advanced countries like U. K., U. S. A. and U. S. S. R.

(c) This Programme was finalised only in February, 1970. So far the following activities have been undertaken :

(i) A Hindi-Sanskrit Library has been setup in the Indian Embassy at Kathmandu. Books and equipment of the value of Rs.42,400/- have been supplied.

(ii) Lecturers for teaching Hindi were continued in Guyana, Trinidad and Surinam. Similarly two teachers for teaching Hindi in Ceylon were continued.

(iii) Hindi books have also been supplied for the Hindi libraries to be set up in Indian Missions in Guyana, Trinidad, Surinam, Ghana and Mauritius.

The Scheme also provides for a gift of a Hindi Printing Press to Mauritius, grant of two fellowships to Government of Mauritius for training in different aspects of publishing, grant of travel costs and hospitallity to Hindi writers from Mauritius to participate in Writers' Camps to be held in India, setting up of a Hindi-Sanskrit Teaching Centre at Surinam, setting up of Hindi-Sanskrit Libraries in Surinam, Trinidad and Guyana and grant of fellowships of two years duration at the rate of two from each of the above mentioned 3 countries for study of advanced Hindi and Hindi Teaching etc.

Necessary action is being taken to implement these programmes during the current and the next financial year.

Repairs carried out in Dwarkadheesh Temple

3622. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the repairs are being carried out in the temple of Dwarkadheesh by the Central Government ;

(b) whether it is also a fact that the labourers engaged there have not been paid their wages for the last four months and, therefore, the repairs of the temple are lying incomplete ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को पेंशन तथा अन्य सुविधाएं

3623. **श्री समर गुह** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार स्वतंत्रता संग्राम के उन सेनानियों को पेंशन तथा अन्य सुविधाएं देने को सहमत हो गई है जो पांच वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि के लिये आण्डमान की 'सेलूलर जेल' में पांच वर्ष अथवा इसके अधिक की अवधि तक रहे थे और जो यह सहायता चाहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन अन्य स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को वह सुविधा न देने के क्या कारण हैं जो जेल में रहे थे अथवा पांच वर्ष या इससे अधिक समय के लिये हिरासत में रखे गये थे ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार तीस वर्ष की सेवा अथवा 65 वर्ष की आयु तक सेवा में वृद्धि करने के उसी सिद्धान्त को अपना कर जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनाया है स्वतंत्रता संग्राम के उन सेनानियों को भी यही सुविधाएं देगी जो सरकारी सेवा में बड़ी आयु में भर्ती हुए थे; और

(घ) क्या क्रान्तिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने इस सम्बन्ध में सरकार को कई अभ्यावेदन दिये हैं तथा क्या सरकार इस मामले की जांच करने के लिये संसद सदस्यों की एक समिति बनायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) सरकार ने उन स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने अण्डमान सैलुलर जेल के समेत कम से कम 5 वर्ष के कारावास का दण्ड भुगता है, पेन्शन देने का एक योजना बनाई है । ऐसे सुझाव प्राप्त हुए हैं कि इस योजना को अन्य स्वतंत्रता सेनानियों पर भी लागू किया जाये । इन सुझावों पर ध्यान दिया जा रहा है ।

(ग) और (घ) : सरकार को स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उच्चतर सेवा निवृत्ति आयु निर्धारित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं किन्तु इस आधार पर उनके लिए सेवा निवृत्ति की एक पृथक आयु निर्धारित करना संभव नहीं हुआ है कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था । इस विषय पर गौर करने के लिए कोई समिति स्थापित करने का कोई विचार नहीं है ।

आजाद हिन्द फौज के असैनिक कर्मचारी

3624. **श्री समर गुह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज में हजारों असैनिक लोग सम्मिलित हुए थे ;

(ख) क्या वेतन, पेंशन और अन्य लाभों सम्बन्धी सरकार का निर्णय आजाद हिन्द फौज के केवल उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो उसमें नियमित ब्रिटिश सेना से गये थे ;

(ग) क्या आजाद हिन्द फौज के असैनिक कर्मचारियों ने अपनी शिकायतों तथा असंख्य लोगों की दयनीय स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई बार अभ्यावेदन दिये, प्रदर्शन किये और सामूहिक रूप से हड़ताल की है ;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलायेगी जिसमें आजाद हिन्द फौज के असैनिक कर्मचारियों की सहायता के उपाय, केन्द्र से अपेक्षित सहयोग के आश्वासन सहित खोजे जायेंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो आजाद हिन्द फौज के असैनिक स्वतंत्रता सेनानियों को सहायता करने के लिये सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक कार्यवाही की गई है अथवा की जाने वाली है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) यह सच है कि सैनिक कर्मचारियों के अतिरिक्त असैनिक लोग आजाद हिन्द फौज में सम्मिलित हुये थे। किन्तु ऐसे असैनिक लोगों की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। भूतपूर्व असैनिक सरकारी कर्मचारियों को, जो आजाद हिन्द फौज में सम्मिलित हुए थे, अन्य रियायतों के अतिरिक्त सेवा से मुक्त इत्यादि होने की तारीख तथा पुनः नियुक्ति की तारीख के बीच की अवधि के व्यवधान को उसी पद अथवा समान पद पर उसकी पुनर्नियुक्ति होने पर वेतन को निर्धारित करते समय वेतन वृद्धि के लिए सेवा में गिनने की अनुमति दी गई थी। साथ ही ऐसे भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी जिनकी असैनिक पदों पर पुनर्नियुक्ति की गई थी, सेवा मुक्त होने से पूर्व असैनिक पदों पर उनके द्वारा की गई गत वास्तविक सेवा को पेंशन के उद्देश्य के लिए एक अर्हक सेवा माना जाता है।

(ग) प्रदर्शनों, भूख हड़ताल की कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं। भूमि, पेंशन इत्यादि स्वीकृत करने के लिए अभ्यावेदन समय समय पर अतीत में प्राप्त हुए थे।

(घ) राज्य सरकारों को पहले ही सलाह दी गई है कि सभी भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों को सेवा तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए, जो राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में राजनैतिक पीड़ितों को दी जाती है, अन्य राजनैनिक पीड़ितों के बराबर समझा जाय। विषय पर उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ कोई बैठक करनी आवश्यक नहीं समझी जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

छात्रों में अनुशासनहीनता के कारण बन्द हुए विश्वविद्यालय

3625. **श्री रा कृ० बिड़ला** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत छः महीनों में छात्रों की अनुशासनहीनता के कारण कौन कौन से विश्वविद्यालय बन्द किये गये ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में कानून तथा व्यवस्था समिति का खराब होना

3626. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** **श्री सरदार अमजद अली :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सच है कि अधिकांश राज्यों में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति बड़ी तेजी से बिगड़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में स्थिति दिनों-दिन खराब होती जा रही है; और

(ग) इन राज्यों में कानून तथा व्यवस्था में किस प्रकार सुधार लाने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) : सरकार देश में विभिन्न भागों में हाल के आन्दोलनों तथा दंगों में कानून के अनेक उल्लंघनों की बड़ी चिन्ता की दृष्टि से देखती है। पश्चिम बंगाल में उग्रवादियों की गतिविधियां चिन्ता का कारण बनी हुई हैं।

(ग) संविधान के अन्तर्गत राज्य सरकारों को लोक व्यवस्था, पुलिस तथा न्यायकरण की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पर केन्द्रीय सरकार उनसे सम्पर्क बनाये रखती है और जब राज्य सरकारों द्वारा संघ के सशस्त्र दलों इत्यादि की व्यवस्था करने जैसी उचित सहायता मांगी जाती है तो प्रदान की जाती है।

Tours by Union Ministers

3627. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8191 on the 1st May, 1970, regarding States visited by Union Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers and state :

(a) whether Government have since collected the required information ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) the time by which the requisite information is likely to be collected and laid on the Table of the House.

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S.Ramaswamy) (a) to (d) : The informtion had to be collected from the various Ministries and Departments of the Government of India. While most of them have furnished the information, it is still awaited from a few. When a journey is made by I.A.C. or I.A.F. plane or by reserved Railway accommodation, the actual expenditure is not known until it is intimated by the I.A.C. I.A.F., or Railway authorities. Hence the Ministries and Departments also take time to furnish the information.

According to the information so far received, in the course of their tours during the period from 1st January, 1970 to 15th April, 1970, all the States were covered by the visits of one or more Cabinet Minister, Minister of State or Deputy Minister. The expenditure on the tours during this period so far reported is about Rs.1.7 lakhs. Complete information in regard to the expenditure incurred on tours during the said period will be laid on the Table of House as soon as it is received from the remaining Ministries and Departments.

बमों की बिक्री

3628. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री बे० कु० दासचौधरी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्यों में बमों की खुले आम बिक्री हो रही है ;

(ख) क्या बमों की बिक्री में अचानक वृद्धि हो जाने के कारणों का सरकार ने पता लगाने का प्रयास किया है; और

(ग) इन बमों के लिये आवश्यक कच्चे माल की सप्लाई के साधनों का भी पता लगाया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त**) : (क) सरकार को ऐसी सूचना नहीं है कि किसी राज्य में बमों की खुली बिक्री हो रही है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

विद्यार्थी असन्तोष सम्बन्धी समिति

3629. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**

श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड की एक समिति भारत में विद्यार्थियों में असन्तोष के कारणों की जांच करेगी ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन कौन हैं ;

(ग) इस मामले में राज्य सरकारों का क्या योगदान है ; और

(घ) समिति के सदस्य कौन कौन हैं और इसके निर्देश पद क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (**डा० वी० के० आर० वी० राव**) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति का गठन निम्नलिखित है :–

1. केन्द्रीय शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री	–	अध्यक्ष
2. शिक्षा मंत्री, महाराष्ट्र	–	उपाध्यक्ष
3. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के सलाहकार		
4. शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश		
5. शिक्षा मंत्री, जम्मू और काश्मीर		
6. डा० डी० एस० कोठारी अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग		

7. श्री आर० एन० मिर्धा
राज्य गृह मंत्री
8. प्रो० एस० नुरुल हसन
संसद सदस्य
9. श्री के० पी० सुब्रमनियां मेनन
संसद सदस्य
10. श्री बी० एन० शास्त्री
संसद सदस्य
11. डा० एस० मिश्रा
कुलपति, उत्कल विश्वविद्यालय
12. श्री जी० के० चन्दीरमानी
अतिरिक्त सचिव, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय–सदस्य-सचिव ।

(ग) कुछ राज्यों के शिक्षा मंत्री समिति के सदस्य हैं । राज्यों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के सभी शिक्षा मंत्री केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं और समिति की रिपोर्ट बोर्ड की अगली बैठक में विचारार्थ रखी जायेगी ।

(घ) इस विषय पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के संकल्प की एक प्रति संलग्न है ।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने विद्यार्थी असन्तोष पर निम्नलिखित संकल्प अपनी 35वीं बैठक में पारित किया जो 2 और 3 मई 1970 को हुई थी ।

बोर्ड, विद्यार्थी असन्तोष की बढ़ती हुई स्थिति तथा इससे बढ़ती हुई हिंसा के प्रादुर्भाव से बहुत विकल है । इसे, परीक्षाओं में दुष्प्रवृत्तियों के बारे में और निरीक्षकों, अध्यापकों और प्रधानाचार्यों पर किए आक्रमणों जिनमें से कुछ का अन्त घातक हुआ, सुनकर बहुत दुःख हुआ । बोर्ड का विचार है कि स्थिति गम्भीर है और इन प्रवृत्तियों की रोकथाम करने के लिये प्रभावपूर्ण सक्रिय कार्यक्रम का विकास करना होगा । अतः यह अध्यक्ष से अनुरोध करता है कि इस समस्या की विस्तार पूर्वक जांच के लिए और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय और अन्य सम्बन्धितों को उचित सिफारिशें देने के लिए एक समिति नियुक्त करें ।

नक्सलवादियों का चीनी साम्यवादी दल से सम्बन्ध

3630. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नक्सलवादियों ने चीनी साम्यवादी दल से सम्बन्ध होने के बारे में अपने कार्यक्रम का खुले आम वितरण किया है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना दस्तावेज के बारे में जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त दस्तावेज से देश द्रोह का आभास होता है और यदि हां, तो सरकार ने इन राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को दबाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : मई, 1970 में हुए साम्यवादी दल (मार्क्सवादी-लैनिनवादी) के प्रथम दल सम्मेलन द्वारा पारित इस प्रकार का कार्यक्रम ध्यान में आया है। दस्तावेज में, "चीन का अध्यक्ष हमारा अध्यक्ष है" और "चीन का पथ हमारा पथ है" जैसे नारों का हवाला है और वर्ग-शत्रुओं की समाप्ति समेत गुरेला युद्ध के लिए उत्तेजित किया गया है। अतः यह दस्तावेज राजद्रोही प्रकृति का है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा साम्यवादी दल (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के अनुयायियों और ऐसे उग्रपंथियों के विरुद्ध जासूसी, राजद्रोह, कानून द्वारा स्थापित सरकार को बल द्वारा उलटने इत्यादि समेत अपराधों के सम्बन्ध में अनेकों मुकदमे शुरू किये गये हैं।

Marking of Daily attendance by Principals of Government Higher Secondary Schools Delhi

3631. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Principals of the Government Higher Secondary Schools of the Delhi Administration, Delhi, do not mark their daily attendance in the attendance registers like other Government employees ;

(b) whether it is also a fact that these Principals do not maintain any diary from which their presence/absence/leave could be ascertained; and

(c) if so, the action being taken by government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c) : The requisite information is being collected from the Delhi Administration and will be laid on the Table of the Sabha as early as possible.

Irregularities Committed by Ex-Principals, Government Boys Higher Secondary School, Malaviya Nagar, New Delhi

3632. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an inquiry into the bungling committed by the ex-Principal of the Government Boys Higher Secondary School, Malviya Nagar, New Delhi in the purchase of articles is being made by the C. B. I. Police Establishment, Kota House, New Delhi ;

(b) whether it is also a fact that the Director of Education, Delhi Administration has received complaints to the effect that bungling is being committed by the present Principal of the said School in the purchase of articles ; and

(c) if so, the details of the purchases made from the Games, Library, Health and Contigency funds during the last two years, from 1st April, 1968 to 31st March, 1970 indicating the names of the articles together with their quantity and price and the names of firms from which purchased together with bill No. and date ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c) : The requisite information is being collected from the Delhi Administration and will be placed on the Table of the Sabha as early as possible.

Reservation of Quota For S. C. & S. T. For Posts of Vice-Principal in Education Department of Delhi Administration

3633. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6580 on the 17th April, 1970, regarding reservation of quota for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts of Vice-Principal in the Education Department of the Delhi Administration and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : **(a) and (b)** : Yes, Sir. The required information, as supplied by the Delhi Administration, is given in the enclosed statement.

(c) Does not arise.

Statement

The information asked for in Unstarred question No. 6580 dated 17th April, 1970, is as follows :

Question	*Answer*
(a) whether it is a fact that the rules, framed by the Ministry of Home Affairs in respect of the reservation of posts for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not being observed in toto in the Education Department of the Delhi Administration ;	The requisite information, as furnished by the Delhi Administration, is given below : (a) No, Sir, the rules, as framed by the Ministry of Home Affairs, are being observed.
(b) whether it is also a fact that the aforesaid rules are not applicable in the matter of promotions to the posts of Vice-Principals in the Education Department of the Delhi Administration ; and (c) if so, the reasons therefor ?	**(b) and (c)** : Accordaing to the latest instructions of the Ministry of Home Affairs, there is no provision of reservation for the posts to be filled by departmental promotion to Class I and II posts. However, benefit of one grading is to be given to the persons falling within the field of eligibility. Reservation of vacancies is to be made in the case of posts falling under the direct recruitment quota. Since the posts of Vice-Principals under the Directorate of Education, Delhi, are class II posts and, according to the recruitment rules for the posts in question, there is no provision for direct recruitment and all the posts are to be filled by

departmental promotion, there is no question of reservation of quota for Scheduled Castes/Scheduled Tribes for these posts.

आसाम में खुदाई के लिये ओहियो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के अनुरोध को अस्वीकार करना

3635. **श्री मयावन :** **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री नारायणन : **श्री दरपाणि :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोहाटी विश्वविद्यालय के सहयोग से आसाम में पुरातत्वीय खुदाई करने के लिए ओहियो विश्वविद्यालय के पुरातत्वीय विभाग के प्रोफेसर को केन्द्रीय सरकार ने अनुमति नहीं दी और उनका इस आशय का अनुरोध ठुकरा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या भविष्य में किसी भी विदेशों को इस प्रकार के सर्वेक्षण की अनुमति नहीं दी जायेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जो समाचार पत्रों में छापा है, उसके विपरीत भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यदि और जब ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होगा, तो इस प्रकार के सहयोग से सम्बन्धित नियमों की शर्तों के अनुसार ही उसकी जांच की जायेगी ।

Naxalites' Contacts with Dacoits in Chambal Ravines

3636. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Naxalites have established contacts with gangs of dacoits in the Chambal revines ;

(b) whether it is also a fact that this unholy alliance has spread panic and disorder in the contigous regions of Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh ; and

(c) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affai rs and, Minister of State in the Department of Electronics and Scientific and Industrial Rescarch : (Shri K. C. Pant) : (a) to (c) : Facts are being ascertained.

Kidnapping of School Students by Dacoits in Madhya Pradesh

3637. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** **Shri Sitaram Kesri :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an armed gang of dacoits kidnapped all the boys of a school in villages Maoch, District Gwalior, Madhya Pradesh in broad-day light and the boys are still missing ;

(b) whether it is also a fact that the Madhya Pradesh Government have so far been unable to trace the kidnapped children ;

(c) whether the State Government and the parents of those children have appealed to the Central Government for help ; and

(d) if so, the steps taken by the Central—Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affai rs and Minister of State and the Department of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b) : According to information furnished by the State Government, twenty-four students, one teacher, one Patwari and four villagers were kidnapped by dacoits on 17th July, 1970 from village Mochh in Gwalior District of Madhya Pradesh. Five students and one villager were released on the same day. Seven more students and the school teacher were recovered from the dacoits on 16th August, 1970. Two persons have been arrested in this connection. Efforts are being made to recover the remaining persons.

(c) No, Sir. However a petition in this connection was received from the Akhil Bharatiya Kirar Khatrya Mahasbha, Gwalior.

(d) The Government of India have informed the State Government that whatever assistance that may be required by the latter to recover the kidnapped children, etc. will be given to them.

डेविस कप के मैच में भारत में बने टैनिस बालों का प्रयोग

3638. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना में हुए भारत तथा पश्चिमी जर्मनी के बीच डेविस कप मैच में भारत में बने टैनिस बालों का प्रयोग किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे बालों वाले कुछ बक्सों में बालों के स्थान पर ईंटें तथा टाइलें पाई गई थीं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस घोटाले के मामले की जांच की गई है ; और

(घ) यदि निर्माण करने वाली फर्म जिम्मेदार थी तो क्या इसे काली सूची में शामिल किया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) और (घ) : महाराष्ट्र लान टेनिस एसोसिएशन इस मामले में जांच कर रहा है । यह अभी तक मालूम नहीं है कि निर्माण करने वाली फर्म जिम्मेदार थी ।

बोइंग विमान में प्रयुक्त रोल्स रायस इंजन की मरम्मत के सुझाव

3639. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंग्लैंड की रोल्स रायस कम्पनी ने आठ अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों जिनमें एयर इंडिया भी है से कहा है कि वे रोल्स रायस कानवे जेट इंजनों वाले विमानों में आपाती मरम्मतें करें ;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी ने किन मरम्मतों का सुझाव दिया है ; और

(ग) क्या एयर इंडिया ने वे मरम्मतें कर दी हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 27 जुलाई, 1970 को रोल्स रायस लिमिटेड, यू० के० द्वारा एक "सर्विस बुलेटिन" जारी किया गया था जिसमें सब कानवे इंजन प्रयोक्ताओं को कम्प्रेसर पहियों की संभावित खराबी को रोकने के लिये कार्यवाही करने की राय दी गयी ।

(ख) इस बुलेटिन में, कुछ उच्च दाब तथा न्यून-दाव कम्प्रैसर पहियों को, जितना जल्दी व्यवहार्य हो, बदलने का सिफारिश की गयी है ।

(ग) एयर इंडिया इंजनों की मरम्मतों के दौरान उनमें समुन्नत प्रकार के कम्प्रैसर पहिये लगा रहे हैं । इसके परिणामस्वरूप, प्रयोग में लाये जा रहे 50 प्रतिशत कानवें इंजनों में रोल्स रायस द्वारा की गयी सिफारिशों की पहले ही पूर्ति की जा चुकी है तथा बाकी के इंजनों में भी कम्प्रैसर पहियों को बदलने का कार्यक्रम हाथ में है ।

दिल्ली में होटल उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

3640. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : **डा० रानेन सेन** :
श्री धीरेश्वर कलिता : **श्री झारखण्डे राय** :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में होटल उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार एक वर्ष में सेवा शुल्क के रूप में एकत्र होने वाली कुल राशि का 10 प्रतिशत कर्मचारियों के कल्याण कार्यों पर व्यय किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो अशोक, जनपथ, रणजीत तथा लोधी होटलों में इस खाते में कुल कितनी राशि डाली गई ;

(ग) कर्मचारियों के लिये कल्याण निधि के प्रबन्ध तथा प्रशासन के बारे में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और क्या इस सिफारिश को कार्यान्वित कर दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इस सिफारिश को किस प्रकार कार्यान्वित किया गया है और इस निधि के प्रबन्ध के लिए गठित समिति में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व क्या है ; और

(ङ) इस उद्देश्य के लिये बनाये गये नियम क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 11-7-67 से 27-3-70 तक की अवधि के दौरान कर्मचारी कल्याण खाते में डाली गई कुल राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

अशोक होटल	.....	1.06 लाख रु०
जनपथ ग्रुप के होटल	.....	1.29 लाख रु०

(ग), (घ) और (ङ) : वेज बोर्ड ने नियोक्ताओं के संघ द्वारा प्रतिनिधि संघों के परामर्श से कर्मचारी कल्याण निधि स्कीम के गठन का सुझाव दिया है । उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि जब तक एक औपचारिक योजना नहीं बनती और उसे क्रियान्वित नहीं किया जाता, तब तक निधियां संबन्धित प्रबन्धकवर्ग के पास अमानत के रूप में रखी जायें और उसका खर्च संघ के प्रतिनिधियों की राय से केवल कल्याण कार्यों के लिये किया जाये । नियोक्ताओं के संघ अर्थात् होटल संगठन से अभी तक औपचारिक योजना का प्रारूप प्रतीक्षित है। इस बीच अशोक एवं जनपथ ग्रुप के होटलों ने कई कल्याणकारी योजनायें प्रारम्भ कर दी हैं ।

बड़े पत्तनों के सम्बन्ध में आयोग

3641. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्थापित बड़े पत्तनों सम्बन्धी आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा की गई सिफारिशों, दिये गये सुझावों की मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या आयोग द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर इस बीच सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो आयोग की सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) हमारे बड़े पत्तनों के कार्यकरण के बारे में आयोग ने कितनी ही महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं आयोग की रिपोर्ट की प्रतियां निर्देश के लिये संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं। आयोग के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिश रिपोर्ट के अट्ठारवें अध्याय में दिये गये हैं ।

(ग) और (घ) : रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

Article on Central Hindi Directorate Published in "Hindustan"

3642. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to an article under the title "Kendriya Hindi Nideshalaya ke Betartib Dhang" (strange ways of the Central Hindi Direc-

torate) published in the Hindi Daily "Hindustan" dated the 5th June, 1970 under the heading Lok Vani ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : **(a) and (b)** : In his letter to the Editor, published in the Hindi daily "Hindustan" of the 5th June, 1970 under the column 'Lok Vani' Shri Brahmadev Rai, Pradhan Mantri, Samaj Sewa Sangh, Sonwani (Ballia), has made an allegation against the Central Hindi Directorate about the delayed payment of bills of the publishers in respect of Hindi books purchased by the Directorate for distribution in the non-Hindi speaking States. The complaint is of a general nature and if any specific instances of delay are brought to the notice of the Government, the matter will be looked into. Generally, the payments are made as soon as the order is executed in full and the relevant documents are supplied by the publisher.

Shiksha, Shikshak and Shiksharthi

3643. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to an article published in the special issue of the newspaper Aj dated 20th June, 1970, under the caption Shiksha, Shikshak and Shiksharthi (Education, Teacher and Student); and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shri A. K. Kisku) : (a) Yes, Sir.

(b) The comments made and suggestions offered in the article are mainly on a primary education. The State Governments have to take note of these. The National Policy on Education issued in 1968 sets out the principles to be followed by the Centre and the States for promoting the development of education in the country.

Use of Unfair Means in Examinatios

3644. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleaaed to state :

(a) whether it is a fact that several thousand students were caught copying and several thousand teachers were caught helping, them in copying in Uttar Pradesh this yearas published in Hindi Daily Hindustan, dated the 3rd June, 1970, under the heading 'Yatra Tatra Sarwatra' ; and

(b) if so, whether any scientific methods have been devised by the Government of Uttar Pradesh or the Government of India to check such mal-practices and, if so, the details thereof ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : **(a)** No, Sir. The matter published in the Hindi Daily 'Hindustan' of 3rd June, 1970 under the heading 'Yatra Tatra Sarwatra' does not refer to the subject of mal-practices in examinations.

(b) The checking of mal-practices in examinations is primarily the responsibility of the State Governments and University authorities. The Uttar Pradesh Government had made special arrangements to check malpractices in examination halls including provision of police

help to invigilators. The Central Advisory Board of Education has appointed a Committee to look into the matter. The report of the Committee is s awaited.

राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों को काम पर लगाना

3645. **श्री अदिचन : श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त भारत में राज्य-वार राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अंतर्गत स्कूलों में काम करने वाले प्रशिक्षकों की संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से स्थायी प्रशिक्षकों की संख्या कितनी है तथा अन्यों को स्थायी न बनाए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मिला है और क्या प्रधान मन्त्री ने उनके नेताओं को, जब उन्होंने उनके निवास स्थान के सामने धारना दिया था, कोई आश्वासन दिया था ;

(घ) क्या इन पदों को राज्य सरकारों को देने का कोई प्रस्ताव है और क्या राज्य सरकारें उन्हें अपने यहां नियुक्त करने को राजी हो गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में सरकार का विचार वर्तमान व्यवस्था को ही बनाये रखने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (च) : 1-8-1970 को राज्यों में काम कर रहे I और II वर्ग के एन० डी० एस० अनुदेशकों का राज्यवार वितरण अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है ।

राष्ट्रीय स्वस्थता कोर का कोई भी कर्मचारी उस संगठन में स्थायी घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के पद स्थायी पदों में बदले जाने के लिए अर्हक नहीं हैं । हाल ही में, राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कर्मचारियों के संघ से उनको राज्य सेवा में हस्तांतरण से पहले, स्थाई करने की घोषणा करने का प्रश्न केबिनेट सचिव के साथ उठाया है । केबिनेट सचिव श्री एस० एस० बनर्जी, संसद सदस्य द्वारा संघ को सूचित किया गया था कि उनके स्थाई बनाने के प्रश्न की जांच ऐसे स्थायीकरण से संबंध नियमों के अनुसार की जाएगी और सरकार भी, उनको राज्य सरकार की स्थाई नौकरी में लेने के लिए और केन्द्रीय सरकार में की गई उनकी पिछली सेवाओं का लाभ दिलाने के लिए राज्यों से अनुरोध करेगी । शिक्षा मंत्रालय ने मामले का पुनर्निरीक्षण किया तथा मंत्रिमंडल सचिवालय को सूचित किया था कि नियमों के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के पद स्थायी पदों में बदले जाने के लिए अर्हक नहीं है । यद्यपि प्रधानमंत्री द्वारा नेताओं को कोई आश्वासन नहीं दिया गया था, प्रतिनिधि मंडल को बताया गया धा कि उनकी शिकायतों पर विचार किया जाएगा । एन० डी० एस० अनुदेशकों को लेने के संबंध में कई राज्य सरकारों के साथ बात चीत को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । एन० डी० एस० अनुदेशकों को औपचारिक रूप से लेने के लिए, मैसूर, महाराष्ट्र–गुजरात, उड़ीसा की राज्य सरकारों और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर तथा त्रिपुरा के प्रशासन सहमत हो गए हैं । उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलावा,

दूसरे राज्य, बातचीत के दौरान में अनुदेशकों को लेने के लिए मान गए हैं और उनके औपचारिक उत्तर की प्रतीक्षा है। जैसा कि 1965 में मूल रूप से मान लिया गया था, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों से स्टाफ लेने के लिए आग्रह किया जा रहा है।

क्योंकि बातचीत जारी है इसलिए भविष्य में यथापूर्व स्थिति बनाए रखने का प्रश्न फिलहाल नहीं उठता।

विवरण

राज्य	एन० डी० एस० अनुदेशकों की संख्या
आन्ध्र	261
असम	151
बिहार	24
गुजरात	436
हरयाणा	374
जम्मू-काश्मीर	134
केरल	209
मध्यप्रदेश	388
महाराष्ट्र	1258
मैसूर	159
उड़ीसा	21
पंजाब	637
राजस्थान	559
तमिलनाडु	—
उत्तर प्रदेश	912
पश्चिम बंगाल	340
प्रशासन	
चंडीगढ़	33
दिल्ली	372
गोआ	11
हिमाचल प्रदेश	174
मणीपुर	9
त्रिपुरा	13
जोड़	6475

टिप्पणी—स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कुछ वरिष्ठ वर्ग 11 के अनुदेशकों को पर्यावेक्षण कार्य भी दिए गए हैं।

दिल्ली के स्कूलों और पालिटैक्नीकों में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था

3646. **श्री अदिचन :** **श्री निहाल सिंह :**

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के राजकीय स्कूलों तथा कालेजों विशेषकर तीन पालीटैक्नीकों में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तथा इसके लिए लगाए गये 'वाटर कूलर' ग्रीष्म ऋतु में प्रायः खराब रहते हैं ;

(ख) विद्यार्थियों के लिये पीने के पानी का प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में राजकीय शिक्षा संस्थाओं को क्या निदेश दिए गये हैं और क्या प्रायः उनका पालन नहीं किया जाता और यदि हां तो किस सीमा तक; और

(ग) यदि नहीं, तो किस सीमा तक ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) :

1. **दिल्ली में सरकारी स्कूल :** जहां तक दिल्ली में सरकारी स्कूलों का सम्बन्ध है, दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सभी स्कूलों को सलाह दी गई है कि काम के समय में पीने के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था की जाये। स्थानीय निकायों के साधनों से जहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं, स्कूलों में फिल्टर किया हुआ पानी मुहिया किया जाता है। जहां कहीं भी पानी की पूर्ति कम है वहां पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था भी की जाती है और बहुमंजली इमारतों में स्थित स्कूलों में बूस्टर पम्प लगाये गये हैं अथवा लगाये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां फिल्टर पानी उपलब्ध नहीं है पीने के पानी का नलकूप या हैन्ड पम्प अथवा कुओं के द्वारा प्रबन्ध है। नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा अनुरक्षित स्कूलों में भी पीने के पर्याप्त पानी की व्यवस्था है।

दिल्ली प्रशासन के अधीन स्कूलों में कोई जल-शीतकों की व्यवस्था नहीं हैं।

2. **दिल्ली में सरकारी कालेज :** दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के सभी कालेजों में पीने के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था है और इसलिए प्रश्न के भाग (ख) और (ग) में उठाई गई बातों का प्रश्न नहीं उठता।

3. **सरकारी पोलिटैकनिक और तकनीकी और उच्चतर माध्यमिक स्कूल :** तकनीकी शिक्षा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार लड़कों के लिए तीन पोलिटैक्नीक हैं जो कश्मीरी दरवाजा, पूसा और ओखला में स्थित हैं और एक महिला पोलिटैक्नीक है जो कश्मीरी दरवाजा में स्थित है।

इसी निदेशालय के अधीन नरेला, ओखला और कश्मीरी दरवाजा में तीन तकनीकी उच्चतर माध्यमिक स्कूल भी स्थित हैं।

कश्मीरी दरवाजा स्थित पोलिटैक्नीकों और एक तकनीकि उच्चतर माध्यमिक स्कूल में पानी की पूर्ति की स्थिति सन्तोषजनक है और नरेला स्थिति तकनीकी उच्चतर माध्यमिक स्कूल में भी ऐसी ही स्थिति है। पूसा और ओखला पोलिटैक्नीकों में और ओखला तकनीकी उच्चतर माध्यमिक

स्कूल में पानी की पूर्ति स्थिति संतोषजनक नहीं है। यद्यपि पूसा अहाते में मुख्य नगरपालिका लाइन से एक पानी वितरित करने के लिये लाइन बढ़ाई गई है, किन्तु पानी की पूर्ति कुछ घंटों ही के लिए सीमित है और जोड़ने वाली लाइनों का व्यास छोटा होने के कारण अहाते में पानी वितिरित करने वाली उपरली टंकी को पर्याप्त रूप से भराई में कठिनाइयां हैं। इस समस्या का हल खोजने के लिए नगर निगम के साथ बातचीत की जा रही है। ओखला में जहां लड़कों का एक पोलिटैकनिक और तकनीकि उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्थित है पानी की पूर्ति की स्थिति भी कठिन है। यह समस्या इसलिए पैदा हुई है क्योंकि पहले यह सोचा गया था कि ये संस्थाएं दिल्ली विकास अधिकरण द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो उसी इलाके में जहाँ ये संस्थाएं स्थित हैं निर्माणाधीन उपरली बड़ी टंकी के परिक्षेत्र में आ जायेंगी तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक क्षेत्र के लिये प्रस्तावित उपरली टंकी से इन संस्थाओं को आवश्यकता का पूरा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। इसे दृष्टि में रखते हुए दिल्ली नगर निगम से निवेदन किया गया है कि इन संस्थाओं का किसी अन्य स्रोत से पानी की पूर्ति कराई जाये। चूंकि इसमें समय लगेगा और समस्या गम्भीर हो गई है इसलिए यह प्रस्ताव है कि इन संस्थाओं को पानी की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक नलकूप बनाया जाये।

जल-शीतक, घड़े और टंकियां उपरोक्त संस्थाओं में पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मुहिया किये गये हैं। जल-शीतक सामान्यतः चालू स्थिति में रहते हैं, लेकिन पानी की निरन्तर पूर्ति न होने के कारण वे लगातार उपयोग में नहीं आते। कोई नुक्स पाये जाने पर मरम्मत यथा-शीघ्र कराई जाती है।

जहां तक प्रश्न (ख) और (ग) भाग में उठाई गई बातों का सम्बन्ध है यद्यपि इन संस्थाओं को कोई अनुदेश नहीं दिये गये हैं फिर भी प्रिंसिपल पीने के पानी की समस्या पर ध्यान दे रहे हैं और ऐसा उपाय कर रहे हैं जो परिस्थितियों के अन्तर्गत विद्यार्थियों के पीने के लिए पानी की पूर्ति हेतु सम्भव और आवश्यक हों।

श्रीलंका को जाने वाला एक भारतीय मालवाही जहाज का लापता होना

3647. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 156 टन का भारतीय माल जहाज जो 14 कर्मचारियों के साथ 21 जुलाई, 1970 को तूतीकोरिन से कोलम्बो को रवाना हुआ था, अभी तक वहां नहीं पहुंचा है,

(ख) यदि हां, तो क्या जहाज और उसके कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई पूछताछ की गई; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

संसद् कार्य, और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क),(ख) और (ग) : भारतीय माल पोत 'लेडी आफ वेलकानी' (पंजीयन सं० टी० टी० एन० 76) जो 21 जुलाई

1970 को तूतीकोरिन से कोलंबो के लिए रवाना हुआ था बाद में लापता हो गया। नौसेना के एक पोत और एक जलयान ने इसे 29 और 30 जुलाई को ढूंढ़ा परन्तु वह ढूंढने में सफल न हुए। बाद में धनुषकोड़ी के निकट कुछ प्याज के बोरे कुछ तरूती, एक नाव और 5 शव बहते हुए किनारे आये। चार शव फिर वापस समुद्र में वह गये परंतु पाँचवें शव को पहचान लिया गया है और वह गायब पोत के एक क्रमिक का है। इसी प्रकार नाव को भी पहचान लिया गया है कि वह उसी पोत की नाव है। इस आधार पर अनुमान है कि वह पोत और उसके क्रमिक समुद्र में यात्रा करते हुए डूब गये। पत्तन अधिकारी, तूतीकोरिन को इसकी जाँच करने के लिए कहा गया है।

पुरुषों को निजी रूप में स्नातकोत्तर परीक्षाओं में बैठने की सुविधाएं

3648. **श्री रा० बरुआ :** **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय कोई भी विश्वविद्यालय पुरुषों को निजी रुप में एम० ए० की परीक्षाएं देने की अनुमति नहीं देता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है,

(ख) क्या यह भी सच है कि किसी शैक्षणिक संस्थान/संगठन में विधि, कारोबार प्रबन्ध, पत्रकारिता, विपणन, बहीखाता आदि के दीर्घकालिक अथवा आधार पर किसी प्रकार के अंशकालिक पाठ्यक्रम की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि सरकारी कर्मचारी अपने भविष्य को सुधारने हेतु सायंकाल में उच्चतर शिक्षा ग्रहण कर सके, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार ने किन्हीं विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संगठनों को इस प्रकार के पाठ्यक्रम आरंभ करने और सरकारी कर्मचारियों को एम० ए० की परीक्षाओं में निजी रूप से बैठने की अनुमति देने के अनुदेश दिए हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए अनिवार्य अध्यापन कार्य

3649. **श्री रा० बरुआ :** **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षक अत्यधिक संख्या में विदेश जा रहे हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षा संस्थाओं में अधिकांशतया शिक्षकों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या शिक्षकों के लिये कुछ समय ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से कार्य करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे कि गांवों में रहने वाले व्यक्तियों को शिक्षा सम्बन्धी उचित सुविधाएं मिल सके ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी, नहीं। वास्तव में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित अध्यापक हैं जो बेरोजगार हैं। पंजीयत शिष्यों की संख्यानुसार,

आवश्यक संख्या में अतिरिक्त पदों का सृजन करने में राज्य सरकारों की असमर्थता के कारण हुए मामलों में स्कूलों में कर्मचारियों की कमी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी जासूस

3650. **श्री हेम बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने स्थानीय और अपने देश के जासूसों द्वारा पहले ही जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो 1966 से अब तक कितने पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जम्मू और काश्मीर में जासूसी के मामले होते रहे हैं जिनमें पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं। फिर भी सरकार सतर्क है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है।

अशोक और जनपथ तथा रणजीत होटल, नई दिल्ली के कर्मचारियों और अधिकारियों से वसूल किया गया किराया

3651. **श्री धीरेश्वर कलिता :** **श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित अशोक, जनपथ, रणजीत तथा लोदी होटलों में कर्मचारियों और अधिकारियों को दिये गये क्वार्टरों की संख्या कितनी है;

(ख) कर्मचारियों और अधिकारियों को किस श्रेणी के क्वार्टर दिए गये हैं और कर्मचारियों और अधिकारियों से कितने प्रतिशत किराया लिया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ अधिकारियों को होटल के अन्दर आवास किया गया है;

(घ) यदि हां, तो (i) दिये गये कमरों की कुल संख्या क्या है (ii) यदि अधिकारियों से ग्राहकों से लिया जाने वाला किराया लिया जाये तो वह क्या होगा, और (iii) अधिकारियों से वास्तव में कितना किराया वसूल किया गया; और

(ङ) यदि वास्तविक किराया वसूल नहीं किया गया, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : 379—इसके अतिरिक्त अशोक होटल के कर्मचारियों के लिये 27 शयनशालायें (डारमेटरिज़) हैं।

(ख) : सामान्यत: अधिकारियों को दो कमरों का तथा अन्य कर्मचारियों को एक कमरे का आवास उपलब्ध कराया जाता है। कुछ मामलों में, अशोक होटल में, कर्मचारियों को दो कमरों का आवास भी उपलब्ध कराया जाता है। उनसे निम्न प्रतिशत के अनुसार किराया लिया जाता है :—

अशोक होटल

कर्मचारियों के वेतन में से पारिवारिक आवास के लिये 10 प्रतिशत की कटौती की जाती है तथा अकेले कर्मचारियों से साझेदारी के आवास के लिये 5 प्रतिशत की कटौती की जाती है। उन मामलों में जहाँ कि अधिकारियों की सेवा शर्तों में निःशुल्क आवास की व्यवस्था नहीं है अधिकारियों के वेतन में से पारिवारिक आवास के लिये 12½ प्रतिशत की कटौती की जाती है तथा अकेले अधिकारियों से साझेदारी के आवास के लिये 6¼ प्रतिशत की कटौती की जाती है।

जनपथ होटल

अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों ही के मामले में मूल वेतन में से एक कमरे के आवास के लिये 10 प्रतिशत की कटौती की जाती है और साझेदारी के आवास के लिये 5 प्रतिशत की।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) :

अशोक होटल	–	4 कमरे
जनपथ होटल	–	4 कमरे
रणजीत होटल	–	2 कमरे
लोधी होटल	–	4 कमरे

अधिकारियों से शुल्क-दर के अनुसार किराया नहीं लिया जाता है। उनसे वास्तव में लिया जा रहा है किराया निम्नलिखित है :–

अशोक होटल

तीन अधिकारियों को उनकी सेवा शर्तों के अनुसार निःशुल्क आवास प्रदान किया गया है। दो अधिकारी साझेदारी में रह रहे हैं और उनके मूल वेतन में से 6¼ प्रतिशत की कटौती की जाती है। उनसे प्रतिमास कुल मिलाकर 100/—रुपये वसूल किये जाते हैं।

जनपथ होटल

वातानुकूलित आवास के लिये अधिकारियों के वेतन में से 12½ प्रतिशत की कटौती की जाती है और जो आवास वातानुकूलित नहीं है उसके लिये वेतन में से 10 प्रतिशत की कटौती की जाती है।

अशोक होटल लिमिटेड नई दिल्ली के कर्मचारियों की संख्या

3652. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक होटल लिमिटेड में (अधिकारियों समेत) कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं, श्रेणीवार उनकी संख्या, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव, वेतनमान तथा मंहगाई भत्ता और अन्य सुविधायें यदि कोई हैं; तो क्या हैं; और

(ख) अशोक होटल में, यदि कोई कर्मचारी दैनिक मजूरी पर काम करते हैं तो कितने; और उस कार्य का ब्यौरा क्या है जिसके लिए इन्हें लगाया जाता है और उन्हें कितनी मजूरी दी जाती है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) अशोक होटल में (अधिकारियों सहित) कर्मचारियों की कुल संख्या 1391 है। श्रेणीवार कर्मचारियों की संख्या उनके वेतनमानों सहित अनुबंध I पर संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4039/70]**

कुछ वर्गों के लिये निर्धारित योग्यतायें निम्न प्रकार हैं :—

क्लर्क—हायर सेकेंडरी के साथ टाइपराइटिंग में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार।

टेलिफोन आपरेटर/स्टोर-कीपर—हायर सेकेंडरी या समकक्ष भूतपूर्व सैनिकों के मामले में मैट्रिक्युलेशन तक की छूट दी जा सकती है।

रिसेप्शनिस्ट/स्टूअर्ड/हाउस कीपर—हायर सेकेंडरी। (किसी मान्यता प्राप्त संस्था से होटल प्रबन्ध में डिप्लोमा को तरजीह दी जाती है)

कुक/बेकर और कन्फेक्सनर—नये रंगरूटों की नियुक्ति करने से पहले ट्रेड टेस्ट लिये जाते हैं।

इंजीनियरी संधारण स्टाफ—जहां कहीं आवश्यक हो संबंधित ट्रेड में अनुभव सहित डिग्री/डिप्लोमा वेतन-मानों के अतिरिक्त, 350-650 रुपये अथवा उससे कम ग्रेड के कर्मचारियों को, समान रूप से 103/-रुपये प्रति मास का मंहगाई भत्ता, अलिपिक वर्गीय स्टाफ को 32/-रुपये प्रति मास तथा लिपिक वर्गीय स्टाफ को 35/-रुपये प्रति मास भोजन भत्ता तथा वेतन के 10% की दर से मकान किराया भत्ता जो कि कम से कम 10/-है, मिलता है। 400/800 रुपये अथवा उससे ऊपर के ग्रेड के अधिकारियों को केंद्रीय सरकार की दरों पर मंहगाई भत्ता मिलता है तथा वे भोजन-भत्ता पाने के अधिकारी नहीं हैं। अधिकारियों के कुछ विशिष्ट वर्ग अपने वेतन के 25% की दर पर मकान किराया भत्ते की प्रतिपूर्ति के अधिकारी हैं, बशर्ते कि उनके वेतन का प्रथम 10% उन्हीं के द्वारा दिया जाये। अन्य अधिकारी अपने वेतन का 10% मकान किराया भत्ता पाते हैं।

(ख) : 226. अशोक होटल में दैनिक मजदूरी पर लगाये गये कर्मचारियों की संख्या, उनको दी जाने वाली मंजूरी की दरों तथा उन कामों को जिन पर वे लगाये हुए हैं, दिखाने वाली एक सूची अनुबंध II पर संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4039/70]**

अशोक होटल लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

3653. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक होटल, नई दिल्ली में कर्मचारियों और अधिकारियों को कितने क्वार्टर दिये गये हैं;

(ख) क्या अशोक होटल में कर्मचारियों को क्वार्टर देने सम्बन्धी कोई नियम हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं;

(ग) अशोक होटल में अधिकारियों को कितने कमरे दिये हुए हैं; उन अधिकारियों को होटल में दिये गये आवास स्थान के लिए उनसे वास्तव में प्रति वर्ष कितना किराया वसूल किया गया तथा यदि ऐसे कमरे का टैरिफ दर के हिसाब से किराया लगाया जाता, तो इनका वास्तविक वार्षिक कितना होता ; और

(घ) क्या यह सच है कि अशोक होटल में कुछ ऐसे अधिकारियों को आवास स्थान दिया गया है जिनके दिल्ली में अपने मकान हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 27 शयन शालाओं के अतिरिक्त 246 क्वार्टर ।

(ख) : जी, हां । स्टाफ क्वार्टरों की अलाटमेंट (आवंटन) उसी प्रयोजन से बनाये गये आवास नियमों के अनुसार की जाती है । इन नियमों के अनुसार, 90% क्वार्टरों का आवंटन विधिवत् गठित आवास समिति द्वारा, पूर्णतया कर्मचारियों की प्रवरता के अनुसार किया जाता है। 10% क्वार्टर स्टाफ को आपाती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कार्यकारी निदेशक के आरक्षण में रखे जाते हैं । स्टाक क्वार्टरों के आवंटन के मामले में, 'ब्रोकन' अथवा 'शिफ्ट' ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों को तरजीह दी जाती है । उन्हें प्रत्येक 10 खाली क्वार्टरों में से क्रमश: 5 व 3 क्वार्टर मिलते है; जबकि 'स्ट्रेट' ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को दो मिलते हैं ।

(ग) अशोक होटल में 5 अधिकारियों के लिये चार कमरों की व्यवस्था की गई है । तीन अधिकारियों के लिये उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार नि:शुल्क आवास की व्यवस्था की गयी है तथा बाकी दो, जो एक ही कमरे में सहभागी है, 1200/–रुपये वार्षिक किराया, देते हैं । उपयुक्त 4 कमरों का वार्षिक किराया, यदि इसका 365 दिन के लिये पूरी लाग की परिकल्पना से टैरिफ करों पर हिसाब लगाया जाये, जो प्रति वर्ष 1,23,187/-रुपये बनता है।

(घ) जी, नहीं ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् क्रान्तिकारियों का बसाया जाना

3654. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ब्रिटिश सरकार को उलटने वाले भारतीय क्रान्तिकारियों के विरुद्ध लगाये गये षड्यन्त्र के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन क्रान्तिकारियों के राज्यवार क्या नाम हैं जिनको ब्रिटिश विरोधी कार्यवाहियों के कारण हानि उठानी पड़ी;

(ग) स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय क्रान्तिकारियों अथवा उनके परिवारों को कैसे सहायता दी गई; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने क्रान्तिकारियों सम्बन्धी परिचय पुस्तिका तैयार की है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : शिक्षा तथा युवा सेवा मंत्रालय भारतीय शहीदों की एक परिचय पुस्तिका का संकलन कर रहा है जिसमें उनके जीवन वृत तथा उनकी गतिविधियों का वर्णन होगा । प्रथम अंक अक्टूबर, 1969 को प्रकाशित हो चुका है ।

(घ) राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अपनी योजनायें बनाई हैं जिनके अन्तर्गत वे राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन नकद अनुदान, भूमि, अनुदान, पुनर्वास ऋण तथा उनके बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी रियायतों के रूप में राहत और सहायता प्रदान करते हैं । गृह मंत्री के स्वेच्छानुदान से स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके परिवार को वित्ती के मामलों में अनावर्ती नगद अनुदान् के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है । केन्द्रीय सरकार भी सुपात्र मामलों में उन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देती है जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष का कारावास भुगतान हो जिसका कुल भाग चाहे अण्डमान की जेल में काटा गया हो ।

Launching of Underground Movement by R. S. S. Consequent on Imposition of Ban

3655. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of any such move of the Rashtriya Swayam-Sevak Sangh whereby they propose to launch an underground movement in case a ban is imposed on the Sangh ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri R. N. Mirdha) : **(a) and(b)** : While there is no information about any such specific proposal, Gvernment are maintaining a careful watch.

मालवीयनगर और होज खास, नई दिल्ली के बीच की सड़क पर प्रकाश की व्यवस्था करना

3656. **श्री शशि भूषण** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री 10 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5848 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालवीयनगर और होज खास, नई दिल्ली के बीच की सड़क पर प्रकाश की व्यवस्था करने सम्बन्धी प्राक्कलन इस बीच तैयार कर लिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सड़क पर कब तक निश्चित रूप से प्रकाश की व्यवस्था कर दी जायेगी, क्योंकि इस कारण उस सड़क पर सदा दुर्घटना होने की सम्भावना रहती है ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) : जैसे उल्लिखित प्रश्नों में बताया गया था कि मार्ग, के उत्तर दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (दिल्ली प्रशासन) द्वारा निर्मित किया गया था केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (दिल्ली प्रशासन) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को शीघ्र ही मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था करने के लिये कहा है। प्राक्कलन अभी तैयार किया जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा धन की व्यवस्था किये जाने पर चालू वित्तीय वर्ष में प्रकाश की व्यवस्था किये जाने की संभावना है।

दिल्ली तथा नई दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देना

3657. **श्री शशि भूषण** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री दिल्ली तथा नई दिल्ली में प्राईवेट स्कूलों को मान्यता देने के बारे में 15 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9793 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली तथा नई दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के बारे में अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और अपेक्षित सूचना एकत्रित करने में आगे और कितना समय लगने की संभावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) : तगादों के बावजूद, दिल्ली नगर निगम से अपेक्षित सूचना की प्रतीक्षा है।

शहीद मीनार मैदान, कलकत्ता में सभा करने के लिये अनुमति

3658. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति (संगठन) ने 15 अगस्त, 1970 को शहीद मीनार मैदान, कलकत्ता में सभा आयोजित करने की अनुमति मांगी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह आवेदन पत्र किसी अन्य दल द्वारा ऐसी अनुमति के लिए आवेदन करने से काफी पहले भेजा गया था ; और

(ग) यदि हां, तो किन आधारों पर अनुमति दी गई थी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

पंजाब के फाजिल्का और अबोहर क्षेत्रों में स्कूलों में शिक्षा का माध्यम

3659. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फाजिल्का और अबोहर क्षेत्रों से चंडीगढ़ के बदले में हरियाणा को दिये जाने हैं स्कूलों में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है ;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने स्कूलों और कालेजों में पंजाबी को शिक्षा का माध्यम रखा है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे कि इन क्षेत्रों में जो अन्ततः हरियाणा को दिये जाने हैं, पंजाबी न लागू की जाये।

शिक्षा तथा युवक सेवा उप मंत्री (श्री अ० कु० किस्कु) : **(क) से (ग)** : सम्बन्धित राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वर्गीय डा० जाकिर हुसेन का स्मारक

3660. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० जाकिर हुसेन की स्मृति को अमर करने के लिये योजना मंजूर की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये कितनी राशि नियत की गई है।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : **(क) से (ग)** : स्वर्गीय डा० जाकिर हुसेन की स्मृति को बनाये रखने के लिए डा० जाकिर हुसेन स्मारक समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं, जिनके लिये सरकार से स्वीकृति ले ली गई है।

सरकार द्वारा स्वीकार की गई शिफारिशें तथा प्रत्येक शिफारिश को कार्यान्वित करने के संभाव्य लागत दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

निर्णय	उन पर की गई कार्यवाही	संभाव्य खर्च (रुपये) लाखों में
1	2	3
I. दिल्ली कालेज		
(क) नयी इमारत का निर्माण और दिल्ली कालेज के लिये एक नया स्थान जिसका नया नाम डा० जाकिर हुसैन स्मारक कालिज होगा और जिसका प्रबन्ध एक न्यास द्वारा किया जायेगा।		19.00
(ख) 10.67 लाख रुपये के संचित घाटे को समाप्त कर दिया जाय।		10.67 (1969-70)
(ग) घाटे को पूरा करने के आधार पर कालिज के लिये सहायक होना चाहिये।		1970-71 के लिये वास्तविक आंकड़े अभी निकालने हैं।

1	2	3
II. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में डा० जाकिर हुसैन की पीठिका		
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में डा० जाकिर हुसैन की स्मृति में एक पीठिका तथा एक पुस्तकालय एकक बनायी जाये ।	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद् ने निर्णय किया है कि शैक्षिक अध्ययनों के केन्द्र का नाम डा० जाकिर हुसेन से संबन्धित रखा जाय ।	
III. बच्चों की पुस्तकें उर्दू में		
डा० जाकिर हुसैन की स्मृति में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा उर्दू में बाल पुस्तकों की एक माला तैयार की जाये ।		1.00
IV. जीवनी		
डा० जाकिर हुसैन की जीवनी तैयार करने का कार्य प्रो० एम० मुजीब लें और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित किया जायेगा ।		0.17
V. डा० जाकिर हुसैन की एक समाधि बनायी जाये ।		6·00
VI. डा० जाकिर हुसैन स्मारक व्याख्यानमाला		
केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रतिवर्ष बारी बारी से डा० जाकिर हुसेन स्मारक का व्याख्यानमाला के आयोजन के लिये एक लाख रुपये की अक्षपनिधि का प्रबन्ध किया जाय ।		1.00
VII. अक्षपनिधि के द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया अध्ययनों के एक विभाग की स्थापना करें ।		3.00
	योग	40.84

नक्शे प्रकाशित करने के लिये लाइसेंस

3661. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नक्शों के प्रकाशन के लिये लाइसेंस व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस निर्णय के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा पर व्यय तथा अध्यापकों की दशा सुधारना

3662. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में शिक्षा पर प्रति व्यक्ति केवल 17 रुपये खर्च किये जाते हैं जब कि अमरीका में प्रति व्यक्ति 1200 रुपये खर्च किये जाते हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ग) शिक्षण वातावरण में सुधार करने के लिये तथा अध्यापन कार्य एवं सीखने के लिये अच्छी सामग्री तैयार करने के लिये अध्यापकों के पदस्थाति, परिलब्धियों तथा योग्यता में सुधार करने के क्या प्रयत्न किये गये हैं; और

(घ) इसके अभी तक क्या परिणाम प्राप्त हुये हैं।

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां।

(ख) शिक्षा पर किये जाने वाले खर्चे को बढ़ाना तभी संभव हो सकता है जब देश की आर्थिक अवस्था और उसके औद्योगीकरण के स्तर में सुधार हो। शिक्षा आयोग ने यह प्रस्ताव किया था कि 1985-86 में प्रति व्यक्ति लगभग 54 रुपये खर्च किया जाएगा और 2000 ईसवी तक इसे 100 रुपये तक कर दिया जाए। परन्तु सभी प्रयत्नों के उपरान्त भी यह स्पष्ट है कि शिक्षा पर किये जाने वाला खर्चा, भारत जैसे देश में, अमरीका जैसे बहुत बड़े औद्योगिक देश के समान नहीं हो सकता। शिक्षा आयोग ने बहुत कम स्रोत उपलब्ध होने पर भी शिक्षा में सुधार लाने के लिए कई उपाय सुझाए हैं जैसे देश में समय समय पर खर्च किए धन में से सर्वोत्तम परिणाम निकालना, कठोर परिश्रम को महत्व और जोर देना, अधिक अच्छी योजना बनाना इत्यादि।

(ग) और (घ) : (I) **अध्यापकों का दर्जा और वेतन**

कालिज और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के परिशोधित वेतन-मान के कार्यान्वयन का ब्यौरा अनुबन्ध I में दिया गया है।

स्कूलों के अध्यापकों के वेतन और सेवा की शर्तों में सुधार लाने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा अनुबन्ध II में दिया गया है।

(II) **अध्यापकों की योग्यताओं में सुधार, पाठ्यचर्या और पढ़ाने तथा याद करने की अच्छी सामग्री का उत्पादन**

स्कूलों और कालिजों के अध्यापकों की सामान्य शिक्षा तथा उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण को ऊंचा उठाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा इन अध्यापकों के सेवा में आने से पूर्व और सेवा में रहते हुए कई किस्म के कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है।

केन्द्र, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के माध्यम से और राज्य सरकारें अपनी विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से पाठ्यचर्याओं का परिशोधन करने तथा पढ़ने और पढ़ाने को अच्छी सामाग्री तैयार करने के लिये समय समय पर सभी प्रयत्न करती रही है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद विभिन्न विषयों पर पाठ्य पुस्तक सामग्री तथा इसके साथ ही अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिए संदर्शिका (गाइड) भी तैयार करती है। यह सामग्री राज्य सरकारों द्वारा अपनी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अपनाई जाती है अथवा इसका अनुकूलन किया जाता है।

विवरण

अनुबन्ध I

कालिज और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन मानों का परिशोधन (1966-71)

चालू योजना 1966-71 के अन्तर्गत कालिज और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन-मान के परिशोधन के लिए भारत सरकार द्वारा (और न कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा)। अप्रैल, 1966 से पांच वर्ष तक की अवधी में होने वाले अतिरिक्त खर्च का 80% तक वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाती है। बकाया खर्च (20%) राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाता है। और 31 मार्च, 1971 के बाद इन वेतन मानों को बनाये रखने का सारा उत्तरदायित्व उन्हीं पर होगा।

1.4.1966 से 31.3.1971 तक पांच वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा इस अतिरिक्त खर्चे का 80% खर्च किये जाने वाली राशि 22 करोड़ रुपए होने की आशा है। अभी तक भारत सरकार ने कुल 12.33 करोड़ रुपये का अनुदान राज्य सरकारों को दे दिया है।

इस योजना में अध्यापकों का निर्धारित वेतन-मान परिशिष्ट में दिया गया है।

यह योजना विश्वविद्यालयों और विज्ञान, कला, वाणिज्य, अध्यापक प्रशिक्षण और विधि कालिजों में लागू है और तकनीकी संस्थानों में, जहां वे विश्वविद्यालयों के एकक/विभाग के अंग हों उन मामलों को छोड़ कर यह योजना लागू नहीं होती।

जहां तक अध्यापकों का सम्बन्ध है, राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन की स्थिति निम्न-लिखित सारणी से प्रकट होती है।

सारणी

क्रमांक	राज्य सरकार	कार्यान्वयन पूरा किया गया था आंशिक
(1)	(2)	(3)
1.	आन्ध्र प्रदेश	योजना को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जा रहा है।
2.	असम	कालिजों और गुहाटी विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किया गया है।
3.	बिहार	योजना पूरी तरह से कार्यान्वित की जा रही है।

1	2	3
4.	गुजरात	योजना पूरी तरह से कार्यान्वित की जा रही है।
5.	हरियाणा	योजना पूरी तरह से कार्यान्वित की जा रही है।
6.	जम्मू और काश्मीर	योजना पूरी तरह से कार्यान्वित की जा रही है।
7.	केरल	केवल कालिजों के अध्यापकों के सम्बन्ध में ही यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन मानों का परिशोधन नहीं किया जायगा।
8.	मध्य प्रदेश	राज्य सरकार को ता० 1.7.1969 से पूरे पाँच वर्षों तक केन्द्रीय सहायता से इन वेतन-मानों को अपनाने की अनुमति दे दी गई है।
9.	महाराष्ट्र	योजना पूरी तरह कार्यान्वित की जा रही है।
10.	मैसूर	योजना पूरी तरह कार्यान्वित की जा रही है।
11.	पंजाब	योजना पूरी तरह कार्यान्वित की जा रही है।
12.	उड़ीसा	राज्य सरकार ने उड़ीसा के जन शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) को 19.2.70 को यह सूचित किया है कि विश्वविद्यायल में परिशोधित वेतन-मानों को लागू करने में राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है यदि होने वाला अतिरिक्त खर्चा वह उनके द्वारा ही किया जाए। राज्य सरकार से यह अनुरोध किया है कि वे यह स्पष्ट कर दें कि क्या वे होने वाला 20% अतिरिक्त व्यय वहन करेगी और क्या इन वेतन-मानों को कालिजों में भी लागू किया जाएगा ?
13.	नागालैंड	राज्य सरकार का परिशोधित वेतन मानों को लागू करने का विचार नहीं है क्योंकि वर्तमान वेतन-मान अधिक लाभप्रद है।
14.	राजस्थान	केवल विश्वविद्यालयों में यह योजना कार्यान्वित की जो रही है। राज्य सरकार से कालिजों के सम्बन्ध में प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।
15.	तमिलनाडु	योजना पूरी तरह से कार्यान्वित की जा रही है।
16.	उत्तर प्रदेश	योजना पूरी तरह से कार्यान्वित की जा रही है।
17.	पश्चिम बंगाल	योजना पूरी तरह से कार्यान्वित की जा रही है।

प्रत्येक राज्य सरकार के प्रस्ताव पूरी तरह जांच करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं। हर राज्य सरकार को यह आश्वासन देना पड़ता है कि वे तुल्य भाग देंगे। राज्य सरकार द्वारा किये गये खर्चे के ब्योरों के आधार पर अनुदान दिये जाते हैं।

विवरण

अनुबन्ध I का परिशिष्ट

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय और कालेजों के अध्यापकों के लिये 1966-71 हेतु सिफारिश किये गए वेतन-मानों को दर्शाने वाला विवरण :

विश्वविद्यालय अध्यापक

पद की श्रेणी		सिफारिश किए गए संशोधित वेतनमान	
प्रोफेसर	—	1100-50-1300-60-1600	रुपए
रीडर	—	700-50-1250	रुपए
प्राध्यापक	—	400-40-800-50-950	रुपए

टिप्पणी :- किसी भी विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की कुल संख्या के एक-तिहाई को 1600-100-1800 रु० के वरिष्ठ वेतन-मान में नियुक्त किया जा सकता है।

1. कालेजों के अध्यापक

उत्तर-स्नातक कालेज :

प्रिंसिपल	—	800-50-1250/1000-50-1500	रु०
वरिष्ठ प्राध्यापिका रीडर	—	700-40-1100 रु० (वरिष्ठ प्राध्यापकों रीडरों और प्राध्यापकों के पदों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं)।	
प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतन-मान)			
	400-30-640-40-800	(" ")	
प्राध्यापक (कनिष्ठ वेतन-मान)	—	300-25-600	रु०
निदर्शक ट्यूटर	—	250-15-400	रु०

टिप्पणी :- नए ढांचे में, विद्यमान विभाग प्रमुख, वरिष्ठ प्राध्यापक और रीडर, वरिष्ठ प्राध्यापक/रीडरों के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे, बशर्ते, उनकी आवश्यक अर्हताएं और अनुभव हो।

2. अवर स्नातक कालेज

प्रिंसिपल	—	700-40-1100	रु०

प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतन-मान) --	400-30-640-40-800	रु० (प्राध्यापकों के पदों की कुल सं० से 25% से अधिक न हो)
प्राध्यापक (कनिष्ठ वेतन-मान) --	300-25-600	रु०
निदर्शक। ट्यूटर --	250-15-400	रु०

अनुबन्ध II

अध्यापकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उठाए गए कदम

भारत सरकार का हमेंशा यह अभिमत रहा है कि शिक्षा की कोटि सुधारने के लिए, अध्यापकों के सभी स्तरों पर वेतन-मान, सेवा शर्तें और अर्हताओं में सुधार करना आवश्यक है। इस दिशा में किए गए ठोस उपायों में कुछ इस प्रकार हैं :—

1. वेतन-मानों में सुधार :

50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ, प्रथम पंचवर्षीय आयोजना से, अध्यापकों के वेतन-मानों में सुधार की एक योजना शुरू की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में, वास्तविक खर्च में प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए 23 करोड़ रुपये और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए 9 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अध्यापकों के वेतन-मानों के लिये, प्रारम्भिक शिक्षा के लिये लगभग 8.34 करोड़ रुपया और माध्यमिक शिक्षा के लिये 3.03 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, किन्तु भारत सरकार के आग्रह पर और राज्य सरकारों की इस अनुभूति पर कि अध्यापकों के साथ न्याय होना चाहिए, इन योजनाओं का वास्तविक खर्च प्रारम्भिक अध्यापकों के लिये 23.00 करोड़ रुपया और माध्यमिक अध्यापकों के लिए 14.60 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है। कुछ राज्यों में, इस शीर्षक के अधीन योजनेतर, खर्च भी हैं, भारत सरकार ने, विशेषरूप से उन राज्यों को जिनमें वेतन-मान बहुत कम हैं, वेतन-मानों में वृद्धि करने के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता को समझाने की कोशिश की है। इस सलाह के परिणामस्वरूप अनेक राज्यों ने अपने-अपने अध्यापकों के वेतन-मान पारिश्रमिक बढ़ा दिए हैं।

1950-51 और 1965-66 वर्षों में स्कूल स्तर पर विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों की अनुमानित औसत वेतन-मानों का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित है :—

अध्यापकों के औसत मासिक वेतन-मान (1950-51 और 1965-66)

संस्था की किस्म	अध्यापकों के औसत मासिक वेतन-मान (चालू मूल्यों पर)	
	1950-51	1965-66
माध्यमिक स्कूल	105	163
मिडिल स्कूल	57	102
प्राथमिक स्कूल	45	87
पूर्व-प्राथमिक स्कूल	76	90

कुछ राज्यों में, सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मान उसी स्तर के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मानों के मुकाबले कम हैं। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को इन्हें कम करने और यथा समय इस असमानता को समाप्त करने की सलाह दी है।

2. निर्वाह निधि और बीमा सहित पेंशन सम्बन्धी सुविधायें देना :

भारत सरकार ने, सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों के लिए, राज्य सरकारों द्वारा त्रिपक्षीय लाभ योजना (पेंशन, निर्वाह-निधि और बीमा) अपनाने पर भी जोर दिया है। नौ राज्यों ने इस योजना पर अमन करना शुरू कर दिया है और अन्य इस पर विचार कर रहे हैं।

भारत सरकार ने संघीय क्षेत्रों के लिए, इस योजना को 1-4-1965 से मंजूर कर दिया है।

3. संकटग्रस्त अध्यापकों की सहायतार्थ, अध्यापक प्रतिष्ठान की स्थापना :

भारत सरकार ने, आमतौर पर अध्यापकों के कल्याण के लिए और विशेषरूप से उनकी और उनके आश्रितों की मुसीबत कम करने के लिए, जून, 1962 भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान की स्थापना की है। राज्य सरकारों को अपने-अपने क्षेत्रों में अध्यापकों के लिए चन्दे में से 80 प्रतिशत तक खर्च करने की अनुमति है।

4. शैक्षिक प्रयत्नों के लिए अध्यापकों की रेल भाड़े में रियायत :

रेल-भाड़े मे जो पहले रियायत प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च और उच्च माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को दी जाती थी, वह अब केवल वास्तविक शैक्षिक पयर्टनों के लिए अपेक्षित प्रमाणपत्र पेश करने पर और ऐसे दलों की यात्राओं के लिए, जिनमें चार से कम व्यक्ति न हों, फिर से लागू कर दी गई है।

5. अध्यापकों के बच्चों के लिये शैक्षिक सुबिधायें :

अध्यापकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रश्न भी केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विचाराधीन है। भारत सरकार ने सभी संघीय क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर तक स्कूलों के अध्यापकों के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी है। मद्रास और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने प्राथमिक और माध्यमिक अध्यापकों के बच्चों के लिए उच्च माध्यमिक कक्षाओं तक, शिक्षा निःशुल्क कर दी है। जम्मू तथा कश्मीर में उत्तर-स्नातक स्तर तक शिक्षा निःशुल्क है।

राष्ट्रपति शासन के दौरान पश्चिम बंगाल में मारे गए असैनिक अधिकारी

3663. **श्री सरदार अमजद अली :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रपति शासन के दौरान पश्चिमी बंगाल में मारे गए और घायल हुये असैनिक अधिकारियों की संख्या सम्बन्धी कोई ब्यौरा है; और

(ख) सरकार का विचार उन अधिकारियों की सुरक्षा करने सम्बन्धी क्या एहतीयाती कार्यवाही करने की है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

भारतीयों को ब्रिटेन में चोरी छिपे ले जाने की यात्रा एजेंसियां

3664. **श्री सीता राम केसरी** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ यात्रा-एजेंसियां भारतीयों को चोरी छिपे ब्रिटेन ले जाने के कार्य में लगी हुई हैं;

(ख) क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि ये यात्रा एजेंसियां काले धन, वैध धन में परिवर्तित करने में भी लगी हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो अपराधियों को सजा देने तथा विदेशी मुद्रा को बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) प्रेस रिपोर्टों के अतिरिक्त, ऐसे दो मामले नोटिस में आये हैं जिनमें एक यात्रा एजेंसी पर जाली 'पी' फार्म के आधार पर नई दिल्ली से लन्दन तक की हवाई टिकटें प्राप्त करने का आरोप लगा है। इस मामले में उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Withdrawal of Hindi Teaching from class VII by West Bengal Government

3665. **Shri Ram Kishan Gupta** : **Shri Tridib Kumar Chaudhuri** : **Shri Mrityunjay Prasad** :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the reasons for which the West Bengal Government are discontinuing the teaching of Hindi as a compulsory subject from Class VII despite the fact that teaching of Hindi had been made compulsory for Classes V, VI and VII as per the decisions of the Chief Ministers, Conference, 1961 and the Kothari Commission, 1966 ; and

(b) the arrangements being made to provide employment to those Hindi teachers who would be thrown out of employment consequent to the discontinuance of teaching of Hindi as compulsory subject from the Class VII ?

The Minister of State for Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : **(a) and (b)** : According to the information available with the Ministry, the West Bengal Board of Secondary Education has decided that Hindi teaching would be imparted only in Classes V and VI of the recognised schools from 1971. The reasons for discontinuance of Hindi teaching in Class VII and arrangements made for providing alternative employment for Hindi teachers, who may be rendered surplus as a result of this decision, are being ascer-

tained from the West Bengal Government. The required information will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received from the State Government.

Expenditure on Hindi Teaching in West Bengal

3666. **Shri Ram Krishan Gupta : Shri Tridib Kumar Chaudhury : Shri Mrityunjay Prasad :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the amount of grants given to the West Bengal Government since 1968 in accordance with the three language formula ; and

(b) the amount of expenditure incurred by West Bengal on the teaching of Hindi and the contribution of the Central Grants or assistance therein during the last three years.

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b) : For the teaching of Hindi in accordance with the Three Language Formula, the Central Government renders financial assistance on 100 per cent basis to the Governments of non-Hindi speaking States, for the appointment of Hindi Teachers in Middle, High and Higher Secondary Schools and for the Establishment of Hindi Teachers Training Colleges.

On this basis, the total grant released to the West Bengal Government for these purposes during the last three years is as follows :

1967-68	..	.. Rs. 50,500
1968-69	..	.. Rs.3,56,000
196970	..	.. Rs.4,75,000

Grades and Pay-Scales of Hindi Teachers in West Bengal

3667. **Shri Ram Kishan Gupta**: Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the reasons for which the grades and pay-scales of the teachers appointed for Hindi teaching work in West Bengal under the three-Language Formula are different from those of other teachers ;

(b) the reasons for which the Hindi teachers are appointed on ad hoc basis in West Bengal ; and

(c) whether these teachers are deprived of the Provident Fund and other facilities because of their ad hoc appointment ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (c) : The required information is being collected from the West Bengal Government and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम

3668. **श्री राम किशन गुप्त : श्री कमलनयन बजाज :**

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम चलाने में कितनी सफलता मिली है;

(ख) वर्ष 1969-70 में पत्राचार पाठ्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षार्थियों की कितनी संख्या थी और उसमें से कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुये ; और

(ग) क्या इन पाठ्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (श्री बी० के० आर० बी० राव) : (क) पत्राचार पाठ्यक्रम की योजना का अच्छा स्वागत हुआ है । बी० ए० (पास) पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पत्राचार स्कूल अब बी० एस० सी० (पास) तथा बी० काम (पास) पाठ्यक्रमों के लिये सुविधायें प्रदान करता है । 1962-63 में जब स्कूल प्रारम्भ किया गया था, तब से नामांकन 1,112 से बढ़कर 1969-70 में लगभग 18,0000 हो गया है ।

(ख) स्कूल के 2,220 उम्मीदवारों में से जो अप्रैल 1970 में हुई बी० ए० (पास) की अन्तिम परीक्षा में बैठे थे 45·36 को पास प्रतिशतता दर्शाते हुये, 1,007 उम्मीदवार पास हुये थे ।

(ग) स्नातकोत्तर तथा बी० ए० (आनर्स) के कुछ विषयों में पत्राचार पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ करने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के विचाराधीन है ।

Central Schools in Madhya Pradesh

3669. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether there are any Central Schools in Madhya Pradesh and, if so, the location thereof ;

(b) whether any new Central Schools have been opened there during the current financial year and, if so, the location thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) There are seven Kendriya Vidyalayas (Central Schools) in Madhya Pradesh. They are located at : (i) Amla, (ii) Bhopal, (iii) Gwalior, (iv) Indore, (v) Jabalpur, (vi) Pachmarhi and (vii) Saugor ;

(b) No new Kendriya Vidyalaya has been opened so far in Madhya Pradesh during the current financial year. But a decision to open one at Neemuch during the current financial year has been taken recently.

(c) Does not arise.

National Highways in Madhya Pradesh

3670. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number of National Highways in Madhya Pradesh at present and the name of the place from where each Highway starts and where it ends as also the length of each Highway in Kilometres ;

(b) the names of those National Highways in Madhya Pradesh which are under construction and the time by which they would be completed ; and

(c) the names of those National Highways where construction work would be undertaken during the Fourth Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) A statement giving the required information is appended.

(b) The work on missing link on National Highway No. 12 only is under construction, and it is planned to be completed by the end of 4th Plan, subject to availability of funds.

(c) Some urgent improvements on some sections of some of the existing National Highways mentioned in (a) above such as widening roads to two lanes, strengthening weak pavements, providing hard shoulders, reconstruction of weak bridgesnd culverts, replacing submersible bridges providing over bridges in place of railway level crossings and construction of bypasses arround congested towns are envisaged during the 4 th Plan. The extent to which these improvements can be taken up will depend upon the acttual availability of funds.

Statement

Sl. No.	N.H. No.	Starting Place	Ending Place	Total length excluding Municipal portions, but including missing links
1	2	3	4	5
1.	3	Chambal River crossing ..	Madhya Pradesh Maharashtra border near Sendhwa in Madhya Pradesh.	676 Kms.
2.	6	Madhya Pradesh-Maha;shtra bor - der near Dhulia in Maharashtra.	Madhya Pradesh-Orissa border near Sohela in Madhya Pra - desh.	304 Kms.
3.	7	Madhya Pradesh-Maharashtra bor- der near Mawasa in Madhya Pra- desh.	Madhya Pradesh-Uttar Pradesh border.	500 Kms.
4.	12	Biaora	Jabalpur	401 Kms.
5.	25	Shivpuri	Madhya Pradesh-Uttar Pradesh border near Jhansi in Uttar Pradesh.	80 Kms
6.	26	Lakhandan ..	Madhya Pradesh-Uttar Pradesh border.	262 Kms.
7.	27	Junction of National Highway 7 near Mangawan in Madhya Pra - desh.	Madhya Pradesh-Uttar Pradesh border.	52 Kms
8.	43	Raipur ..	Madhya Pradesh-Orissa border near Jagadalpur in Madhya Pradesh.	310 Kms.
			Total ..	2585 Kms.

Development to Tourist Centres in Hoshangabad and East Nimar District

3671. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal under consideration for developing any of the tourist centres of Hoshangabad and East Nimar Districts of Madhya Pradesh into a major tourist centre;

(b) if so, the estimated amount likely to be spent thereon ; and

(c) the time by which it is likely to be developed fully ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Due to limited resources and other priorities the Department of Tourism is not in a position to take up any such schemes.

(b) and (c) : Do not arise.

मध्य प्रदेश में अधिक हवाई सेवाओं की आवश्यकता

3672. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह समझती है कि मध्य प्रदेश में हवाई सेवाओं में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है ; और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : इन्डियन एयरलाइन्स जबलपुर और रायपुर के लिये विमान सेवा परिचालित करने की व्यवहार्यता की जांच कर रही है ।

पश्चिमी बंगाल में डकैतियां तथा लूट-पाट

3673. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1969 से जुलाई, 1969 के बीच तथा जनवरी, 1970 से जुलाई, 1970 के बीच पश्चिमी बंगाल के प्रत्येक जिले में, कलकत्ते सहित, महीनेवार कितनी डकैतियां तथा लूट-पाट की घटनायें हुई थीं,

(ख) इस अवधि में (1) कितने मामले ऐसे हैं जिनमें अपराधी पकड़ लिये गये (2) कितने मामले ऐसे हैं जिसमें अपराधियों को सजा दी गई और किस प्रकार को सजा दी गई; और

(ग) (1) जनवरी, 1969 से जुलाई, 1969 तथा (2) जनवरी, 1970 से जुलाई, 1970 के बीच अलग-अगल हुई डकैतियों तथा लूट-पाट की घटनाओं में कितने मूल्य की सम्पत्ति, जिसमें नकदी धन भी शामिल है, लूटी गई ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) संबन्धित राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बोस विज्ञान संस्थान

3674. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार बोस विज्ञान संस्थान कलकत्ता को सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों में संस्थान के कुल खर्चे में वर्षवार सरकार का कितना योगदान रहा ;

(ग) क्या सरकार संस्थान के कर्मचारियों पर कोई नियंत्रण हैं; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता से शकाशित होने वाले एक बंगाली साप्ताहिक 'दर्पण' के 30 जनवरी, 1970 के अंक में प्रकाशित इस आशय के एक लेख की ओर दिलाया गया है कि सरकार द्वारा सहायता प्राप्त बोस विज्ञान संस्थान, जिसकी संस्थापना आचार्य जगदीश चन्द्र बोस ने की थी, को उसके भूतपूर्व निदेशक, डा० डी० एम० बोस की निजी सम्पत्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : भारत सरकार द्वारा बोस संस्थान, कलकत्ता को दिये गये अनुदानों और संस्थान के गत तीन वर्षों के कुल व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	सरकारी अनुदान	संस्थान का कुल व्यय
1967-68	14,70,522	17,90,147
1968-69	17,29,142	17,75,448
1969-70	17,92,142	(उपलब्ध नहीं है)

(ग) बोस संस्थान एक स्वायत्त निकाय है, जो सोसायटी पंजीयन अधिनियम के अधीन पंजीकृत है । भारत सरकार संस्थान को उसके अनुरक्षण और विकास के लिए वार्षिक अनुदान देती है । इन अनुदानों की अदायगी सामान्य शर्तों के अधीन की जाती है जिसमें संस्थान के लेखों की परीक्षण जांच; नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा होना सम्मिलित है । संस्थान का प्रशासन तथा प्रबन्ध, परिषद् और शासी निकाय के अधिकार में है जिसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं । संस्थान के लिये विभिन्न नियुक्तियां करने के लिये बनाई गई प्रवरण समितियों में भारत सरकार की उपयुक्त प्रतिनिधियों को नामित करती है । संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों का सामयिक पुनरीक्षण, भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रख्यात वैज्ञानिकों की एक पुनरीक्षण समिति द्वारा किया जाता है ।

(घ) जी, हां।

(ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार आरोप निराधार हैं।

अण्डमान में बसे पूर्व पाकिस्तान के विस्थापितों द्वारा भूख हड़ताल

3675. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महीने पहले अण्डमान में रहने वाले बंगालियों (पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित लोगों) ने प्राधिकारियों का ध्यान अपनी विकराल समस्याओं की ओर आकर्षित करने के लिए भूख हड़ताल की थी ;

(ख) क्या अनुकूल वातावरण बनाने के लिए हड़ताल समाप्त कर दी गई थी; और बसने वाले बंगालियों के संघ और उपायुक्त के बीच 8 मई, 1970 को होने वाली बैठक में उपायुक्त ने बंगालियों की कठिनाइयों के औचित्य को स्वीकार किया था ;

(ग) क्या उपायुक्त ने सहायक आयुक्त (बन्दोबस्त) को मूलवासियों को भूमि का पूरा कोटा देने की मांगों के सम्बन्ध में शीघ्र जांच कराने का निदेश दिया था ;

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो उपायुक्त के तथाकथित निदेश पर आज तक कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अनुकूल वातावरण बनाने के लिए हड़ताल समाप्त कर दी गई थी और 8 मई, 1970 को हुई एक बैठक में उप-आयुक्त ने बसने वाले बंगालियों के संघ के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया था कि उनकी सभी वास्तविक कठिनाइयों पर विचार किया जायेगा और उनका निवारण किया जायेगा। इन मांगों की जांच करने के लिए कार्यवाही पहले ही आरम्भ कर दी गई है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) तथा (ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार के लिये भारतीय जहाज

3676. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 से 1969-70 तक वर्षवार आन्तरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार के लिए कितने भारतीय जहाज (एक) भारत में तथा (दो) विदेशों में बनाये गये ;

(ख) उसी अवधि में आन्तरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार के लिए पृथक-पृथक भारत में बनाये गये जहाजों की कुल औसत निर्माण लागत में आयातित पुर्जों तथा कच्चे माल का कितना अंश रहा; और

(ग) जहाज निर्माण में भारत कब तक आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लेगा ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क)

वर्ष	जहाजों की संख्या जो		विदेशों से अर्जित वरत
	भारत में बने	विदेशों में बने	जहाजों की संख्या
1967-68	3	3	5
1968-69	2	6	18
1969-70	3	8	3

6 जहाजों के सिवाय बाकी सभी जहाज विदेशी व्यापार में लगे हुए हैं।

(ख) आयातित पुर्जों के अंश तथा जहाजों के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल आयात प्रतिस्थापना के सीमा और जहाजों के प्रकार पर निर्भर रहते हुये वर्षानुवर्ष जहाज प्रति जहाज भिन्न होता है। फिर भी, समुद्र पार जाने वाले हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम् में निर्माणाधीन जहाजों के लिये निर्माण की कुल लागत का आयातित मशीनरी तथा पुर्जों और कच्चे माल का अनुमानित अंश क्रमशः 23 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत है।

(ग) सरकार ने 66,000 कुल टन भार वर्ग के खुले वाहकों के निर्माण के लिए कोचीन में एक शिपयार्ड की स्थापना करने का निश्चय किया है। इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि देश जहाज बनाने में कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा।

Promulgation of an ordinance by U. P. Government Regarding University Students Union

3677. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minster of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether the Central Government are aware of the promulgation of the University Students Union Ordinance by the Uttar Pradesh Government ;

(b) whether the Ordinance is not contrary to the policy of the Centre in view of the fact that the Central Government are in favour of students' participation in the working of Universities ; and

(c) the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : The Ordinance does not prohibit student participation in the working of the universities. However, in so far as the question of membership of students unions is concerned the Central Government is awaiting the report of the Committee on the Governance of Universities and Colleges set up by the University Grants Commission under the Chairmanship of Dr. P. B. Gajendragadkar. This Committee is expected to make recommendations *inter-alia* on the question of membership of the students unions. The policy of the Government of India in the matter will be formulated after the receipt of the recommendations of the University Grants Commission on the report of the Gajendragadkar Committee which is expected to be received by the University Grants Commission shortly.

Withdwaral of Suspension Orders served on students of Delhi University

3678. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether the suspension orders served upon certain students of the Delhi University have since been withdrawn ; and

(b) the demands of these students and the reasons for which they were suspended ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The decision of the University in respect of the 14 students, who were suspended, is as under :

(i) Five students have been rusticated from the University for a period of 3 years.

(ii) Two students have been rusticated from the University for a period of 2 years .

(iii) Three students have been fined Rs.100 each and debarred from contesting for any position in Delhi University Students' Union or in a College Union.

(iv) One person, who was not a student of the University, is not to be admitted to the University for a period of three years.

(v) No action is to be taken against three students as there is no evidence to establish any charges against them.

(b) The University had suspended the 14 students who were identified as having taken an active part in leading the student demonstrators who attempted to disrupt the meeting of the Academic Council on July 23, 1970 and instigated the use of force to gain entry into the Council Room. The student demonistrators had demanded that all those who had been detained after failing in the B.A. (Pass) First Year examination should be unconditionally promoted and that action should be taken against the Vice-Chandellor for having called in plain-clothes men into the University campus.

Differences between Air-India and Rolls Royce Company of England

3679. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the Air India is having certain differences with the Rolls Royce Company of England ;

(b) if so, the causes thereof ; and

(c) the steps proposed to be taken to meet the situation arising therefrom ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

आठवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों का उपलब्ध न होना

3680. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा मिडिल कक्षाओं के लिए प्रकाशित भौतिकी और रसायन की पाठ्य पुस्तकें दिल्ली में उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के बाहर यह पुस्तकें आसानी से उपलब्ध हैं; और

(ग) दिल्ली के छात्रों को यह पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने की क्या व्यवस्था की जा रही है ताकि उनके पढ़ाई में बाधा न पड़े ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) : संदर्भाधीन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एन० सी० ई० आर० टी०) की पुस्तकें दिल्ली में उपलब्ध हैं। तथापि दिल्ली प्रशासन ने इन पुस्तकों का अनुकूलन किया था और अपने स्कूलों में प्रयोग करने के लिए अपने निजी संस्करणों के प्रकाशन करने का निश्चय किया था। कागज उपलब्ध न होने के कारण मुख्यतः छपने में कुछ विलम्ब हो गया है। दिल्ली प्रशासन द्वारा क्रमशः चालू तथा अगले महीने के दौरान भौतिकी तथा रसायन की पुस्तकें विद्यार्थियों को उपलब्ध करने के लिये कोशिशें की जा रही हैं।

दिल्ली से बाहर इन पुस्तकों के उपलब्ध न होने के बारे में कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

स्टेट्समैन के प्रधान सम्पादक को नक्सलवादियों की धमकी

3681. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट्समैन के प्रधान सम्पादक को नक्सलवादियों द्वारा दी गई धमकी के बारे में क्या सरकार ने कोई जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : **(क) और (ख)** : सरकार को उस धमकी की जानकारी है जो 26 अप्रैल, 1970 के स्टेट्समैन में भी प्रकाशित हुयी थी। राज्य सरकार ने इस दिशा में कुछ उपयुक्त प्रबन्ध किए हैं। नक्सलवादियों तथा अन्य ऐसे उग्रवादी वर्गों की अवैध गतिविधियों को कुचलने के लिए निश्चित किए जा रहे हैं।

नक्सलपंथियों द्वारा की गई हत्याएं

3682. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1970 तक पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार तथा आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादियों तथा अन्य अतिवादी कम्युनिस्ट वर्गों द्वारा की गई हत्याओं की संख्या कितनी हैं;

(ख) इस प्रकार के अत्याचार के लिये उत्तरदायी अपराधियों में से अभी तक कितने अपराधी गिरफ्तार किये जा चुके हैं; और

(ग) इन तत्वों द्वारा पश्चिम बंगाल में लोगों को आतंकित करने और पुलिस दलों के मनोबल के गिराने के लिये आरम्भ किए गए अभियान को रोकने के लिए क्या कार्यवाई की जा रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : **(क) और (ख)** : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्र प्रशासनों से पूरा पूरा सम्पर्क बनाए

हुए हैं और ऐसी सहायता भी उन्हें प्रदान कर रही है जो कि उग्रवादियों से निपटने के लिए आवश्यक है। राज्य सरकारों से इन गतिविधियों को कारगर ढंग से कुचलने के लिए सभी उपायों निरोधात्मक तथा दण्डात्मक करने के लिए कहा गया है। पश्चिम बंगाल की घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा अवैध गतिविधियों को कुचलने के लिए किए गये उपायों का लगातार पुनरीक्षण किया जाता है।

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संसद सदस्यों की परामर्श दात्री समिति

3683. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए संघ राज्य क्षेत्रों के संसद सदस्यों की परामर्श-दात्री समिति बनाने हेतु कई बार सुझाव दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की परामर्शदात्री समिति स्थापित करने में क्या कठिनाई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रों की विशेष समस्याओं से निपटने के लिए संघ राज्य क्षेत्रों के संसद सदस्यों की एक पृथक सलाहकार समिति के गठन करने के सुझाव की सावधानी से छानबीन की है, परन्तु सरकार का दृष्टिकोण है कि गृह मंत्रालय में संसद सदस्यों की वर्तमान सलाहकार समिति; जो संघ क्षेत्र से संबंधित मामलों से भी संबद्ध है, के अतिरिक्त अन्य समिति स्थापित करना आवश्यक नहीं है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रदर्शन

3684. **श्री बलराज मधोक** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने 29 जुलाई, 1970 को नई दिल्ली में इनके निवास स्थान के बाहर प्रदर्शन किया था और एक-एक ज्ञापन भी दिया;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य बातों के अतिरिक्त उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति के व्यवहार के प्रति भी आरोप लगाए गए थे; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए तथा उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ नेताओं ने एक प्रदर्शन का आयोजन किया था और मुझे एक पत्र दिया था।

(ख) जी हां।

(ग) जांच करने पर यह मालूम हुआ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई तथ्य नहीं था।

दिल्ली में फिर से मुस्लिम लीग का बनाया जाना

3685. **श्री बलराज मधोक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो राष्ट्रीय सिद्धान्त को जीवित रखने के लिए कार्य कर रही मुस्लिम लीग; मजलिस मशावरात और सम्बद्ध संगठनों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं और उन्होंने संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में भी अपनी शाखाएं खोल दी हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि मुस्लिम लीग के फिर से बन जाने से सभी राष्ट्रवादी लोगों में, जोकि 1947 मे किये गये इसके कार्यों से परिचित हैं एक तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो देश की एकता को भंग करने वाले ऐसे संगठनों एवं शक्तियों पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठार जा रहे हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और मुस्लिम मजलिस ने हाल में दिल्ली में अपनी एकाइयों का संगठन किया है। मुस्लिम मजलिस ई-मुशवरात का पहले से ही दिल्ली में उनका केन्द्रीय कार्यालय है।

(ख) किसी साम्प्रदायिक संगठन का बढ़ना भले ही वह किसी सम्प्रदाय से सम्बन्धित हो उनके लिए चिन्ता का विषय है जो धर्म निर्पेक्ष राज्य पर विश्वास करते हैं।

(ग) सरकार साम्प्रदायिक संगठनों की आपत्ति जनक गतिविधियों से निपटने के लिये उपयुक्त वैधानिक कानून बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

15-16 जून, 1970 को बेलगांव के लिए निर्धारित विमान-सेवा के टिकटों पर गलत पृष्ठांकन

3686. **श्री मृत्युंजय प्रसाद :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15-16 जून, 1970 की रात्रि को बेलगांव के दौरे पर जाने वाले मैसूर राजस्व अपीलीय ट्रिब्यूनल के सदस्यों के विमान टिकटों पर उस उड़ान की संख्या पृष्ठांकित की गई थी वह इंडियन एयरलाइन्स के रिकार्डों में नहीं थी तथा सदस्यों को बताया गया था कि ऐसी कोई उड़ान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस लापरवाही के क्या कारण हैं तथा इसके लिये कौन-कौन व्यक्ति उत्तरदायी हैं; और

(ग) क्या अब तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : बम्बई/बेलगांव/बम्बई सैक्टर पर सीटों के लिए अत्यधिक मांग होने के कारण इन्डियन एयरलाइन्स ने 15 जून, 1970 को एक अतिरिक्त उड़ान का परिचालन किया। उड़ान के परिचालन के पश्चात् भूलवश वह चार्ट बुकिंग स्टाफ के पास ही रह गया। 15 जून, 1970 को अनुसूचित उड़ान आई० सी 156 (बंगलौर/बेलगांव/पूना/बम्बई) बेलगांव और पूना में बिना उतरे ही 17·25 बजे बम्बई में उतरी।

इस उड़ान में बेलगांव के लिए आठ यात्री थे जिन्हें बम्बई लाया गया था और जो बेलगांव के लिए शीघ्रतम उपलब्ध उडान में सीटों की पुष्टि चाहते थे । 10 जून, 1970 को बम्बई/बेलगॉव अनुसूचित उड़ान में सीटों की बहुत तंगी होने के कारण इन यात्रियों को उस उड़ान में स्थान नहीं दिया जा सका । बुकिंग कर्मचारी इन यात्रियों को बेलगांव भेजने की चिंता में गलती से, 15 जून, 1970 को परिचालित की गई अतिरिक्त उड़ान के चार्ट का 10 जून, 1970 को परिचालित होने वाली उड़ान का चार्ट समझ बैठे, तथा सभी आठ यात्रियों को इस अतिरिक्त उड़ान में बुक कर दिया । गलती का पता उस समय चला जबकि 16 जून, 1970 अपराह्न को उक्त आठ यात्री सान्ताक्रूज विमान-क्षेत्र पर उपस्थित हो गये । परन्तु सान्ताक्रूज के स्थानीय प्रबन्धक उसी दिन सान्ताक्रूज से 13-05 बजे उड़ने वाली बम्बई/गोआ उड़ान आई० सी-163 का पथ परिवर्तन कर उसे बेलगाँव भेजने की व्यवस्था करने में सफल रहे तथा इन आठों यात्रियों का उड़ान आई० सी 163 द्वारा बेलगांव पहुंचा दिया ।

(ग) इन्डियन एयरलाइन्स संबंधित कर्मचारियों को इस भूल को गम्भीर गलती मानती है तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

Pay Scale of Delhi School Teachers

3687. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the pay scales of Peons, Motorcar Drivers and Clerks of his Ministry ;

(b) the pay scales of the different categories of Primary, Middle as well as Higher Secondary Schools teachers in the Government and Private Schools under the Delhi Administration ;

(c) the details of the dearness allowance, house rent allowance given as also the facilities of accommodation and medical treatment available to the employees referred to in parts (a) and (b) above ; and

(d) the reasons for giving low pay scales to the teachers in comparison to their qualifications and the steps being taken to improve their lot ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d) : The required information is being collected from the authorities concerned and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible after it is received.

Mode of Recruitment of Typists in C. B. I.

3688. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether there is any truth in the news reports to the effect that the Naxalites arrested in Jaduguda included one typist of the C. B. I. or a person, who had received an offer of appointment for the said post from the C. B. I.

(b) if so, the mode of recruitment of typists C. B. I. *i.e.* whether only spead in typewriting is taken into consideration or the antecedents and other background of the candidates are verified before their appointment; and

(c) in case the antecedents are verified, the reasons for appointing such a person as typist in the C. B. I. ?

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy, Minisster of Home Affairs and Minister of Planning (Shri Mati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

भारत में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि

3689. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों के परिणाम-स्वरूप भारत में पर्यटकों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969-70 और 1970-71 में पर्यटकों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ग) पर्यटन सेवाओं में वृद्धि लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना नीचे दी गयी है :—

वर्ष	आने वाले पर्यटकों की संख्या	गत वर्ष की अपेक्षा हुई वृद्धि की प्रतिशत
1969	244,724	29.6
1970		18.1
(जनवरी-जून)	129,017	

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पर्यटकों को भारत के लिए अधिक संख्या में आकृष्ट करने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपाय :–

1. भारत और विदेशों में उत्कृष्ट पर्यटन साहित्य द्वारा व्यापक प्रचार।
2. सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक होटल आवास की व्यवस्था और निजी होटल क्षेत्र को प्रोत्साहन।
3. विदेशों में और प्रोत्साही युनिटों का खोला जाना और वर्तमान युनिटों द्वारा प्रचार अभियान का तीव्र किया जाना।
4. चार्टर उड़ानों के परिचालन विषयक नीति का उदारीकरण।
5. कुछ देशों के साथ पारस्परिक आधार पर बीजा-शुल्क की समाप्ति।
6. पश्चिम जर्मनी, युगोस्लाविया और नार्डिक देशों के साथ 90 दिन तक के वास के लिए विजा समाप्ति के संबंध में द्विपक्षीय करार किये गये हैं।
7. अस्थायी लैंडिंग परमिट के आधार पर बिना वीजा के प्रवेश की अवधि 7 दिन से बढ़ा कर 21 दिन करना।

8. विमान क्षेत्रों पर सरली-करण प्रणाली की सुव्यवस्था।
9. गुलमर्ग, कोवालम और गोआ में इन स्थानों को लक्ष्य बना कर आने वाले यातायात के लिये अवकाशकालीन सैरगाहों का निर्माण।
10. भिखारियों और दलालों जैसे उद्वेगकारी तत्वों के निराकरण के प्रयत्न किये जा रहे हैं।
11. अपने चार अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों में वृहत् सुधार किये जा रहे हैं।
12. देश में सड़क और रेल यातायात के लिये और अधिक उपयुक्त और पर्याप्त सुविधाओं का प्रबन्ध।
13. वन्य-जीव एवं शिकार-पर्यटन का विकास।
14. पर्यटन सुविधाओं के संवर्धन के लिए स्वयं सेवी संगठनों, संस्थानों और निजी क्षेत्र को अनुदान और ऋण देकर सहायता।
15. जहां संभव है वहां पर्यटन केन्द्रों पर वर्तमान सुविधाओं में सुधार।
16. पुरातत्विक स्मारकों सहित पर्यटन रुचि के स्थलों का और अधिक अनुरक्षण।
17. पर्यटन सेवाओं को चलाने के लिए प्रशिक्षण और अर्हता-प्राप्त कर्मचारियों के एक संवर्ग के निर्माण के लिये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास।

दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों के किराये में वृद्धि

3690. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम ने दिल्ली परिवहन समिति को एक बार फिर यह सलाह दी है कि इसको विषम आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों के किरायों का पुनरीक्षण किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दिल्ली के सभी वर्गों के लोग किराये में किसी प्रकार की वृद्धि करने के विरुद्ध है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : यह ज्ञात हुआ है कि अगस्त 1968 में और फिर दिसम्बर 1969 में उपक्रम के महाप्रबन्धक ने डी० टी० यू० की किराया-संरचना के पुनरीक्षण के लिए एक प्रस्ताव दिल्ली परिवहन समिति के समक्ष रखा था। परन्तु वह समिति इस प्रस्ताव के पक्ष में न हुई। यह एक संवैधानिक समिति है जो डी० टी० यू० के प्रशासन के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अन्तर्गत स्थापित की गयी थी। यह भी सूचित किया गया है कि उपक्रम की वित्तीय स्थिति के बारे में दिल्ली परिवहन समिति को 28-6-70 को प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में महा प्रबन्धक ने उपक्रम की किराया संरचना में परिशोधन करने का फिर अनुरोध किया। मामला उस समिति के विचाराधीन है।

(ग) कुछ लोगों ने बस किराये में वृद्धि करने का विरोध किया है।

(घ) इस सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करना दिल्ली परिवहन उपक्रम का काम है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के डिग्री पाठ्यक्रमों में प्राइवेट विद्यार्थियों के बैठ सकने के लिए कानून

3691. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री सीताराम केसरी :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली डिग्री पाठ्यक्रमों की परीक्षा में प्राईवेट विद्यार्थियों के बैठ सकने के लिए कानून बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों को भी यह परामर्श दिया जाएगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम को एक अध्यादेश के द्वारा पहले से ही संशोधित कर दिया गया है। ताकि विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाओं के लिये बाहर के छात्रों का पंजीयन कर सके। इस संबंध में एक विधेयक राज्य सभा केस पास हो चुका है। और सभा के कार्य की सूची में है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से दूसरे विश्वविद्यालयों को सलाह देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए और इस विषय पर उचित कार्रवाई करने के लिये अनुरोध किया जायेगा।

सिमूली पहाड़ राष्ट्रीय पार्क

3692. **श्री स० कुण्डू :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री 15 मई, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1651 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य पशुओं सम्बन्धी भारतीय मंडल द्वारा नियुक्त की कई विशेषज्ञ समिति ने उड़ीसा से मयूरबंज जिले क सिमूली पहाड़, राष्ट्रीय पार्क का दौरा किया है;

(ख) यदि नहीं, तो कब तक यह दौरा किया जाएगा;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय के किसी विशेषज्ञ निकाय ने सिमूली पहाड़ का इसकी पर्यटन क्षमता का सर्वेक्षण करने के लिये दौरा किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का वहां कोई विशेषज्ञ निकाय भेजने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : जी, नहीं। सीमित साधनों तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण, पर्यटन विभाग, फिलहाल, सिमूली पहाड़ में किसी स्कीम को हाथ में लेने की स्थिति में नहीं है।

बालासोर (उड़ीसा) में चण्डीपुर-आन-सी का विकास

3693. **श्री स० कुण्डू :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री बालासोर (उड़ीसा) में

चण्डीपुर-आन-सी का विकास के बारे में 24 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7398 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा के बालासौर जिले के चण्डीपुर की योजना का ब्यौरा क्या है और जिसे कि राज्य सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, 'चंडीपुर-आन-सी' के विकास के लिये स्कीमों के ब्यौरे विचाराधीन हैं।

उड़ीसा में छोटे पत्तनों का विकास

3694. **श्री स० कुन्दू** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में छोटे पत्तनों के लिये स्थानों के बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो छोटे पत्तन कहां बनाये जायेंगे;

(ग) क्या एक संसद सदस्य द्वारा उनको लिखे गये पत्र पर, जिसमें उनका ध्यान उड़ीसा के बालासोर जिले में चान्दवली के एक छोटे पतन के रूप में विकास करने से होने वाले लाभों की ओर आकर्षित किया था समुचित विचार किया गया है; और

(घ) यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है, तो कब तक निर्णय किया जायेगा ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ) : उड़ीसा में चांदवाली और गोपालपुर दो छोटे पत्तन हैं। इन पतनों के विकास का कार्यकारी दायित्व उड़ीसा राज्य सरकार की है। भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत इन दो पत्तनों में से एक चुनने के लिये एक समिति नियुक्त की। प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित पत्र की एक प्रतिलिपि उस समिति को उपलब्ध कराई गई। समिति की सिफारिशें प्राप्त हो चुकी है और विचाराधीन हैं।

अईहोले, पुत्ताडकल तथा बादामी में स्मारकों का संरक्षण

3695. **श्री दिनकर देसाई** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण द्वारा अईहोले पुत्ताडकल तथा बदामी में कितने राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण होता है;

(ख) इस वर्ष इन में से कितने स्मारकों की मरम्मत की गई है;

(ग) अईहोले तथा पुत्ताडकल में खुदाई तथा निपटान कार्य के परिणाम स्वरूप जिन नई बातों का पता लगा है उनका विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है जिससे अईहोले में गलगणे तियां, मुल्लिकार्जुन, मेथुनी जैन तथा एनजर मन्दिरों में तथा बदामी में भूतनाथ और येलम्मा मन्दिरों में जहां मरम्मत की अत्यधिक आवश्यकता है मरम्मत कार्य किया जाये; और

(ङ) क्या वहाँ तक दर्शकों के जाने के लिए सड़कें बनाये जाने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अईहोले पुत्ताडकल और बादामी में केन्द्रीय सरक्षित स्मारकों की संख्या, क्रमशः 59, 12 और 11 हैं।

(ख) अईहोले, पुत्ताडकल और बादामी में, इस वर्ष क्रमाशः 8,6, और 6 स्मारकों की मरम्मत कराई गई है।

(ग) अईहोले में, लदखान क्षेत्र में मन्दिर अहाते की खुदाई करने पर, लदखान गौदर सूर्य नारायण मन्दिर की कुर्सियों के घुमावदा मार्ग तथा दो साथ लेगे छोटे मठों का पता लगा है; मूल सोपान की पत्थर की सोढ़ियों गोदार मन्दिर तक जाती है और संगीन चिनाई की दीवार गौदार मन्दिर के चारों ओर है। ऐसा विश्वास है कि पत्थर के मन्दिर की घुमावदार कुर्सी पूर्वी-चालुक्य काल की है।

अवशेषों में ये वस्तुएं पाई गई हैं लदखान मन्दिर की नेव के नीचे ईटों की संरचना के अवशेष, लाल-पलिखदार बर्तन और मूर्तियां, जिनके कुबरे की मूर्ति भी शामिल है। साथ लगे कुन्ति मन्दिर के अहाते में सुन्दर मूर्तियों की नक्काशी से युक्त खम्भों और कुर्सियों के दबे रास्ते और 1, 2 और 3 मन्दिरों की सीढ़ियों का पता चला है। एक नक्काशी दार पत्थर का शिला खण्ड भी मिला है। आठवीं ईसवीं शताब्दी के स्वर्ण और रजत आभूषण, जिनमें सुन्दर मौर की तस्वीर के साथ एक स्वर्ण कुण्डल हुछारपय्या मरू के प्रांगण में पाए गए हैं। इस क्षेत्र में, दो मन्दिरों की घुमावदार कुर्सियों का भी पता लगा है।

पुत्ताडकल में वीरू याक्ष समूह मन्दिरों के किए गए शोधन कार्रवाइयों द्वारा 36 छोटे मठों, मल्लिकार्जुन मन्दिरों और उसके नन्दीमण्डप और अनाज गोदामों के ऊपर गहरे उभरी हुई नक्काशी में खुदे हुए, पशु-मुहा दिलहों का पता चला है। वीरू पक्ष मन्दिर को घेरे की दीवार के दक्षिण बाजू का उसके सुन्दर गढ़तों के साथ पता चला है। संगेश्वर मन्दिर के सामने ईटों से बना खंभों वाला सत्वाहन युग का एक मन्दिर सफाई से उभर आया है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में, अईहोले में मल्लिकार्जुन, मघुती और जैर समूह मन्दिरों में तथा बादामो में भूतनाथ मन्दिर में मरम्मत को जाएगी। चेल्लाया मन्दिर की मरम्मत 1972-73 में करने का विचार है।

(ङ) इस वर्ष में राज्य सरकार का आवश्यक सड़कों की व्यवस्था करने का एक प्रस्ताव है।

दिल्ली में राजकोय सहायता प्राप्त परिवहन सेवा

3696. श्री न० रा० देवघरे : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राजकीय सहायता-प्राप्त परिवहन सेवा को प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है जैसा कि तामिलनाडू; पश्चिम बंगाल और बम्बई में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : भारत सरकार दिल्ली में परिवहन सेवाओं को उपदान देने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

(ख) **और** (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास करने वाले छात्रों का पाकिस्तान जाना

3697. **श्री हेमराज** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1967, 1968, 1969 और 1970 के जून के अन्त तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कितने छात्रों ने स्नातक परीक्षा पास की या विभिन्न संकायों से उच्चतर डिग्रियां प्राप्त की और उसके बाद पाकिस्तान चले गए ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातकों तथा उत्तर-स्नातकों के पाकिस्तान चले जाने के संबंध में कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है ।

संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने के मापदण्ड

3698. **श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 17 अप्रैल, 1970 के संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने के मापदण्ड के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 6571 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने का कोई सामान्य मापदण्ड बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी जाएगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : 6 अगस्त, 1970 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में सदन में दिये गये मेरे वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

संघ लोक सेवा आयोग की भारतीय प्रशासन सेवा तथा राज्य की असैनिक सेवाओं की परीक्षा में बैठने के लिये आयु सीमा में वृद्धि

3699. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने संघ लोक सेवा आयोग की भारतीय प्रशासन सेवा तथा राज्यों की असैनिक सेवा परीक्षाओं में बैठने के लिये उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 24 वर्ष से बढ़ाकर 26 वर्ष करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या उक्त सिफारिश का आशय शोध कार्य में लगे स्नातकोत्तर छात्रों को प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में बैठने का अवसर देने का है;

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले ही प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) प्रशासन सुधार आयोग ने अपनी कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि "प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश करने की उच्चतम आयु सीमा बढ़ाकर 26 की जाय।" यह सिफारिश गैर-तकनीकी उच्चतर सेवाओं जैसे भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाओं के लिये संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाती है से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग राज्य सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए परीक्षाएं नहीं लेता है।

(ख) इस सिफारिश का अभिप्राय उन व्यक्तियों को संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा उपरोक्त सेवाओं में प्रवेश करने के अवसर प्रदान करना है। जिन्होंने अपनी उपाधि लेने के बाद अनुसंधान कार्य किया हो अथवा जिन्होंने इन्जीनियरी, औषधि इत्यादि के क्षेत्रों में विशेष अध्ययन किया हो।

(ग) सिफारिश अभी सरकार के विचाराधीन है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सिफारिश राज्य सिविल सेवाओं पर लागू नहीं होती।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से प्राचीन कलाकृतियों का निर्यात

3700. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा : श्री मणिभाई जे० पटेल :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय प्राचीन कलाकृतियों के अनधिकृत निर्यात के लिए दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों को कड़ा दण्ड देने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्राचीन कलाकृतियों के निर्यात का कार्य राज्य व्यापार निगम अथवा हथकरघा निर्यात निगम के माध्यम से करने का है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) : सरकार शीघ्र ही संसद् में पुरावशेषों के सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक पेश करना चाहती है। प्रस्तावित विधेयक में, विविध दण्डों से सम्बन्धित और पुरावशेषों के निर्यात में राज्य व्यापार सम्बन्धी धाराएं होंगी।

दरियागंज, दिल्ली में आग लगने के कारणों की जांच

3701. **श्री मणिभाई जे० पटेल : श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष जून में दरियागंज, दिल्ली में लगी आग, जिसमें 17 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, के कारणों का पता लगाने के लिए गठित एक सदस्यीय जांच आयोग ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् । 14-10-70 को दिल्ली प्रशासन द्वारा एक सदस्यीय जांच आयोग की नियुक्ति उस आग के कारणों का पता लगाने के लिए की गई जो दिल्ली में दरियागंज में इक्नोमिक ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के अहाते में लगी थी। आयोग ने 12-6-1970 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) आयोग के कार्य की शर्तें तथा उसके निष्कर्षों की मोटी-मोटी बातें संलग्न विवरण में बताई गई हैं।

(ग) दिल्ली पुलिस के अनुसार दरियागंज के थाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 436 के अन्तर्गत एफ० आई० आर० संख्या 461/69 का एक मामला दर्ज किया गया। जांच आयोग के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुये जांच-पड़ताल को अंतिम रूप दिया जाना है। दिल्ली प्रशासन द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों से, जांच आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये, आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निवेदन किया गया है। सरकार ने दिल्ली प्रशासन से सिफारिशों पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए कहा है।

सरकारी तथा गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों पर लाल झंडे फहराए जाना

3702. **श्री समर गुह :** **श्री मंगलाथुमाडम :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्र-विरोधी उग्रवादी तत्वों द्वारा सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं पर लाल झंडे फहराए गये हैं ;

(ख) शिक्षा अधिकारियों तथा सरकार के मध्य विरोधी विचारों के कारण कि ऐसे झंडों को उतारने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है; क्या ये लाल झंडे कई सप्ताहों और यहां तक कि कई महीनों तक वहां फहराते हुए पाये गये हैं ;

(ग) पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चे की सरकार के पतन के बाद, उन सरकारी शिक्षण संस्थाओं के नाम क्या हैं, जहां इस अवधि में लाल झंडे फहराये गये हैं; और

(घ) ऐसी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का सुदृढ़तापूर्वक सामना करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) दृष्टान्त ध्यान में आये हैं।

(ख) ऐसे सामान्य मतभेद सरकार के ध्यान में नहीं आये हैं।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) दिनांक 31-7-70 को तारांकित प्रश्न संख्या 122 के सदन में दिए गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। भवनों से ऐसे लाल झन्डों को हटा देने की सरकार की नीति है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

3703. **श्री वें० कृ० दासचौधरी :** **श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 1 जनवरी, 1970 से 1 जून, 1970 तक देश में राज्यवार कितने सरकारी कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों को रिश्वत, आपराधिक दुराचरण तथा ठगी के मामले में आरोप पत्र दिये गये ; और

(ख) उन व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

प्रधान मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 1-1-1970 से 1-6-1970 तक की अवधि में रिश्वत, आपराधिक दुराचरण और ठगी के आरोपों के लिए 95 सरकारी कर्मचारियों (11 राजपत्रित अधिकारियों समेत) और 73 गैर-सरकारी व्यक्तियों के मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दिये गये। आरोप पत्र दिये गये व्यक्तियों के राज्यवार ब्यौरों का विवरण संलग्न है।

(ख) अब तक उपरोक्त (क) में उल्लिखित व्यक्तियों में से 7 व्यक्तियों का दोष सिद्ध किया गया है। शेष व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमें चल रहे हैं।

विवरण

उन सरकारी कर्मचारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों के बारे में विवरण जिनके मामले में 1-1-1970 से 1-6-1970 तक की अवधि में आरोप-पत्र दिये गये थे-राज्यवार

राज्य का नाम	राजपत्रित अधिकारी	अराजपत्रित अधिकारी	गैर-सरकारी व्यक्ति
1. दिल्ली	—	7	37
2. असम	—	2	—
3. मध्य प्रदेश	1	2	—
4. तमिल नाडु	—	4	—
5. केरल	1	1	7
6. मैसूर	—	3	—
7. आन्ध्र प्रदेश	1	19	4
8. पश्चिम बंगाल	1	4	4

9. उत्तर प्रदेश	—	8	2
10. उड़ीसा	—	5	—
11. बिहार	—	6	6
12. राजस्थान	2	16	3
13. पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश	5	5	4
14. महाराष्ट्र	—	5	3
15. हरियाणा	—	—	3
कुल :	11	87	73

बेरोजगार वाणिज्यिक चालक

3704. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लगभग 200 वाणिज्यिक चालक, जिनको काफी अनुभव भी प्राप्त है, बेरोजगार हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें शीघ्रातिशीघ्र रोजगार देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यद्यपि इस सम्बन्ध में बिलकुल सही सूचना उपलब्ध नहीं है, 30 जून, 1970 को 963 विमान चालकों के पास निम्न वर्गों के चालू व्यवसायिक विमान-चालन लाइसेंस थे :—

वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंस	—	381
प्रवर वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंस	—	81
एयरलाइन परिवहन विमान चालक लाइसेंस	—	501

उपरोक्त में से लगभग 720 के नौकरी में लगे होने का पता है

(ख) जब कभी वाणिज्यिक विमान चालकों की सेवाओं के सम्बन्ध में कोई आवेदन प्राप्त होता है तो उसे फ्लाइङ्ग क्लबों आदि में प्रसारित किया जाता है ।

महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा का गिरता हुआ स्तर

3705. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री सीताराम केसरी :**

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों ने महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा के गिरते हुये स्तर पर चिन्ता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा देश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का एक सम्मेलन आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा जून 1970 में आयोजित किया गया था। सम्मेलन के बाद जानकारी को गई प्रेस-विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षा के गिरते स्तर पर कुलपतियों ने गहरी चिंता प्रगट की और अधिक ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि सम्मेलन के द्वारा इस विषय पर कोई औपचारिक संकल्प पास नहीं किया गया था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने उपलब्ध सीमित साधनों के अन्तर्गत अपनी कानूनी जिम्मेदारी के अनुसार उच्च शिक्षा के गुण तथा विषय वस्तु में सुधार लाने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। इस विषय में आयोग द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रमों में से कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम नीचे किए गये हैं :—

(क) विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों, प्रयोगशाला शिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं का विकास।

(ख) उच्च अध्ययन केन्द्र स्थापित करना,

(ग) ग्रीष्म संस्थान, सेमिनार आदि का आयोजन करना,

(घ) पाठ्यविवरणों का आधुनिकीकरण,

(ङ) परीक्षा सुधार,

(च) छात्रवृत्तियां तथा अध्येता वृत्तियों की व्यवस्था;

(छ) अध्यापकों और विद्यार्थियों को यात्रा अनुदान की व्यवस्था,

(ज) सेवा निवृत्त अध्यापकों की सेवाओं का उपयोग,

(झ) छात्रावासों और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण, और

(ञ) विद्यार्थी गृह, विद्यार्थी सहायता निधि और पाठ्यपुस्तक, पुस्तकालय, भौतिकी सुविधाओं की व्यवस्था, स्वास्थ्य केन्द्र आदि जैसे विद्यार्थी कल्याण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

नई दिल्ली के एक धनी व्यापारी के विरुद्ध जांच

3706. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली की एक कालोनी के निवासी एक धनी व्यापारी के विरुद्ध जो धर्म तेजा का लघुस्वरूप मिनि माना जाता है जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो वह कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : **(क) से (ग)** : संभवत: हवाला श्री सुरिन्दर कुमार डेसर का है जिसके विरुद्ध उसके पिता ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कुछ आरोप भेजे थे। आरोपों का मुख्यत: सम्बन्ध एक

विदेशी कार को सीमाकर-मुक्त परमिट के प्रदान करने से था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कोई जाँच नहीं की बल्कि आरोपों को आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के ध्यान में लाया।

'तमिल भाषा में अनुसंधान' विषय पर पेरिस में हुये सम्मेलन की शिफारिशें

3707. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 40 राष्ट्रों के विद्यवानों ने 17 जुलाई, 1970 को पेरिस में हुये सम्मेलन में विश्व का सबसे पुरानी भाषा तमिल के नवीनतम् अनुसंधान पर चर्चा की थी और यह निर्णय किया था कि उस विषय पर वहां समिति स्थापित को जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) तमिल अध्ययन का तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन सेमिनार पेरिस में 15 से 18 जुलाई, 1970 तक हुआ था। इसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें सिफारिश की गयी थी कि मद्रास में स्थापित किये जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय तमिल अध्ययन संस्थान का भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए। संस्थान के संविधान के प्रारूप और कार्यक्रम का सम्मेलन ने अनुमोदित कर दिया था। सम्मेलन ने एक संकल्प पारित करके यूनेस्को के आगामी महा सम्मेलन से (क) संस्थान को स्थापित करने और उसके संचालन के लिए सदस्य राष्ट्रों और यूनेस्कों के राष्ट्रीय आयोगों को आमंत्रित करने और (ख) 1971-72 के दौरान संस्थान के विकास में सहायता देने तथा सहयोग के एक दीर्घकालीन कार्यक्रम के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए यूनेस्को के महा-निदेशक को प्राधिकृत करने का अनुरोध किया है।

दिल्ली में नये विधि कालेज की मांग

3708. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में एक नया विधि कालिज खोलने की विध छात्रों के मांग पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) विधि संख्या बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों की प्रार्थना पर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विचार किया गया है। विश्वविद्यालय ने पी० जी० डी० ए० वी० कालेज, नई दिल्ली के परिसरों में प्रथम वर्ष एल० एल० बी० पाठ्यक्रम के लिये सांय कक्षाएं शुरू करने और 425 विद्यार्थियों को दाखिल करने अर्थात सांय कक्षाओं में दाखिले के लिए मूल रूप से प्रस्तावित संख्या से 150 अधिक दाखिल करने का निर्णय किया है।

राज्यों में आयोजित किये गये बन्द

3709. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्यवार कुल कितने बंद आयोजित किये गये तथा उनके ब्यौरेवार कारण क्या हैं; और

(ग) उक्त अवधि में कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रत्येक बंद पर राज्यवार अनुमानतः कितना व्यय किया गया ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

दिल्ली में स्कूटर-चोरों की गिरफ्तारी

3710. **श्री मुहम्मद शरीफ :** **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राजधानी में स्कूटर चोरों की कोई गिरफ्तारियां की गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : आल इन्डिया इंस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइंसस के अहाते से स्कूटर नं० आर० जे० डी० 2754 की चोरी करने के तथा कथित प्रयत्न के लिए 14-7-70 को मालवीया नगर, नई दिल्ली को दो व्यक्ति अर्थात नरेन्द्र कुमार और स्वर्ण सिंह गिरफ्तार किये गये थे । स्कूटर, I-321, सदर बाजार, दिल्ली छावनी के निवासी श्री एस० पी० सिंगल का था । पुलिस थाना विनयनगर, नई दिल्ली में दन्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 379/511/506 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है । मामले की छान-बीन हो रही है ।

शिव सेना

3711. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 23 जून, 1970 के "पैट्रियत" समाचार-पत्र में "शिव सेना को पाटिल का संरक्षण प्राप्त' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित सूचना की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) ऐसी राय पर सरकार को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है ।

आसाम में मौलाना भाशानी के दल के लिए कार्य कर रहे राष्ट्र-विरोधी तत्व

3712. **श्री दे० अमात :** **श्री अदिचन :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्र-विरोधी तथा तोड़-फोड़ की कार्यवाही करने वाले कुछ तत्वों का पता है जो पूर्वी पाकिस्तान में मौलाना भाशानी के दल के लिए आसाम में जासूसी कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) उनकी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) **और (ख)** : असम सरकार से प्रेषित सूचना के अनुसार ऐसी रिपोर्ट सिद्ध नहीं हुई है ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होटलों में स्थान (बैड)

3713. **श्री दे० अमात** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होटलों में कितना स्थान (बैड) है ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इनमें कितनी वृद्धि करने का विचार है और सम्बन्धित परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटन विभाग द्वारा विदेशी पर्यटकों के लिये उपयुक्ता को दृष्टि से अनुमोदित होटलों में इस समय 9528 कमरों का कुल स्थान उपलब्ध है ।

(ख) चौथी योजना के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा बंगलौर, श्रीनगर, गुलमर्ग, कलकत्ता विमान क्षेत्र और जयपुर में होटल स्थापित करने का, तथा उदयपुर में लक्ष्मी विलास पैलस होटल का विस्तार करने का प्रस्ताव है । इन कोवालम में भी एक होटल और 40 कुटीरों के बनाने का प्रस्ताव है । इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर 675 कमरों का अतिरिक्त आवास उपलब्ध हो जायेगा । एयर इन्डिया का बम्बई में सान्ताक्रूज तथा जूहू समुद्रतट पर क्रमशः 100 और 300 कमरों की क्षमता वाले दो होटलों के निर्माण का प्रस्ताव है । निजी क्षेत्र में 47 होटल परियोजनाओं के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया है जिनके बन जाने पर लगभग 5000 कमरों का अतिरिक्त आवास उपलब्ध हो सकेगा ।

राष्ट्रीय स्वस्थता दल के कर्मचारियों के राज्यों में स्थानांतरण करने की शर्तें

3714. **श्री शिवपूजन शास्त्री** : **श्री चन्द्रिका प्रसाद** :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्वस्थता दल कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को यह आश्वासन दिया गया है कि उनका राज्यों में स्थानान्तरण तभी किया जायेगा जब उनसे राज्यों द्वारा प्रस्तुत शर्तों पर सुझाव ले लिये जायेंगे ,

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्यों ने शर्तों को दे दिया है और क्या केन्द्रीय सरकार ने इनको संघ को उपलब्ध कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : **(क) से (ग)** : वस्तु स्थिति यह है कि संसद सदस्य श्री एस० एम० बेनर्जी द्वारा राष्ट्रीय स्वस्थता दल कर्मचारी संघ को सूचित कर दिया गया था कि जहां राज्यों द्वारा प्रस्तावित शर्तें स्वीकार्य हैं, वहां अनुदेशकों

को राज्य सेवा में शामिल होने और वहां अपनी नौकरियों करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। इस विचार को ध्यान में रखते हुए, इस पर सहमति हो गई थी कि प्रत्येक राज्य द्वारा इन अनुदेशकों को खपाने के लिये रखीं गयी शर्तों का निरीक्षण किया जा सकता है। यदि कुछ शर्तों को संतोष-जनक न समझा जाय तो मामले पर सम्बन्धित राज्य सरकार से बात की जाएगी।

2. मैसूर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राज्य सरकारों तथा दिल्ली, हिमाचल-प्रदेश गोवा, और मणिपुर और त्रिपुरा संघीय प्रशासनों ने राष्ट्रीं अनुशासन योजना के अनुदेशकों को ले लेने के लिए औपचारिक स्वीकृति दे दी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य ने विचार विमर्श के दौरान अनुदेशकों को ले लेना स्वीकार कर लिया है और शर्तों सहित उनके औपचारिक पत्रों की प्रतीक्षा है। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार से, जैसा कि 1965 में मूलरूप में स्वीकृत हो चुका है, स्टाक को ले लेने के लिए आग्रह किया जा रहा है।

3. मैसूर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्तों पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता स्वस्थता दल कर्मचारी संघ ने 16-6-70 को चर्चा की थी और इसी बैठक में दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रस्तावित शर्तों पर भी आंशिक रूप में चर्चा कर ली गई थी।

4. राज्य सरकारों की स्थायी नौकरियों में राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अनुदेशकों को लेने के प्रश्न पर राज्य सरकारों के साथ बातचीत अब प्रगति कर रही है और कर्मचारी संघ के साथ आगे बातचीत शीघ्र ही पुनः शुरू की जाएगी। तब तक राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अनुदेशकों के विभिन्न राज्यों को स्थानांतरण से होने वाले लाभ तथा हानि का विश्लेषण अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वस्थता दल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष को उनकी अग्रिम सूचना के लिए भेज दिया गया है।

पश्चिम बंगाल के पश्चिम दीनाजपुर जिले में पाकिस्तानियों द्वारा पशु भगा कर ले जाने, डकैतियों और हत्याओं की घटनाएं

3715. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में सशस्त्र व्यक्ति इस्लामपुर उप-खंड के गोग्राल पोखर, चकलिया तथा चोपरा स्थानों तथा पश्चिम बंगाल के पश्चिम दीनाजपुर जिले के इस्लामपुर इलाके में भी अतिक्रमण कर रहा है तथा पशुओं को भगा कर ले जाने, डकैती करने तथा हत्याएं करने में लगे हुये है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक ही रात में दस विभिन्न स्थानों पर डाका डाला जाता है तथा पुलिस इन डकैतियों को रजिस्टर में दर्ज करने तक से इनकार कर देती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अपने जान तथा माल के सुरक्षित नहीं होने के कारण उपरोक्त स्थानों के लोग बिहार की ओर शरण लेने के लिये भाग रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : **(क) से (घ)** : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बेरोजगार स्नातक इंजीनियरी की डिग्रियों तथा डिप्लोमा होल्डरों को एम० एस० सी०/ बी० एस० सी०/ बी० ए० इन्टरमीडिएट के समकक्ष मानना

3716. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरन :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है कि इस समय बहुत बड़ी संख्या में स्नातक इंजीनियर तथा डिप्लोमा-होल्डर बेरोजगार हैं ;

(ख) उनमें बेरोजगारी दूर करने तथा उनको सरकारी रोजगार देने के उद्देश्य से क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि उनकी अर्हताओं को, जैसा मामला हो उसी के अनुसार बी० एस० सी० (गणित), बी० ए० (गणित) बी० एस० सी० (गणित) अथवा इन्टरमीडियेट गणित माना जाये, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि, हां तो उसके क्या कारण है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) क्योंकि इन स्नातक इन्जीनियरों तथा डिप्लोमा धारियों को विशेष तकनीकी कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, इसलिए उनको अर्हताओं को दूसरे विषयों में डिग्रियों के समकक्ष मानने का प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में पाकिस्तानी मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही

3718. **श्री हेमराज :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाजन के पश्चात् से 1969 तक कितने पाकिस्तानी मुसलमानों ने आसाम (भारत) में प्रवेश किया है; और

(ख) भारत में बड़े पैमाने पर इनके आगमन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री, गृह-कार्य मंत्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों के अनुमानों के अनुसार उन पाकिस्तानी घुसपैठियों की संख्या जिन्होंने 1969 तक विभाजन के पश्चात् असम में प्रवेश किया था, लगभग 3 लाख है । सीमा सुरक्षा दल की स्थापना, सीमा के साथ-साथ गश्त बढ़ाना, अनेक सीमावर्ती क्षेत्रों बल्कि राज्य के भीतर ऐसी घुसपैठ से प्रभावित क्षेत्रों में भी निगरानी चौकियों का जाल बिछाना ताकि पूरी सतर्कता रखी जा सके, अवैध घुसपैठियों को जाने की नोटिस जारी करना तथा घुसपैठ के मामलों से निपटने के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करना, असम में पाकिस्तानी नागरिकों के अनधिकृत आगमन का पता लगाने निकालने तथा प्रवेश रोकने हेतु किए गये उपायों में से हैं । इन उपायों के परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्तियों की भारी संख्या या तो स्वयं चली गई अथवा निकाल दी गई । कुछ मामले अब भी न्यायालय और न्यायाधिकरण के सामने हैं । लगातार सतर्कता के परिणाम स्वरूप असम में

पाकिस्तानी मुसलमानों की घुसपैठ पर्याप्त रूप से नियंत्रित कर ली गई है। 1969 के वर्ष में यह संख्या गिरकर 2477 रह गई है।

Construction work for Dumaria Bridge in District Champaran (Bihar)

3720. **Shri Bibhuti Misra** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the progress of the construction work for Durmaria bridge in District Champaran (Bihar) has been very slow ;

(b) whether it is also a fact that one or two of the pillars that have been constructed there have curved ;

(c) if so, the names of the persons responsible therefor ; and

(d) the action proposed to be taken by Government to expedite construction work of the said bridge ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Sardar Iqbal Singh) : (a) Yes Sir, the progress has been slow.

(b) and (c) : So far no piers (Pillars) have been constructed. However one of the foundation wells has suffered an excessive tilt during sinking by the contractors who are taking steps to rectify the tilt at their own cost.

(d) The State Government has been requested to expedite the progress on this work.

Connections of Political Parties with Foreign Countries

3721. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some parties in the country like the Naxalites etc. have connections with the political parties and Governments of foreign countries at political level ;

(b) if so, how far such connections are in the interest of the country ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs and Minister of State in the Department of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : **(a) to (c)** :Several political parties maintain fraternal relations with parties and organisations outside the country. Leaders of different political parties have also visited foreign countries at the invitation of the Governments concerned. There can be no objection to such open and friendly relations. But, where activities of any political party are in pursuance of the directions, policies or ideology of any unfriendly country such parties and their anti-political activities would deserve the strongest condemnation.

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालिज, भुवनेश्वर के प्रधानाचार्य द्वारा अध्यापकों से किया गया व्यवहार

3722. **श्री रवि राय** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालिज, भुवनेश्वर, के प्रधानाचार्य द्वारा डी० एम० एस० एम० स्कूल के अध्यापकों के साथ किये गये दुर्व्यवहार के बारे में उन्हें मई में एक संसद सदस्य का पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि लोक सभा में मंत्री महोदय द्वारा उक्त प्रधानाचार्य की चेतावनी दिये जाने के बाद भी वह अभी भी अध्यापकों को परेशान कर रहा है ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) : क्षेत्रीय शिक्षा कालेज/भुवनेश्वर के प्रधानाचार्य तथा कालेज से संबद्ध स्कूल के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कुछ आरोपों सहित एक पत्र प्राप्त हुआ था। आरोपों पर राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के निदेशक के जरिए जाँच की जा रही है। सम्बन्धित प्रधानाचार्य 19 मई, 1970 से छुट्टी पर चले गये थे और बाद में उन्हें दूसरे कालेज में तैनात कर दिया गया था।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषदों में विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

3723. **श्री रवि राय :** **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने डा० गजेन्द्र गड़कर की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की है जो केन्द्र द्वारा चलाये जा रहे विश्वविद्यालयों की कार्यकारी परिषदों में छात्रों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में एक सामान्य सिद्धान्त निर्धारित करेगी;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के विशिष्ट निर्देश पद क्या हैं; और

(ग) यह समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, विश्वविद्यालयों और कालिजों के अभिशासन पर, डा० पी० बी० गजेन्द्र गड़कर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :-

विश्वविद्यालयों का अभिशासन :

विश्वविद्यालयों के संरचना कार्यों, सांविधिक निकायों की जिम्मेदारियों और अधिकारों कर्मचारियों की सेवा शर्तों, छात्रों द्वारा भाग लिए जाने और संबन्धित मामलों पर विचार करना।

कालेजों का अभिशासन :

कालेजों का विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध, सम्बद्धन की शर्तें अध्यापकों के प्रवरण की प्रक्रिया और उनकी सेवा शर्तें, शासी निकायों के विधान और अधिकारों विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व छात्रों द्वारा भाग लिया जाना तथा सम्बन्धित मामले।

समिति का कार्य क्षेत्र केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तक ही सीमित नहीं है।

(ग) समिति द्वारा शीघ्र ही रिपोर्ट पेश करने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय स्वस्थता दल के प्रशिक्षण संस्थान द्वारा एकत्र की गई कर्मचारी कल्याण निधि का उपयोग

3724. **श्री मधु लिमये** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वस्थता दल के प्रशिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों से उनकी कल्याण निधि में अंशदान के लिए कोई धन राशि एकत्रित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धन-राशि एकत्रित की गई थी;

(ग) क्या इस निधि में से खर्च की मंजूरी के लिये कोई विधान अथवा समिति बनाई गई थी; और क्या ये अधिकार राष्ट्रीय स्वस्थता दल के महानिदेशक को दिये गये थे;

(घ) यदि हां, तो क्या समिति अब भी विद्यमान है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस निधि में से राष्ट्रीय स्वस्थता दल का महानिदेशक किस प्राधिकार के अन्तर्गत अनुदान की मंजूरी दे रहा है, तथा इस उद्देश्य के लिये कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक समिति क्यों नहीं बनाई गई थी; और

(च) कर्मचारियों को कुल कितनी धनराशि दी गई है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (च) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शिक्षकों के स्थानान्तरण सम्बन्धी शर्तों की प्रतियों की अनुपलब्धता

3725. **श्री मधु लिमये** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शिक्षकों के तबादले की शर्तों के बारे में राज्यों के साथ उन्हें लेने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है और ये 16 जून 1670 को उस समय भी उपलब्ध नहीं थी जबकि कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने उनके मंत्रालय से इस बारे में विचार-विमर्श किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनका मंत्रालय सब सम्बद्ध पक्षों को यह गलत जानकारी दे रहा है कि (उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल दो राज्यों को छोड़कर) सब राज्य राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शिक्षकों की सेवा स्वीकार करने के लिये सहमत हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अधिकारी उसके बाद, अर्थात् 16-6-70 के पश्चात् भी राज्यों को इस बात के लिये राजी करने के लिये राज्यों का क्यों दौरा करते रहे हैं कि वे राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शिक्षकों को अपने यहां ले लें ।

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) : विवरण संलग्न है ।

वस्तु स्थिति यह है कि 16 जून, 1970 को जहां तक मैसूर, दिल्ली आंध्र प्रदेश असम, केरल, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों का संबंध है राज्य सेवा में राष्ट्रीय अनुशासन योजना के कर्मचारियों के तबादले की शर्तें पूर्णतः अथवा अंशतः उपलब्ध थी।

दूसरों के मामलों पर विचार विमर्श हो रहा था। यह सच नहीं है कि यह मंत्रालय गलत सूचना देता रहा है। जो सूचना मंत्रालय ने समय समय पर उपलब्ध की है वह राज्य सरकारों ने रिपोर्ट भेजते समय जो स्थिति व्यक्त की है उससे संबद्ध है।

हाल ही में राष्ट्र स्वस्थता दल कर्मचारी संघ से चर्चा के अनुसरण में संसद सदस्य श्री एस० एम० बनर्जी के जरिए संघ को सूचित किया गया था कि उन्हें राज्य सरकार की स्थायी नौकरी में लेने के लिए सरकार राज्यों से आग्रह करने का प्रयत्न करेगी। राज्य सरकारों से इस तरह की बात-चीत शुरू भी की जा चुकी है और यही कारण है कि क्यों इस मंत्रालय का एक अधिकारी 16 जून, 1970 के बाद दौरे पर बाहर गया था।

राष्ट्रीय स्वस्थता दल के कर्मचारियों को विलम्ब से वेतन दिया जाना

3726. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्वस्थता दल कर्मचारी संघ ने वेतन देने में विलम्ब करने, पुराने दावों को निबटाने में बिलम्ब करने और 1964 से 68 तक वेतन में वृद्धि न दिये जाने के बारे में 40 से अधिक शिकायतें राष्ट्रीय स्वस्थता दल निदेशालय को भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है और क्या संघ की शिकायतों की प्रति स्वीकृति की गई हैं और उनका उत्तर दे दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उनका मन्त्रालय राष्ट्रीय स्वस्थता दल निदेशालय द्वारा किये जा रहे कुप्रशासन के बारे में जांच करेगा और निर्दोष कर्मचारियों को कठिनाइयों से बचाने के उद्देश्य से दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ?

शिक्षक तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) : सूचना जब एकत्र हो जायेगी, सभा पटल पर रख दी जाएगी।

त्रिपुरा में विश्वविद्यालय की स्थापना

3727. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में विश्वविद्यालय की स्थापना करने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ,

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) किसी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये क्या कसौटी है तथा वहां पर क्या शर्तें पहले पूरी की जानी चाहिये ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) : सरकार का त्रिपुरा में विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। तथापित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को त्रिपुरा के शिक्षा मन्त्री से त्रिपुरा में उत्तर स्नातक केन्द्र स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता का प्रस्ताव मई, 1969 में प्राप्त हुआ था, जिस पर आयोजन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के विचार मांगे थे। विश्वविद्यालय ने यह सूचित किया था कि त्रिपुरा प्रशासन से इस विषय पर औपचारिक आवेदन पत्र प्राप्त होने के ही बाद ही प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। आयोग ने प्रशासन को विश्वविद्यालय के विचारों से अक्तूबर, 1969 में सूचित कर दिया। आयोग अथवा सरकार के पास इस विषय पर फिर कोई पत्र नहीं आया।

(घ) राज्यों में विश्वविद्यालय राज्य विधान सभाओं के अधिनियमों से स्थापित किये जाते हैं, जो कि पूर्ण रूप से राज्य सरकारों के दायित्व में है। तथापित नये विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिये शिक्षा आयोग (1964-66) ने निम्नलिखित सिद्धान्तों की सिफारिश की है—

(1) किसी नए विश्वविद्यालय की स्थापना तभी संभव हो सकती है जब वह मानकों में, अनुसंधान के स्तर और फल में ठोस उन्नति की ओर ले जाये।

(2) जब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति न मिल जाए और धन राशि की समुचित व्यवस्था न हो जाये तब तक कोई नया विश्वविद्यालय चालू नहीं होना चाहिये।

(3) विश्वविद्यालय को स्थापना के पहले कदम के रूप में स्नातकोतर शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था के लिये स्नातकोत्तर केन्द्रों द्वारा सहकारी प्रयत्न विकसित करना चाहिये। साधारणत: जिस स्थान में कुछ समय से कोई विश्वविद्यालय केन्द्र काम न करता रहा हो वहां नया विश्वविद्यालय स्थापित नहीं होना चाहिए।

(4) उत्तम विश्वविद्यालय संगठन वह है जहां विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अध्यापन विभागों की सशक्त धुरी के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्र में लगभग 30 सम्बद्ध कालेज हों।

सरकार ने आयोग की उपरोक्त सिफारिशों को सामान्यत: स्वीकार कर लिया है।

त्रिपुरा को राज्य स्तर प्रदान करना

3728. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिया है कि त्रिपुरा विधानमंडल ने 10 अप्रैल, 1970 को एक मत से एक संकल्प पारित किया है जिसमें केन्द्र से भारतीय संविधान में संशोधन करके संघ शासित क्षेत्र त्रिपुरा को पूर्ण राज्य स्तर प्रदान करने का निवेदन किया गया है; और

(ख) क्या सरकार ने विधान मंडल में उस सदन के विभिन्न दलों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : सरकार को संकल्प की एक प्रति प्राप्त हुई है। संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने के बारे में सरकार के विचार एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में 6 अगस्त, 1970 को सदन में दिये गये एक वक्तव्य में स्पष्ट कर दिये गये हैं।

केन्द्रीय सड़क निधि में से धन-राशि का वितरण

3729. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क निधि की स्थापना कब हुई थी ;

(ख) विभिन्न राज्यों में सड़क विकास कार्यक्रम के लिये इस निधि का उन राज्यों में वितरण करने का आधार क्या था; और

(ग) गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार को इस निधि में से वर्ष वार कितनी राशि नियत की गई थी ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) केन्द्रीय सड़क निधि की स्थापना पहली मार्च, 1929 को हुई थी ।

(ख) सन् 1974 तक वार्षिक राजस्व का 10 प्रतिशत उसके बाद सन् 1947-48 तक 15 प्रतिशत तथा 1948-49 से केन्द्रीय सड़क निधि को वार्षिक राजस्व का 20 प्रतिशत केन्द्रीय आरक्षण में जमा किया जाता था जिसका उपयोग पहले तो सड़क निधि का खर्चा चलाने के लिये किया गया फिर अनुसंधान तथा आसूचनाओं की ऐसी योजनाओं पर तथा ऐसी विशेष पूछताछों पर जिनका सम्बन्ध सड़कों से होता था ऐसे कार्यों के लिये सहायक अनुदानों पर जिनका सम्बन्ध सड़कों से हो, जिसकी स्वीकृति केन्द्रीय सरकार ने दी है पर की जाती है। वित्त वर्ष से सम्बन्धित समाप्त होने वाले कलेन्डर वर्ष के दौरान में नान ऐविएशन टैक्स्ड मोटर स्पिरिट के उपयोग तथा नान-ऐविएशन टैकस्ड मोटर स्पिरिट के कुल उपभोग के अनुपात में भारत सरकार द्वारा प्रान्तीय या राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्रशासनों को किया जाना था। राज्यों में तथा संघ शासित क्षेत्रों में हाथ में ली हुई योजनाओं के लिये वार्षिक आवश्यकता के अनुसार आवंटित किया जाता है बशर्ते कि बजट में धन की व्यवस्था की गई हो।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार को वर्ष 1967-68, 68–69 तथा 69–70 में क्रमशः 40 लाख रुपये, 51.35 लाख रुपये तथा 44.05 रुपये की धन राशि आवंटित की गई ।

केरल में पकड़े गये नक्लवादी

3730. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अपनी अवैध गतिविधियों के लिये अब तक कितने नक्सलवादी पकड़े गये हैं;

(ख) केरल में नक्लवादियों द्वारा अब तक कितने व्यक्तियों की हत्या की गई है; और

(ग) नक्सलवादियों की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है और क्या उनकी गतिविधियां अपनी

घोषित समाजवादी नीतियों तक ही सीमित नहीं हैं और यदि हां, तो उनकी अवैध गतिविधियों का सही स्वरूप क्या है; और

(ग) इन अवैध तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने और समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) केरल सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अब तक 163 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं।

(ख) और (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है।

(घ) राज्य सरकार स्थिति पर पूरी-पूरी निगरानी रखे हुये हैं और ऐसी अवैध गतिविधियों को कुचलने के लिये जब कभी आवश्यक होता है कानून के अनुसार कार्यवाही करती है।

केरल में सड़कें तथा पुल बनाने के लिये केन्द्रीय सहायता

3731. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में 1970-71 में सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिये कोई योजना प्रस्तुत की थी तथा उसके लिये केन्द्रीय सरकार की सहायता की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो इसकी लागत तथा इसके लिये मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) : केरल सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

केरल में सड़कों को राष्ट्रीय राजपथ में बदलने के लिये प्रस्ताव

3732. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने तीसरी तथा चौथी योजना में राज्य की कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजपथ में बदलने के लिये प्रस्ताव जारी किये थे ;

(ख) यदि हां, तो उन सड़कों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी लम्बाई कितनी है जिन्हें राष्ट्रीय राजपथों में बदलने की अनुमति मांगी गई थी; और

(ग) प्रत्येक योजना अवधि में इस प्रकार बदली गई सड़कों की लम्बाई बताते हुये सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है तथा क्या निर्णय किया गया है ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) तीसरी योजना में वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नई सड़कों को सम्मिलित करने के लिये केरल सरकार द्वारा सुझाई गई सड़कों के बारे में राज्य सरकार को धन के अभाव में प्रार्थना स्वीकार करने की भारत सरकार की असमर्थता के बारे में सूचित कर दिया गया अत: राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे प्रश्न गत सड़कों के विकास करने की शक्यता के सिवाय पश्चिमी तटवर्ती मार्ग राज्य योजना के भाग के तौर पर विचार करे क्योंकि पश्चिमी तटवर्ती मार्ग के लिये भारत सरकार इसे इकहरी गली की सर्व ऋतु तारकोली सड़क के तौर पर विकास करने के लिये 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने के लिये पहले ही सहमत हो गई है। चौथी योजना के अंतर्गत वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नई सड़कों को लेने के लिये राज्य सरकार के प्रस्तावों के बारे में यह संपूर्ण प्रश्न धन को उपलब्धता और सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के और वर्गीकरण के लिये निर्धारित कसौटी की दृष्टि से योजना आयोग के परामर्श से विचाराधीन है।

भाग (ख) के उत्तर में संलग्न विवरण

सड़क का नाम	लम्बाई
1—तीसरी योजना में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग तन्त्र में शामिल करने के लिये प्रस्तावित मार्ग	
(1) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 में आलवेयी को मन्नार चिन्नार, उदुमलपेत इत्यादि होकर राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 में डिंडीगुल से मिलाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग।	108 मील
(2) वर्तमान पश्चिम तट मार्ग को चालीसेरी (कोचीनसीमा) से मंगलौर तक राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना।	198 मील
(3) कोटायाम, पीरमादे और थेकादी होकर कोचीन (राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47) और मदुरा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 49) को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग।	136 मील
(4) तेल्लीचेरी को मैसूर सीमा सड़क से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग।	40 मील
2—चौथी योजना अवधि में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग तंत्र में शामिल करने के लिये प्रस्तावित मार्ग	
(1) कोचीन-मदुराई मार्ग	107 मील केरल में और 72 मील तामिल नाडू में
(2) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 ए के किलोमीटर 351/6 पर गुरूवायूर मंदिर और चुंदल जंकशन को मिलाने वाली जिला सड़क।	19 मील—4 फर्लांङ्ग

इन्डियन एयरलाइन्स के लिए बोइंग 737-200 विमान

3733. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन एयरलाइन्स को बोइंग 737-200 विमान जिनका क्रयादेश दिया गया है चलाने के लिए कब उपलब्ध हो जायेंगे ;

(ख) क्या सरकार का विचार परिचालन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से होकर सिड्डलेज विमान प्राप्त करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इंडियन एयरलाइन्स को बोइंग 737-200 विमान प्राप्त होने की तिथियां निम्न प्रकार हैं :—

पहला विमान	दिसम्बर, 1970
दूसरा विमान	दिसम्बर, 1970
तीसरा विमान	जनवरी, 1971
चौथा विमान	फरवरी, 1971
पांचवां विमान	मार्च, 1971
छठा तथा सातवां विमान	अप्रैल, 1971

(ख) और (ग) : इंडियन एयरलाइन्स ने अपने विमान बेड़े को बढ़ाने के लिए एच० ए० एल०, कानपुर को 10 और एच० एस०-748 विमानों के क्रयादेश दिये हैं। उनके वितरित किये जाने की अनंतिम तिथियां निम्नलिखित हैं :—

पहला विमान	1971
दूसरा विमान	1971
तीसरा विमान	1971
चौथा विमान	1972
पांचवां विमान	1972
छठा विमान	1972
सातवां विमान	1972
आठवां विमान	1972
नौवां विमान	1972
दसवां विमान	1972

इन विमानों द्वारा शेष डकोटा विमानों को बदल दिया जायेगा तथा इनका 1972-73 के दौरान कुछ नये स्थानों को विमान सेवा द्वारा जोड़ने के लिये प्रयोग किया जायेगा।

निजी मकानों की दीवार से राष्ट्र विरोधी नारे मिटाना

3734. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पता है कि पश्चिमी बङ्गाल सरकार तथा पुलिस मुख्य कार्यालय, कलकत्ता के बीच निजी मकानों की दीवारों से राष्ट्र विरोधी नारे मिटाने के बारे में कोई मतभेद है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार को सरकारी तथा निजी मकानों की दीवारों से ऐसे नारों को मिटाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने का परामर्श देने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कोई ऐसा मतभेद नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : राज्य सरकार इस सम्बन्ध में पहले से ही आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

विभिन्न शारीरिक शिक्षा कालेजों में भिन्न पाठ्यक्रम

3735. **श्री भोलानाथ मास्टर** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

जब कि राज्य सरकार सभी मिडिल, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राष्ट्रीय स्वस्थता दल के पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाने को सहमत हो गई है तो क्या कारण है कि विभिन्न शारीरिक शिक्षा कालिज अभी भी अपना पृथक अस्तिव बनाये हुए हैं और वे शारीरिक शिक्षा कालेजों को सहाय्य-अनुदान संहिता के उपबंधों के अनुसार स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार अध्यापकों को प्रशिक्षित क्यों नही कर रहे हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : संभवत: माननीय सदस्य का संकेत राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के पाठ्यविवरण की ओर है, जिसकी मिडिल, हाई और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों से छात्रों को शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण देने के लिए अपनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा सिफारिश की गई है । यह पाठ्यविवरण शारीरिक शिक्षा कालेजों में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए नहीं है और यही कारण है कि शारीरिक शिक्षा के कालेजों का पाठ्यविवरण भिन्न है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए नामांकन

3736. **श्री सिद्दयया** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्व विभाग के अधिकारियों को छोड़कर उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनका भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्त) अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रत्येक

राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र से 1955 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए नामांकन किया गया है;

(ख) उनमें से कितने अधिकारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं; और

(ग) यदि कोई नहीं है, तो उनका नामांकन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 50। राजस्व विभाग के अधिकारियों को छोड़कर अन्य अधिकारियों की नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1956 के विनिमय 3 के अधीन की जाती है न कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 द्वारा।

(ख) उन समस्त गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के बारे में सूचना सहज उपलब्ध नहीं है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किये गये तथा जो सेवा निवृत्त हो गये हैं। सेवारत अधिकारियों में एक अधिकारी अनुसूचित जाति का है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हरिजनों आदिवासियों की हत्या करने, उन्हें जीवित जलाने तथा नर-बलि के मामले

3738. **श्री सिद्दयया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश में 1 जनवरी, 1970 से 31 जुलाई, 1970 तक हरिजनों और आदिवासियों की हत्या करने, जीवित जलाने तथा मानवीय बलिदान के लिये कितने मामले प्रेस को सूचित किये गये हैं; और

(ख) इन अमानवीय और बर्बर कार्यों को दबाने के लिये सरकार में कौन से कठोर और प्रभावी उपाय अपनाने हैं अथवा अपनाने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में तथा इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) आन्ध्र प्रदेश तथा नागालैण्ड तथा हिमाचल प्रदेश गोवा, दमन और दीव, मणिपुर, त्रिपुरा, लकादीव मिनिकोय अमिनिदीवि द्वीप समूह, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, नेफा और चण्डीगढ़ के संघ क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अवधि में कोई ऐसे मामले नहीं हुए हैं। अन्य राज्यों से सूचना आनी शेष है। हरियाणा में हरिजनों की हत्या के 5 मामले हुए थे। राज्य सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार ये हत्यायें जातपात के विचारों के कारण नहीं हुई थीं। इनमें से तीन मामलों में दोषी व्यक्ति स्वयं हरिजन थे।

(ख) प्रत्येक विशिष्ट अपराध के सम्बन्ध में कार्यवाही कानून के अनुसार की जाती है। राज्य सरकारों को हरिजनों के विरुद्ध किए गये अपराधों को तुरन्त और कारगर जांच पड़ताल को सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 के उपबन्धों के कारगर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के सुझाव दिये गये हैं। इनमें कानून के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों की राज्य स्तरीय समितियों का गठन करना पुलिस

में दर्ज शिकायतों पर विशेष ध्यान देने के लिये सभी पर्यवेक्षण जिला तथा पुलिस अधिकारियों को आदेश देना, अभियोजक एजेन्सियों को अधिनियम के अन्तर्गत मामलों को उच्च प्राथमिकता देने के आदेश देना तथा सभी ऐसे मामलों का वार्षिक पुनरीक्षण करना शामिल है ।

दिल्ली में अपहरण के मामले

3740. **श्री भु० अ० खां :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 मई से 30 जून, 1970 के बीच संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में अपहरण के कितने मामले हुए ;

(ख) कुल अपराधियों में से कितने प्रतिशत गिरफ्तार किये गये तथा कितने प्रतिशत पर अदालत में मुकदमें चलाये गये;

(ग) कितने अपहृत व्यक्तियों को छुड़ाया गया;

(घ) अपहरणकारियों तथा अपहरण के शिकार व्यक्तियों का बयोवर्ग और सामाजिक स्थिति क्या है;

(ङ) क्या गत वर्ष को तदनुरूपी अवधि की तुलना में इस वर्ष अपहरण के मामलों की कुल संख्या में कुछ वृद्धि हुई है ;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस विषय में क्या निरोधक कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 54 ।

(ख) 8·6 प्रतिशत ।

(ग) 39 ।

(घ) (i) पीड़ित व्यक्ति 2 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के हैं ।

(ii) दोषी 20 वर्ष से 30 वर्ष की आयु के हैं ।

(iii) संबंधित पीड़ित तथा दोषी व्यक्ति साधारण हैसियत के हैं ।

(ङ) जी हां, श्रीमान् ।

(च) (i) सामाजिक अन्तर्मिश्रण ।

(ii) गरीबी ।

(iii) आर्थिक विचार ।

(iv) समाज का बदलता स्वरूप ।

(v) लिंग ।

(छ) (i) वितन्तु गाड़ियां 24 घन्टे गश्त ड्यूटी पर रहती हैं ।

(ii) स्कूल कालेज और बस स्टापों के निकट सादा कपड़ा तथा वर्दी में व्यक्तियों को तैनात किया जाता है ।

(iii) छेड़-छाड़ करने वालों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाती है और कड़ी गस्त लगाई जाती है ।

(iv) अपहरण के मामलों में शीघ्र तथा उचित जांच-पड़ताल की जाती है और दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है ।

चण्डीगढ़ और फाजिल्का के बारे में निर्णय

3741. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि चण्डीगढ़ पंजाब को देने तथा फाजिल्का क्षेत्र हरियाणा को देने के सम्बन्ध में सरकारी निर्णय एक पैकेजडील था;

(ख) क्या सरकार ने फाजिल्का हरियाणा को देने के विरोध में पंजाब के जनसंघी तथा अकाली नेताओं द्वारा हाल में की गई घोषणा पर ध्यान दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । यद्यपि चंडीगढ़ और फाजिल्का क्षेत्रों के संबंध में निर्णय एक ही समय लिये गए थे और घोषित किए गए थे फिर भी वह एक पैकेजडील के स्वरूप का नहीं था ।

(ख) और (ग) : सरकार का घोषित किए गये निर्णयों में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

दरभंगा जिला (बिहार) में शिक्षा के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार की योजना

3742. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के दरभंगा जिले को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना के अन्तर्गत शिक्षा का तीव्र एवं सर्वतोमुखी विकास करने के लिए चुना गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय ने केन्द्रीय योजनाओं के अधीन प्रायोगिक परियोजनाओं के चौथी आयोजना के प्रस्तावों के एक भाग के रूप में बैलेरी (मैसूर) जलगांव (महाराष्ट्र) संगरूर (पंजाब) और दरभंगा (बिहार) चार जिलों में व्यापक जिला शैक्षिक विकास परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है ।

2. इस परियोजना के आम उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

(क) जिले के शैक्षिक ढांचे को उसके समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास तथा रोजगार

उत्पादकता और सामाजिक न्याय के विशेष संदर्भ में जोड़ने के लिए, ठोस कार्यक्रमों का पता लगाना तथा उनका प्रयोग करना ।

(ख) जिले के प्रारम्भिक और हाई स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा के व्यवसायी करण का प्रयोग ।

(ग) स्कूलों में बर्बादी और निष्क्रियता, लड़कियों की शिक्षा में पिछड़ेपन, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा में बाधाओं, स्कूल छोड़ने वालों को शिक्षा जारी रखने और वयस्क साक्षरता के परिशोधन से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग शुरू करना ।

(घ) न्यूनतम अतिरिक्त खर्च के साथ और विद्यमान सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करते हुए, इस कार्यक्रम के विभिन्न विषयों के लिए जन-सहयोग और समर्थन को गतिशील करके, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साधन और उपायों पर प्रयोग ।

3. इस परियोजना के एक भाग के रूप में अपनाए जाने वाले कार्यक्रमों के पूरे ब्यौरे, विभिन्न सर्वेक्षणों तथा अध्ययनों के पूरा हो जाने पर, तैयार किए जाएंगे । इन सर्वेक्षणों और अध्ययनों को संगठित करने का प्रारम्भिक कार्य, दरभंगा में शुरू कर दिया गया है ।

Strike Notice by Ashoka Hotels Employees' Union

3743. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Ashoka Hotels Employees'Union is recognised Union ;

(b) whether the aforesaid Union had served a notice of strike on the 18th May, 1970 in support of their demands but withdrew the notice as a result of negotiations later on ; and

(c) if so, the decisions taken in connection with the demands of the Union and the present position thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) : Yes, Sir.

(b) :The notice was served on 16th May, 1970 and it was unconditionally withdrawn on 25th May, 1970 as a result of discussions with the Management.

(c) While discussions were in progress on some of the demands, the Union agains gave a strike notice on 1st August, 1970. The matter was referred to conciliation which ended in failure on the 18th. On the 19th a section of the employees resorted to an illegal strike, acute inconvenience to the numerous guests in the hotel. Suitable action is being taken to deal with the situation.

Revised Pay Scale of Teachers of Delhi Municipal Corporation

3744. **Shri Yashpal Singh** : **Shri Onkar Lal Berwa** :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the pay scales of the teachers in Delhi had been enhanced in January, 1967 ;

(b) whether it is also a fact that the benefit of the said increase has not so far been given to the teachers of the Delhi Municipal Corporation ;

(c) if so, the reasons therefor, especially when the pay scales of the teachers have now again been revised upward ; and

(d) whether it is further a fact that Government have not so far made adequate funds available to the Municipal Corporation for the purpose of meeting the expenditure to be incurred due to the pay increase ; and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir ; they were revised with effect from 21st December, 1967.

(b) The Municipal Corporation Delhi, have reported that the proposal in respect of extending the benefit of the revised pay-scales has been approved by the Corporation only recently and the same is being extended to all the teachers.

(c) The benefit could not be given so far, as approval of the Corporation was necessary. It is being extended with retrospective effect from 21st December, 1967

(d) No, Sir.

दिल्ली विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश

3745. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालयों में प्रत्येक पाठ्यक्रम में कितने छात्रों का पंजीकरण किया गया और कितने छात्रों को उन विषयों में प्रवेश मिल गया है;

(ख) क्या यह सच है कि सैकड़ों योग्य छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय के चिकित्सापूर्व, स्नातक (आनर्स) वाणिज्य स्नातक (आनर्स) और विज्ञान (आनर्स) के पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं मिला है ;

(ग) सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश की समान शर्तें न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार विश्वविद्यालयों से प्रवेश की समान शर्तें लागू करने के लिये कहेगी, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी राव) : (क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है ।

(क) प्रथम वर्ष बी० ए०, बी० एस० सी०, पाठ्यक्रमों तथा प्री-मेडिकल में पंजीयत और प्रविष्ट छात्रों की स्थिति निम्नलिखित है :-

पाठ्यक्रम	पंजीयत छात्रों की संख्या		वास्तव में प्रविष्ट छात्रों की संख्या
बी० ए०)	इन सभी छात्रों का		9,569
बी० एम० (पास))	विश्वविद्यालय में		1,921
बी ए० (आनर्स))	केन्द्रीय पंजीकरण		3,417
बी० काम (आनर्स))	नहीं किया गया ।		1,211
बी० एस० सी० (आनर्स))		1,647	938
(भौतिकीय विज्ञान)			
समूह))			

बी० एस० सी० (आनर्स) (जीव विज्ञान समूह)	290	140
बी० एस० सी० (सामान्य) समूह (क)	1,746	1,266
बी० एस० सी० (सामान्य) समूह (ख)	965	515
प्री-मेडिकल	1,100	647

(ख) यह सत्य है कि सभी योग्य छात्रों को अपनी संसद के पाठ्यक्रमों में दाखिला न मिल सका, तथापि विश्वविद्यालय ने, उन सभी छात्रों को जिन्होंने 40 प्रतिशत तथा उससे ऊपर अंक अर्हक परीक्षा में प्राप्त किये और जिन्होंने दाखिले के लिये आवेदन दिये थे एक अथवा दूसरे अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रम में दाखिला दिया।

(ग) और (घ) : विश्वविद्यालय स्वायत संस्थाएं हैं और विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले से सम्बन्धित नियमों को वे स्वयं निर्धारित करती है। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों से सिफारिश की है कि दाखिला योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए और जाति, धर्म माता-पिता को हैसियत और ऐसी असंगत बातें हैं जो दाखिलों को प्रभावित न करें। आयोग ने यह विचार भी प्रकट कर दिया है कि दाखिलों पर कोई अधिवासी प्रतिबन्ध भी नहीं होने चाहिये।

डी० एम० कालिज, मणिपुर में स्नातकोत्तर कक्षायें आरम्भ करना

3746. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० एम० कालेज, मणिपुर में और अधिक स्नातकोत्तर कक्षायें आरम्भ की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो आरम्भ की जाने वाली कक्षाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नहीं में है तो कक्षायें आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) (क) से (ग) : और अधिक स्नातकोत्तर कक्षाओं को खोलने का प्रश्न मणिपुर प्रशासन के विचाराधीन है।

द्वितीय महायुद्ध की बमबारी में शिकार हुये व्यक्तियों को मुआवजा देना

3747. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ शासित क्षेत्र, मनीपुर के कुछ लोगों से, उन व्यक्तियों को, जिनके मकान द्वितीय महायुद्ध की बमबारी में नष्ट हो गये थे, आर्थिक क्षतिपूर्ति के अनुदान के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर अभी तक विचार किया है;

(ग) क्या सरकार ने बमबारी में हुये शिकार व्यक्तियों को किसी प्रकार का मुआवजा दिया है क्योंकि गोलाबारी और बमबारी में अत्यधिक विनाश हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो मुआवजे की धन राशि क्या है और कितने व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) : मणिपुर सरकार ने सूचित किया है कि द्वितीय महायुद्ध के दौरान नष्ट हुए मकानों का मुआवजा देने के लिए उनको अभ्यावेदन मिले थे । मुआवजा उनको दिया गया जिन्होंने नियत समय पर आवेदन किया और जो यथार्थ दावेदार थे । मणिपुर सरकार ने बताया है कि उन्होंने 70,653 यथार्थ दावेदारों को, जिन्होंने अपने दावे 1946-47 के निर्धारित समय में प्रस्तुत कर दिये थे, 3, 12, 42, 129, 44 रुपये की कुल राशि का भुगतान किया है ।

गौहाटी विश्वविद्यालय में असमियां और बंगला भाषाओं का अध्ययन प्रारम्भ करना

3748. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या शिक्षा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गौहाटी विश्वविद्यालय में 1971 से क्षेत्रीय भाषा होने के नाते असमियां का अध्ययन प्रारम्भ किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या कछार जिले की क्षेत्रीय भाषा होने के नाते गौहाटी विश्वविद्यालय में 1971 से बंगला का अध्ययन भी प्रारम्भ किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार गौहाटी विश्वविद्यालय की कछार के लोगों को बंगला की शिक्षा देने का अनुदेश देगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) : गौहाटी विश्वविद्यालय के कुछ-सचिव ने कहा है कि विश्वविद्यालय ने 1972-73 के शैक्षिक वर्ष से क्षेत्रीय भाषा (असमियाँ) को पूर्ण विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा माध्यम के रूप में प्रारम्भ करने का निर्णय किया है । जिला काचार में, जहां बंगला को जिला स्तर पर राजकीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, विश्वविद्यालय ने यह निर्णय किया है कि शिक्षा इंगलिश अथवा असमियां में दी जाएगी परन्तु विद्यार्थियों को यह चुनने का अधिकार दिया जाएगा कि वे परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर बंगला अथवा असामियां अथवा इंगलिश अथवा हिन्दी में दें ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अशोक होटल के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : श्रीमान् जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । सदन की बैठक प्रारम्भ होने से केवल दो मिनट पूर्व ही मुझे मन्त्री महोदय का वक्तव्य प्राप्त हुआ है ।

क्या कोई बेहतर व्यवस्था निर्धारित नहीं की जा सकती, जिससे कि हमें कुछ पहले विवरण-पत्र मिल जाया करे और हम उसका अध्ययन कर सकें ?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय को विवरण-पत्र थोड़ा जल्दी भेजना चाहिए। मगर यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मन्त्री महोदय के पास कुछ विलम्ब से पहुँचा। कल एक अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था, परन्तु मन्त्री महोदय और सदस्य दोनों ही अनुपस्थित थे। इसलिए मैंने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : मैं पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर आकर्षित करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"अशोक होटल के कर्मचारियों द्वारा कथित हड़ताल"

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : मुझे अत्यन्त खेद के साथ सदन को अशोक होटल के कर्मचारियों के एक वर्ग के उस नितान्त उत्तरदायित्वहीन व्यवहार के बारे में सूचित करना पड़ता है जिसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र के इस प्रमुख होटल में ठहरे हुये सैकड़ों अतिथियों को, जिनमें बहुत से विदेशी यात्री भी सम्मिलित हैं, अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ा है। 28 जुलाई को 'अशोक होटल एम्पलाईज यूनियन' तथा 'अशोक होटल कर्मचारी संघ' की संयुक्त कार्य समिति ने प्रबन्धक वर्ग को 37 मांगों की एक सूची भेजी। इस बिवाद पर कि प्रबन्धक वर्ग ने इन मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं की है समिति ने 1 अगस्त को हड़ताल का नोटिस दे दिया। जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अपेक्षित है प्रबन्धक वर्ग ने मामले को समझौते के (कंसिलिएशन) के लिये दिल्ली प्रशासन को निर्दिष्ट कर दिया। समझौते की कार्यवाही की गयी परन्तु 18 की रात को उसकी विफलता की सूचना प्राप्त हो गयी। अब मामला न्याय-निर्णय (ऐडजुडिकेशन) के लिये भेज दिया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि होटल कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा की गयी हड़ताल की कार्यवाही सर्वथा अवैध है। तथा जैसा व्यवहार कुछ कर्मचारियों ने किया है वह शिष्ट-ग्राह्य आचरण के समस्त सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। 19 की सुबह से जल एवं वातानुकूलन व्यवस्था के साथ निरन्तर छेड़छाड़ की जाती रही है। किचिन ठप्प कर दिये गये हैं और प्रबन्धक वर्ग के कई सदस्यों के साथ बल प्रयोग किया गया है तथा अन्य कार्यकर्ताओं को धमकाया गया है। मुझे आशा है कि अब भी सद्भावना एवं सुबुद्धि की विजय होगी और हड़ताल तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी। इस बीच मुझे विश्वास है कि यह सदन इस बात से सहमत होगा कि होटल की सुरक्षा एवं निर्बाध कार्यगति को सुनिश्चित व्यवस्था की दृष्टि से आवश्यक कार्यवाही करना अनिवार्य हो गया है, और वह की जा रही है।

सदन को यह बता देना उचित होगा कि पिछले तीन वर्षों में होटल तथा उसके कर्मचारियों की सेवा परिस्थितियों को सुधारने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं। अकेला वेतन बिल ही 1966–67 में 23.03 लाख रुपये से बढ़कर 1969–70 में 50.39 लाख रुपये हो गया है, यद्यपि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि केवल 1310 के स्थान पर 1391 हुई है। इसके अतिरिक्त उसी

अवधि में बोनस तथा भविष्यनिधि इत्यादि के लिये भुगतान की जा रही राशि 2.30 लाख रुपये से बढ़ कर 8.87 लाख रुपये हो गयी है।

श्री म० ला० सोंधी : प्रधान मन्त्री ने यह निश्चय किया है कि भूतपूर्व नरेशों को निजी थैलियाँ नहीं मिलनी चाहिए और डा० कर्ण सिंह ने यह फैसला किया है कि अशोक होटल के कर्मचारियों को सर्विस चार्ज नहीं मिलना चाहिए। अगर वास्तविकता को इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय, तो यह सदन कर्मचारियों की माँगों का समर्थन करेगा। असली मांग तो सर्विस चार्ज की अदायगी के बारे में है। उपभोक्ताओं और ग्राहकों से वसूल किये गये कर्मचारियों को सर्विस चार्ज का अदायगी रोकी नहीं जा सकती। सर्विस चार्ज प्रोत्साहन बोनस है और उसे मंहगाई भत्ते का रूप नहीं दिया जा सकता। महंगाई भत्ता मूल्यों में वृद्धि के कारण प्रतिपूर्ति करने के लिए होता है। मन्त्री महोदय और प्रबन्धक-मण्डल का दृष्टिकोण सामूहिक लाभ प्राप्त करने की भावना की भर्त्सना करना रहा है। क्या तथाकथित समाजवादी सरकार का ऐसा दृष्टिकोण होना अच्छी बात है ? कर्मचारियों की मुख्य मांगों का कोई निश्चित उत्तर मन्त्री महोदय ने नहीं दिया है। मन्त्री महोदय का यह वक्तव्य नौकर शाह अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया होगा जिसमें यह कहा गया है कि कर्मचारियों को पहले की अपेक्षा अधिक वेतन मिल रहा है और उनकी सेवा शर्तें पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी हैं। क्या मन्त्री महोदय अशोक होटल के निकट कर्मचारियों के क्वार्टरों में कभी गये हैं ? वहां एक-एक कमरे में पचास व्यक्ति रहते हैं। यह अत्यन्त शर्मनाक स्थिति है।

मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में 'अशोक होटल' के कर्मचारियों के एक वर्ग के व्यवहार को अत्यधिक उत्तरदायित्व होना बताया है। क्या उन्होंने इसका पता लगाने के लिए कोई जाँच समिति नियुक्त की है ? उन्होंने किस आधार पर उनके व्यवहार को 'उत्तरदायित्वहीन' बताया है ? मेरे विचार में मन्त्री महोदय का व्यवहार गैर-जिम्मेदाराना रहा है। यह संसद भारत के श्रमिकों का अपमान सहन नहीं कर सकती। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सारा विवाद कुछ भड़काने वाले एजेन्टों द्वारा शुरू किया गया था और अब सारा दोष श्रमिकों के माथे मढ़ा जा रहा है ?

उनका यह भी कहना है कि मामला न्याय-निर्णय के लिए सौंप दिया गया है। क्या इस कारण वह अपने दायित्व का पालन नहीं कर सकते। उन्हें कर्मचारियों को बुलाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए और समाधान ढूंढ़ना चाहिए। प्रबन्धक मण्डल बातचीत प्रारम्भ करने के लिए हड़ताल वापस लेने की शर्त लगा रहे हैं। माननीय मन्त्री महोदय अशोक होटल में सामन्तशाही चालू करना चाहते हैं।

आकाशवाणी के माध्यम से लोगों को गुमराह किया जाता है। अशोक होटल में शत प्रति-शत हड़ताल है और यह जनपथ तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य होटलों में भी फैल सकती है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि कर्मचारियों पर लाठी प्रहार की चोटें उनके मन्त्रालय और इस सरकार के कफन में कीलें सिद्ध होंगी।

मैं तीन प्रश्नों के निश्चित उत्तर चाहता हूँ : (1) कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए मन्त्री महोदय ने क्या पहल की है ? (2) मन्त्री महोदय ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि होटल द्वारा ग्राहकों से वसूल किये गये सेवा-व्यय की कर्मचारियों को अदायगी हो ? (3) क्या मन्त्री महोदय समझौते की कोई सम्भावना ढूंढ़ने के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित करेंगे ? मैं इन प्रश्नों का गम्भीर उत्तर चाहता हूँ । अगर उन्होंने धमकी भरे उत्तर दिये तो, इसका बाहर मुंहतोड़ जबाब दिया जायेगा ।

डा० कर्ण सिंह : प्रो० सोंधी ने मुझसे पूछा है कि कर्मचारियों द्वारा गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार करने के बारे में क्या कोई जांच-समिति नियुक्त की गई है । प्रारम्भ में ही मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैंने सभी कर्मचारियों की भर्त्सना नहीं की है; केवल एक वर्ग की ही निन्दा की है । 450 अतिथियों के वहां होने पर वातानुकूलन-व्यवस्था को बन्द कर देना क्या गैर-जिम्मेदाराना नहीं है ? जापान के विदेश मन्त्री को स्नान करने के लिए पानी भी न मिल सका—क्या यह गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं है ? कर्मचारियों की उचित मांगों को मनवाने का यह तरीका नहीं है । वातानुकूलन व्यवस्था और जल-सफाई बन्द कर देना क्या लोकतान्त्रिक तरीका है ? (**व्यवधान**)

सदस्य महोदय ने सेवा-व्यय की अदायगी करने का उल्लेख किया है । वेतन बोर्ड ने स्पष्ट और निस्सन्देह रूप से यह सिफारिश की है कि सेवा-व्यय की बजाय मँहगाई भत्ते की अदायगी की जानी चाहिए और हमने ऐसा ही किया है । वेतन बोर्ड की सिफारिशें दिल्ली के सभी रेस्टोरेन्टों और होटलों के बारे में हैं और हमने उन्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है ।

मेरे मित्र, श्री सोंधी एक उच्च शिक्षा प्राप्त, प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं । उन्होंने सर्विस चार्ज के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया है उससे मुझे बहुत दुःख हुआ है । सर्विस चार्ज के बारे में स्थिति बहुत स्पष्ट है । मजूरी बोर्ड की सिफारिशों से पूर्व यह नियम था कि सर्विस चार्ज श्रमिकों में ही बांट दिया जाता था । अब मजूरी बोर्ड ने अपनी सिफारिशों में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि सर्विस चार्ज की अपेक्षा श्रमिकों को महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिये । उनकी सिफारिश के अनुसार सर्विस चार्ज का 75 प्रतिशत होटल को मिलना चाहिये, 15 प्रतिशत टूट-फूट की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाये और 10 प्रतिशत कल्याण निधि के लिए रखा जाये । हमने ठीक यही बात की है । इसलिए श्री सोंधी का यह धारणा फैलाना कि हम श्रमिकों के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं बिल्कुल उचित नहीं है ।

जहां तक मुझे मिलने का प्रश्न है, जो भी व्यक्ति मुझसे मिलना चाहें, मैं उससे मिलने को तैयार हूं । मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात का अत्यन्त खेद हुआ है कि अशोक होटल को भारत का सर्वोत्तम होटल बनाने का हमारा प्रयास सफल नहीं हुआ । जहां कभी 450 लोग ठहरा करते थे, आज वहां 50 व्यक्ति भी नहीं रह रहे । लोग भोजन, जल और वातानुकूल व्यवस्था के न मिलने के कारण चले गये । क्या इस देश में सरकारी प्रतिष्ठा को बनाने का यही एक तरीका है ? श्री सोंधी, एक समझदार व्यक्ति हैं और उन्हें इस प्रकार भावावेश में नहीं बह जाना चाहिए । हमने जो कार्यवाही की है उन्हें उसका समर्थन करना चाहिये ।

Shri Sita Ram Kesri (Katihar) : It has been stated by hon. Minister that foreign

dignitories staying in Ashoka Hotel have been disrespected. But I want to point out that it is not the first incident of this kind. Similar incidents took place in 1967 also. It was also repeated when a party was given to Prime Minister in her honour. So when it is not the first incident of its kind, why no alternative arrangement was made by the management although two weeks notice was served by the employees ? Does the hon. Minister propose to take any action against management ?

Dr. Karan Singh: It is true that till 18th instant we had negotiations with the employees but we least expected such a situation. The disputes takes place when someone is in trouble and he is not heard. But to cut the water supply or disconnect air conditioning system by the employees is not at all justified. But as pointed out by hon. Member we should have foreseen such a situation. I admit it was a mistake on our part. But on 19th when we knew it, we made every possible alternative arrangement.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Speaker, Sir, I want to know from the Minister of Tourism and Civil Aviation about the daily loss suppored by the Hotel during strike ? Secondly, is it a ,fact that some political parties support public sector on one side and on the other they instigate the employees of public sector for strike.

Thirdly, I would also like to know whether the 12 or 15 percent Service charges which are included in the Bill are not given to employees ? Fourthly, what is the minimum salary paid to an employee of Ashoka Hotel ?

Dr. Karan Singh : So far as the question regarding loss suffered perday is concerned, I have got no statistics available with me at present. But this much I can say that it all the 450 leave the Hotel, it would result in a loss of thousands of Rupees per day. I would request all the parties to give their full cooperation in improving the situation. I also request the political parties, if there is any, to stop adding fuel to the fire in order to have a better atmosphere there. The service charges are being utilized in accordance with the instructions given by the wage Board and the workers are paid dearness allowance in lieu of Service charges.

The minimum wages are given to peons and torch bearers but I can not say as to what are, their exact salaries. Incidentally, I may mention here that the Wage Board has made 86 categories of wages and out of this we are paying to 55 Categories more than what has beee recommended by the wage Board.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : श्रीमान, मैं डा० वी० के० आर० वी० राव की ओर से भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद, के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा प्रतिवेदन के हिन्दी संस्करण को सभा-पटल पर न रखने के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4019/70]

वित्तीय समितियाँ, 1969-70 (एक समीक्षा)
FINANCIAL COMMITTEES 1969-70 (A REVIEW)

सचिव :—श्रीमान, मैं "वित्तीय समितियां 1969-70 (एक समीक्षा)" की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव :—श्रीमान, मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :—

(i) कि राज्य सभा 18 अगस्त, 1970 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 30 जुलाई, 1970 को पास किये गये भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक, 1970 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(ii) कि राज्य सभा 19 अगस्त, 1970 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 5 अगस्त, 1970 को पास किये गये संविद श्रमिक (विनियमन और उत्साहन) विधेयक, 1970 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : श्रीमान, मैं आप की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि मंगलवार, 25 अगस्त, 1970 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायगा :

(1) वर्ष 1970-71 के लिए पश्चिमी बंगाल के संशोधित बजट पर आगे चर्चा।

(2) वर्ष 1970-71 के लिए अनुदानों की मांगों (पश्चिमी बंगाल) पर आगे चर्चा तथा मतदान।

(3) पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन बनाये रखने का अनुमोदन करने के लिये संकल्प पर आगे चर्चा।

(4) (i) वर्ष 1970-71 के लिये अनुदानों की अनुपूरक माँगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(ii) वर्ष 1970-71 के लिये अनुदानों की अनुपूरक माँगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान।

(5) दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1970 का निरनुमोदन करने के लिये सांविधिक संकल्प पर विचार और दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1970 पर (राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में) विचार तथा पास करना।

(6) अस्पृश्यता तथा अनुसूचित जातियों के आर्थिक तथा शैक्षिक विकास के बारे में इलाया पेरूपल समिति के प्रतिवेदन तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 के लिये क्रमशः 16 वें, 17 वें तथा 18 वें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्तावों पर आगे चर्चा।

(7) संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित पेटेन्ट विधेयक, 1967 पर विचार तथा पास करना।

(8) भारत के कपास निगम की स्थापना के बारे में 31 जुलाई, 1970 को वैदेशिक व्यापार मन्त्री द्वारा सभा-पटल पर रखे गये विवरण के बारे में नियम 193 के अन्तर्गत श्री श्रीचन्द गोयल तथा अन्य सदस्यों द्वारा गुरूवार, 27 अगस्त, 1970 को 5 बजे म० प० पर उठाई जाने वाली चर्चा ।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि देश में तोड़-फोड़ तथा हिंसात्मक गतिविधियों के बारे में श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर आगे चर्चा बुद्धवार, 2 सितम्बर, 1970 को 4 बजे म० प० पर की जायगी ।

डा० रामसुभग सिंह (बक्सर) : श्रीमान, आपको स्मरण होगा कि आपने सोवियत संघ द्वारा प्रकाशित नक्शों के विषय में चर्चा के लिये सहमति प्रकट की थी, उस विषय में क्या किया जा रहा है ?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : It has been decided by the Business Advisory Committee that the discussion should be made under rule 184 and not under rule 193. But there has been made no mention to it in the Statement by the Minister for Parliamentary affairs. What above the discussion on cartographic aggressions of the Soviet union ? There should be a discussion before the adjournment of the house.

श्री उमानाथ (पुदुकोटै) : गत सप्ताह केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये अन्तरिम सहायता पर चर्चा अधूरी रह गई थी । इस सम्बन्ध में सदन को सरकारी निर्णय बताया जाय । मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि अगले सप्ताह के अन्तिम दिन इस पर चर्चा होनी चाहिए । केन्द्रीय कर्मचारी सरकार से उत्तर पाने की आशा लगाये हुये हैं ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : श्रीमान्, रूस द्वारा प्रकाशित नक्शों पर स्थाल प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये सदन में काफी चर्चा हुई, परन्तु हमारी बात नहीं मानी गई और आपने इस विषय पर चर्चा के लिये अवसर प्रदान करने की इच्छा प्रकट की थी । अगले सप्ताह इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिये पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : मंत्री महोदय को योजना तथा प्रीवीपर्स के विषय में कुछ स्पष्टीकरण करना चाहिये ।

केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये अन्तरिम सहायता के विषय में जैसा कि श्री उमानाथ ने कहा है, सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर दिया जाना चाहिये । सदन में किसी भी विषय पर चर्चा को अधूरा छोड़ देने की जो प्रवृत्ति बल पकड़ती जा रही है, वह ठीक नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देने के बारे में एक घंटे से अधिक समय तक चर्चा चली, फिर सदन स्थगित कर दिया गया । जब से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री शुक्ल ने सदन में वक्तव्य दिया है, तब से कर्मचारियों में काफी भ्रान्ति उत्पन्न हो गई है । अतः अगले सप्ताह इस पर आधे घंटे कि चर्चा होनी चाहिये ।

हम यह चाहते हैं कि सरकार हमें यह आश्वासन दे कि इस सत्र में भूतपूर्व राजाओं को निजी थैलियां समाप्त करने सम्बन्धी विधेयक को लाया जायेगा ।

मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किये। उत्तर प्रदेश के मुख्य-मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय सरकार के समक्ष चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का मामला है उन्होंने कहा है कि इस मामले को राय जानने हेतु सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जाना चाहिये। यह मामला कभी राज्य तथा कभी केन्द्र के पास आता रहा है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में वह एक विवरण दें।

कई बार आश्वासन दिये गये कि दिल्ली के पुलिस वालों को उनके पदों पर वापिस ले लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में भी एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को कई बार लाया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं केवल एक वक्तव्य चाहता हूँ। गृह-मन्त्री ने कई बार आश्वासन दिये अब वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Speaker, Sir, I want to put only three things. The hon. Members have discussed two of them. Therefore, I want only to refer to them.

As we had a doubt, the Government wanted to scuttle the Fourth Five Year Plan. It seems that that is, not going to be discussed. May I know whether there would be a discussion on this matter, during the next week or there would be discussion by the end of this session or not.

The Government are showing timidity in abolishing the Pivy Purses. It is apparent that they are not bringing the concerned Bill in this Session. I want to know the reason of not bringing the Bill.

I want to read the third thing for the House.

अध्यक्ष महोदय : सदन के कार्य के बारे में मन्त्री महोदय द्वारा जो घोषणा की गई उस पर चर्चा चल रही है। जो कोई बात इससे सम्बन्धित नहीं है, वह रिकार्ड में शामिल नहीं की जायेगी। **(व्यवधान)**

Shri Janeshwar Misra (Phulpur) : Mr. Speaker, Sir, I want a statement from the Minister of Railway next week on the arrest of the personnel of the Electrification Department of the Railway, Their demands are justified. Inspite of their long service, they are not confirmed.

The hon. Members Shri Arjun Singh Bhadoria and Shri Shiva Chandra Jha have planned to grab the land possessed by Shrimati Indira Gandhi. It is not known whether the watchman of that place has been kidnapped or murdered. The hon. Minister of Home Affairs should make a statement in this regard by this evening.

Shri Prakash Vir Shasti (Hapur) : Mr. Speaker, Sir, on the last Friday I drew your attention towards an assurance made in this House by Sri M. C. Chagla, the then Minister of Education that a Bill regarding the Muslim University, Aligarh would be brought soon together with a Bill regarding Hindu University,. A news is appearing in the newspapers that there has been a talk in the Council of Ministers that on account of a threatening by a certain Minister to resign, the matter of bringing a Bill of Muslim University has been dropped. It would create various confussions in the country. The Bill which was prepared at the time of Sri Chagla should be brought now.

The Railway line from Shahdara to Saharanpur which is 140 Kilometer long is giving to be closed by September 1. That would render thousands of employees unemployed. This is an important Railway line. A Statement in this regard shoued be made or a short notice question should be accepted or a discussion should be allowed on it.

श्री प्रताप सिंह (शिमला) : प्रधान मन्त्री महोदया ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश को पूरे राज्य का दर्जा देने के बारे में विधेयक पेश करने को कहा था। पूरा सदन इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य सूची में इस विधेयक को स्थान नहीं मिला है। हिमाचल प्रदेश में विशेषतया प्रशासनिक तथा विकास सम्बन्धी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि इसमें विलम्ब नहीं दिया जाना चाहिये।

मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप प्रधान मन्त्री महोदया को सूचित करें कि वह इस बात को देखें कि इस विधेयक को आगामी सप्ताह की कार्य सूची में शामिल कर लिया जाये ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों की इच्छाओं की पूर्ति हो।

यह मामला केवल हिमाचल-प्रदेश के लोगों के लिये ही महत्वपूर्ण नहीं है अपितु समस्त सदन के लिये है। आगामी सप्ताह सरकार इस विधेयक को प्रस्तुत करे तथा इसी सत्र में पारित करे।

Mr. Speaker : You should have said that the Bill for Himachal Pradesh should be brought.

Shri Randhir Singh (Rohtak): The agriculture is the biggest industry in our country. All the discussion which is giving on in the House on the problem of agriculture should also be covered by the All India Radio.

Mr. Speaker : Now I am making this procedure that those hon. Members who hae to speak would speak through the leaders of their respective parties.

Shri Randhir Singh : The Government should make a statement regarding Urban Property.

The Government should direct the State Governments to fulfill the demands of the teachers regarding their salaries and the Minister of Education should also make a statement.

A statement regarding the Delhi Police should also be made.

Shri M. A. Khan (Kasganj) : Mr. Speaker. Sir, as the House has been assured that the Abolitiion of Privy Purses Bill must be brought and passed, I want to know, when this Bill would be brought and discussed ?

There must be discussion on the Fourth Five Year Plan. before the end of the session. The Aligarh Muslim University (Amendment) Bill should be brought. The Golden Jubilee of the Muslim University, Aligarh is giving to be celebrated but if a Bill is not brought in this regard, that would not be celebrated. Therefore, A Comprehensive Bill, not an Amendment Bill. Must be brought.

Dr. Sushila Nayar (Jhansi) : Mr. Speaker, Sir, the discussion is on the report of the Tekchand Committee is lying incomplete for four or five years. The discussion must be completed next week by allowing time of an hour.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Speaker, Sir, you said in a meeting of the Business Advisory Committee to allow time for discussion on the Russian Map. Please give time for that.

A discussion under Rule 193 on the grant of Statehood to Delhi may also be allowed.

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : The Patents Bill which is to be brought in the House next week should be given enough time for discussion so that that may be passed in this session and much time should also be given for the Abolition of Privy Purses Bill. The Five Year Plan is also necessary to be discussed next week. The employees of the Gymkhana Club—a splended club of India—are on strike. The Minister of Home Affairs should make a statement in this regard.

श्री अ० त्रि० शर्मा (भंजनगर) : मैं संसदीय-कार्य मन्त्री को सुझाव देना चाहता हूँ कि इसी सत्र में पेटेंट विधेयक तथा इंडियन मेडिसिन सेन्ट्रल काउन्सिल बिल पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये समय निकाला जाये ।

Shri Molahu Prashad (Bansgaon) : Mr. Speaker, Sir, I rise on a point of order, According to your procedure, the leaders of the parties must remain present till the proceedings of the House so that the hon. Members can express their ideas through them.

(व्यवधान)

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The law and order situation in the whole of the country is bad. The unemployment problem is such a problem that if it is not solved, there would be Naxalite movement throughout the country. The map which is published shows the places where the Naxalite movements are giving on. The Government must remove this problem and provide employment to the Youth.

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Sir, what about the Russian maps. ?

श्री रघुरामैया (गुन्टूर) : मैं पहले निजी थैलियों की समाप्ति के बारे में विधेयक के बारे में कहना चाहूँगा कि सरकार तो इस बारे में बहुत चिंतित है परन्तु इसे विशेष बहुमत की आवश्यकता है । मैंने कल परसों कुछ दलों के नेताओं से सलाह की थी । इसे विशेष बहुमत की आवश्यकता होने के कारण हमें सदस्यों की उपस्थिति को सुनिश्चित करना होगा । माननीय सदस्य भूमि आन्दोलन इत्यादि में लगे हुये हैं ।

Shri Janeshwar Misra (Phulpur) : Please make necessary arrangement to bring him back from the Jail.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : After voting, he can go back to jail.

श्री रघुरामैया : एक या दो दिन में हम एक निर्णय ले सकते हैं और उसके बाद कार्य-मंत्रणा-समिति के सम्मुख मामला पेश किया जा सकेगा ।

अन्तरिम राहत के संबंध में मैं जरूर कोशिश करूँगा क्योंकि कई माननीय सदस्य इस पर बोल चुके हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Mr. Speaker, Sir, you had instructed them to find some time fork it. But they did not obey that. I would appeal to you that you may keep the dignity of the Chair. If they disobey your instructions, let the House be made aware of it.

अध्यक्ष महोदय : यह मामला कार्य-मंत्रणा समिति में पेश हुआ था। मेरे विचार से कुछ समय निकाल दिया जाना चाहिए। पूरा दिन नहीं चाहिए, मगर कुछ घन्टे तो अवश्य चाहिए।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi) : Mr. Speaker, Sir, on 20th May, 1970, while speaking in the House on the Communal riots in Bhivandi, Shri Shashi Bhushan Vajpayee, had levelled a baseless allegation against me that it wasafter my visit to Bhiwandi, that communal riots flared up there. I had denied this charge then and there and had said that if it was proved, I would resign from the party and if it is proved baseless he should resign. Since then, I have repeatedly said that these are all parts of a malieious propaganda campaign launched against us. It was his duty as an hon. Member of the House, to admit his mistake and apologise before the House for having insted it by giving false statements. But on the contrary he reiferated his statement. This leads us to think that Shri Shashibhushan has no respect to the House, and no faith in truth and ethics.

Once again, I would deny the charge levelled against me by Shri Shashi bhushan. I have not visited Bhiwandi. In fact, I have not even heard of that place, before the communal riots took place. Therefore, to say that I had visited that place and thereafter the communal riots broke out is spite ful and ill-thought.

I expect that Shri Shashibhushan may admit his mistakes and apologise before the House. By doing this, he will raise his dignity as well as the dignity of the House.

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : Mr. Speaker, Sir, as far as the House is concerned, I respect it. I respect Shri Bal Raj Madhok also, since he is one of my friends. But as far as my statement is concerned, how can I say that it was wrong ? I can only say that the source from which I got the information was reliable. Perhaps it might be wrong. But one thing is clear. Those who follow him will belive him and same is the case with me. But I do not need a certificate from the hon. Member..... **(interruption)** I have also some rights in this House. Whatever I have said, I said it with full responsibility.

Shri Randhi Singh (Rohtak) : Mr. Speaker, Sir, I express sorry on behalf of Shri Shashi Bhushan.

Shri Shashi Bhushan : Shri Randhir Singh need not express sorry on this. If my statement hearts them, I am sorry.....**(interruption)**

Mr. Speaker : You have given Personal explanation. If Shri Shashi Bhushan did not have said anything, it would be alright. You have given personal explanation. The matter is closed, now.

पश्चिम बंगाल बजट, 1970, अनुदानों की मांगों और पश्चिम बंगाल के बारे में उद्घोषणा सम्बन्धी सांविधिक संकल्प

WEST BENGAL BUDGET, 1970, DEMAND FOR GRANTS AND STATUTORY RESOLUTION RE: PROCLAMATION IN RELATION TO WEST BENGAL

अध्यक्ष महोदय : अब आदेश पत्र में दिये गये मद संख्या 8, 9 और 10 पर आगे विचार किया जाएगा।

इन तीनों मदों की संयुक्त चर्चा के लिए आवंटित 6 घंटों में से तीन घंटे और पांच मिनट तक इस पर बहस की जा चुकी है। अब दो घंटे और 55 मिनट रह जाते हैं।

जिन सदस्यों ने कल कटौती प्रस्तावों के लिए सूचना दी थी, वे अगर प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं, तो 15 मिनट के अन्दर सभापटल पर परचो भेज दें, जिसमें कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या अंकित हो। ये प्रस्ताव पेश किये गए माने जाएंगे। मध्याह्न भोजन के पश्चात् श्री वेंकट सुब्बया अपना भाषण जारी रखेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजकर तीस मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Half Past Fourteen of the clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर पैंतीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at thirty-five minutes past Fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में पश्चिम बंगाल के बजट के बारे में आगे चर्चा की जा रही है। अगर उनका व्यवस्था का प्रश्न इस संबन्ध में है, तो उसको अनुमति दी जाएगी। अन्यथा नहीं ?

श्री स० मो० बनर्जी : यह पश्चिम बंगाल के बारे में है। समाचार पत्र में आया था कि समीर भट्टाचार्या नामक 14 वर्ष के एक छात्र को पुलीस ने गिरफ्तार किया और थाने में उसकी मृत्यु हो गई।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब समाचार पत्र में आ गया है। सदन के आदेश का इससे क्या वास्ता है ?

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा केवल एक निवेदन है। उस छात्र की मृत्यु के बाद, कल एक लाख से अधिक लोगों ने जुलूस निकाला। पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलीस इस तरह के अत्याचार कर रही है। मैं चाहता हूँ कि गृह मंत्री महोदय इस पर एक वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको जो कुछ कहना था, कह दिया और मन्त्री महोदय ने सुन भी लिया। अब बात खतम हो गई।

श्री पें० बंकटा सुब्बया : (नन्दयाल) श्रीमान्, यह प्रस्ताव जोकि सदन के सामने है, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपतिशासन को अवधि छः महीने तक और बढ़ा दिये जाने के संबन्ध में है। पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही अजीब एवं कठिन परिस्थिति पैदा हुई है। केन्द्रीय सरकार की गलत नीति के परिणामस्वरूप वहां की समस्यायें इतनी जटिल हुई हैं। तत्कालीन उपमुख्य मन्त्री श्री ज्योति बसु और अन्य दलों ने मिलकर नक्सलवादियों को जन्म दिया। नक्सलवाद उन लोगों का सृजन है, जिनका लोकतंत्र में, या क्षेत्रीय अखंडता में कोई विश्ववास नहीं है। आखिर जब नक्सलवादियों का खतरा न केवल बंगाल में बल्कि देश के अन्य स्थानों में भी फैलने लगा, तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

हमारे भूतपूर्व गृहमन्त्री महोदय बड़े अजीब ढंग के नारे बनाने में कुशल थे। चूंकि वे एक व्यावहारिक समाजवादी हैं, अतः उन्होंने सदन में कई बार कहा कि नक्सलवाद एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है। इसी दृष्टिकोण के कारण ही ये विध्वंसकारी सामाजिक तत्व आज इतने अधिक फले और फूले हैं। जब प्रधानमंत्री ने गृहमंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया, तो उन्हें पता लगा कि उनके सहयोगी ने गृहमंत्रालय का दुरुपयोग कर देश को कितनी हनि पहुँचा दी है।

नक्सलवादियों को एक समाचार पत्र **'देश भारती'** से स्पष्टतः पता चलता है कि उनकी नीति क्या है और वे यहां क्या करना चाहते हैं। वे अपनी गतिविधियों को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैला रहे हैं। वे यहाँ दूसरे वियतनाम की सृष्टि करना चाहते हैं।

अब सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर सामने आई है। सामान्यतः मैं इसका समर्थन नहीं करता मगर पश्चिम बंगाल की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसका समर्थन करना ही पड़ता है। आज कलकत्ता, दुर्गापुर आदि स्थानों में मार्क्सवादियों की हिंसात्मक गतिविधियां तेजी से चल रही हैं इन दोनों दलों के बीच का स्थान दक्षिणपन्थी साम्यवादियों का है। यह दल अपनी प्रगतिशील नीति से लोगों को गुमराह कर रहा है। वे असल में सत्तारूढ़ दल की छाया में पल रहे हैं। उनके पुराने साथी मार्क्सवादियों ने उनकी प्रगतिशील नीति की कलई खोल दी है।

पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था एकदम बिगड़ गई है। वहां के राज्यपाल खुद एक संस्था के रूप में काम कर रहे हैं। वे हर दिन वहां और समस्यायें पैदा करते हैं। वे खुद असंगत एवं गैर-जिम्मेदाराना बातें करते हैं और इससे पहले से ही बिगड़ी हुई कानून और व्यवस्था और अधिक जटिल बनती जा रही है इस स्थिति में मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि वे इस राज्यपाल को वहां से हटाकर कोई कुशल प्रशासक को वहाँ नियुक्त करें, जो जनता की जानमाल की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा सुझाव है कि श्री शिव नारायण को वहां भेज दिया जाना चाहिए।

श्री पें० बेंकटा सुब्बया : जो हां, श्री बनर्जी वहां आदर्शवान् राज्यपाल रह सकते हैं। जो भी हो, वर्तमान राज्यपाल को जितनी जल्दी हटा दिया जाए, उतना ही अच्छा है।

पश्चिम बंगाल को अपने आर्थिक विकास के तथा अन्य विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिये बहुत समय से उचित सहायता नहीं मिलती है। वहां लाखों की संख्या में शरणार्थी आ रहे हैं जिन्हें ठीक ढंग से नहीं बसाया जा सका। बेरोजगारी की समस्या भी उसी प्रकार बनी हुई है जैसे पहले थी। अतः इन समस्याओं को हल करने का उत्तरदायित्व सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिये।

पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों से सम्बन्धित सभी अन्य गतिविधियां पश्चिम बङ्गाल और कलकत्ता में आरम्भ होती है। अतः मेरा सुझाव है कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये तथा उसके लिये योजना कार्यक्रमों के लिये निर्धारित राशि से अतिरिक्त राशि नियत करनी चाहिये।

मैं इस बात की भी हिमायत करता हूं कि जब तक वहां कानून व्यवस्था सामान्य नहीं होती तथा बन्द कारखाने नहीं खुल जाते और वहाँ की आर्थिक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक वहां राष्ट्रपति का शासन रहना चाहिये। साथ ही मैं यह भी निवेदन करता हूँ कि वहां के वर्तमान राज्यपाल को यथाशीघ्र बदल देना चाहिये।

श्री समर गुह (कन्टाई) : महोदय कल विचार विमर्श के समय 55 मिनट प्रक्रिया सम्बन्धी बातों में व्यतीत हो गयी थी। अतः उन 55 मिनटों को विचार विमर्श के लिये निर्धारित समय में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये। इस प्रकार इस चर्चा में केवल 2 घन्टे और 10 मिनट ही व्यतीत हुये माने जाने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप की बात लिख ली गई है।

पश्चिम बंगाल बजट सम्बन्धी अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्तुत किये गये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
12	20	**श्री मुहम्मद इस्माइल** :	पश्चिम बङ्गाल में शरणार्थियों की चिरकालिक समस्या को सुलझाने में असफलता।	100 रुपये

1	2	3	4	5
12	21	श्री मुहम्मद इस्माइल :	विदेशी स्वामित्व वाली विद्युत सप्लाई कम्पनियों का अर्जन करने में असफलता।	100 रुपये
12	22	श्री मुहम्मद इस्माइल :	आवश्यक वस्तुओं की मृत्यु-वृद्धि को रोकने में असफलता।	100 रुपये
12	23	श्री मुहम्मद इस्माइल :	पुलिस अधिकारियों तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों के विरुद्ध षड्यंत्र को रोकने में असफलता।	100 रुपये
12	24	श्री मुहम्मद इस्माइल :	8 वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने के सरकारी निर्णय को कार्यान्वित करने में असफलता।	100 रुपये
22	25	श्री मुहम्मद इस्माइल :	राज्य की भूमि पर कब्जा करने वाले भूमिहीन किसानों को संरक्षण देने में असफलता।	100 रुपये
26	26	श्री मुहम्मद इस्माइल :	बन्द की गई मिलों तथा कारखानों को पुनः चालू करवाने में असफलता।	100 रुपये
30	27	श्री मुहम्मद इस्माइल :	ट्रामवे कम्पनी का अर्जन करने से पूर्व कम्पनी के साथ किये गये समझौते के अनुसार कम्पनी के कर्मचारियों को मँहगाई भत्ता देने में असफलता।	100 रुपये
30	28	श्री मुहम्मद इस्माइल :	सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को बचन देने पर भी मजदूरी बोर्ड आयोग की सिफारिशें लागू करने में असफलता।	100 रुपये
30	29	श्री मुहम्मद इस्माइल :	संविद अधिनियम के कारण गैर-सरकारी कम्पनियों तथा अभिकरणों के कर्मचारियों को वर्तमान सेवा को शर्तों को बनाये रखने में असफलता।	100 रुपये
12	30	श्री समर गुह :	राष्ट्र विरोधी नारों को मिटा करके शहर और शिक्षा संस्थाओं को दीवारों को साफ करने में असफलता।	100 रुपये
12	31	श्री समर गुह :	उग्रवादियों को विस्फोटक सामग्री और गोला बारूद की प्राप्ति करने से रोकने में असफलता।	100 रुपये

1	2	3	4	5
12	30	**श्री समर गुह**	: असामाजिक तत्वों को समाज विरोधी गतिविधियाँ करने से रोकने में असफलता।	100 रुपये
12	33	**श्री समर गुह**	: राजनीतिक दलों के स्वयंसेवकों को हथियार रखने से रोकने में असफलता।	100 रुपये
12	34	**श्री समर गुह**	: दिग्हा समुद्री स्थानों में पर्यटन सुविधाओं का विकास और सुधार करने में असफलता।	100 रुपये
12	35	**श्री समर गुह**	: संयुक्त मोर्चा सरकार के समय में नियुक्त किये गये मार्क्सवादी प्रशासकों को हटाने में असफलता।	100 रुपये
12	36	**श्री समर गुह**	: कंटई सब-डिवीजन में भगवानपुर में टेलीफोन लगाने में असफलता।	100 रुपये
12	37	**श्री समर गुह**	: मार्क्सवादी तथा सम्बद्ध दलों द्वारा दल के लिये बल पूर्वक धन इकट्ठा करने को रोकने में असफलता।	100 रुपये
12	38		दुर्गापुर क्षेत्र में शान्ति और सुव्यवस्था सुनिश्चित करने में असफलता।	100 रुपये
15	39		मार्क्सवादी-प्रायोजित पश्चिम बंगाल पुलिस कर्मचारी संघ की मान्यता समाप्त करने में असफलता।	100 रुपये
19	40	**श्री समर गुह**	: शिक्षा संस्थाओं पर लाल झंड़ा फहराने को रोकने में असफलता।	100 रुपये
19	41	**श्री समर गुह**	: कालेज और स्कूल के शिक्षकों को नियमित रूप से मासिक वेतन देने में असफलता।	100 रुपये
19	42	**श्री समर गुह**	: स्कूलों से अध्यापकों को मार्क्सवादियों द्वारा बल पूर्वक निकाले जाने से रक्षा करने में असफलता।	100 रुपये
19	43	**श्री समर गुह**	: सभी स्कूलों में प्रबन्ध समितियों के चुनाव कराने में असफलता।	100 रुपये
19	44	**श्री समर गुह**	: प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों को न्यूनतम वेतन देने में असफलता।	100 रुपये
19	45	**श्री समर गुह**	: नियमित रूप से विश्वविद्यालय की परीक्षायें लेने में असफलता।	100 रुपये

1	2	3	4	5
19	46	श्री समर गुह :	कंटाई पोलिटेक्निक कालेज का निर्माण-कार्य पूरा करने में असफलता।	100 रुपये
19	47	श्री समर गुह :	कंटाई में महिला कालेज स्थापित करने में असफलता।	100 रुपये
21	48	श्री समर गुह :	कंटाई सब-डिवीजन के ग्राम्य अस्पतालों में सुधार करने में असफलता।	100 रुपये
22	49	श्री समर गुह :	कन्टाई सब-डिवीजन में काजू की खेती में सुधार करने में असफलता।	100 रुपये
23	50	श्री समर गुह :	कन्टाई सब-डिवीजन में मीनक्षेत्र का विकास करने में असफलता।	100 रुपये
33	51	श्री समर गुह :	दुब्दा बेसिन जल-निकासी योजना का निर्माण-कार्य आरम्भ करने में असफलता।	100 रुपये
33	52	श्री समर गुह :	बौचव का जल-निकासी योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने में असफलता।	100 रुपये
33	53	श्री समर गुह :	कन्टाई सब-डिवीजन में काली नगर नदी पर कालीनगर पुल को पूरा करने में असफलता।	100 रुपये
34	54	श्री समर गुह :	कन्टाई सब-डिवीजन में दरुआ-पटुवा मार्ग का विकास करने में असफलता।	100 रुपये
34	55	श्री समर गुह :	मिदनापुर जिले में ललत-जंका मार्ग पूरा करने में असफलता।	100 रुपये
15	56	श्री वेणी शंकर शर्मा :	हत्याओं और लूटमार तथा देश में शान्ति भंग करने वाले शरारती तथा अनुशासन-हीन तत्वों को गिरफ्तार करके दण्ड न देना।	1 रुपया
15	57	श्री वेणी शंकर शर्मा :	राज्य में बम तथा बम बनाने वाले कारखानों का पता लगाने में असफलता, जो ऐसा घृणित कार्य कर रहे हैं और जो गैर-कानूनी तत्वों को ऐसे घातक शस्त्र सस्ते दामों में बेचते हैं।	

1	2	3	4	5
19	58	**श्री वेणी शंकर शर्मा :**	पश्चिमी बंगाल की हिन्दी अध्यापक संस्था की मांगें स्वीकार न करना।	1 रुपया
19	59	**श्री वेणी शंकर शर्मा :**	स्कूलों तथा कालेजों के अध्यापकों, प्राध्यापकों तथा कानून का पालन करने वाले छात्रों को उचित संरक्षण न देना और इन शिक्षा संस्थाओं में शान्तिपूर्ण वातावरण न बनाये रखना।	1 रुपया
19	60	**श्री वेणी शंकर शर्मा :**	शिक्षित एवं अशिक्षित बेकार युवकों को अपना धंधा चालू करने के लिये अवसर देने की दृष्टि से पश्चिमी बंगाल में बड़े पैमाने पर लघु एवं कुटीर उद्योग चालू न करना।	1 रुपया
19	61	**श्री वेणी शंकर शर्मा :**	राजनीतिक उद्देश्य से बने श्रमिक संघों के शोषण से बड़े, मंझले तथा छोटे उद्योगों के प्रबन्धकों को संरक्षण न देना जिसके कारण सैकड़ों ऐसी इकाइयां बन्द हो गई हैं और काम पर लगे लोग बेरोजगार हो गये हैं।	1 रुपया
19	62	**श्री वेणी शंकर शर्मा :**	श्रमिक झगड़ों अथवा वित्तीय कठिनाइयों के कारण बन्द हुये कारखानों को खोल कर पुनः चालू करने की आवश्यकता।	1 रुपया
10	63	**श्री वेणी शंकर शर्मा :**	सरकार द्वारा बन्द पड़े उद्योगों को अपने हाथ में लेकर अन्य इच्छुक उद्योगों के हाथ में देने अथवा स्वयं चलाने की आवश्यकता।	1 रुपया
30	64	**श्री वेणी शंकर शर्मा :**	पश्चिमी बंगाल में शिक्षित बेकार युवकों को उचित रोजगार न देना।	1 रुपया
30	65	**श्री वेणी शंकर शर्मा :**	रोजगार-प्रधान शिक्षा प्रणाली न अपनाना ताकि शिक्षा संस्थाओं से निकलने वाले युवक अपने तथा अपने परिवारों के निर्वाह के लिये कोई न कोई रोजगार पा सकें।	1 रुपया

1	2	3	4	5
30	66	**श्री वेणी शंकर शर्मा :**	काम के इच्छुक स्वस्थ बेरोजगार व्यक्तियों को किसी प्रकार का भत्ता देने की आवश्यकता।	1 रुपया
34	67	**श्री वेणी शंकर शर्मा :**	वृहत्तर कलकत्ता एवं हावड़ा और मुफ्फसल क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत तथा जल निकासी व्यवस्था न सुधरना।	1 रुपया
34	68	**श्री वेणी शंकर शर्मा :**	बस्तियों में जीवन-स्तर न सुधारना जहां स्वच्छता, पानी तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं है।	1 रुपया

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजनीतिक विवशताओं के कारण पश्चिम बंगाल राज्य में 19 मार्च, 1970 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत 26 मार्च, 1970 को उस सरकार की ओर से बजट प्रस्तुत किया गया। यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि यह बजट वही है जो संयुक्त मोर्चा सरकार ने विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। समय कम होने के कारण राज्यपाल उस बजट का अध्ययन नहीं कर पाये। अतः यह स्पष्ट कर दिया गया था कि बजट का पुनरीक्षण करने के बाद उसे सदन में प्रस्तुत किया जायेगा तथा उसे सदन स्वीकार कर लेगा। संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा बनाये गये बजट में 15 करोड़ रुपयों का घाटा दिखाया गया था। किन्तु इस बजट सम्बन्धी प्रस्तावों से यह घाटा 11·08 करोड़ रुपये रह गया है। अब वे 9॥ करोड़ रुपयों के घाटे से फिर कार्य आरम्भ करेंगे।

मुझे खेद है कि श्री पी० वेंकटासुब्बैया ने यह सच नहीं कहा कि केन्द्र ने पश्चिम बंगाल के साथ हेर-फेर किया है। केन्द्र ने वहां किसी प्रकार का हेर फेर नहीं किया। हमें याद है कि वहां संयुक्त मोर्चा सरकार कैसे बनी तथा कांग्रेस दल को किस प्रकार से सत्ताहीन किया गया। हमें यह आशंका थी कि संयुक्त मोर्चा सरकार पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगी जिससे लोग यह सोचेंगे कि कांग्रेस गत 23 वर्षों से पश्चिम बंगाल में हेर-फेर की नीति अपनाती रही है और अब इस क्षेत्र में शान्ति और खुशहाली आ गई है। किन्तु वास्तविकता देख कर हमें निराशा होती है।

मैं मानवीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूँ कि पंडित नेहरू ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व यह कहा कि जिस बंगाल में पहले वैभव और प्रगति का साम्राज्य था आज वही बङ्गाल निर्धनता और भुखमरी का शिकार हो गया है। हमें उस बङ्गाल का पुनरुत्थान करने का प्रयास करना है। दुर्भाग्य से मृत्यु के कठोर हाथों ने उन्हें हमसे छीन लिया तथा हमारी यह दयनीय स्थिति हो गई। अतः हमें इन कठिनाइयों से दूर होने के लिये इधर-उधर देखना पड़ा।

हम यह आशा कर रहे थे संयुक्त मोर्चा सरकार पश्चिम बंगाल की जनता के लिये कुछ करेगी। किन्तु उसने केवल इतना किया कि वहां हत्या, आगजनी और लूटपाट की स्थिति उत्पन्न

कर दी। मैंने यह कभी नहीं सुना कि सभ्य सरकार प्रदर्शनकारियों के घातक हथियार लेकर प्रदर्शन करने की अनुमति देती है। किन्तु संयुक्त मोर्चा सरकार ने इस बात की अनुमति दी। जनता ऐसी बातों को सहन नहीं कर सकी और परिणाम यह हुआ कि संयुक्त मोर्चा सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा।

यह कहना भी उचित नहीं है कि पश्चिम बङ्गाल के वर्तमान राज्यपाल योग्य व्यक्ति नहीं हैं। वह वहां की समस्याओं के उत्पन्न होने के मानवीय कारणों को समझते हैं। अतः उनको वहाँ से हटाने की आवश्यकता नहीं है।

वास्तव में पश्चिम बङ्गाल में कई प्रकार की समस्यायें हैं। गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक तथा आर्थिक अन्याय और शरणार्थियों के आगमन जैसी विविध समस्यायें हैं।

देश का बँटवारा स्वीकार करके हमने राष्ट्र के साथ अपराध किया। यह बंटवारा दो-राष्ट्र सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार किया गया था और यह हमारी बड़ी भारी भूल थी। बँटवारे के कारण पश्चिम बङ्गाल में लगभग 50 लाख व्यक्ति आये। साथ ही यह सम्भव नहीं है कि पश्चिम बङ्गाल के लोग अपनी जन्म-भूमि को भूल जायें। पश्चिम बङ्गाल में आप लोगों को अन्य राज्यों में बसाने का प्रयत्न किया गया किन्तु उन्होंने इसका विरोध किया। मेरा निवेदन है कि यदि इन व्यक्तियों को अन्य राज्यों में बसाने का प्रयत्न किया गया तो उनको मानसिक संताप होगा।

महोदय ! मैं इस बजट में किये गये उपबन्धों का समर्थन करता हूं किन्तु मैं समझता हूं कि इस बजट में पश्चिम बङ्गाल की इन समस्याओं के प्रति जागरूकता नहीं दिखाई गई। बेरोजगारी तथा शरणार्थियों की समस्याओं को सुलझाने के लिये इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई।

मैं इस सरकार तथा इस बजट का समर्थन इसलिये करता हूं क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं है। हमने दूसरा मार्ग अपनाया था किन्तु उससे केवल विनाश ही हुआ। यह सरकार यदि चाहे तो इन समस्याओं का समाधान कर सकती है।

जहां तक बेरोजगारी की समस्या है 25 मार्च, 1970 के 'हिन्दुस्तान स्टैंडार्ड' में कहा गया है कि गत वर्ष के दिसम्बर माह के अन्त तक रोजगार कार्यालय के रजिस्टर में 1,82,000 व्यक्तियों के नाम दर्ज थे। उसमें यह भी कहा कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में बेराजगार कारीगरों की संख्या भी सबसे अधिक है। मैं खेतिहर मजदूरों या कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूँ वरन् मैं उनकी संख्या बता रहा हूँ जिनके रोजगार कार्यालय में रोजगार पाने के लिये नाम दर्ज हैं।

किन्तु खेद है कि इस गम्भीर बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये बजट में उचित व्यवस्था नहीं की गई। यह सच है कि राज्य की वार्षिक योजना के लिये 51 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है जिसमें से 40 करोड़ रुपये की सहायता केन्द्र से दी जायेगी। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित भी कुछ परियोजनायें हैं जिन पर 8 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इतना होने पर भी यह समस्या इतनी जटिल तथा गम्भीर है कि इस सहायता से समाधान नहीं हो सकता। मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार अनुपूरक मांगों में कुछ अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करे।

कलकत्ता पश्चिम बङ्गाल का महत्वपूर्ण नगर है तथा वहीं स्थिति अधिक गम्भीर है। जब तक कलकत्ता की स्थिति नहीं सुधारी जायेगी तब तक पश्चिम बङ्गाल का उद्धार नहीं किया जा सकता। 1968 में 'इम्प्रिंट' में यह आशय व्यक्त किया गया था कि आज कलकत्ता नरक बन गया है तथा इसके उद्धार के लिये अभी तक कुछ नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपको अभी कुछ और कहना है तो कृपा करके अगले अवसर पर कह लेना।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय ! एक अठारह वर्षीय युवक को इतना पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस बारे में वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने आपका निवेदन सुन लिया है।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : महोदय ! कलकत्ते के पुलिस स्टेशन में एक लड़के को इतना पीटा गया है। पश्चिम बङ्गाल में राष्ट्रपति शासन है अतः इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार का उत्तर-दायित्व है। राज्य मन्त्री या उप मन्त्री जो यहां मौजूद हैं इस सम्बन्ध में 5 बजे वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मेरे साथ सहयोग करने की कृपा करें। मन्त्री महोदय ने उनकी बात सुन ली है। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि श्री नाथ पाई द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर भी विचार विमर्श करना है तथा इस संकल्प का सम्बन्ध भी पश्चिम बङ्गाल में शान्ति तथा व्यवस्था से है।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय ! आप एक मिनट के लिये मेरी बात सुन लीजिये। उस युवक के अन्तिम संस्कार में 2 लाख व्यक्तियों ने भाग लिया था। अतः मन्त्री महोदय यह तो नहीं कह सकते कि मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है वहां लोगों को पुलिस के हिरासत में मार दिया जाता है और इस युवक की हत्या भी इसी प्रकार हुई है। मन्त्री महोदय इस बारे में वक्तव्य दिलाने की कृपा करिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने आपकी बात सुन ली है इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

66वां प्रतिवेदन

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : महोदय ! मैं प्रस्ताव करता हूँ

"कि क्या यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 66वें प्रतिवेदन से, जो 19 अगस्त, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 66वें प्रतिवेदन से, जो 19 अगस्त, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

पश्चिमी बंगाल में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति के बारे में संकल्प--(जारी)

MOTION RE : LAW AND ORDER SITUATION IN WEST BENGAL—(Contd.)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नाथ पाई अब अपना भाषण पुनः आरम्भ कर सकते हैं।

श्री नाथपांई (राजापुर) : महोदय ! मैंने 7 अगस्त, 1970 को अपना संकल्प प्रस्तुत करते हुये यह निवेदन करने का प्रयत्न किया था कि हमें नक्सलवादियों के उद्देश्यों और लक्ष्यों को भली-भांति समझना होगा। उन्होंने दीवारों पर नारे लिखकर अपनी घृणित विचारधारा का पर्याप्त प्रचार किया है। नक्सलवादी केवल नारों तक ही सीमित न रहकर आगजनी और आतंक फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

वे लोग सभी प्रजातंत्रीय संस्थानों का असम्मान करना चाहते हैं; प्रशासन को हतोत्साह करना चाहते हैं। शिक्षा संस्थानों को अस्त-व्यस्त करना चाहते हैं, राज्य की आर्थिक स्थिति के अव्यवस्थित करना चाहते हैं तथा अन्त में जनता का प्रजातांत्रिक प्रणाली से विश्वास हटाना चाहते हैं।

महोदय ! मैं जिस बात का उल्लेख करना चाहता हूं उसका कारण हमें स्वयं इनके दस्तावेजों से मिल जाता है। नक्सलवादियों ने एक दस्तावेज प्रकाशित किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि चेयरमैन माओत्सेतुंग तथा चीन का साम्यवादी दल भारतीय साम्यवादी दल का मार्ग-दर्शन करते हैं। इनके मार्गदर्शन में भारतीय साम्यवादी दल को भारत में व्यापक घाटा या युद्ध का संगठन करना है तथा भारत में जनवादी जनतंत्र स्थापित करना है। यह भी कहा गया है कि इस दल का पाकिस्तानी दल के साथ ग रा सम्बन्ध है तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिये उन्हें पाकिस्तान के माध्यम से हथियार प्राप्त होंगे। इस प्रक्रिया को उन्होंने देशव्रती का नाम दिया है।

इन सब बातों से ज्ञात होता है कि ये लोग माओत्सेतुंग को अपना आदर्श मानते हैं। किन्तु क्या वे माओ सिद्धान्त के द्वारा भारतीय मजदूर वर्ग का भला करेंगे ? वे ऐसा कदापि नहीं करेंगे क्योंकि वे माओ को अपना चेयरमैन मानते हैं। यदि श्री मानू सान्याल और श्री चारु मजूमदार स्वयं को भारतीय माओ कहते थे हमसे आत्म सम्मान की भावना व्यक्त होती है। किन्तु ये लोग तो विदेशी सत्ता को स्वीकार करना चाहते हैं।

केवल इतना ही नहीं वरन् ये लोग तो कहते हैं कि 1962 में स्वयं भारत ने चीन पर आक्रमण किया था। उस दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि देश में आन्तरिक सुरक्षा इतनी अव्यवस्थित कर दी जायेगी जिससे माओ की स्वतन्त्रता दिलाने वाली शक्तियों को भारत में आने से नहीं रोका जा सकेगा तथा वह शक्ति भारत के पूंजीवादियों के पंजे से छुड़ा देगी।

उपाध्यक्ष महोदय ! ये लोग यह भी कहते हैं कि चीन ने भारत का जो भू-भाग अपने कब्जे में लिया है वह उचित ही किया है। महोदय ! क्या इससे बड़ी गद्दारी हो सकती है ?

हथियारों की सप्लाई के सम्बन्ध में एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। 13 अगस्त, 1970 के 'स्टेट्समैन' में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि प्रामाणिक सूत्रों के अनुसार पंजाब के नक्सलवादियों को पश्चिम बङ्गाल के माध्यम से चीनी हथियारों की सप्लाई होती है।

इस तथाकथित क्रांति में में जिस प्रकार की गतिविधियां होती हैं उनके सम्बन्ध में भी एक उदाहरण देना चाहता हूँ "इस नक्सलवादी विद्यार्थियों ने उत्तर कलकत्ता स्थित ओरिएन्टल सेमीनरी स्कूल पर आक्रमण किया तथा वहां बम फेंके, टेलीफोन की लाइनें काटीं तथा कुर्सी मेजों का तोड़ा। उसके बाद उन्होंने यहां लाल झंडा फहराया।" इतना ही नहीं, एक अन्य घटना में विद्यार्थियों ने एक स्कूल पर आक्रमण किया तथा वहां महात्मा गांधी, जवाहर, लाल नेहरू तथा स्वामी विवेकानन्द आदि 18 राष्ट्रीय नेताओं के चित्र फाड़ दिये।

एक अन्य दु:खद घटना में एक प्रधान अध्यापक पर पेट्रोल फेंक कर उसमें आग लगा दी। वहां इस प्रकार की गतिविधियां चल रहीं हैं।

महोदय, गढ़वाल क्षेत्र में भी उन्होंने घुसपैठ करने की व्यवस्था कर ली है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बङ्गाल और आसाम में भी वे अपने केन्द्र स्थापित करना चाहते हैं जिससे उन्हें सीमा पार से सहायता मिल सके।

वे केवल इतने से ही संतुष्ट नहीं होंगे। आज बद्रीनाथ से तंजौर तक तथा कलकत्ता से मुआतमाल तक उन्होंने आक्रमण करने की व्यवस्था कर ली है। वे सरकार को क्रांति में डालना चाहते हैं। किन्तु उनके दस्तावेज के अनुसार अभी 6 महीने तक वे पश्चिम बंगाल में अपनी गतिविधि सीमित रखना चाहते हैं।

मैं 4 जुलाई के 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' में प्रकाशित समाचार का उल्लेख करना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि 'शुक्रवार को एक पुलिस के व्यक्ति ने बताया कि यह सम्भावित था कि कुछ पुलिस के सिपाही जो नक्सलवादियों के क्षेत्र में रहते हैं, अतिशयवादियों से मिले हुये हैं तथा उनको समय पर चेतावनी देते हैं।"

सदन इस बात पर गम्भीरता से विचार करे कि स्वयं पुलिस के आदमी अपनी सुरक्षा के लिये नक्सलवादियों से मिले रहते हैं तथा अपनी जान बचाने के लिये उन्हें पुलिस के आक्रमण की समय पर सूचना देते हैं। आश्चर्य को बात है कि एक पुलिस का अधिकारी कहता है कि यदि पुलिस को शांति बनाये रखना है तो इस प्रकार का सौदा तो उनके साथ करना पड़ेगा। संसद् ने राष्ट्रपति शासन की अनुमति इसलिये दी थी कि वहां लोगों का जीवन तथा उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा हो सकेगी। किन्तु खेद है कि पुलिस सरकारी आश्वासनों से अधिक नक्सलवादियों में समझौता करना अधिक उपयुक्त समझती है।

उत्तम यही होगा कि इन पुलिस अधिकारियों को नक्सलवासियों की जांच आदि से हटाकर किसी अन्य कार्य पर लगा दिया जाये।

पुलिस ने युड्डुगुडा में प्रतिक्षा स्टोरों से चुराये गये हथियारों को पकड़कर सराहनीय कार्य किया। पुलिस को एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पानागढ़ और बिक्री स्थिति प्रतिरक्षा स्टोरों से

हथियारों को चुरा लिया गया। इससे प्रतीत होता है कि नक्सलवादी भारतीय आयुध कारखानों में बने हथियारों का भी प्रयोग करते हैं।

महोदय ! 3 जून के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में एक ऐसा समाचार प्रकाशित हुआ है जिसे पढ़कर सदन आश्चर्य में पड़ जायेगा। उसमें बताया गया है कि एक ऐसे आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिसके पास इन्फेंन्ट्री स्कूल मऊ, थर्टीन जूनियर कमांडर्स स्कूल सिगनल्स की एक आर्मी इस्ट्रक्शन, जो अत्यन्त गोपनीय थी, पाई गई है। जब हम प्रश्न में कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो सरकार उसे गोपनीय कह कर टाल देती है किन्तु इस प्रकार के अत्यंत गोपनीय दस्तावेज इस प्रकार प्राप्त कर लिये जाते हैं। यह दस्तावेज 55 पृष्ठ की पुस्तक है तथा इस पर पुलिस अधिकारी ने भी आश्चर्य व्यक्त किया कि उसके हाथों यह दस्तावेज कैसे लग गया। किन्तु इसके आश्चर्य को कोई बात नहीं हैं। इनके होते हुये कोई भी कार्य किया जा सकता है।

लोग इस प्रकार राष्ट्रीय चिह्न का अपमान क्यों करते हैं और सबसे पहले सरकार को इस निश्चित और दृढ़ निर्णय पर पहुंचना होगा कि वह इस प्रकार के तत्वों से वास्तव में निपटना चाहती है।

हमारी प्रधान मन्त्री कहती हैं कि नक्सलवादियों की गतिविधियों को बढ़ा चढ़ा कर वर्णित किया जाता है। उनके इस प्रकार के रवैये से इन राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रोत्साहन मिलता है और मैं नहीं समझता कि प्रधान मन्त्री ऐसा चाहती हैं और फिर क्या नक्सलवादियों की गतिविधियां स्कूल अथवा कालेज के छात्रों के जैसी गतिविधियों तक ही सीमित रही हैं ? क्या वे उससे कहीं अधिक गम्भीर और खतरनाक नहीं हैं ? अब लगता है प्रधान मन्त्री ने अपना वह विचार बदल दिया है और वे उसी समस्या से अन्तिम समय तक लड़ने के लिए कार्यबद्ध हैं। परन्तु अभी भी कभी कभी लगता है कि इस सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल में मतभेद है। इस समस्या को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या कहने से सुरक्षा बल के आत्मबल को ठेस पहुंचती है यदि बंगाल की स्थिति ऐसी ही बनी रहती है तो इससे बंगाल को ही खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा वरन् सारे देश को हो, उसका सामना करना होगा।

बंगाल कई समस्याओं से ग्रस्त है। पहली समस्या नक्सलवादियों की है जिनके उद्देश्यों से हम सब अवगत हैं। कानु सान्याल को हिरासत में लेकर सरकार ने बड़ा ही उचित कार्य किया है। सान्याल की गिरफ्तारी से पता चलता है कि यदि सरकार चाहे तो वह नक्सलवादियों को बड़ी आसानी से निपट सकती है और उन पर काबू पा सकती है। तथा भारत को दूसरा वियतनाम बनने से बचा सकती है। उसके इस कार्य में जनता उसका साथ देगी।

वहां की दूसरी समस्या है वहां के राज्य पाल श्री धवन। वे जब भी कुछ कहते हैं वह सदैव उनके अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला होता है। इस पद का अपमान इतना कभी नहीं हुआ जितना कि श्री धवन ने उसका किया है। वे अक्सर इस प्रकार की बातें अपने भाषणों में कहते हैं जो इतने जिम्मेदार और उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को कभी नहीं कहनी चाहिए। उनका यह कहना कहाँ तक उचित है कि भारत साम्यवादी हो जायेगा, तथा उसके सामने साम्यवादी होने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। तो इस प्रकार का ज्ञापन तंत्र पश्चिम बंगाल को राष्ट्रपति के ज्ञापन काल में मिल रहा है।

इतना ही नहीं बंगाल बार एसोसियेशन के समक्ष भाषण देते हुए तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारत के लिए सर्वोत्तम प्रणाली और सर्वोत्तम ढांचा सोवियत ढांचा ही है। वह किसी प्रणाली अथवा ढांचे का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते कि वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल न हों। जब तक वे वहां हैं तब तक उनसे इस प्रकार की बात का समर्थन करने की आशा नहीं की जा सकती। अपने इसी भाषण में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका, बार एसोसियेशन और वकीलों आदि सबका अपमान तक किया। इस प्रकार के व्यक्ति को क्या कानून, सत्ता और संविधान का प्रतिनिधि बने रहने दिया जाना चाहिए ?

आज पश्चिम बंगाल में भारत सरकार अथवा राष्ट्रपति का शासन नहीं है, बल्कि वहां आतंक, आगजनी, लूट, धमकी और छीना-झपटी का शासन है। वहाँ एक निर्दयी शक्ति का शासन है। स्थिति हमारे सामने स्पष्ट है। हम यह जानते हैं कि क्या गलत है और हमें क्या करना है। यह समय है जबकि सरकार अपनी कमजोर नीति को छोड़ कर उचित कार्यवाही करे क्योंकि सारा संसार इस ओर दृष्टि रखे है देश की दृष्टि भी इस ओर है। यहां एक ऐसा शत्रु पनप रहा है जो विदेशी आक्रमण का अगुआ है इसलिए उसे प्रारम्भ में ही समाप्त कर देना चाहिए। इस सम्बन्ध में देश की विभिन्न पार्टियों में कोई मतभेद नहीं है।

अन्त में, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार को इस बात का प्रमाण देने के लिए कि वह नक्सलवादियों के इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है, उसे पहले कदम के रूप में तुरन्त श्री धवन का पश्चिम बंगाल से स्थानान्तरण कर देना चाहिए।

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : It is very unfortunate that since last thsee months the poblems of West Bengal had been a source of worry.

Bengal has given to our country a number of great leaders and social reformers. But now that eastern part of our c6untry is passing through great difficulties due to the anti-national achivities of the Naxalities. Whole of the social life is disturbed. We cannot do away with it simply by saying tha it is a psychological and social problem, it must be taken as a challege to the democracy and the Constitution of India.

For the last two years, the threat to our democracy has been assuming dangerous proportions . The Naxalities makes no little effort to vitiate our democratic set-up. It is time that we took serious note of it.

To-day the life of Calcutta is in jeopardy. Oay-light murder and looting occur everyday. Not even a single day passes on without on incident of bomb explosion. The people of West Bengal live in an atmosphere of constant terror. The central Government have so far not taken it seriously. They only helped to further complicate the situation. To-day the communists are not in Power, and neither the democratic minded people are in power. But to-day the administration is in the hands of certain bureaucrats in the guise of president's rule.

Shri hawan, the Governor, of West Bengalhelped only create more peoblems there. The people do not want him. The Parliament also has expeassed its ill will in Dhawan's continuing there. So what I think is that it is high time that we took serious note of it and recalled him. His continuance there is against the will of the people.

The law and order situation in West Bengal is declined. The industries are in the grap of violent agitations. Trade Union leaders are butchered, the teachers are gheraoed, and the students are on rampage. West Bengal is a threat to the whole coun-

try. so long as this turnsoil Prevails there, we cannot even think of a holding mid-term election in West Bengal in the near future.

Un-employment, land problems and such other appalling problems pose a serious threat to the security of the country. As far as I know, it was the united front regime, that created these complicated problems. They gave patronage. to gherao, and such other unsocial trends. Had they dealt with the Naxalites with firm hand, the situation would not have gone beyond the control. To-day the naxalite menace is growing more and more than ever before in various parts of the country. We could not control them. Some naxalites masqueraded as partners in the erstwhile united front, added fuel to the smouldering fire of this cyclonic anti-social movement.

In Bengal, if a popular Government run by etected representatives of the people is impossible, then the president's rule should be allowed to continue and try to solve the chronic problems of unemployment, industrial security, education etc. But what happens there to-day is something beyond our imagination. The people of West Bengal is stumbling in darkness. Their faith in democracy, and the existing administration is gradually eroding. They cannot expect any kind of help from an unstable central Government. As a result of this situation, a mid-term election won't be helpful in omitigating the problems of the people of West Bengal. If a midterm election is held, neither C. P. M. nor C. P. I. will get absolute majority. As far as congress is concerned, it is in the State of a political paralysis.

Industries have suffered a dead lock. Further investment in industries is blocked. The technical personnel coming out of engineering colleges and other institutions, find that it is extremely difficult to get job. In the industrial sector, labour unrest is giving movementum. The C. P. M. and the C. P. I. have adopted a line of mutual destruction instead of bringing unity among the labourers. The Naxalites are trying to create a new Vietnam in India. Unless we put down violence and solve these problems, they will spread throughout the country and that will be the end of our hard-won democracy. I donot say that the people of West Bengal are less patriots. In the part they had bravely displayed their patriotic fervour. But to-day a handful of miscreants guided by cult of violence, are holding the State to ransom. We remain as mere silent spectators. We have surrendered to them. This will destroy our democra - cy.

To-day much is said of mid-term election in West Bengal. But I think that we must pay heed to the appalling preblems of the State. The streets of Calcutta are the most unhigienic of that kind in India. In order to improve the slums in Calcutta, whatever amount is sanctioned, is for short of the actual need. What I think is that whatever amount we may give, if will not be too much, in view of the distressing conditions there. Alongwith it, we have to maintain law and order there. Some political parties, which cannot rule, out their share in the creation of Naxalites, are fishing in the troubled waters. They view these problems from the angle of political expediency. We have to be alert towards these menaces.

I fully comply with the views of Shri Nathpai. Whether or not mid-term poll is held but the minds of the people are troubled. The people have last faith in democracy. There is no rule of law there. Growing discontent among the people leads often to violent demonstrations and loss of life. They feel that nobody is taking care of them. They feel as tough they are destitutes. To establish rule of law, and peace is an imperative need. We have to preserve, the integrity of the country at any cost.

Shri Mrityunjay Prasad (Mharajganj) : Shri Nathpai has given a clear account of what is going on in West Bengal. China has sent their committed cadres in the

guise of Naxalites to the country to destroy the democratic rule that prevails here. They try to vitiate the very base of our administration. Their aim is to block the March of our country towards economic progress as well as self suffieciency, in arms. With this end in view, they create troubles in our ordnance factories and in our economic sector. They try to undermine our integrity, and patriotic fervour. Our Government is too weak to meet this growing menatce. In the "Hindustan Times" a news item appeared which reads. "At its secret session it has renewed its pledge to hold fast to the Martast, line, forge unity with the Communist party of China, accelerate that process of guirilla struggles and build up a strong people's Liberation Army." What is their liberation Army ? The aim of this any is to murder the people and capture the power. Who gave birth to these Naxalites ? It was first originated in Darjeeling district. All the members of the C. P. M. were there. From there it began to spread gradually to the rest of the country. So it will not be incorrect to say that the C. P. M. had given birth to the Naxalites. Later, that party parted company with it and a naxalite party was formed separately. The C. P. M. earned much popularity among its rank and file by releasing all the criminals who had all involved in murders, dacoity, arms looting and so may other criminal—offences. They created a reign of terror in Bengal . Now the election isahead. They want to create such a terror that the people may not dare to vote against them. Actually, the people of Bengal do not want them. But the bullying tacties of the C. P. M. makes them quite helpless. This Government is Prosed quite ineficient in dealing. with the situation there. No day Passes without incidents of murder, arson, looting, burning of the portraits of national leaders, dishonouring of the National Flage and the like. To organise violente activities, they need money wherefrom they get money ? In a famous book "Bengal, the communist Challenge", written by C. R. Irani, it is said that "The Relief and Rehabilitation Minister, Mr. Niranjan Sen Gupta, C. P. I. (M) was able to come to the Assembly in July, 1967 with a-supplementary Demand of Rs. 3.84 crores.....out of the balance of over Rs. 4.50 crores, as much as Rs. one crore was on account of loans written off and the rest was to be for miscellaneous expenses." There is no information regarding this miscellaneous expenses. And a Committee was also formed which comprised of only marxists. On 24th July ,1970, these people forcibly occupied may acres of Government land. Now they collect tax from the peasants. This is the way of collecting funds for their party.

The turmoil prevails in West Bengal bears testimony to the fact that this Government is quite ineffective and helpless. Let Shri Pant say what kind of rule prevails in West Bengal. If this Government is ruling there, then why they were forced to transfer the Mukherjee Commission to Calcutta from Burdwan ? A large number of people were murdered before this commission. What action the Government has taken ? The Government failed miserably in providing security to the witnesses. Every day bombs and other explosives are hurted at the police. The C. M. P. has been posted there. But what is the use ? The local police has also been terrorised. On the one hand the naxalites threaten them of dire consequences and on the other the Government from upon them saying that they have committed atrocities. After all, the victims are also human beings . They will have to resist it one day or other.

In this circumstance, what the Government will do ? The election is net far off. The Communists are making thorough preparations to organise Civil war, as will as to fight in the Assembly. The Government is always in a state of confusion. They cannot tolerate the growing violence, but at the same time they are not in a position to fight it out. There are some other parties also here, who gird up their lions to fight out the communist threat, but at the same time join hands with them.

Mao has supreme loyalty to his country and China is every thing for him. Same is the case with Kosygin. But in the eyes of our communists India is insignificant. Mao and Kosygin are high rate patriots. The question of internationalism only comes second. Here the communists are terribly disillussioned. They have no loyalty towards the country, no sense of nationalism. This is a very serious situation.

In the field of industry and bussiness, these people try to create maximum trouble. They derive benefit out of this trouble and commotion. Hence, I request the Government to sense their duty and bring the situation under control. Otherwise, my humble advice is that "you get out. There is no other way."

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj) : Mr. Deputy Speaker. Sir, we cannot treat every incident in an isolated manner. Whatever is happening in West Bengal is not quite incidental or isolated. Whatever we do elsewhere, will have an effect on the country as a whole. When a border dispute arises, or when any State makes some demands, inevitably violence follows it. Crores of rupes of Government properties are distroyed ruthlessly. We have adopted violence to pressurise the existing Government and make them concede our demands. This happens everywhere in the country. Even in this Parliament, we shout upon each other while speaking. When the Minister speaks, he is interrupted every how and then. The present situation in West Bengal is not the out come of a day, it has developed gradually over some times past. Administrative actions are being condemned and police activities bitterly criticised which result in demoralizing Government's machinary. the Government is found dormant towards annibitiating this frustrating demoralization. At present there is President's Rule in West Bengal, Therefore, the Central Government should give a serious thought to the prevailing situation there. The situation can not be improved merely by issuing administrative orders. The Government should gear up the administrative machinary by putting up right type of officers on different posts. Utterances of the Governor have been objected to it the allegations are true, then the Governor should be recalled. If something is wanting at the highest level, then we can not control the machinary at lower level.

As regrds Naxalites terror, I would like to mention that certain anti-social elements are also a party to Naxalite movement, these anti-social elements are very active participants in disrupting law and order and turning the situation from had to worst. The Government should come forward with strict measures to enforce law and order in West Bengal.

The State ments made by the ministers at different places should be in conformity with the Governments policy. There should be no diversion so that.

Naxalite leader Charu Mazumdar has not been arrested. It is difficult to believe that if the Government is really serious to arrest him they can not do so. The whole of the Naxalite movement may be crushed within a few weeks time if the Government is really sincere about the matter. Objectionable literature is being circulated in West Bengal, the Government should find out the source of its publication and like steps so stop its circulation. What is required is the will on the part of the Government to control the situation and improve it from constant deterioration.

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था के बारे में सदन में कई बार चर्चा हुई है फिर भी स्थिति 1967 के पश्चात बिगड़ती चली गई। पांच माह पूर्व एक आशा जगी थी कि राष्ट्रपति शासन हो जाने से कानून और व्यवस्था ठीक हो जायगी

और लोगों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा की जा सकेगी। परन्तु केन्द्रीय सरकार तथा राज्यपाल आदि की कार्य कौशल हीनता के कारण स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़तो गयी। आज वहाँ अव्यवस्था का साम्राज्य है।

कोई दिन ऐसा व्यतीत नहीं होता जब समाचार पत्रों में पश्चिमी बंगाल के बारे में किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना न प्राप्त होती हो। वैसे तो वहां पर स्थिति पूर्णतया अस्तव्यस्त है ही परन्तु हो बातों की ओर विशेष ध्यान देना है। दुर्गापुर में कुछ मजदूर संघों ने, जिन पर राजनैतिक दलों का प्रभा है, लूटमार तथा आगजनी की घटनायें आरम्भ कर दी हैं। आज कल ये संघ स्त्रियों की सहायता प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें मिलों, कारखानों के दरवाजों पर धरना देने के लिये कह रहे हैं जिससे काम पर जाने के इच्छुक मजदूर भी वहाँ न जा सकें। एक विशेष संघ द्वारा आयोजित हड़ताल असफल हो जाने पर वह जनता को यह दिखाना चाहता है कि हम हड़ताल को सफल बना सकते हैं।

कर्मचारी तथा राजनैतिक दल वहां से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस हटवाना चाहते हैं और क्यों कि पुलिक हटाई नहीं गई इसलिये हड़ताल करने के लिया कहा गया। ये लोग केन्द्रीय रिजर्व पुलिस क्यों हटवाना चाहते हैं ? इनका विचार यह है कि दुर्गापुर में 300 करोड़ रुपये की सम्मति बेकार हो जाय उसमें आग लगा दी जाय। ये लोग चाहते है कि उनको कानून विरोधी कार्यवाही जारी रहें; बेरोजगारी बढ़ती रहे जिससे देश में पूर्णतया अराजकता की स्थिति फैल जाय।

समचार पत्रों में एक दूसरी सूचना कलकत्ता की स्थिति के बारे में हैं जहां कानूसान्याल की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिये लूटमार और आगजनी की घटनाओं से समूचा शहर घिरा हुआ है। एक तो कानूसान्याल को बड़ी कठिनाई से पकड़ा गया है और उस पर कलकत्ता शहर इसके विरोध के रूप में तीन दिन के लिये बन्द रहे ! और, पश्चिमी बंगाल एक दिन के लिये बन्द रहे।

पश्चिमी बङ्गाल में भय का आतंक इतना बढ़ गया है कि कोई भी कह देता है कि कल बङ्गाल बन्द रहेगा और अगले दिन बङ्गाल बन्द रहता है। प्रशासन, पुलिस विधान कोई भी क्रियाशील नहीं है। वहाँ की सभी प्रकार की गतिविधियों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का, राजनैतिक दलों द्वारा समर्थित प्रतिक्रियावादी और अराजक तत्व समस्त बंगाल को जकड़े हुये हैं और प्रशासन बेकार हो चुका है।

समूची शिक्षा प्रणाली संकट में है। परीक्षायें ली नहीं ही जाती हैं, यदि ली भी जाती हैं तो परिणाम नहीं निकलते हैं। प्रश्न पत्रों का पहले से ही पता चल जाता है। यदि प्रश्नपत्र कठिन होते हैं तो परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया जाता है। विश्वविद्यालय ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते हैं। सरकार भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती जिससे समूची शिक्षा प्रणालो अव्यवस्थित हो गई है।

राष्ट्रीय नेताओं के चित्र तथा फोटों नष्ट किये जाते हैं, उनको जलाया जाता है और उनके स्थान पर माओत्सेतुन्ग के चित्र लगाये जाते हैं। नेहरू जी की मूर्तियों के सिर तोड़ दिये गये और किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया।

एक ओर पश्चिमी बङ्गाल में पूर्ण रूप से अराजकता है और दूसरी ओर खतरनाक स्थिति यह है कि वहाँ आर्थिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में पूर्ण रूप से आतंक फैला हुआ है। ऐसे समय पर यदि केन्द्रीय सरकार या गैर सरकारी उपक्रम भी वहां उद्योग स्थापित करने के लिये धन लगायेगा तो वह बेकार हो जायगा।

कलकत्ता शहर की सड़क के दोनों ओर की दीवारों पर राष्ट्र विरोधी तथा माओ के समर्थनकारी नारे लिखे हुये हैं और किसी में भी यहां तक कि राज्यपाल में भी इतना साहस नहीं है कि इन दीवारों को साफ करा दिया जाय। रेलगाड़ियों को लूट लिया जाता है। जिन गाड़ियों से गोला-बारूद ले जाया जाता हैं उनको लूट लिया जाता है। ऐसी भयानक स्थिति बङ्गाल में फैली हुई है।

सर्वप्रथम यही आवश्यक है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थापना की जाय। लोगों के मस्तिष्क में जो भय छाया हुआ है उसे दूर किया जाय और संवैधानिक ढंग से कार्य शुरू हो।

1967 के पश्चात् नक्सलवाड़ी में जो समस्या उत्पन्न हुई है वह केवल पश्चिमी बङ्गाल तक ही सीमित नहीं है ? केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि यह समूचे देश में फैल गई है।

यदि पश्चिमी बङ्गाल समाप्त हो जाता है तो भारत का अस्तित्व नहीं रह जाता है। पश्चिमी बङ्गाल के मामले को भारत से अलग रख के नहीं सोचा जाना चाहिये यदि ऐसा किया जाता है तो यह सबसे बड़ी गलती होगी।

पश्चिमी बङ्गाल की समस्या कानून और व्यवस्था की ही समस्या नहीं है। यह एक बहुत गम्भीर समस्या है। पश्चिमी बङ्गाल की भूमि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अखाड़ा है जिसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ है। चीन की नीति पश्चिमी बङ्गाल में अराजकता पैदा करने की है।

यह स्वीकार किया गया है कि नक्सलवादियों को निरन्तर चीनी हथियारों की सप्लाई की जा रही है। इस सबका तात्पर्य यह है कि आर्थिक प्रगति को अवरुद्ध कर दिया जाय, प्रशासन को असफल कर दिया जाय, संविधान को बेकार बना दिया जाय तथा वहां सर्वत्र अशान्ति, भय, कठिनाई तथा निराशा का साम्राज्य हो जाय।

नक्सलवादियों ने अपने समाचार पत्र 'लिबरेशन' में तीन महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया है। एक यह है कि वे पूर्वी पाकिस्तान और चीन के साम्यवादी दल के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रखें। दूसरे यह कि उनके दावे के अनुसार चीन का अध्यक्ष उनका अध्यक्ष है और चीन का मार्ग अपना मार्ग है। तीसरी नीति यह है कि वे इस बात का अनुमोदन करें कि चीन भारत की भूमि पर आक्रमक रहा है और दूसरी ओर वे इस बात पर विश्वास करें कि भारत ने चीन पर आक्रमण किया। वास्तव में यह किसी देश भक्त की आवाज नहीं हैं और न ही किसी क्रान्तिकारी की, यह एक देशद्रोही की आवाज है। यह उन लोगों की आवाज है जो भारत में मुसीबतें पैदा करना चाहते हैं। यहां तक कि स्वतंत्रता को समाप्त करना चाहते हैं। इन तत्वों को उसी प्रकार का दन्ड दिया जाना चाहिये जैसा कि अपेक्षित है।

सरकार को समाज विरोधी तत्वों को जड़ से उखाड़ फैंकने के लिये तत्काल कदम उठाने

चाहिये । राज्यपाल को, जो असफल रहे, बदल देना चाहिये जो तत्व समाज विरोधी सिद्ध हुये हैं और जो ये देखने के लिये दृढ़ संकल्प है कि पश्चिमी बंगाल में चीन का प्रभाव बढ़े उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये ।

Shri Virbhadra Singh (Mohagn) : West Bengal is passing through a critical situation, law and order is constantly deteriorating, it is, being moved at. The existing situation there is a serious threat to our democratic structure.

The partition of the country brought certain new problems to West Bengal and the Government did not pay special attention towards their solution, that why the existing situation has emerged out. Today law and order has gone to abey ance and lawlessness is reigning supereme. This grave situation may envelop the entire country into danger. North east of India may become a Second Vietnam.

It is not a correct appraisal of the problem if it it though that Naxalite movement has grown on account of socio-economic difficulties. Naxalites' planning is to wreek the constitution and to disrupt law and order in whole of the north east of India in order to bring the country of the brink of revolution and turning the North east region into a second vietnam. Therefore, the Naxalite problem should be taken an the problem of the nation as a whole and not only of Bengal.

The Government should take stringed action against those who spread lawlessness. Besides this, socio-economic problem should also the lackled.

People were expecting improvement in constantly deteriorating situation, with the imposition of Presidents rule in West Bengal but all the hopes were nipped in the bud since the situation went from bad to worse. If the Government fails to enforce law and order now even in president's rule, no future Government would be able to set it right. It has been alleged that the Governor of West Bengal is responsible for the failure of the present administration be should, atonce, be removed from there and another one be sent.

The police is also proving ineffective to deal with the situation. This is because during the united Front regime, certain political elements had insistrated into the police force . No strong action was taken against these political elements with the fear being taken to task if these elements against come into power. Political pressures from administrative and police spheres should be removed. Officers whose bonafides are in doubt should not be entrusted with responsible jobs only trustworthy officers should be posted at cn such jobs.

In West Bengal a large number of people, who were supporter of a particular party, were recruited in State Services during the regime of U. F. Government . During this period a large number of the members of that party infiltrated in State administration and State police too. That is why police has proved a failure in West Bengal and the police is not taking any action against the naxalites and anti-social elements. So, I suggest that an investigation should be made to see as who are the people in State Services whose loyalty lies with a particular party, such people should be either removed from the services or they should not be posted on responsible posts. This is the only solution to the problem of lawlessness in West Bengal . I hope government will pay attention to the points I suggested.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I would like to know the time allotted for this discussion which is going on. The discussion on West Bengal has taken a lot of time. We want that Dr. Ram Subhag Singh's resolution regarding the Statehood for Manipur, should be taken up soon, so that we can express our views on this matter in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : इस संकल्प के लिए 2|| घन्टे नियत किये गये थे। किन्तु कई दल के सदस्य अभी इसी पर बोलना चाहते हैं। मैं तो चाहता ही यह हूं कि यह चर्चा नियत समय में ही समाप्त हो जाये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप भाषणों के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दें, क्योंकि पहले से निर्धारित समय, सीमा का पालन नहीं किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए तो माननीय सदस्य ही उत्तरदायी हैं। समय निर्धारित कर दिया गया है किन्तु यदि कोई सदस्य भाषण के लिए निर्धारित समय के समाप्त होने पर भी भाषण जारी रखता है तो पीठासीन अधिकारी क्या करे। क्या मैं बार-बार घन्टी बजाता रहूं और सदस्य को भाषण समाप्त करने के लिए ही कहता रहूं।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : यदि आपने घन्टी बजाई होती तो मैं बैठ गया होता।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मुझे आश्चर्य है कि आज आपने किसी भी सदस्य के भाषण के दौरान घन्टी नहीं बजाई।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गोयल ने मुझ पर गलत आरोप लगाया है श्री मृत्युंजय, प्रसाद श्री द्वा० ना० तिवारी, श्री पाटौदिया आदि के भाषणों के दौरान घन्टिया बजाई है। श्री गोयल को मेरे प्रति ऐसी अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा यह निवेदन है कि आप इस चर्चा को 5 बजकर 20 मिनट म० प० तक समाप्त करा दें अन्यथा आधे घन्टे की चर्चा को स्थगित कर दें।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, the whole House wants that the discussion on this resolution should conclude and the next resolution should be taken. But it appears that neither the discussion will conclude nor the next resolution will be taken up, as the time-limit fixed was not adhered to. I do not favour the suggestion that half-an-hour discussion should be postponed. It must be taken up.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हम चाहते हैं कि मनीपुर त्रिपुरा और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाये। अतः हम इस संकल्प के समर्थक हैं। मैं सुझाव देता हूँ कि आधे घन्टे की चर्चा को स्थगित कर दिया जाये।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : जिस विषय पर चर्चा चल रही है, वह भी महत्वपूर्ण है, अतः इस पर चल रही चर्चा में कटौती न की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा को तो पूरा कर लिया जाये।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I think the question of statehood for Manipur is also an important one. If no decision is taken on this matter, another Nagaland will come up there. In view of it I donot make a speech and also appeal to other Members to be a little considerate in helping the Chair to take the resolution regarding statehood for Manipur.

Shri B. P. Mandal (Madhopura) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I agree with Shri Nath Pai's statement that the naxalite danger is not limited to West Bengal, but if is a danger for the whole country. In the streets of Calcutta the naxalites raise the slogans

like—'Live long our Chairman Mao'. China being enemy country to India. pro-Chinese attitude in India is deplorable. It cannot be tolerated. As I have already said the naxalite movement is not confined to West Bengal but it is rapidly spreading in other parts of the country. It is spreading in Bihar and Orissa. The danger from the naxalites is much more worse than the danger posed by Nagas or Mizo people so. there is nothing wrong if I say that the activities of the naxalites are a grave danger to democracy in the country. I request the Government to take strong action against them as early as possible. If necessary I. P. C. and Cr. P. C. should also be amended far the purpose. Our police and the army is fully competent to deal with these people if they are given a free hand.

The present Governor of West Bengal is not able to control the situation there. If all the utterances of Governor of West Bengal collected by Shri Nath Pai are correct, then the proper place far that man is a mental asylum rather than the Government House or he should be kept in Zoo of Delhi.

In the House it is often pleaded that elections should be held soon in West Bengal . But in my opinion elections should not be held there unless the naxalite movement is crushed and law and order is established in West Bengal , because in the present conditions it is not possible to hold free and fair elections for free and fair elections in any part of the country it is necessary that there should be law and order.

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : माननीय सदस्य ने राज्यपाल के लिए बहुत ही अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है । एक राज्य के राज्यपाल के प्रति ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए कि उसे 'मेन्टल होस्पिटल' या 'दिल्ली के जू' में भेज दिया जाय मै सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वह अपने ये शब्द वापस ले लें ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक कोई व्यक्ति संविधान के अन्तर्गत किसी राज्य के राज्यपाल पद पर है, तब तक उसके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । आप 'जू' और 'मेन्टल होस्पिटल' शब्दों को वापस ले लें।

Shri B. P. Mandal : If you are asking to withdraw, then I withdraw.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Deputy Speaker Sir, a discussion on a very important matter is going on in the House. It is a matter of great regret that West Bengal, the land of patriots and revolutionaries like Netaji Subhash Chandra Bose has become a hot-bed of anti-national activities. The anti-national elements or the naxalites drew their inspiration from Mao. They indulge in arson. loot and murders, Gheraos have become the order of the day in West Bengal.

I think there is a plnned move to create chaos and lawlessness in the country and certain foreign powers are behind this move. All the political parties and the entire nation should do their utmost to root out the anti-national elements. It is also a fact that the law and order situation in West Bengal is not normal. But even then no body should be allowed to play with the country. The law-breakers should be sent to prison. The Government should strengthen the C. R. P. and the Police force to curb the activities of naxalites or the lawless elements with firmness.The unlawful Activities Act provides for an imprisonment of 7 years far people who posed a threat to the integrity of the nation. The Act should be amended to provide more stringent punishment to persons guilty of treachery. Such guilty persons should be given death

punishment. I want to say that the Government should deal with the situation boldly and strongly. The State administration should be strengthened and the Governor of the State should be given more powers to control the situation in West Bengal.

With these words I oppose this resolution.

श्री समर गुह (कन्टाई) : अगले संकल्प को न लाने के लिए यह सब कुछ जानबूझ कर किया जा रहा है। यह उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी ने मुझे एक सूचना दी है जिसमें उन्होंने नियम 362 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव करने की अनुमति मांगी है : "कि अब चर्चा समाप्त की जाये।" नियम 362 के अन्तर्गत ऐसी अनुमति उस स्थिति में दी जा सकती है जबकि ऐसे प्रस्ताव से चल रही चर्चा में अनुचित कटौती न हो। जब तक वे सदस्य जिन्होंने बोलने के लिए अपने नाम दिये हैं, न बोलने के लिए सहमत नहीं होते, तब तक मैं श्री बाजपेयी के उपरोक्त प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति नहीं दे सकता।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : यह आपके हाथ की बात है कि आप आधे-घन्टे की चर्चा को रद्द या स्थगित का दें। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि मनीपुर के लिए राज्य के दर्जे का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल के सदस्य तो अभी तक इस संकल्प पर बोले भी नहीं हैं। इसलिए आधे घण्टे की चर्चा स्थगित करा देनी चाहिए।

श्री नाथपाई : सब की इच्छा है कि मनीपुर के बारे में मेरे इस संकल्प को सभा में पेश कराना चाहिए। इसमें थोड़ा सा हेर-फेर करके कठिनाई का निवारण किया जा सकता है। नियम 388 के अन्तर्गत डा० राम सुभाग सिंह को चर्चा के दौरान बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 388 के अन्तर्गत कोई सदस्य अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु किसी विशेष नियम को स्थगित करा सकता है। अब आप बताएं आप कौन सा नियम स्थगित कराना चाहते हैं।

श्री नाथपाई : नियम 26 स्थगित होना चाहिए।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मनीपुर का मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः मनीपुर पर चर्चा होनी चाहिए। लगता है इस मामले को जानबूझकर दबाया गया है।

श्री समर गुह : सरकार पश्चिम बंगाल से सम्बद्ध संकल्प को समाप्त करना नहीं चाहती अपितु वह तो मनीपुर के लोगों को समाप्त करना चाहती है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Under rule 340, I want that the discussion which is going on the Resolution of Shri Nath Pai should be suspended.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर-पूर्व) : गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को 6 बजे तक चला सकते हैं और डा० राम सुभाग सिंह को अपने संकल्प पर बोलने का अवसर दिया जा सकता है और सभा की बैठक 6 बजे सायं के पश्चात् 3 घन्टे और बैठ सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो ठीक है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सभा की बैठक की अवधि बढ़ाई थी। मुझे तो सभा की इच्छा के अनुसार कार्य करना होगा।

कहा गया है कि नियम 25 के प्रावधान को स्थगित कर दिया जाए। परन्तु, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अन्य दलों के सदस्य भी इस विषय पर बोलने का आग्रह करते हैं।

श्री नाथपाई : डा० राम सुभाग सिंह अपना संकल्प पेश करने के लिए एक मिनट का समय लेने में डा० रानेन सेन को बोलने के अधिकार से कैसे वंचित करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास अन्य और भी प्रस्ताव आए हैं। उनमें श्री प्रेम चन्द वर्मा का भी एक प्रस्ताव है कि पश्चिम बंगाल पर हो रही चर्चा के लिए नियत समय को तीन घण्टे बढाया जाए।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मनीपुर को पूरे राज्य का दर्जा दिए जाने के बारे में डा० राम सुभाग सिंह का संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है और इस सत्र में गैर सरकारी सदस्यों के लिए आज के अतिरिक्त और कोई दिन शेष नहीं रह गया है। इसलिए इस संकल्प पर चर्चा करने हेतु सरकार को आज किसी तरह समय निकालना चाहिए और डा० रामसुभाग को बोलने का अवसर देना चाहिए।

Shri Shiva Chandra Jha : The hon. Member, already speaking on a particular resolution should not be disturbed and interrupted by moving another resolution. The running business should first be finished and only after that other business can be taken up for discussion.

डा० रानेन सेन : मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ पश्चिम बंगाल की स्थिति पर जो चर्चा चल रही है वह अभी तक पूरी नहो हुई है और राज्य की यथार्थ समस्याओं को तो छुआ भी नहीं गया है, फिर भी, क्योंकि मनीपुर के बारे में चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं अपने अधिकार का त्याग करता हूं।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जहां तक मनीपुर के लोगों के हितों और उनके अधिकारों की सुरक्षा का प्रश्न है सरकार पूरी तरह से उनकी सुरक्षा करने के लिये तत्पर है। परन्तु पश्चिम बंगाल में नक्सलवादियों द्वारा उत्पन्न समस्या को दबाना भी बहुत अधिक आवश्यक हैं। इसलिए श्रीनाथपाई के प्रस्ताव पर आज पूर्ण रूप से चर्चा होनी चाहिए। मनीपुर के बारे में चर्चा करने के लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है।

श्री नाथपाई : इस परिस्थिति में मैं अपने संकल्प पर मतदान कराना चाहता हूं क्योंकि डा० रानेन सेन ने भी इस बारे में अपने अधिकार को त्यागा है। मैं भी त्याग करने को तैयार हूं।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : While my party is more anxious to safeguard the interests of the people of Manipur and have full sympathy with them, discussion on the law and order situation in West Bengal is equally vital and members of my party have not participated in the Debate. Keeping this thing inview I sent a motion that the time of the sitting should be extended and the discussion on the West Bengal situation should be completely discussed.

श्री नाथ पाई : हम तब तक बैठ सकते हैं जब तक डा० रामसुभाग सिंह का संकल्प पेश नहीं हो जाता। इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : पश्चिम बंगालकी नक्सलवादी समस्या के बारे में चल रही चर्चा को समाप्त करने के पश्चात् मनीपुर के बारे में डा० राम सुभाग सिंह को अपना संकल्प पेश करने

के लिए एक मिनट दे देना चाहिए और तब तक सभा की बैठक आज जारी रहनी चाहिए। यदि यह सुझाव स्वीकार्य नहीं है तो यही समझा जायेगा कि सत्ताधारी कांग्रेस दल ने मनीपुर के बारे में संकल्प को रोकने का निश्चय किया हुआ है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : According to the connction of the House Dr. Ram Subhag Singh should be given one minutes' time to introduce his resolution, by suspending the present discussion on the West Bengal.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास इस समय दो प्रस्ताव हैं—एक श्री प्रेम चन्द्र वर्मा का और दूसरा नियम 340 के अन्तर्गत श्री अटल बिहारी वाजपेयी का।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Sir, The house should sit as long as it is necessary or till this resolution is passed and after that Dr. Ram Subhag Singh be permitted to introduce his resolution.

श्री समर गुह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय सदन में दो परस्पर विरोधी प्रस्ताव हैं। एक तो वर्तमान चर्चा को तुरन्त स्थगित कराने के लिए और दूसरा सभा की बैठक को और तीन घन्टे तक चलाने के लिए है। एक तीसरा सुझाव यह है कि दोनों विचारों का सामन्जस्य किया जाए जिससे यह पता लग सके कि मनीपुर के लोगों की महत्वाकाक्षाओं की सदन में पुष्टि कहां तक होती है। यदि सरकार को वास्तव में मनीपुर के लोगों से सहानुभूति है तो तीसरे सुझाव का समर्थन करना चाहिए। अन्यथा यही समझा जायेगा कि सरकार मनीपुर के बारे में संकल्प को जान बूझ कर रोकना चाहती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे प्रस्ताव और श्री प्रेम चन्द वर्मा के प्रस्ताव में किसी प्रकार का अन्तर्विरोध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री प्रेम चन्द वर्मा के प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है : "कि श्री प्रेम चन्द वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया यह प्रस्ताव सभा द्वारा पारित किया जाए, कि संकल्प पर चर्चा के लिए नियत समय को तीन घन्टे बैठाया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ ? वह अस्वीकृत नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास क्रम से तीन प्रस्ताव हैं। जब प्रथम पर विचार हो रहा हो तो अन्य प्रस्तावों को लाने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता।

श्री बलराज मधोक : सदन को धोखा न दो। 6 बजे आप सदन की बैठक को स्थगित कर दोगे। अतः हम चाहते हैं कि श्री नाथपाई के संकल्प को समाप्त किया जाए और फिर अगला संकल्प प्रस्तुत किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री समर गुह : तीन घन्टे के पश्चात् डा० राम सुभाग सिंह के संकल्प को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

श्री नाथपाई : मेरा आग्रह है कि मेरे प्रस्ताव पर लोक सभा में मतदान होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय । मैं प्रश्न प्रस्तुत करूंगा कि 6 बजे म०प० के पश्चात् सभा तीन घन्टे तक चलेगी ।

प्रश्न यह है :

" कि सभा आज 6 बजे म०प० के पश्चात् तीन घन्टे और बैठे ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में—49 ; **विपक्ष में**—88

Ayes—49; **Noes** —88

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 25 अगस्त, 1970/3 भाद्र/1892, (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday the 25th August, 1970/Bhadra 3, 1892 (Saka).

Printed at Law Publishing House, Allahabad.